खण्ड-428, अंक-2
बुधवार, 21 माघ, शक संवत् 1920
(10 फरवरी, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 428 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास ...	1
प्रश्नोत्तर	1–104
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री त्रिवेनी सिंह, श्री लाल दास, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री बृजेश्वर सहाय प्रधान, श्री इश्तियाक अहमद, श्री श्याम लाल कनौजिया, श्री ओंकार सिंह, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री नत्था राम रावत, श्री रमा नाथ खैरा, श्री कमला प्रसाद उपाध्याय, श्री दल बहादुर सिंह, श्री वासुदेव मिश्र, श्री श्याम लाल बाजपेयी, डा० जेड० ए० अहमद, श्री राम अधार तिवारी, आचार्य दीपंकर, श्री इन्द्र भद्र सिंह, श्री लोक मणि शर्मा, श्री शिव शंकर सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री अरुण प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार ...	105-117
विद्युत परिषद् के अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों द्वारा की गयी हड़ताल की वापसी की सूचना	117-118
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें	118-139
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	139-140
जनपद आगरा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	140-141
ग्राम ककहरा, थाना चुरखी, जनपद जालौन निवासी एक हरिजन की मारपीट करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	141
जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी, जसपुरा एवं बड़ोखर खुर्द में ग्राम प्रधानों द्वारा कराये गये विकास कार्यों की जांच/मूल्यांकन के नाम पर जबरिया धन वसूली किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	141-142
थाना कोतवाली, मेरठ क्षेत्र के मकानों की दीवालें फटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	142
जनपद अम्बेडकर नगर के जनपदीय मुख्यालय एवं चिकित्सालय के रोके गये निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	142
जौनपुर के थाना केराकत अन्तर्गत ग्राम टिसौरी के एक मृतक के परिवार को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	142
आगरा पश्चिमी क्षेत्र में जल भराव की समस्या के निदान हेतु पानी की निकासी के लिए योजना बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	142-143
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	143

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बी० आर० वर्मा को एक साल के उपरान्त भी आवास उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	143-144
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में कार्यरत कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार के मामले में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अध्यक्ष पीठ से शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	144-146
श्री भोनू राम सोनकर, सदस्य, विधान सभा गाजीपुर को बन्दी बनाये जाने की सूचना	146
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	146-149
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	149-168
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	168
नत्थियां	169-213

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 10 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
उदय राज यादव, श्री	उन्नाव
ओंकार सिंह, श्री	एटा
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद, श्री	मेरठ
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
जगत पाल सिंह, मेजर	मुरादाबाद
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
तिलक राज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूर्णमासी पंकज, श्री	भदोही
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भरत सिंह, श्री	बलिया
भोनू राम सोनकर, श्री	गाजीपुर
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
यशवंत, श्री	आजमगढ़
रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव गणेश लोधी, एडवोकेट	रायबरेली
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
शिव शंकर, श्री	बांदा
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्रीराम, श्री	मऊ
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सौलत अली, एडवोकेट	मुरादाबाद
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 10 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को उठाए जाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना दी गई है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों ने नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी हैं तो पहले प्रश्न काल, उसके बाद निधन के निदेश होंगे उसके बाद मैं इसकी ग्राह्यता पर सुन लूंगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की बोनस की धनराशि को भविष्य निर्वाह निधि में डाला जाना

**1–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1997-98 के बोनस की धनराशि का नकद भुगतान न करके उसे भविष्य निर्वाह निधि में डाले जाने का फैसला किया गया है ? यदि हां, तो नकद भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि उक्त धनराशि को भविष्य निर्वाह निधि से निकाले जाने पर पाबन्दी लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक लागू रहेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी हां ।

राज्य सरकार की गम्भीर वित्तीय स्थिति के कारण नकद भुगतान न किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

जी हां ।

शासन की गम्भीर वित्तीय स्थिति के कारण उक्त धनराशि को भविष्य निर्वाह निधि से 31 मार्च, 2000 तक निकाले जाने पर पाबंदी लगायी गयी है । उक्त तिथि के उपरान्त इस धनराशि को भविष्य निर्वाह निधि के सामान्य भविष्य निधि नियमों के तहत निकाला जा सकेगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य को वित्तीय स्थिति से उबारने के लिए प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की बोनस और भविष्य निधि निकालने पर पाबन्दी लगाई गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इससे कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे ? यह प्रतिबन्ध लगाने के पहले वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए क्या-क्या कदम सरकार ने उठाए हैं ? क्या सरकार ने मंत्रियों के खर्चों में कटौती की है ? क्या बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा की जा रही फिजूलखर्ची में कोई कटौती की है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जहां तक यह प्रश्न कि कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे तो बोनस केवल नान गजटेड कर्मचारियों को दिया जाता है इनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग 16 लाख 30 हजार है। यह पहली बार नहीं किया गया है। 1982-83 में बोनस की सुविधा उपलब्ध हुई थी। तब से लेकर अब तक यह कुछ मात्रा में जी० पी० एफ० में जमा होता रहा है। कभी 50 प्रतिशत जी० पी० एफ० में जमा होता रहा, कभी 75 प्रतिशत तक जी० पी० एफ० में जमा हुआ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति में भयंकर संकट उत्पन्न हुआ है उस सम्बन्ध में एक प्रश्न करना चाहता हूं। भविष्य निधि कर्मचारी इसलिए जमा करता है कि उसको आवश्यकता पड़ने पर निकाल सके जैसे किसी के पुत्र या पुत्री की शादी हो उसमें यह सहारा होती है। तो क्या इस विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए जबकि बोनस भविष्य निधि में जमा की जा रही हो, प्रदेश के मंत्रियों की भारी भरकम फौज है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है सरकारिया कमीशन के अनुसार मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों या सांसदों की संख्या का 10 प्रतिशत होना चाहिए तो क्या सरकार मंत्रियों की फौज को कम करने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

कहीं न कहीं यह भ्रम की स्थिति बनी है कि भविष्य निधि पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है। भविष्य निधि की प्रक्रिया को परिवर्तित किया गया है। जो सामान्य नियम हैं जी० पी० एफ० को निकालने के उसके अनुरूप पैसा निकाला जा सकता है उस पर प्रतिबन्ध नहीं है। जो बोनस का अंश है बोनस का अंश पहले भी जी० पी० एफ० में जमा होता रहा है। इस बार कोई नई बात नहीं है ? जह तक बड़े मंत्रिमण्डल की बात है तो यह प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहा है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 16 लाख 30 हजार कर्मचारी हैं जिनकी भविष्य निधि का पैसा निकालने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तो क्या ऐसा करने के पूर्व इनके संगठनों से कोई वार्ता सरकार द्वारा की गई, उनसे विचार विमर्श किया गया। सरकार ने एक तरफा फैसला करके इस कानून को लागू किया। तो किस तारीख से यह कानून लागू किया गया कितना पैसा अब तक जी० पी० एफ० में जमा किया ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक वार्ता की बात है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह प्रक्रिया पहले से ही चली आ रही है जमा करने की। 1982-83 का पहला वर्ष था जब से बोनस की धनराशि अनुमन्य की गई थी। 1997-98 तक प्रतिवर्ष कभी 50 प्रतिशत तो कभी 75 प्रतिशत जमा होता रहा है। जहां तक धनराशि का सवाल है वह 374 करोड़ 47 लाख रुपए की है जो बोनस के रूप में भविष्य निधि में जमा की गई है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, जैसा कि संसदीय कार्यमंत्री जी बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि 1982-83 से भविष्य निधि में जमा करने की प्रक्रिया चली आ रही है, इसलिये माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किस वर्ष, जब से यह बोनस देने की प्रक्रिया चली

आ रही है, शतप्रतिशत पैसा बोनस का भविष्य निधि में जमा किया गया हो । दूसरा माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि राज्य सरकार की गम्भीर वित्तीय स्थिति के कारण ऐसा हुआ है, इसलिये राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को पूरे प्रदेश की जनता जान सके, क्या कोई इस संबंध में श्वेत-पत्र सरकार जारी करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि 1982-83 का सबसे पहला वर्ष है जब बोनस अनुमन्य किया गया था और यह केन्द्र सरकार के पैटर्न पर है तथा उसी पैटर्न पर प्रदेश सरकार भी निर्णय लेती है । 1984-85 तथा 1986-87 में 75 प्रतिशत भविष्य निधि में जमा किया गया और बाकी के वर्षों में 50 प्रतिशत जमा किया गया और इस वर्ष शत-प्रतिशत जमा हुआ है । जहां तक श्वेत-पत्र का प्रश्न है, यह आपको स्मरण होगा कि यह पहले ही जारी किया जा चुका है ।

श्री राम जग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बार-बार वित्तीय संकट की बात कही है और इसी वित्तीय संकट के कारण ऐसा किया गया है । इसलिये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पाबंदी को कब तक हटायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पिछले 6-7 सालों का वित्तीय कुप्रबन्धन इसका मुख्य कारण रहा है । सरकारें आयी और राजस्व प्राप्ति पर ध्यान नहीं दिया गया और अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ा दिये गये । इस वर्ष, विशेष रूप से पंचम वेतन आयोग के संस्तुति के कारण लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय–भार सरकार पर पड़ा, यह इसका एक कारण रहा । प्रदेश सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि राजस्व-प्राप्तियों को बढ़ाया जाय और इस खर्चे को कम किया जाय ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय अवधेश जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब अभी तक सदन को नहीं मिल पाया । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मूल रूप से जो सवाल किया गया है उसका यह जवाब नहीं है । जवाब सिर्फ इस पर चाहता हूं कि नकद भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? जवाब दिया जा रहा है कि वित्तीय स्थिति खराब है । अगर वित्तीय स्थिति खराब है तो क्या सरकार इस मंत्रियों की फौज की [x x x] में कुछ कटौती करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

[x x x] वाला शब्द जरा अशोभनीय है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह पैकेट एलाउन्स का पर्यायवाची शब्द है ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

बाबू राम जी, आप भी मंत्री रह चुके हैं आप जैसे स्तर के व्यक्ति के लिये इस शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है । यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बाबू राम यादव–

[x x x] शब्द को हटाकर माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह पैकेट एलाउन्स के नाम पर जो करोड़ों रुपये निकाले जा रहे हैं क्या सरकार उस पर अंकुश लगायेगी । दूसरा यह कि जो कर्मचारियों का धन भविष्य निर्वाह निधि में जमा होता है उसके निकालने पर रोक लगाई है, बोनस का पैसा भी भविष्य निर्वाह निधि में डाल दिया गया । इसके सम्बन्ध में क्या सरकार घोषणा करेगी कि इतनी समय सीमा अवधि के बाद भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके सन्दर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि सम्भवतः उत्तर प्रदेश का यह पहला मंत्रि-मण्डल है जिसने यहां की वित्तीय स्थिति को देखते हुए स्वतः वैलेन्टरी रूप में 50 प्रतिशत वेतन की कटौती स्वयं की है और यह निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 1999 तक 50 प्रतिशत वेतन लेंगे । यह जो पैकेट एलाउन्स वाली बात कही गई है तो मान्यवर, यह मंत्रि-मण्डल ने निर्णय स्वयं लिया है कि प्रति माह कितना भी खर्च हमारा हो 10 हजार रुपये से ज्यादा कोई भी पैसा नहीं निकाला जायेगा एलाउन्स के रूप में । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं....

श्री बाबू राम यादव–

आपने ऐसा किया होगा बाकी तो कोई नहीं कर रहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

मत कहलवाइये । 93-94 का हिसाब निकाल लें आ जायेगा सामने । आंखें खुल जायेंगी । मत निकलवाइये सारी बातें ।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह पैसा कर्मचारियों की अमानत होती है । क्या यह अमानत में ख्यानत नहीं है । दूसरी बात जो पैसा हम अर्न करते हैं तो उसमें किसी भी परिवार के सदस्य को बीमारी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है, अगर पैसा न मिलने की वजह से किसी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो क्या यह सरकार उसको मुआवजा देगी ? अगर नहीं देगी तो क्या यह अमानत में ख्यानत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य निर्वाह निधि से पैसा निकालने में कोई रुकावट नहीं है । यह केवल बोनस से संबंधित है ।

श्री राम सिंह सैनी–

अगर उसके फंड में पैसा नहीं है और तनख्वाह का पैसा भी खत्म हो गया और उसकी आवश्यकता पड़ गई तो उस जरूरत में भी वह उस पैसे को नहीं निकाल सकता ।

(व्यवधान)

श्री राम बाबू यादव–

मान्यवर, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया । मैंने जो दो सवाल पूछे थे उनका उत्तर तो दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी दोबारा उत्तर दे दीजिये बाबू राम जी के प्रश्न का । इसके बाद अंतिम अनुपूरक अवधेश जी का होगा ।

श्री हुकुम सिंह–

हमारे सम्मानित विद्वान सदस्य ने एक प्रश्न यह किया था कि गम्भीर वित्तीय को देखते हुए मंत्रिमंडल ने अपना खर्चा कम क्यों नहीं किया ? इसका जवाब मैंने दिया कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने स्वतः ही यह निर्णय ले लिया कि 31 मार्च, 1999 तक अपना आधा वेतन सरकारी खजाने से लेंगे, आधा वेतन नहीं लेंगे । दूसरा इन्होंने प्रश्न किया था पाकेट एलाउन्स के बारे में, कि बड़ी धनराशि वसूल की जा रही है इसमें मैंने जवाब दिया कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने स्वतः ही यह निर्णय ले लिया कि जितना खर्चा होगा उसकी अधिकतम सीमा दस हजार होगी उससे ज्यादा नहीं होगी । उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

पूरा-पूरा बोनस इन्होंने भविष्य निधि खाते में डाल दिया । सरकारी धन का जो इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इनकी कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(व्यवधान)

श्री रामजग–

यह सरकार कर्मचारी विरोधी है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री रामजग ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सरकार ने शत–प्रतिशत बोनस भविष्य निधि खाते में डाल दिया आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया...

श्री अध्यक्ष–

आप बिना अनुमति के न बोलें ।

श्री प्रमोद कुमार–

इनसे पूर्व चाहे वह मायावती जी की सरकार हो चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार हो चाहे नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार रही हो शत–प्रतिशत बोनस भविष्य निर्वाह निधि में नहीं डाला गया है । तमाम ऐसे लोग हैं जो चुनाव हार गए हैं और मंत्री का दर्जा दे दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के बोल रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं इस सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें, मेरी प्रार्थना है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सदन की कार्यवाही संचालित होने दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

प्रश्न की गम्भीरता को मान्यवर, देख लें और इसमें आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सैनी जी ने प्रश्न किया था किसी कर्मचारी के भविष्य निर्वाह निधि के खाते में पैसा नहीं है उसके यहां आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक आवश्यकता हो जाए तो क्या सरकार विचार करेगी, कि बोनस की धनराशि जो जमा हुई है उसमें से रुपया निकालने की अनुमति होगी, या नहीं ? यह प्रश्न सैनी जी का है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह काल्पनिक प्रश्न है इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है भविष्य निर्वाह निधि से पैसा लेने में कोई रुकावट नहीं है । काल्पनिक प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए ?

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह काल्पनिक प्रश्न कह रहे हैं । प्रदेश के 16 लाख 30 हजार कर्मचारियों की दुर्घटना नहीं होगी इसके बारे में आश्वस्त नजर आ रहे हैं...

श्री अध्यक्ष–

पहले आप देख लें प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है । प्रश्न यह है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1997-98 के बोनस की धनराशि का नकद भुगतान न करके उसे भविष्य निर्वाह निधि में डाले जाने का फैसला लिया गया है । उत्तर है कि राज्य सरकार की गम्भीर वित्तीय स्थिति के कारण नकद भुगतान न किये जाने का निर्णय लिया है । उक्त धनराशि भविष्य निर्वाह निधि से 31 मार्च, 2000 तक निकाले जाने पर पाबन्दी है । यह 1997-98 का बोनस है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि किसी वर्ष 50 प्रतिशत, किसी वर्ष

75 प्रतिशत तक भविष्य निर्वाह निधि में जाता है । यह पाबन्दी 97-98 के बोनस के सम्बन्ध में है । इसके पहले को यदि कोई निकालना चाहता है तो वह निकाल सकता है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक है, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा । आपकी अनुमति से माननीय सैनी जी ने प्रश्न रखा और आपने उत्तर देने को कहा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि यह काल्पनिक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने लिखित और मौखिक रूप से अनुरोध कर लिया है अब उस पर मैं चर्चा कराऊं या न कराऊं इस पर मैं निर्णय दूंगा । मैं इस पर विचार कर लूंगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में प्रश्न उठाया गया है यह प्रदेश के 16 लाख 30 हजार कर्मचारियों से जुड़ा हुआ सवाल है ।आज प्रदेश को इस सरकार ने कंगाल बना दिया है । आप विद्वान हैं और जानकार हैं । मान्यवर, आज यह सरकार कटघरे में खड़ी है । यह वर्तमान सरकार जो जम्बोजेट सरकार के नाम से जानी जाती है, जिसमें 93 मंत्री हैं क्या इसकी संख्या को घटाया नहीं जा सकता है । उसी तरह से जिस तरह से जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे 90 में, तो उन्होंने 14 मंत्रियों में इस प्रदेश को चलाने का काम किया था...

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया है । प्रदेश के विकास को गति देने के लिए यह किया गया है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, 93 मंत्रियों का यह जम्बोजेट है । इसको घटाकर 14 या 20 करके प्रदेश की स्थिति को सुधारा जा सकता है । दूसरा जो बोनस का पैसा भविष्य निर्वाह निधि में जमा करने की बात कही गयी है वह आज तक राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि के खाते में जमा नहीं किया गया है । यह भारतीय दण्ड संहिता के 406 के अन्तर्गत अमानत में ख्यानत है । इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आप संरक्षण दें । 27 मिनट एक प्रश्न पर हो गये हैं बाकी प्रश्नों का क्या होगा ?

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा घोषित पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण नीति

**2–श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा घोषित पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति की क्या व्यवहारिक प्रक्रिया वर्तमान सरकार ने अपनाई है ? क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार ने पूर्व में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बदल दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरी इसमें दिलचस्पी है ।

श्री अध्यक्ष–

अन्त में देख लेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मूल प्रश्नकर्ता सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसका क्रम कृपया पीछे कर लें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*01–श्री सीता राम निषाद–

[3 रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

तारांकित प्रश्न

जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 1998-99 में विकास कार्यों से सम्बन्धित जिला स्तरीय बैठकें आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*1–श्री आर० के० सिंह पटेल–(अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में विकास कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गयी है ? यदि हां, तो कब-कब ? क्या उक्त बैठकों में जनप्रतिनिधियों को भाग लेने हेतु सूचित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनप्रतिनिधियों की संस्तुति के बिना कार्य योजनायें तैयार की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जनप्रतिनिधियों को जनपद स्तरीय विकास कार्यों की बैठक में भाग लेने का अधिकार है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित जिले के जिम्मेदार अधिकारी बैठकों की सूचना जनप्रतिनिधियों को देते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 1998-99 में विकास कार्यों से संबंधित निम्नांकित जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गई हैं :–

1–शासी निकाय, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक–	दि० 7-9-98
2–जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक–	दि० 7-9-98
3–जल संरक्षण समिति की बैठक –	दि० 13-10-98
4–जिला बुन्देलखण्ड विकास निधि समिति की बैठक–	दि० 16-11-98

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की योजना का प्रारूप बनाये जाने की जानकारी

*2–श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 मेंनहरों में टेल तक पानी पहुंचाने एवं पानी की बराबर आपूर्ति हेतु पानी को गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में अधिक मात्रा में एकत्रित करने की योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ?

सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां । नहरों की सफाई का विशेष पारदर्शी अभियान एवं नहर संचालन में सुधार करके सभी नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं । गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 1998-99 में अधिक मात्रा में जल एकत्रित करने के उद्देश्य से समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर नई परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है ।

नवम् योजना काल में कुल 20 परियोजनायें पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसमें से जून, 99 तक घाघरा नहर का आधुनिकीकरण, बेवर फीडर, सौदहा बांध, गुटा नाला एवं जाखलौन पम्प नहर का निर्माण पूर्ण की जानी प्रस्तावित है ।

उपरोक्त के अलावा अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं में भी अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करना प्रस्तावित है, जिनमें से सरयू नहर परियोजना एवं चम्बल डाल पम्प नहर योजना मुख्य हैं ।

कुल मिलाकर 1.22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है, जिनमें से सरयू नहर योजना से 50 हजार हेक्टेयर, चम्बल डाल पम्प नहर योजना से 30 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की जानी है ।

तराई अनुसूचित जन-जाति विकास निगम लि० के कर्मचारियों को विभागीय निदेशालयों में समायोजित किये जाने के निर्णय की जानकारी

*3–डा० अशोक बाजपेयी (अनुपस्थित)–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई अनु० जनजाति विकास निगम लि० के 177 कर्मियों में से 112 कर्मियों को किस आधार पर शासकीय निदेशालयों और शेष 65 कर्मियों को उ० प्र० अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम में समायोजित किया गया ? क्या उन 65 कर्मियों को वेतन आदि का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1998 को इन 65 कर्मियों के सम्बन्ध में विभागीय निदेशालयों में पुनर्समायोजन का कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो वेतन न देने का औचित्य क्या है ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत राजकीय नलकूपों पर पाइप लाइन बिछाने के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अवमुक्त किये गये धन की जानकारी

*4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 में जनपद इलाहाबाद में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों पर पाइप लाइन बिछाने के लिए कुल कितना धन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इलाहाबाद द्वारा अवमुक्त किया गया ? इनमें कुल कितने नलकूपों पर कितनी पी०वी०सी० पाइप निर्गत की गयी ? कितनी पाइप नलकूपों पर प्रयोग होने के बाद अनुरक्षण खण्डों को स्थानान्तरित की गयी ? क्या यह सही है कि पाइप लाइन बिछाने में काफी सामान एवं धनराशि की हेराफेरी की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1993 में जनपद इलाहाबाद में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत राजकीय नलकूपों पर पाइप लाइन बिछाने के लिए कुल रु० 172.90 लाख जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इलाहाबाद द्वारा अवमुक्त किया गया ।

कुल 57 नलकूपों पर 102.709 कि०मी० पाइप निर्गत की गयी ।

नलकूप निर्माण खण्ड द्वारा 45.627 कि०मी० पाइप स्थानान्तरित की गयी थी ।

एक नलकूप संख्या–127 एम० के पाइप के विषय में अनियमितता बरतने का मामला संज्ञान में आया है ।

अवर अभियन्ता, श्री एस० एल० सोनकर के खिलाफ आरोप-पत्र की जांच चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*5–श्री अम्बरीष कुमार–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने कारण निरस्त]

टिहरी बांध परियोजना पूर्ण होने की अवधि, व्यय धनराशि एवं विद्युत उत्पादन की जानकारी

*6–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी बांध परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी और विद्युत का उत्पादन कितना होगा ? उक्त परियोजना पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ? कितनी सहायता केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है ? क्या प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

परियोजना का प्रथम चरण सन् 2002 तक पूरा किया जाना निर्धारित है । टिहरी बांध के प्रथम चरण से 1000 मेंगावाट विद्युत का उत्पादन होगा ।

परियोजना के प्रथम चरण की अनुमानित लागत दिसम्बर, 1997 के मूल्यांक पर 4962.43 करोड़ रु० है। भारत सरकार द्वारा अब तक 1418.45 करोड़ रु० दिया गया है।

प्रदेश सरकार का नवम्बर, 1998 तक देय अंश 701.26 करोड़ रु० है, जिसमें से केवल 372.69 करोड़ रु० ही उपलब्ध कराया गया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस परियोजना में कुल 4962.43 करोड़ रुपये लगने का अनुमान है और प्रथम चरण इसका सन् 2002 में पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन केन्द्र सरकार ने भी अपने हिस्से में से केवल 14 सौ करोड़ रुपये ही दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 701 करोड़ में से 377 करोड़ रु० ही दिए हैं तो प्रथम चरण कैसे पूरा हो पायेगा ? इसके महत्व को देखते हुए सरकार के पास अगर वित्तीय संकट है तो इसके लिए केन्द्र से धन देने की बात कहीं है ? दूसरे. इससे कितनी भूमि सिंचित होगी और कितने जिले लाभान्वित होंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, 2002 तक जो कार्य की बात कहीं गयी है यह प्रस्तावित लक्ष्य है। केन्द्र सरकार अपना वित्तीय अंश देने के लिए प्रतिबद्ध है और दे रही है। प्रदेश के अंश में इस 98–99 में हम 70 करोड़ रु० देंगे ? जिसमें से 20 करोड़ रुपया दिया जा चुका है शेष धन 35 करोड़ रुपया भारत सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत मांग की गयी है और 15 करोड़ रुपया पुनर्नियोजन के रूप में, राज्य अंश के रूप में दिया जायेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं है, मेरा प्रश्न यह है कि आपने स्वयं कहा है कि यह परियोजना का प्रथम चरण 2002 तक पूरा होना प्रस्तावित है और सन् 99 चल रहा है तो 2002 में यह कैसे पूरा हो जायेगा, जब आप धन नहीं उपलब्ध करा पा रहें हैं और न भारत सरकार धन उपलब्ध करा पा रही है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस परियोजना से कितने हेक्टेअर भूमि की सिंचाई होगी और कितने जिले लाभान्वित होंगे ? मान्यवर, अगर धन नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के पास और भारत सरकार के पास तो क्या कहीं बाहर से भी धन लाने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह कोई सूचना शासन के पास नहीं है और न ऐसी केन्द्र सरकार की मंशा है कि आवश्यकतानुसार धन नहीं देगी। जहां तक सिंचाई का सवाल है इससे 2.70 लाख हेक्टेअर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई होगी और इससे जो लाभान्वित होने वाला क्षेत्र है वह है गंगा नहर का क्षेत्र, राम गंगा नहर का क्षेत्र, पूर्वी गंगा नहर का क्षेत्र और आगरा नहर का क्षेत्र। इन्हीं नहरों के क्षेत्र में इसको पानी दिया जायेगा जिससे इस क्षेत्र में जो सिंचित क्षेत्र है उसमें वृद्धि होगी और उसमें और अधिक पानी दिया जा सकेगा।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है और कितना धन उसमें व्यय हो चुका है, शेष कार्य कितना बाकी है और इसके लिए सरकार धन का व्यय कब तक करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जो कार्य हो चुका है उसमें प्रारम्भिक आधारभूत संरचना पूरी हो चुकी है, 4 शीर्ष सुरंगें निर्मित हो चुकी हैं, काफर डैम निर्मित तथा मुख्य बांध का कार्य शुरू हो चुका है, भूगर्भीय विद्युत गृह

की पहुंच सुरंगें बन चुकी हैं, पावर हाउस का निर्माण कार्य प्रगति में है, स्पिलवे का अनुबन्ध हो चुका है । दिसम्बर, 98 तक रु० 1820.87 करोड़ के कार्य हो चुके हैं शेष जैसे जैसे धन की आवश्यकता होगी, सरकार .....

श्री बी०आर०वर्मा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह परियोजना किस वर्ष शुरू हुई और उस वर्ष इस परियोजना को किस वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य था, प्रथम चरण में क्या अनुमानित लागत निर्धारित की गई थी । शुरू में जिस साल में यह परियोजना बनाई गई उस समय किस वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य था उसके सापेक्ष में कितना बढ़कर हो गया है ? और दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि जो परियोजना बनी थी उसमें टोटल का कितने प्रतिशत धन दिया जा चुका है और कितने प्रतिशत काम हुआ है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह परियोजना 1978 में प्रारम्भ हुई थी और स्वीकृत हुई थी 71–72 में । इसकी प्रारम्भिक लागत 63 करोड़ की थी (व्यवधान) इसकी कुल लागत 97 के अनुसार 4,962 करोड़ है ।

श्री बी०आर०वर्मा–

जब योजना बनी थी, उस समय इसको किस वित्तीय वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य था और इसकी अनुमानित लागत क्या थी और इसके सापेक्ष कितना धन दिया जा चुका है तथा कितने प्रतिशत काम पूरा हो चुका है इन चीजों का उत्तर दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष–

अब तो यह प्रश्न निरर्थक हो गया क्योंकि 1978 से अब तक 20 वर्ष हो गये और इन वर्षों में मूल्य वृद्धि को देखते हुये लागत तो बढ़ी ही होगी ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न था, उसमें कहा गया था कि टिहरी बांध परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी, उससे विद्युत का उत्पादन कितना होगा, इसका जो उत्तर आया है वह लगभग आंशिक उत्तर आया है । इस वर्ष परियोजना का प्रथम चरण सन् 2002 तक पूरा किया जाना निर्धारित है और इससे 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है तो इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि नवम्बर, 1998 तक प्रदेश के 701.26 करोड़ के अंश में से मात्र 372.96 करोड़ का अंश ही उपलब्ध कराया गया है जो लगभग 50 प्रतिशत है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि यह जो 350 करोड़ का गैप है, इसको देने के लिये कोई समयावधि तय की जायेगी ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय वर्मा जी ने सवाल उठाया था कि इसकी प्रारम्भिक लागत 63 करोड़ की थी और अब इसकी पुनरीक्षित लागत 4962 करोड़ के करीब है और जो पैसा दिया जाता रहा है वह इस्टैबलिशमेंट पर खर्च होता चला गया और जो योजना के निर्माण का कार्य था, वह नहीं हुआ, इस प्रश्न को लेकर आप भी मंत्री जी उत्तरांचल में जब जाते हैं तो परेशान होते हैं । मैं जानना यह चाहता हूं कि जो विस्थापित आबादी है उसके पुनर्वासन के लिये कितना इन्तजाम किया

जाना चाहिये, इसके लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा द्वितीय चरण को कब तक सरकार पूर्ण कराना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा कि प्रथम चरण 2002 तक पूरा किया जायेगा तो कितने चरणों की यह योजना है, इसको भी स्पष्ट कर दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह सभी सहमत हैं कि वित्तीय समस्याओं के कारण यह परियोजनायें पिछड़ी हैं, लेकिन टेहरी बांध परियोजना के संबंध में और भी अनेक कारण हैं, अभी प्रथम चरण का ही मूल स्वरूप बना है, इसको पूरा करना है, वित्तीय संसाधनों को देखते हुये, उसकी परिकल्पना की जायेगी और लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा ।

मान्यवर, जहां तक पुनर्वास का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो पूर्णतः प्रभावित गांव हैं वह 35 हैं और जो आंशिक प्रभावित गांव हैं वह 74 हैं । यह टेहरी टाउन के हैं । मान्यवर, ग्रामीण प्रभावित परिवार हैं, उनकी संख्या 4909 है, यह पूर्ण प्रभावित हैं और आंशिक प्रभावित परिवार जो हैं, उनकी संख्या 3998 है । इसी प्रकार से शहरी प्रभावित परिवारों की संख्या 4551 है । इस प्रकार से कुल प्रभावित परिवारों की संख्या 13,458 है । मान्यवर, पुनर्वास, प्रथम चरण काफर डैम तक, शहरी क्षेत्र के संबंध में लक्ष्य 4551 का था और उपलब्धि 4551 की है, पूरी की पूरी है । ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में लक्ष्य 2064 का था और उपलब्धि 2064 की है, यह भी पूरी की पूरी है । मान्यवर, पुनर्वास द्वितीय चरण मुख्य बांध की पूरी उंचाई तक, ग्रामीण के संबंध में लक्ष्य 2845 का था और उपलब्धि 435 की है और आंशिक के संबंध में हमारा लक्ष्य 3998 का था इसमें केवल प्रतिकर दिया जाना था । मान्यवर, पुनर्वास का कार्य अब तक टी०एल०डी०सी० द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अभी निर्णय हुआ है कि पुनर्वास का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि टी०एल०डी०सी० द्वारा ही वहन किया जायेगा । पुनर्वास निदेशक के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है । टी०एल०डी०सी० तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समन्वय का कार्य आयुक्त गढ़वाल मण्डल करेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि योजना कब तक पूरी होगी, मंत्री जी ने 2400 मेगावाट जल विद्युत पैदा करने की बात कही है और उन्होंने अभी सरजू, शारदा आदि कई नहरों का नाम लिया, और कहा कि 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब यह परियोजनायें पूरी ही नहीं होंगी तो कैसे आप सिंचाई करेंगे, आप देख रहे हैं कि आज बिजली का संकट है । इस परियोजना से प्रदेश को सस्ती बिजली मिलेगी और जो पीक आवर में शाम 6 बजे से रात 10 बजे बिजली की कटौती होती है वह बन्द हो जायगी । इस परियोजना से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है । जैसा कि माननीय चौहान जी ने पूछा आपको 701 करोड़ रुपये देने थे और आपने अपने हिस्से के केवल 372 करोड़ रुपये दिये हैं इसके माने हैं कि यह परियोजना, 2002 तक इसका प्रथम चरण लागू नहीं हो पायेगा । माननीय मंत्री जी स्पष्ट उत्तर देने की कोशिश करें मंत्री जी ने कहा है कि पूरी जानकारी नहीं है, तो इसको स्थगित कर दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है कि पूरी जानकारी नहीं है ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, रिकार्ड दिखवा लें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, योजना के प्रथम चरण में जब बांध पूरी तरह से बन जायेगा, तो पानी उपलब्ध होगा जिससे सिंचाई की व्यवस्था प्रथम चरण में पूरी हो जायेगी । दूसरे चरण में विद्युत क्षमता की वृद्धि की जायगी । प्रथम चरण में विद्युत केवल 1 हजार मेगावाट उत्पादित होगी । जब पूरा बांध बन जायगा और पानी पूरा भर जायगा तो निश्चित रूप से सिंचाई क्षमता बढ़ेगी । विद्युत उत्पादन की क्षमता दूसरे चरण में पूरी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न माननीय रेवती रमण सिंह ने किया है उसका एक भाग यह है कि जो धनराशि देनी है उसमें से 372.69 करोड़ रुपया ही दिया गया है । जब आप पूरा धन नहीं उपलब्ध करायेंगे तो फिर 2002 तक योजना कैसे पूरी होगी । धन उपलब्ध कराने का क्या प्रयास कर रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, शीघ्रातिशीघ्र शासन धन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा । हमारा यथा संभव प्रयास है कि यह परियोजना जल्दी से जल्दी पूरी हो । जहां तक प्रदेश के अंश का सवाल है वह हम जरूर देंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर चरण बद्ध तरीके से बताने में दिक्कत हैं तो कितने शीर्ष में यह योजना पूरा करेंगे यह बता दें ?

(उत्तर के लिये माननीय मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में बाढ़ के फलस्वरूप प्रदूषित जल होने के कारण शुद्ध जल प्रदान किये जाने की मांग

*7–डा० धर्मज्ञ मिश्र (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण पीने का पानी पूर्ण रूप से दूषित हो गया है ? यदि हां, तो शुद्ध जल प्रदान कराने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*8–श्री राजधारी (अनुपस्थित)-

[12 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती रेशमवती पत्नी नन्कूलाल निवासी तनकपुर जिला चम्पावत की चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से हुई मृत्यु के कारण मुआवजा दिये जाने की मांग

*9–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 27-5-98 को रेशमवती पत्नी नन्कूलाल निवासी तनकपुर जिला चम्पावत की मृत्यु चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की लापरवाही एवं गलत तरीके से किये गये गर्भपात के कारण हो गई थी ? यदि हां, तो जांचोपरान्त उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही

की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक के परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी हां ।

इस प्रकरण की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा से कराई गई थी । जांच आख्या में दोषी कर्मचारियों के नाम के संबंध में स्पष्ट उल्लेख एवं संस्तुति नहीं थी जिसके लिये जांच अधिकारी को चेतावनी दे दी गई है । प्रकरण की जांच पुनः कराई जा रही है । जांच आख्या में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं ।

नियमानुसार कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इन्होंने स्वीकार किया है कि यह जांच गलत हुई है और जांच अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है, कृपया बतायेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, पंहले तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सा अधीक्षक से जांच कराई गई थी उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं इसीलिये मैने पुनः चिकित्सा अधिकारी को जांच 23 जनवरी को दी । यह जांच 15 फरवरी तक हो जायेगी ।

उन्होंने 3 फरवरी की जांच रिपोर्ट भेज दी और 9 फरवरी को दोनों कर्मचारियों को निलम्बित करके उनके खिलाफ पुनः विभागीय कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं । मृतक के परिवार की तरफ से पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और उसकी भी जांच हो रही है ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, अभी तक मृतक के परिवार को कोई मुआवजा न दिया जाना एक गम्भीर बात है और एक व्यक्ति जो हत्या का आरोपी है उसके खिलाफ एफ०आई०आर० भी दर्ज हुई है क्या उसका संज्ञान माननीय मंत्री जी को है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुआवजा के बारे में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें मानवता के आधार पर आप कुछ कर सकते हैं ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

यह एक बड़ा गरीब आदमी है उसकी हत्या कर दी गई है और उसके बाद उसे मुआवजा भी न दिया जाये । इससे यह साबित होता है कि यह सरकार कि ानी संवेदनशील है ?

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, मानवता के आधार पर मुआवजा देने के बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी विचार कर लें।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुपर विशेषज्ञ कैडर बनाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

*10–डा० वकार अहमद शाह (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुपर विशेषज्ञ कैडर बनाने एवं उन्हें केन्द्र के समान वेतनमान देने संबंधी पत्र दिनांक 27–5–98 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

मा० विधायक के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

(1) प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा में सुपर विशेषज्ञ कैडर बनाने का कोई प्राविधान नहीं है।

(2) स्नातकोत्तर भत्ता वर्तमान में रु० 200/– प्रतिमाह अनुमन्य है।

(3) प्रदेश स्तर पर प्राविधान न होने की स्थिति में मण्डल स्तर पर सुपर विशेषज्ञ कैडर बनाये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर में सड़क एवं सम्पर्क मार्ग आदि के निर्माण में स्वेच्छा से करोड़ों रुपये खर्च करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

*11–श्रीमती माया प्रसाद (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर में सड़क एवं सम्पर्क मार्गों आदि के निर्माण हेतु समस्त विधायकों से वर्ष 1998–99 में प्रस्ताव मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि समस्त विधायकों द्वारा दिये गये उन प्रस्ताव पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया ? क्या यह भी सही है कि सुनिश्चित रोजगार योजना का सारा धन जिलाधिकारी द्वारा स्वेच्छा से व्यय किया गया है ? यदि हां, तो करोड़ों रुपये खर्च करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में एनिमल हाउस के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धन एवं निर्माण कार्य की मांग

*12–श्री दीपलाल भारती तथा श्री प्रदीप कुमार (अनुपस्थित)–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में एनिमल हाउस के निर्माण कार्य हेतु कितना धन स्वीकार किया गया था ? क्या पशुओं जानवरों के ऊपर

शोध कर रहे पी०एच०डी० डाक्टरों को समस्त सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो उक्त संस्थान में एनिमल हाउस का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

एक लघु एनिमल हाउस के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 1988–89 में रु० 1.67 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी ।

जी नहीं ।

एक सम्पूर्ण सुविधा युक्त एनिमल हाउस के निर्माण हेतु प्रोजेक्ट बना लिया गया है । वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखते हुये इस वर्ष इस योजना को स्वीकृति नहीं दी जा सकी । आगामी वित्तीय वर्ष में विचार किया जायेगा ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 169 पर)

*13–श्री राजेन्द्र यादव–

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर में बाढ़ के कारण तहसील उतरौला एवं राप्ती नदी के किनारे बसे समस्त ग्रामों में फैल रही अनेकों बीमारियों की रोकथाम की मांग

*14–श्री उबैदुर्रहमान (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998 में आई बाढ़ के कारण जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला एवं राप्ती नदी के किनारे बसे समस्त ग्रामों में हैजा, वायरल फीवर आदि अनेक बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार उक्त की रोकथाम हेतु चिकित्सकों का एक स्पेशल दल भेजकर समस्या का निवारण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1998 में आई बाढ़ के कारण जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला एवं राप्ती नदी के किनारे बसे समस्त ग्रामों में हैजा, वायरल फीवर आदि अनके बीमारियों का प्रकोप नहीं था । केवल ग्राम मानापार बहेरियों में डायरिया से 4 रोगी ग्रसित हुये थे ।

बीमारियों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये थे :–

(1) बाढ़ आने से पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पर्याप्त मात्रा में दवायें उपलब्ध कराई गई ।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला को जनपद से 12 बैग ब्लीचिंग पाउडर 1,70,000 क्लोरीन की गोली, 5200 ओ०आर०एस० पैकेट, 2000 क्लोरोक्वीन की गोली, 3500 टेट्रासाइक्लीन तथा पर्याप्त मात्रा में अन्य आवश्यक औषधियां प्रदान की गई ।

(3) चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय से भी जनपद बलरामपुर में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध कराई गई ।

(4) स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण जनता को रोगों से बचाव की जानकारी दी गई ।

(5) जनपद बलरामपुर के 11 सचल दल द्वारा सभी स्थानों पर भ्रमण कर निरोधात्मक कार्यवाही की गई ।

(6) दिनांक 23 से 30 सितम्बर, 98 तक विशेष अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामों का उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सक दल के साथ निरन्तर भ्रमण किया जाता रहा है तथा निरोधात्मक कार्यवाही के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर उपचार भी किया गया।

(7) माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयुक्त देवी पाटन मण्डल द्वारा जनपद बलरामपुर का भ्रमण किया।

दिनांक 27–8–98 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा गठित चिकित्सकीय दल द्वारा जनपद बलरामपुर का भ्रमण किया गया तथा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

*15–श्री रमेश राही–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में बाल विकास परियोजनाओं में लगभग 1500 आंगन बाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के पद रिक्त हैं ? क्या इन पदों पर नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जनपद सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 755 एवं सहायिकाओं के 1360 पद रिक्त हैं।

जी हां।

नियुक्तियां 30-4-99 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेश राही–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर आरक्षण की सुविधा लागू की जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

आरक्षण की जो सामान्य प्रक्रिया है उसे पूर्ण किया जायेगा।

श्री गोपाल कृष्ण–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जनपद पीलीभीत के निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर में कोई आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप इसके बारे में अलग से प्रश्न पूछ लीजिये यह नीतिगत प्रश्न है।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चलायी जा रही जवाहर रोजगार योजना के धन के उपयोग में अनियमितता तथा उस पर रोक लगाये जाने सम्बन्धी सुझाव की जानकारी

*16–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चलाई जा रही जवाहर रोजगार योजना के धन के उपयोग में अनियमितता किये जाने के अनके मामले प्रकाश में आये हैं ?

यदि हां, तो उन पर रोक लगाने हेतु सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई सुझाव भेजा है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनियमितताओं को रोकना व नियंत्रित करना राज्य सरकार का ही कार्य है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चलाई जा रही जवाहर रोजगार योजना के धन के उपयोग में अनियमितता किये जाने के अनेक मामले प्रकाश में आये हैं ? माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार भी किया है और अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि जी हां । कहीं इन अनियमितताओं का कारण भारत सरकार का मार्गदर्शक सिद्धान्त तो नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

जब तक आप अनियमितता का उल्लेख नहीं करेंगे कि किसमें अनियमितता हो रही है तो उत्तर कैसे आयेगा ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, धन के उपयोग में अनियमितता हो रही है ।.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य दूसरा अनुपूरक प्रश्न करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि धन के दुरुपयोग के कितने ऐसे मामले आये हैं ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा है कि शिकायतें हुई हैं और उनको दूर करने का प्रयास किया गया है तथा हमने कई कदम उठाये हैं जैसे एक टेक्निकल आडिट सेल का गठन किया गया है दूसरे वित्त नियंत्रक की नियुक्ति की गई है । तीसरा बिजिलेंस सेल का गठन कर दिया गया है । इस प्रकार जो अनियमिततायें होंगी इनको हम नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे और जो शिकायतें आयेंगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में इस प्रकार की अनियमितताओं के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे पास पिछले दो वर्षों के आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा । जहां से शिकायतें आयी हैं उनमें हमने बराबर कार्यवाही किया है और इस संबंध में लगभग 47 खण्ड विकास अधिकारियों को मुअत्तल किया गया है और ग्राम प्रधानों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से जो नीति बनाई गई है जिसके कारण कई घटनायें प्रकाश में आयी हैं । प्रदेश सरकार अनुभव कर रही है कि केन्द्र सरकार में मानकों के कारण धन का दुरुपयोग हो रहा है । क्या सरकार आश्वासन देगी कि इस संबंध में जांच कराकर केन्द्र सरकार को मानकों में परिवर्तन करने का सुझाव भेजेगी ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है तो हमने इस बात का प्रयास किया है कि जो भी शिकायतें आयी हैं उन पर प्रभावी कार्यवाही हो । माननीय सदस्य का कहना सही है कि जो उसमें निर्धारित नीति है जिसके कारण कठिनाईयां हुई हैं तो हमने भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्री से बात की है और हम सभी दलों के सदस्यों की बैठक करके उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे ।

श्री मुन्ना चौहान–

अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में जो जवाहर रोजगार योजना में अनियमिततायें हो रही हैं जिसमें आपने भी प्रश्न पूछा कि किस प्रकार की अनियमिततायें हो रही हैं ? मान्यवर, जवाहर रोजगार योजना का 60 प्रतिशत पैसा मजदूरों को और 40 फीसदी मैटिरियल प्रोक्योरमेंट पर भुगतान होता है लेकिन मजदूरों को 60 फीसदी भुगतान में निश्चित रूप से अनियमिततायें होती हैं । तो मैं बताना चाहता हूं कि मजदूरों को केवल 40 प्रतिशत का भुगतान मस्टर रोल पर होता है ।

मस्टर रोल के सत्यापन का कोई कार्यक्रम सरकार के पास है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आज तक प्रदेश के किसी विकास खण्ड में मस्टर रोल के सत्यापन की कोई कार्यवाही की गई है ? फर्जी मस्टर रोल भर कर धन का आहरण किया गया । इस पर कार्यवाही जब तक नहीं की जायेगी अनियमितताओं पर रोक नहीं लगेगी । योजना का 60 प्रतिशत धन मस्टर रोल पर खर्च होता है ।

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है उसके कारण इसके क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाई है । फर्जी मस्टर रोल के संबंध में हमने एक कार्यक्रम बनाया है एक जिम्मेदार अधिकारी की देखरेख में एक दिन भुगतान किया जायेगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

मस्टर रोल के वेरीफिकेशन के लिये क्या कोइ मैकेनिज्म सरकार के पास है जिससे अंगूठा लगाकर फर्जी धन का जो आहरण होता है उस पर रोक लग सके । 60 प्रतिशत जो मेजर शेयर है वह फर्जी मस्टर रोल भरकर गबन किया जाता है । क्या सरकार ने कोई ठोस कार्यक्रम बनाया है जिससे यह सिलसिला रोका जा सके ?

श्री अध्यक्ष–

मस्टर रोल के सत्यापन की कोई प्रक्रिया है ।

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मजदूरों को मजदूरी मिल सके, इसके लिये हमने एक आन्तरिक व्यवस्था सुनिश्चित की है । जहां-जहां पर कार्य होता है वहां पर एक निश्चित तिथि को अधिकारी पहुंचता है और उसी जिम्मेदार

अधिकारी के सामने मजदूरी का वितरण होता है । अगर कोई विशेष शिकायत हो तो माननीय सदस्य हमको अवगत करा देंगे । हम उसकी जांच करा देंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

आज जो सच्चाई है, वह यही है कि कहीं भी मस्टर रोल से काम नहीं होता है या तो प्रधान स्वयं काम कराता है या ठेकेदारी प्रथा से काम होता है । आज फर्जी मस्टर रोल भरकर पैसा निकाला जा रहा है । हर माननीय सदस्य को इसकी जानकारी होगी । क्या नियमावली में इस तरह का संशोधन कराकर व भारत सरकार से भी विचार करके इस तरह की व्यवस्था बनाई जायेगी कि मस्टर रोल की प्रथा समाप्त किया जाय । व ठेकेदार के माध्यम से जो काम हो रहा है, उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने की कार्यवाही की जाये ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इस संबंध में मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं वह अपने सुझाव हमें दें ताकि इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जाये ।

प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले पुष्टाहार को उपलब्ध करायी जाने वाली संस्था का नाम एवं एग्रीमेंट की जानकारी

*17–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला पुष्टाहार मात्र एक ही संस्था द्वारा लिया जाता है ? यदि हां, तो उस संस्था का नाम क्या है ? उसका एग्रीमेन्ट (इकरारनामा) किस तिथि तक वैध था ? क्या वैधता समाप्त होने की स्थिति में भी उसी संस्था से सरकार पुष्टाहार ले रही है ? यदि हां, तो क्यों ? आपूर्ति किये जाने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता, दर एवं प्रतिस्पर्धा करने हेतु सरकार द्वारा किन संस्थाओं से प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है ।

मूल अनुबन्ध 19 अक्टूबर, 1998 तक के लिए प्रभावी था जिसे कार्यहित में दो वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है । अनुबन्ध की वैधता समाप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है जो प्रदेश में पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु अन्य विकल्पों एवं उन विकल्पों के क्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के निर्धारण आदि के बारे में अपनी संस्तुति देगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रश्नों के उत्तर आने में जो सामान्य प्रक्रिया बनी हुई कि प्रश्नों के उत्तर घुमाकर दिये जाते रहे हैं, बहरहाल इस प्रश्न का उत्तर घुमाकर नहीं आया है । माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है । हमारे प्रदेश में कई ऐसे निगम/संस्थायें हैं जो टूटने के कगार पर हैं । एग्रो

तथा कर्मचारी कल्याण निगम आदि जैसी कई संस्थायें हमारे प्रदेश में हैं । यदि इस तरह का काम इन निगमों/संस्थाओं को दे दिया जाता तो ये निगम/संस्थायें टूटने से बच जाती । इसमें कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत भी नहीं है । परन्तु एक मोनोपोलाइज तरीके से इस कम्पनी को यह कार्य दिया जा रहा है । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 19 अक्टूबर, 1998 को उनका एग्रीमेन्ट समाप्त हो गया । क्या इस तिथि से पूर्व कोई नया एग्रीमेंट किया जाता, उसके लिये नई निविदायें आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया अपनाई गई ताकि कम्पटीटिव रेट के आधार पर [illegible] संस्थाओं को इसका अवसर दिया जा सकता था । इसलिये माननीय मंत्री जी निविदा आमंत्रित करने तथा जो भी प्रक्रिया अख्तियार की गई, उसे बताने की कृपा करेंगी । दूसरा, जिस तरह से समय बढ़ाया गया, क्या उसे झाप करके इस कार्य को प्रदेश के किसी निगम को देने पर सरकार विचार करेगी । तीसरा अनुपूरक प्रश्न यह है, कि जिस समिति को बनाये जाने की बात उत्तर में कही गई है, उस समिति में कौन-कौन लोग हैं और उसका स्वरूप क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, पहले प्रश्न के उत्तर में अति महत्वपूर्ण नन्हे बच्चों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके की गर्भवती माताओं आदि को यह पोषक उपलब्ध कराने के लिये तथा इस योजना की प्रक्रिया को निरापद बनाने की दृष्टि से इस पूर्व के अनुबन्धन को विस्तार किया गया और विस्तार करके जो समिति गठित की है वह 21-1-1999 को की है, इसमें वित्त विभाग खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग विभाग, यूनीसेफ, केन्द्रीय न्यूट्रीशन बोर्ड, निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार इन सबको प्रतिनिधित्व देते हुए विशेष सचिव, महिला कल्याण बाल विकास की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी है । प्रक्रिया निर्धारित करें कि किस पद्धति से, किस व्यवस्था से, किस तरह से इस अति संवेदनशील प्रश्न पर हम अपनी प्रक्रिया को निर्धारित करें । जहां तक निगमों का प्रश्न है, हमारी पूर्व की जानकारी है कि यह निगमों के द्वारा इस प्रक्रिया को संचालित किया जा चुका है और उसमें वांछित सफलता नहीं मिली । पी०सी०एफ० के द्वारा, मंडलीय निगमों के द्वारा आपूर्ति इसमें पूर्व में हुई है जिसमें अनेक कठिनाइयां आयी हैं । एक आध दृष्टान्त तो खण्डों द्वारा पुष्टाहार की आपूर्ति में गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील जानकारी में आये हैं उसका जो विशेष कारण है कि जो विशिष्टता है हमारी प्रोसेसिंग की पुष्टाहार की । इसकी व्यवस्था माडर्न फूड इन्डस्ट्री के पास है । इस नाते हम उन्हीं से लेते हैं । हमारे किसी निगम के पास यह सम्पूर्ण तंत्र विकसित रूप में उपलब्ध नहीं है इस कारण भी हमने विचार नहीं किया है । लेकिन इस समय इस मुद्दे को दर किनार करके किसी भी तरह के विचार को आपके सम्मुख रखना सम्भव नहीं है । आगे की व्यवस्था कमेटी के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में भी है और यह संज्ञान में आता रहता है कि बाल पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत जो पंजीरी बंटती है उसमें कीड़े होते हैं । मेरा कहना है कि इसकी व्यवस्था किसी अच्छे संस्थान से कराये जाने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें ताकि इस तरह की जो शिकायत आती हैं वह न आयें और सही सामग्री बच्चों को मिल सके ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, गुणवत्ता की दृष्टि से भारत सरकार के उपक्रम के नाते और एक केन्द्रीय व्यवस्था गुणवत्ता की जांच को उपलब्ध है इस नाते सामान्य रूप से यह व्यवस्था है । गुणवत्ता की दृष्टि से कोई गम्भीर या सामान्य शिकायत हमारे पास नहीं आई है और पहली बार इस व्यवस्था के बाद गुणवत्ता की स्थिति से

पूर्व में जो कठिनाईयां थीं उन पर हम मुक्ति पा पाये हैं। गुणवत्ता की स्थिति को सुधारने में हमने व्यवस्था को ठीक किया है। इस तरह की शिकायत कोई जानकारी में नहीं है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। क्या मंत्री जी बतायेंगी कि जो शिकायत लोकल स्तर पर आती हैं वह क्या सीधे मंत्री जी के पास आती हैं ? लोकल स्तर पर कितनी शिकायते है ? माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह जो योजना हैं यह जो केन्द्र हैं यह पूरे प्रदेश में नहीं चल रहे हैं। मैं मैनपुरी के बारे में बताऊंगा कि वहां पर एक भी नहीं चल रहा है। पूरा का पूरा रुपया अधिकारी और यह लोग मिलकर खा रहे हैं। पिछली बार यह पूरा सामान चोरी में बिकता हुआ पकड़ा गया लोग पकड़े गये और पैसा लेकर छोड़ दिये गये और फिर से काम करने लगे। मेरी ज्यादा जानकारी हर जिले की नहीं है। मैनपुरी में दो-तीन ब्लाक हैं लेकिन वहां पर केन्द्र नहीं चल रहे हैं। सारा का सारा पैसा मिलकर खा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, श्री बाबूराम जी ने जो बात कही है इसको संज्ञान में ले लीजिएगा और उस पर आवश्यक कार्यवाही कर दीजिएगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इसमें संदेह नहीं है कि वर्तमान सरकार बाल पुष्टाहार और गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार देने के लिए प्रयलशील है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि समिति का गठन किया है जो विभिन्न समस्याओं पर विचार करेगी, मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति की समयबद्ध रूप से अपनी रिपोर्ट देने के लिए तय किया गया है ? कितनी सीमा के अन्दर इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

हमारा प्रयास होगा और वह प्रयास इसलिए भी आवश्यक होगा क्योंकि 1995 के बाद वर्तमान व्यवस्था में बाल पुष्टाहार के मूल्यों में किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है और आपूर्ति कर्ता की ओर से दबाव है इसलिए हमें अपने आप में स्वयं इसको शीघ्र करने की आवश्यकता है। यथाशीघ्र इसको करेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

समय सीमा तय कर ली जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

समिति द्वारा रिपोर्ट देने के लिए समयबद्धता निर्धारित हुई है ? अगर हुई है तो कितनी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

किसी तरह की समय सीमा तय नहीं हुई है कई विभागों और कई एजेन्सियों से संबंधित समिति है इसलिए समय लगना संभव है। समय सीमा तय नहीं की है यथाशीघ्र समय तय करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

दो बातें अभी माननीय मंत्री ने कहीं, पांच वर्ष के बाद कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई है शंका बढ़ जाती है सबसे गम्भीर बात है वह यह है कि आठ साल पूर्व रेट जो थे आज भी उसी रेट को चलाये जाने की स्थिति बन रही है। मान्यवर, मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई।

श्री अध्यक्ष–

यह तो मंत्री जी की विद्वता है कि मंत्री जी ने प्रश्न को दूसरा मोड़ दे दिया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई। मैटीरियल कास्ट बढ़ गई, स्टैबलिशमैंट कास्ट बढ़ गई, जो मेरा आशय था कि पूर्व के रेट पर एडजस्ट करते रहे, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मान्यवर, क्या अनुबन्ध समाप्त होने पर अन्य लोगों को अनुबन्धित करने का प्रयास किया, दूसरी गुणवत्ता की बात कही क्या उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता परीक्षण की कोई यूनिट है या गुणवत्ता परीक्षण में माडर्न फूड पर ही निर्भर करना पड़ता है। गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसी यूनिट को माननीय मंत्री जी स्थापित करेंगी ?

श्री अध्यक्ष–

समय बीत गया है इसी का उत्तर मंत्री जी दे दें।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, नियमों को बनाने के लिए कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी निर्धारित करेगी क्या प्रक्रिया होगी। दूसरी बात गुणवत्ता का जो प्रश्न है भारत सरकार द्वारा नियुक्त गुणवत्ता परीक्षा के लिए एक्सपर्ट लगाए गए हैं उनके द्वारा परीक्षण हो रहे हैं अलग से एजेन्सी की आवश्यकता होगी उसमें कमेटी निर्णय कर लेगी।

जनपद बस्ती की मुंडरेवा चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने के लिए नवीनीकरण किये जाने की मांग

*18–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि मुंडेरवा शुगर मिल जनपद बस्ती अत्यधिक पुरानी होने के कारण घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व में उक्त चीनी मिल के स्वीकृत नवीनीकरण के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये मुंडरेवा चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने के लिये मिल का नवीनीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) द्वारा दि सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्राविजन्स) ऐक्ट, 1985 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 21-8-95 को एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित किया जा चुका है और बी०आई०एफ०आर० द्वारा निगम की 18 इकाइयों के निजीकरण का भी निर्देश दिया है जिसमें निगम की इकाई मुंडरेवा भी सम्मिलित है। अतः वर्णित परिस्थितियों में मुंडेरवा चीनी मिल का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण सम्भव नहीं है।

*19–राधेश्याम सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–17 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ

अतारांकित प्रश्न

1–श्री राम विशुन आजाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

2–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत धरवासपुर, विकास खण्ड नरायनपुर, जिला मिर्जापुर का गांधी ग्राम के चयन में की गई घोर धांधली विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

3–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत धरवासपुर, विकास खण्ड–नरायनपुर, जिला मिर्जापुर के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-4-97 जो गांधी ग्राम के चयन में की गई घनघोर धांधली के संबंध में है, सचिव, ग्राम विकास, उ०प्र० को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त पत्र पर सचिव, ग्राम्य विकास ने अपने पत्र सं० 566/एस०आर०डी०/97 दिनांक 29-4-97 द्वारा मण्डलायुक्त, वाराणसी को स्वयं जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर मण्डलायुक्त की प्रस्तरवार सुस्पष्ट आख्या एवं जांच रिपोर्ट मंगाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

मिर्जापुर मण्डल सृजित हो जाने के फलस्वरूप वाराणसी मण्डल से उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र मण्डलायुक्त, मिर्जापुर को प्रेषित किया गया । शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराई गई । जांच में यह बात प्रकाश में आयी कि ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं द्वारा अनियमित ढंग से ग्राम धरवासपुर का चयन किया गया था । प्रश्नगत प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया और प्रथम चयन को अनियमित पाने के कारण उसे निरस्त करते हुये दूसरे गांव हासापुर को चयनित किया गया । ग्राम धरवासपुर का अनियमित ढंग से चयन करने के लिये श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, ग्राम विकास अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है तथा दूसरे दोषी श्री रमाशंकर राम, सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) की मृत्यु हो चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में स्वर्ण जयन्ती ग्रामों में चयनित किये गये ग्राम तोडरपुर एवं ग्राम नगला मितकर को पक्की सड़क से जोड़े जाने की मांग

4–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगाठ पर कितने स्वर्ण जयन्ती ग्राम चयनित किये गये हैं और उनमें से कितने ग्राम पहले ही पक्की सड़कों से जुड़े थे ? क्या

सरकार अवशेष ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये विशेष कार्ययोजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि ब्लाक बेवर व ब्लाक सुल्तानपुर जनपद मैनपुरी में क्रमशः तोडरपुर एवं ग्राम नगला मितकर स्वर्ण जयन्ती ग्रामों में चयनित किये गये थे ? यदि हां, तो कब ? क्या उनको पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त दोनों ग्रामों को वर्ष 1998–99 में पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रदेश के 77 जनपदों में स्वर्ण जयन्ती योजना के अन्तर्गत 851 ग्राम चयनित किये गये हैं । शेष जनपदों से सूचना एकत्रित की जा रही है । उक्त 77 जनपदों में पूर्व से पक्की सड़कों से जुड़े ग्राम की संख्या 427 है । स्वर्ण जयन्ती ग्रामों में योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन हेतु अलग से धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है । योजनाओं/कार्यक्रमों में उपलब्ध बजट से ही स्वर्ण जयन्ती ग्रामों में संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है ।

जी हां । चयन दिनांक 13-10-97 को हुआ है ।

जी नहीं । इन ग्रामों को वर्ष 98-99 में पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्ताव किया जाना संभावित है ।

लघु सिंचाई विभाग बांदा को निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त हुई धनराशि एवं टेण्डर आमंत्रित किये जाने के संबंध में जानकारी

5–श्री बी०एल० कुशवाहा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996–97, 1997–98 में लघु सिंचाई विभाग बांदा को निर्माण कार्यों हेतु कितनी धनराशि किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन कार्यों के लिये प्राप्त हुई है ? उपरोक्त कार्यों के लिये कितने टेण्डर किन-किन तिथियों में आमंत्रित कर स्वीकार किये गये तथा किन-किन कार्यों की दरें विभागीय दरों से कितने प्रतिशत कम प्राप्त हुई तथा सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

लघु सिंचाई , ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में क्रमशः सुनिश्चित रोजगार योजना में मु० 66.88, 40.68 लाख, दस लाख कूप योजना में मु०–31,73 तथा 19.00 लाख रुपया की धनराशि चेकडैम, चेकडैम कम रपटा, निःशुल्क बोरिंग एवं तालाब गहरा करने आदि निर्माण कार्य हेतु प्राप्त हुई ।

उपरोक्त कार्यों के लिये 24-6-96, 4-5-96, 20-5-96, 4-6-96, 26-7-96, 14-6-96, 6-8-96, 14-8-96, 20-6-96, 9-6-96, 8-10-96, 16-10-96, 4-3-97, 12-3-97, 21-3-97, 19-8-97, 24-10-97, 5-1-98, 5-2-98, 5-3-98, 20-1-98, 20-2-98, 20-3-98 में निविदायें आमंत्रित की गई, जिसमें 209 निविदायें प्राप्त हुई और इन्हीं में से उक्त तिथियों में 65 निविदायें स्वीकार हुई । सामान्यतः स्वीकार की गई निविदाओं की दरें 2 से 7 प्रतिशत के मध्य विभागीय दरों से कम है ।

निविदा एवं अनुबन्ध आदि में मु०–0.61 लाख रुपये की धनराशि राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त हुआ है ।

जिला-छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में क्षेत्र समिति मऊ द्वारा व्यावसायिक दुकानों के निर्माण के संबंध में जानकारी

6–श्री विजय कुमार–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में क्षेत्र समिति, मऊ द्वारा कुछ व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो इन दुकानों के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ है ? निर्मित दुकानों की संख्या क्या है ? क्या इन निर्मित दुकानों के आवंटन में आरक्षण प्राविधानों का पालन करवाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

दुकानों के निर्माण में कुल रु० 7,65,000–00 (रुपये सात लाख पैंसठ हजार) व्यय हुआ है ।

निर्मित दुकानों की संख्या–31 है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम में आरक्षण का प्राविधान नहीं है । उक्त 31 दुकानों में एक दुकान अनुसूचित जाति एवं छः दुकानें पिछड़ी जाति को आवंटित हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-लखनऊ स्थित कैनाल कालोनी (कैण्ट रोड) के "एम" ब्लाक के निर्माणार्थ शारदानहर द्वारा अधिग्रहीत भूमि के निर्णय के अनुसार की गयी कार्यवाही की जानकारी

7–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ–जनपद स्थित कैनाल कालोनी (कैण्ट रोड) के "एम" ब्लाक निर्माणार्थ जो भूमि लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा अधिग्रहीत की गई थी उस संबंध में दायर किये गये वाद संख्या–एल० एस०–56/1971 सिविल जज, मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 27-3-1972 को दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त खण्ड के अधिकारियों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही निष्पादित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ–जनपद स्थित कालोनी (कैण्ट रोड) के "एम" ब्लाक के निर्माणार्थ लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा अधिग्रहीत भूमि के संबंध में मा० सिविल जज, मोहनलाल गंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 27-3-72 को दिये गये निर्णय के अनुपालन में निष्पादित कार्यवाही की स्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण की जांच कराई जा रही है । जांच की कार्यवाही पूर्ण होने पर ही वस्तुस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी ।

उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार गोंड जाति के संबंध में पुनरीक्षित शासनादेश जारी किये जाने की मांग

8–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय के रिट याचिका सं० 23299/94 निर्णय दिनांक 7-5-97 के निर्णयानुसार "गौड एवं गोंड़ जाति में कोई अन्तर नहीं है ? गोंड जाति के उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा पठारी, राजगो को स्थानीय/स्थलीय जांच का आधार माना

जाय'' विषयक रिट याचिका सं० 5927/82 निर्णय दिनांक 6-2-86 के क्रम में इन दोनों बिन्दुओं को अंकित करते हुये गोंड जाति के संबंध में शासनादेश किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मा० उच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करने हेतु पुनरीक्षित शासनादेश जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

श्री राम लगन गोंड, प्रान्तीय महामंत्री, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 6-10-98 के साथ मा० उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या–23299/94 दिनांक 7-5-97 तथा रिट याचिका सं०–5927/82 निर्णय दिनांक 6-2-86 की प्रतियां प्राप्त हुई हैं, तथापि इसके उक्त निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां सम्प्रति अप्राप्त हैं जिन्हें प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है तथापि छाया प्रतियों में प्राप्त निर्णय का परीक्षण किया जा रहा है । तदोपरान्त यथावश्यक पुनरीक्षित शासनादेश जारी करने पर विचार किया जायेगा ।

जनपद–प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी में सभी ग्रामों में जे०आर०वाई० के पैसे द्वारा निर्माण आदि में धन का गलत ढंग से किये गये खर्च के संबंध में प्राप्त के पत्र पर कार्यवाही की मांग

9–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई प्रश्न जनपद–प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के सभी ग्रामों में जे०आर०वाई० के पैसे द्वारा निर्माण एवं उसमें उद्घाटन के पत्थरों में धन गलत ढ़ंग से खर्च करने की शिकायतें दिनांक 9-7-97 को उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या खर्च की गई धनराशि मानकों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या ब्लाक प्रमुख द्वारा गलत ढ़ंग से खर्च की गई धनराशि की वसूली उनसे की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पत्र प्राप्ति की पुष्टि नहीं होती है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद–प्रतापगढ़ में जिला योजना से उपलब्ध कराई गई धनराशि से जल निगम द्वारा ब्लाकवार अधिष्ठापन कार्य के विवरण की मांग

10–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ में जिला योजना से उपलब्ध धनराशि में वर्ष 1996–97, 1997–98 में अनुसूचित जाति बस्तियों, सामान्य बस्तियों में जल निगम द्वारा ब्लाकवार अधिष्ठापन कार्य का विवरण किया है ? क्या सरकार बतायेगी कि स्थल चयन तथा आवंटन

किस सक्षम अधिकारी के आदेश से हुआ ? क्या जिला योजना द्वारा उपलब्ध धनराशि से अनुसूचित बस्तियों में ब्लाक वाले हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में विधायकों की सहमति के अनुसार कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । विवरण संलग्न है ।

शासन व जिला प्रशासन के निर्देशानुसार स्थल चयन तथा आवंटन राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल शिक्षण के सर्वेक्षण के अनुसार स्रोतविहीन तथा आंशिक रूप से आच्छादित पुरवों (हैबिटेश) की सूची के अनुसार तथा सभी चयनित अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तीकरण के उद्देश्य से किया गया । शासनादेश दिनांक 26–11–97 के अनुसार हैण्डपम्पों के स्थल चयन की कार्यवाही संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी तथा अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई की समिति द्वारा ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किये जाने का प्राविधान है । विधायक कोटे के अन्तर्गत हैण्डपम्प लगाये जाने के स्थल चयन के अधिकार के अतिरिक्त जिला योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले हैण्डपम्पों के स्थल चयन के संबंध में माननीय विधायकगणों का भी विचार लिये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश संख्या 6751/ 38–5–98–656/98, दिनांक 14–12–98 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है ।

[देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 170-171 पर]

जनपद–सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामों में शौचालय निर्माण में की गई अनियमितता के विरुद्ध जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग

11–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं० 190 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या संदर्भित जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त प्रकरण की जांच करने वाले अधिकारी को कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

दोषी ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सरोज को निलम्बित करके उसके विरुद्ध थाना जामों सुल्तानपुर में मुकदमा अपराध संख्या–209/98 दर्ज कराया गया है, तथा उसके द्वारा हड़पी गई धनराशि रु० 47,925/– को एक मुश्त जमा करने हेतु दिनांक 30-11-98 को निर्देशित किया जा चुका है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल में प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग लखनऊ के कार्यालय के अनुसचिवीय वर्ग के कर्मचारियों के सम्मिलित होने की जानकारी

12–श्री आचार्य रामदेव––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों की दिनांक 5-12-94 से 24-1-95 तक हुई हड़ताल में लखनऊ स्थित प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के अनुसचिवीय वर्ग के

कौन-कौन से कर्मचारी हड़ताल पर नहीं थे ? क्या यह सही है कि उपस्थित रहने की सूचना सक्षम अधिकारी द्वारा भेजे जाने के बाद भी हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान कतिपय अनुसचिवीय कर्मियों को चिकित्सा अवकाश या उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है ? क्या अवकाश स्वीकृत करने में दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत अवधि में प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय के किसी कर्मचारी के हड़ताल में सम्मिलित न होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । हड़ताल समाप्त होने के पश्चात् अवकाश हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की निस्तारण सक्षम अधिकारी की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये किया गया था । अवकाश स्वीकृति में दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने का कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

महिला बाल विकास विभाग में नर्स तथा कम्पाउण्डर के पद पर की गई तदर्थ नियुक्तियां एवं उनके विनियमितीकरण की जानकारी

13–श्री समरपाल सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में नर्स तथा कम्पाण्डर की तदर्थ नियुक्तियों पर कितने दिनों से प्रतिबन्ध लगा है ? क्या प्रतिबन्ध के दौरान तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्या उनका विनियमितीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं० 20/1/91–का–2/91 दिनांक 17-7-91 में सभी प्रकार के पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्तियां न करने के निर्देश हैं ।

जी हां, दो नियुक्तियां की गई ।

उक्त नियुक्तियां अनियमित होने के कारण निरस्त कर दी गई हैं । अतः विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० राजेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उसायनी, फिरोजाबाद द्वारा निजी चिकित्सा कार्य किये जाने की शिकायत पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

14–श्री राम औतार शाक्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उसायनी, जनपद–फिरोजाबाद में प्रभारी चिकित्साधिकारी का दो वर्ष पूर्व फिरोजाबाद से स्थानान्तरण जनपद–नैनीताल में जाकर कार्यभार ग्रहण करने के लिये हुआ था एवं उन्हें कार्यमुक्त भी किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्साधिकारी कार्यमुक्त होकर नैनीताल न जाकर फिरोजाबाद में ही "राज क्लीनिक" के नाम से क्षयरोग विशेषज्ञ के रूप में निजी चिकित्सा कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मामले में अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

डा० राजेश कुमार, चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसायनी, फिरोजाबाद के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है ।

जी हां ।

स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों की सूची में अंकित श्री राम कृपाल सिंह को सेवायोजित किये जाने विषयक पत्र की जानकारी

15–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक सी-98/प्रशि०ग्रा०वि०अ० (परीक्षा) 83–84, दिनांक 19 अक्टूबर, 1983 द्वारा प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों में कितने प्रशिक्षार्थियों को कब से सेवायोजित किया गया ? इस सूची के क्रमांक 21 पर अंकित श्री राम कृपाल सिंह को अब तक सेवायोजित न करने के क्या कारण हैं ? क्या इस संबंध में श्री राम कृपाल सिंह द्वारा ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ को दिनांक 17–9–91 तथा 8–4–97 तथा जिलाधिकारी सुल्तानपुर को दिनांक 20-11-96 को दिये गये रजि० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र कालाकांकर, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या 1348/प्रशि०, दिनांक 14–12–83 द्वारा 42 प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों को सेवायोजित किया गया ।

क्रमांक 21 पर अंकित श्री राम कृपाल सिंह को सेवायोजित न किये जाने का कारण यह है कि जिला पंचायतराज अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा श्री राम कृपाल सिंह को सेवायोजित किये जाने हेतु रजिस्टर्ड पत्र संख्या 302/7–पं०/स्था०/88–89, दिनांक 25-3-89 द्वारा आदेश दिये गये परन्तु श्री राम कृपाल सिंह सेवायोजन हेतु समयान्तर्गत उपस्थिति नहीं हुए ।

जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा श्री राम कृपाल सिंह को पुनः रजिस्टर्ड पत्रांक 590/7 पं०/स्था०/89–90, दिनांक 5–7–89 द्वारा सेवायोजन हेतु आदेश दिये गये परन्तु श्री राम कृपाल सिंह समयान्तर्गत सेवायोजन हेतु उपस्थित नहीं हुए ।

श्री राम कृपाल सिंह द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रेषित पत्र दिनांक 17-9-91 आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ, अपितु श्री सिंह का दिनांक रहित आवेदन-पत्र दिनांक 8–4–97 को आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय में प्राप्त हुआ है तथा जिलाधिकारी सुल्तानपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 20-11-96 जिलाधिकारी सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ।

जिला पंचायतराज अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अपने रजिस्टर्ड आदेश दिनांक 25-3-89 एवं 5-7-89 द्वारा श्री सिंह को सेवायोजन हेतु आदेशित किये जाने के बावजूद श्री सिंह समयान्तर्गत सेवायोजन हेतु उपस्थित नहीं हुए तथा उन्होने अपने प्रस्तुत प्रत्यावेदन में वकालत का व्यवसाय दर्शाये जाने के कारण तथा नियुक्ति हेतु अत्यधिक विलम्ब से प्रार्थना पत्र दिये जाने पर आयुक्त ग्राम्य विकास के आदेश संख्या बी–3776/स्था०–2/ग्रा०वि०आ०/88, दिनांक 21-8-97 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त नियुक्त हेतु दिये गये श्री सिंह के प्रत्यावेदनों को निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम विकास मंत्री द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास को हैण्ड पम्प लगाये जाने संबंधी दिये गये आदेश पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा आदेश 3042/वी०आई०पी०/ मंत्री ग्रा०वि०/दिनांक 8-7-1997 आयुक्त ग्राम्य विकास को हैण्ड पम्प लगाने हेतु दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित सन्दर्भ के साथ प्राप्त पत्र में ब्लाक पट्टी, मंगरौरा व आसपुर देवसरा में 100-100 हैण्ड पम्प लगाने का अनुरोध किया गया है । इन विकास खण्डों में वर्ष 97-98 में सामान्य व अन्य कार्यक्रमों में 100-100 से भी अधिक हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं । प्रदेश में निर्धारित मानक के अनुसार हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किया जाता है । उक्त विकास खण्डों को मानक के अनुसार पेयजल से संतृप्त किया जा चुका है ।

मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र के धौलास विकास खण्ड में मोदी नगर तथा मुराद नगर शहर में बरसात को बैराल नाले के अधिक पानी को साइफन द्वारा गंग नहर में गिराये जाने की मांग

17–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्षा ऋतु में मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र के धौलास विकास खण्ड में मोदी नगर तथा मुराद नगर शहर का पानी से बैराल नाले में उफान आ जाता है ? क्या इस पानी से धौसाल विकास खण्ड के लगभग 15 गांव प्रभावित हो जाते हैं तथा तबाही मच जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भयंकर तबाही को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है ? क्या सरकार बैराल नाले के अधिक पानी को गंग नहर में साइफन द्वारा गिराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्षा ऋतु में मोदी नगर तथा मुराद नगर शहर का पानी बैराल नाले में आ जाने से धौलाना विकास खण्ड के कुछ गांव प्रभावित हो जाते हैं । समस्या के निदान हेतु बैराल नाले के पुनरोद्धार/पुनर्स्थापना के कार्यों हेतु एक योजना बनाकर धनावंटन हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को भेजी गयी है ।

बैराल नाले के पानी को साइफन द्वारा गंग नहर में गिराने पर भी विचार हुआ, किन्तु तकनीकी कारणों से यह उचित नहीं पाया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओंकार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड निचलौल, जनपद–महराजगंज द्वारा की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

18–श्री अजित कुमार मेहरोत्रा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओंकार सिंह, ग्राम्य विकास अधिकारी विकास खण्ड–निचलौल, जनपद–महराजगंज द्वारा की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग, सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति का पत्र दिनांक 13 जनवरी, 1998 मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा उन्हें दिनांक 22-1-98 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

शिकायती-पत्र पर जिला विकास अधिकारी, महराजगंज से प्रारम्भिक जांच करायी गयी। प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर श्री ओंकार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड–निचलौल, जनपद महराजगंज को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी है। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री आर० के० मिश्रा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, महराजगंज को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–पीलीभीत तहसील पूरनपुर के नानक सागर के विस्थापित शारदापार में स्थापित किये गये परिवारों को भूमि का मौलिक अधिकार दिये जाने की मांग

19–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–पीलीभीत तहसील पूरनपुर के नानक सागर के विस्थापित शारदा पार में स्थापित किये गये परिवारों को उक्त भूमि का मौलिक अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त परिवारों को भूमि का मौलिक अधिकार कब तक प्राप्त करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नानक सागर के विस्थापितों को बसाने के लिए जनपद–पीलीभीत के ग्राम वमनपुर भागीरथ व टाटगंज तहसील पूरनपुर में 1653.99 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए जिलाधिकारी पीलीभीत को शासनादेश संख्या–7027/XIV–ए–729/60, दिनांक 29-11-61 द्वारा अधिकृत किया गया था तथा इस सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा ही सम्पन्न की गयी है। भूमि के आवंटन एवं मौलिक अधिकार प्राप्ति सम्बन्धी कार्यवाही के बिन्दु पर जिलाधिकारी, पीलीभीत तथा शासन स्तर पर राजस्व विभाग द्वारा यथानियम विचार किया जा सकता।

अवकाश प्राप्त गन्ना विकास निरीक्षक, जौनपुर श्री उदय नारायन सिंह के अवशेष देयों का भुगतान किये जाने की मांग

20–श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में जौनपुर जनपद से गन्ना विकास विभाग से अवकाश प्राप्त सभी कर्मचारियों के एरियर के सभी भुगतान हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या अवकाश प्राप्त गन्ना विकास निरीक्षक, जौनपुर श्री उदय नारायन सिंह के 1995 के अवशेष देयों का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी के अवशेष देयों का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज में तीन बन्धों बनारपुर-असवनिया, लक्ष्मीना, पकड़ीडुमाव पर किये गये अनुपयोगी कार्यों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

21–श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ में तीन बन्धों, बनारपुर-असवनिया बन्धा, लक्ष्मीना बन्धा, पकड़ीडुमाव बन्धा पर 27 लाख रुपये की मिट्टी डालकर धन का दुरुपयोग किया गया है जबकि इन क्षेत्रों में कभी बाढ़ नहीं आती ? क्या सरकार उक्त तीनों बन्धों पर किये गये अनुपयोगी कार्यों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, परन्तु प्रश्नगत बन्धों की क्षमता में वृद्धि हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आजमगढ़ द्वारा स्वीकृति के सापेक्ष इन बन्धों पर केवल रु० 7.215 लाख मिट्टी के कार्य पर व्यय किया गया । प्रश्नगत तीनों बन्धों पर निर्माण कराये गये मिट्टी के कार्यों की जांच अभियन्ताओं की एक समिति द्वारा करायी गयी । समिति की जांच आख्या में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये श्री के० बी० एल० श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता तथा श्री गुलाब चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री बब्बन प्रसाद सिंह, अवर अभियन्तागण के विरुद्ध विधिवत् आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागाध्यक्ष, कार्यालय, सिंचाई विभाग में अवैध रूप से मकान किराया भत्ता आहरित करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागाध्यक्ष, कार्यालय, सिंचाई विभाग में अवैध रूप से मकान किराया भत्ता आहरित करने वाले लोक सेवकों के सम्बन्ध में पत्रांक 935/का प्रअनु–1, दिनांक

28-4-1986 द्वारा प्राप्त की गयी सूचना एवं इसी प्रकरण में अद्यावधिक सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? अब तक कुल कितने शासकीय राजस्व की हानि हो चुकी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित पत्रांक 935/का प्रअनु–1, दिनांक 28-4-86 तथा इसके साथ पत्रांक 457/का प्रअनु–1, दिनांक 28-2-86 द्वारा वांछित सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है ।

इस सम्बन्ध में हुई शासकीय राजस्व का आंकलन कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 172-175 पर ।)

बाराबंकी के हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजे की मांग

23–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बाराबंकी के हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों की कुल कितनी भूमि ड्रेनों एवं नहरों के निर्माणार्थ दिनांक 1-1-74 से 31-12-90 के मध्य ली गयी ? विभाग द्वारा कृषकों की भूमि अधिग्रहण के गजट नोटिफिकेशन का नम्बर तथा दिनांक क्या है ? विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा अब तक सम्बन्धित कृषकों को न वितरित करने के क्या कारण हैं ? क्या उपरोक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों को दण्डित कर अवगत कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद–बाराबंकी के हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा प्रश्नगत अवधि में विभिन्न नहरों एवं ड्रेनों के निर्माण एवं पुनरोद्धार हेतु कृषकों की कुल 549-2858 एकड़ भूमि ली गयी है ।

उक्त 549–2858 एकड़ भूमि के सापेक्ष अलग-अलग संख्या एवं दिनांक द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी करके कुल 106.363 एकड़ भूमि के सन्दर्भ में भूमि अध्याप्ति/प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की गयी है ।

शेष भूमि के सन्दर्भ में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान सम्भव नहीं हो सका है ।

उपर्युक्त के आधार पर प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जोरावर पुत्र श्री डुण्डीराम, निवासी शेरगढ़, तहसील छाता, जनपद मथुरा का निर्बल वर्ग आवास के सम्बन्ध में दिये गये पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

24–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जोरावर पुत्र श्री डुण्डीराम, निवासी–शेरगढ़, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के निर्बल आवास के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठ पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–3/85117/मथुरा/98, दिनांक 30-3-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । प्रश्नगत सन्दर्भ में माननीय आवास मंत्री जी के यहां प्राप्त हुआ था । माननीय आवास मंत्री जी के कार्यालय द्वारा प्रश्नगत सन्दर्भ दिनांक 7-4-98 को निजी सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था जहां पर उक्त सन्दर्भित पत्र उपलब्ध नहीं है ।

निर्बल वर्ग आवास योजना वर्ष 96-97 से स्थगित है ।

पंचायत श्री दत्तगंज, गैड़ासबुजुर्ग, उतरौला जनपद–गोण्डा के मार्ग निर्माणों की जांच हेतु शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

25–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत श्री दत्तगंज, गैड़ासबुजुर्ग, उतरौला के मार्ग निर्माणों की जांच हेतु प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर उ० प्र० शासन ने जिलाधिकारी गोण्डा को विधायक प्रकोष्ठ पत्र संख्या–एम–4/35-5/गोण्डा/97, दिनांक 21-1-97 के माध्यम से जांच का आदेश दिया गया है ? क्या जांच आदेश का पालन जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा किया गया है ? क्या जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या से अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच आख्या की विस्तीर्णता के कारण अवगत करना सम्भव नहीं है । मा० सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में इसका अवलोकन कर सकते हैं ।

जांच में कोई लापरवाही प्रकाश में नहीं आयी ।

जनपद–चित्रकूट के ब्लाक मानिकपुर में भौरी-हरदौली सम्पर्क मार्ग पर विभाग द्वारा श्रमिकों से कराये गये निर्माण कार्य में श्रम के बदले खाद्यान्न दिये जाने की मांग

26–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद–चित्रकूट के ब्लाक मानिकपुर में वर्ष 1994-95 में भौरी-हरदौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य उनके विभाग द्वारा कराया गया था ? क्या यह सही है कि संबंधित श्रमिकों के पास लगभग 70 कुन्तल के खाद्यान्न कूपन शेष हैं ? क्या उक्त सम्पर्क मार्ग में लगे श्रमिकों को श्रम के बदले खाद्यान्न नहीं दिया गया ? यदि हां, तो उन्हें कब तक खाद्यान्न दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

जी नहीं । लगभग 28.00 कुन्तल के ही खाद्यान्न कूपन शेष हैं ।

जी नहीं । श्रमिकों को श्रम के बदले 897.40 कुन्तल के सापेक्ष 869.40 कुन्तल खाद्यान्न दिया जा चुका है । उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड बांदा से अवशेष केवल 28.00 कुन्तल खाद्यान्न अभी उपलब्ध न करये जाने के कारण वितरण नहीं हो सका है ।

जैसे ही उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा इसका वितरण कर दिया जावेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

महिला कल्याण निदेशालय में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों को समायोजित किये जाने की मांग

27–श्री राम अचल राजभर–

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 719/म०क०वि०–99, दिनांक 1-6-1990 के साथ पठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–2545/साठ–1–93–1/11561/93 दिनांक 11-11-93 में नामांकित व्यक्तियों का किस नियमावली व शासनादेश व संविधान की किस धारा के अन्तर्गत महिला कल्याण निदेशालय में समायोजित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है ? क्या राज्यपाल महोदय ने संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत समायोजन की नियमावली का प्रख्यापन कर दिया है । यदि नहीं, तो समायोजन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत कार्यालय ज्ञाप में इंगित अधिकारी एक निर्धारित अवधि के लिए सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं, अतः इनके संविलियन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद–हरदोई अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग को पक्का/डामर कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 1 जुलाई, 1998 एवं 13 अक्टूबर, 1998 एवं श्री धर्मज्ञ मिश्र, विधायक का पत्र दिनांक 28 फरवरी, 1998 एवं 25 मार्च, 1998 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 17 जुलाई, 1998 जो कि मा० मंत्री एवं सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित थे तथा जो जनपद–हरदोई अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग को पक्का/डामर कराये जाने के संबंध में थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग को पक्का/डामर

कराने हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? सरकार क्षेत्रीय विधायक के परामर्श तथा प्रश्नगत पत्रों के आधार पर मार्ग को कब तक पक्का/डामर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

संदर्भित मार्ग पर कुरसठ भजेहटा मार्ग से जलिहापुर तक 1.35 कि०मी० लम्बाई में खड़न्जा लगा होने के फलस्वरूप जलिहापुर से समुखा के मध्य शेष भाग–1.15 कि०मी० की लम्बाई में मिट्टी एवं पत्थर सोलिंग की स्वीकृति प्रदान करते हुए माह अक्टूबर, 1998 में प्रथम किश्त की धनराशि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को अवमुक्त की जा चुकी है ।

संदर्भित मार्ग के अवशेष भाग पर पत्थर सोलिंग का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है, जिसके मार्च, 1999 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम असही आजमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने की मांग

29–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा जनपद–हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला जनपद–हरदोई के अन्तर्गत ग्राम असही आजमपुर में वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्र स्थापित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक प्रा० स्वा० केन्द्र खोल दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । प्रश्नकर्ता मा० विधायक के पत्र पर इस आशय के आदेश पारित किये गये थे ।

जी नहीं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना जिला योजना का भाग है और जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है । यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में प्रा० स्वा० केन्द्रों की स्थापना के कार्य का संतृप्तीकरण हो चुका है अतः वित्तीय वर्ष 1997-98 से सामान्य रूप से प्रदेश में प्रा० स्वा० केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा रही है ।

विकास खण्ड कछौना जनपद–हरदोई की ग्राम पंचायत खजोहना का जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत बन्द करवाये गये खाते के दोषी खण्ड विकास अधिकारी को दण्डित किये जाने की मांग

30–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड कछौना जनपद–हरदोई की ग्राम पंचायत खजोहना का जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त बैंक खाता को विकास खण्ड अधिकारी कछौना द्वारा बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जिला पंचायत अधिकारी हरदोई ने दिनांक 26-8-98 को उक्त बन्द किये गये खाते को चालू किये जाने हेतु बी० डी० ओ० कछौना को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह

सही है कि खण्ड विकास अधिकारी को उक्त योजना के अन्तर्गत खाता बन्द कराये जाने का अधिकार नियमों में नहीं है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमित कार्य के लिए दोषी खण्ड विकास अधिकारी को जांचोपरान्त दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जवाहर रोजगार योजना की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा दुरुपयोग की गयी थी और भविष्य में भी दुरुपयोग की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए खण्ड विकास अधिकारी कछौना ने ग्राम पंचायत खजोहना के जवाहर रोजगार योजना खाते से धन के आहरण पर रोक लगाई थी ।

जी हां ।

जिला पंचायत राज अधिकारी हरदोई के पत्रांक 2904 दिनांक 25-8-98 के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी कछौना द्वारा ग्राम पंचायत खजोहना का खाता खोल दिया गया है ।

जी हां ।

संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को चेतावनी निर्गत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग, विभागाध्यक्ष कार्यालय में लोक सेवकों के सम्बन्धीकरण न किये जाने विषयक पत्र के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

31–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के स्टैण्डिग आर्डर्स नं० 5932/ई–4क, दिनांक 22-7-86 द्वारा लोक सेवकों के सम्बद्धीकरण न किये जाने विषयक जो आदेश वर्तमान में हैं, उसका उल्लंघन कितने प्रकरणों में किया गया है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा सितम्बर, 1998 में प्रेषित किए गए पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्य की अपरिहार्य परिस्थितियों में 22 प्रकरणों में लोक सेवकों का सम्बद्धीकरण किया गया था ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र की प्राप्ति के पश्चात् 18 लोक सेवकों का सम्बद्धीकरण निरस्त कर दिया गया है । केवल 4 कार्मिक वर्तमान में बजट, आयकर व कम्प्यूटर के कार्यों हेतु सम्बद्ध रह गए हैं ।

सिंचाई विभाग के खण्डों में कार्य न होने की सूचना पर शासन के माध्यम से 'जाबस्टडी' हेतु सम्प्रेक्षा न कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

32–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे ''व्यय बचत आयोग'' द्वारा सिंचाई विभाग में 76 खण्डों में कार्य न होने की सूचना के बावजूद भी प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1 के आदेश सं० 2528/43–1–43(3)/1996 दि० 29-10-96 की अपेक्षानुसार शासन के माध्यम से (प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा)

"जाबस्टडी" हेतु सम्प्रेक्षा न करवाये जाने का क्या कारण है ? पूर्व के वर्षों में जाबस्टडी सम्प्रेक्षा किस माध्यम से कब-कब करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जाबस्टडी कराने के संबंध में जुलाई, 1997 में श्री कैलाश शंकर दीक्षित, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) की अध्यक्षता में विभाग के खण्डों की संख्या के आकलन "जाबस्टडी" हेतु एक कमेटी गठित की गयी थी , जिसने यह संस्तुति दी थी कि विभाग में खण्डों के फालतू किये जाने का औचित्य नहीं है ।

शासनादेश सं०–अ–1/96–27–सिं–8–15अ/94, दिनांक 2-1-96 द्वारा सिंचाई विभाग के निर्माण खण्डों के कार्यभार के मानक का निर्धारण किया गया । तद्नुसार प्रत्येक 2 वर्ष बाद मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण किए जाने के आदेश दिए गए । इसके पश्चात् शासन के निर्देश के अनुसार वर्ष 1998 में विभागीय स्तर पर पुनः इसका आंकलन करवाया गया और कार्यरत खण्डों को मानक के आधार पर आने वाले खण्डों की संख्या से कम पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस परिक्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 298 अवैध निर्माण सूचित है ।

सम्प्रति ऐसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता (उत्तर) के प्रशासनिक नियंत्रण क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में जानकारी

33–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (उत्तर) के प्रशासनिक नियंत्रण क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में सरकारी भूमि पर कुल कितने अवैध निर्माण हो चुके हैं ? प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रति–छमाही विभागीय भूमि पर अतिक्रमण न होने का प्रमाण प्रस्तुत किए जाने विषयक नियमों का अनुपालन किन-किन अधिकारियों द्वारा अब तक नहीं किया गया है और क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इस परिक्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 298 अवैध निर्माण सूचित है ।

सम्प्रति ऐसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया, लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी एवं गाजियाबाद को संक्रामक रोग व मच्छरों से बचाने हेतु किये गये उपायों पर व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

34–श्री हरदेव सिंह व श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया, लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी एवं गाजियाबाद को संक्रामक रोग व मच्छरों से बचाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं । पिछले तीन वर्षों में इस हेतु अलग-अलग मदों में छिड़काव आदि पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद देवरिया, लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी एवं गाजियाबाद को संक्रामक रोग व मच्छर से बचाने हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये :–

1–उक्त जनपदों में तीन चक्रो में कुओं का विसंक्रामण किया गया, ओ० टी० टेस्ट किये गय तथा क्लोरिन गोलियों एवं ओ० आर० एस० के पैकेट का वितरण किया गया ।

2–संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु उक्त जनपदों में विसंक्रामक एवं औषधियों की उपलब्धता निरन्तर बनाये रखी गयी ।

3–स्थिति पर निगरानी हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय लखनऊ में संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी ।

4–भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार रोग वाहक मच्छरों से बचाव हेतु देवरिया, गोरखपुर एवं बाराबंकी में फाइलेरिया नियंत्रण इकाई द्वारा एवं जनपद लखनऊ एवं गाजियाबाद में नगरीय मलेरिया इकाइयों द्वारा नगरीय क्षेत्र के जल भराव स्थलों में साप्ताहिक अन्तराल पर नियमित रूप में लार्वानाशक का छिड़काव कराया गया ।

5–भारत सरकार के मानकों को पूर्ण करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में डी० डी० टी०/मैलाथियन/सिन्थेटिक–पाइरीथ्राड कीटनाशक का अवशेषी छिड़काव कराया गया ।

पिछले तीन वर्षों में उक्त जनपदों में छिड़काव आदि पर व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण निम्नवत है :–

जनपद	मद	व्यय की गयी धनराशि (रुपये में)		
		1996	1997	1998
1	2	3	4	5
देवरिया	अ–कीटनाशक	2,03,850	2,50,000	2,75,9700
	ब–छिड़काव मजदूरी	25,000	4,53,600	2,75,400
लखनऊ	अ–कीटनाशक	627650	938700	804625
	ब–छिड़काव मजदूरी	115500	299050	413100
गोरखपुर	अ–कीटनाशक	2833500	2283650	5123565
	ब–छिड़काव मजदूरी	340200	680400	206550
बाराबंकी	अ–कीटनाशक	75400	24750	29700
	ब–छिड़काव मजदूरी	20000	20000	20000
गाजियाबाद	अ–कीटनाशक	470500	1035000	409500
	ब–छिड़काव मजदूरी	20000	340200	137700

जनपद–हरदोई के अन्तर्गत चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० धर्मज्ञ मिश्र, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 28 फरवरी, 1998 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 25 मार्च, 1998 जो जनपद–हरदोई के अन्तर्गत चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में थे और जो उनको एवं सचिव, चिकित्सा को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए ? यदि हां, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 1998-99 में चिकित्सालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

डा० धर्मज्ञ मिश्र, सदस्य विधान सभा का एक पत्र दिनांक 30 मार्च, 1998 को चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में मुख्य बिन्दु ग्राम सभा प्रमुख विकास खण्ड माधोगंज, हरदोई में आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने का अनुरोध है। प्रश्नगत स्थान पर चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, को कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये थे। वित्तीय वर्ष 1998-99 में जनपद–हरदोई में जिला योजना के अन्तर्गत नवीन चिकित्सालयों की स्थापना सम्बन्धी परिव्यय उपलब्ध न होने तथा किसी भी नवीन चिकित्सालय की स्थापना हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई नवीन चिकित्सालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

36–श्री रामतेज यादव–

[1ले गुरुवार में अता० प्र० सं० 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री श्याम सुन्दर यादव चौकीदार, सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया की मृत्यु के बाद उसके आश्रित पुत्र विजय बहादुर यादव की नियुक्ति की मांग

37–श्री राम तेज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति करने हेतु विशेष सचिव सिंचाई अनुभाग–7 के पत्र संख्या 414/90 27–सिं–7–85(5)/87 लखनऊ 26 सितम्बर, 1990 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ० प्र० को आदेश दिया गया था ? क्या यह सही है कि श्यामसुन्दर यादव चौकीदार, सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया की मृत्यु के बाद उसके आश्रित पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी मझवलिया थाना उभांव जिला बलिया द्वारा बार-बार नियुक्ति करने हेतु विभाग को आवेदन पत्र देने के उपरान्त भी उसकी नियुक्ति अभी तक नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश देते हुए मृतक आश्रित को सेवायोजित करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्या–414/90-27–सिं–7–85(5)/87 दिनांक 26-9-90 द्वारा सिंचाई विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को कार्य प्रभारित अधिष्ठान में सेवायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ए–2–1602/10–85–24(14)/85 दि० 1-6-95 द्वारा कार्य प्रभारित कर्मचारी को रखें जाने के संबंध में अधिकारों के प्रतिनिधायन की व्यवस्था समाप्त कर देने के उपरान्त कार्य प्रभारित अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी को सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या की जानकारी

38–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों की कुल संख्या कितनी थी ? क्या इन दोनों वर्षों में पुराने लाभार्थियों की संख्या में मृत्यु के फलस्वरूप कोई कमी आयी ? यदि नहीं, तो क्या जांच करायी गयी कि मृत व्यक्तियों के नाम पर भी पेंशन तो नहीं आहरित की जा रही है ? यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

वर्ष 1996-97 में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या 10,16,887 तथा वर्ष 1997-98 में लाभार्थियों की कुल सं० 12,93,373 थी ।

जी हां । परन्तु इनके स्थान पर नवीन स्वीकृतियां जारी करके निर्धारित भौतिक लक्ष्य का स्तर यथावत् बनाये रखा गया है एवं वर्ष 96-97 में बढ़े हुए भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष भी अतिरिक्त स्वीकृतियां जारी की गयी है । इस सम्बन्ध में सामान्यतः सजगता बरतने के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में कतिपय मामले "रैण्डम" तौर पर चयनित कर जांच कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

सम्प्रति लाभार्थियों के चिन्हीकरण के फलस्वरूप वर्ष 98-99 में 55589 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी मृतक पाये गये हैं ।

39–श्री अक्षयवर लाल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

40–श्री अक्षयवर लाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

महामंत्री अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा उ० प्र० के पत्र में उल्लिखित सुझावों को समाहित करते हुए पुनरीक्षित शासनादेश जारी किये जाने की मांग

41–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या–373, दिनांक 2 मार्च, 1998 में अनुसूचित जाति गोंड के संबंध में उल्लिखित भ्रम की स्थिति किन-किन बिन्दुओं पर है ? क्या सरकार उक्त भ्रम की स्थिति के निवारण हेतु महामंत्री अखिल भारत

वर्षीय गोंड महासभा शाखा उ० प्र० के पत्र दिनांक 2 जुलाई, 1998 में उल्लिखित सुझावों को समाहित करते हुए पुनरीक्षित शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

विभागीय दृष्टिकोण से किसी बिन्दु पर भ्रम की स्थिति नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली–मथुरा राजमार्ग से सलिमपुर बाया नगला शीशम विकास क्षेत्र कासगंज जिला एटा की सड़क निर्माण में फर्जी भुगतान की शिकायत

42–श्री नेतराम सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली–मथुरा राजमार्ग से सलिमपुर बाया नगला शीशम विकास क्षेत्र कासगंज जिला एटा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में पेस्पेक्ट दो लाख चालीस हजार रुपये की मिट्टी के काम का ठेका लिया गया था ? क्या उस पर मिट्टी का कोई कार्य न कर फर्जी पेमेन्ट की शिकायत 23 मई, 1998 को प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी एटा को दी थी ? क्या यह सत्य है कि मुख्य विकास अधिकारी एटा ने जांचोपरान्त पाया कि इस सड़क का भुगतान फर्जी हुआ है ? क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्ता द्वारा 6 अगस्त, 1998 को जिलाधिकारी, एटा की शिकायत पर धन वापसी की गयी थी ? क्या फर्जी भुगतान को वापिस किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद–बाराबंकी के ब्लाक मवई में स्थित पम्प कैनाल नौगवां डीह तथा निरोजपुर बघेड़ी की खुदाई हेतु व्यय हुए धन तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी

43–श्री आचार्य रामदेव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बाराबंकी के ब्लाक मवई में स्थित पम्प कैनाल नौगवां डीह तथा निरोजपुर बघेड़ी सिंचाई के उपयोग में नहीं आ रही है ? यदि हां, तो यह कितने वर्षों से बन्द पड़ी है ? इस नहर पर खुदाई हेतु वर्ष 1995 से 1997 तक कितना व्यय किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत पम्प कैनाल सिंचाई के उपयोग में है । यद्यपि समस्याग्रस्त होने के कारण इनकी सिंचाई अपेक्षित स्तर की नहीं रही है ।

यह नहरें बन्द नहीं हैं ।

इन नहरों पर खुदाई (सिल्ट सफाई, मरम्मत) में वर्ष 1995 से 1997 तक वित्तीय वर्षवार निम्न व्यय हुआ है :–

क्र०सं०	पम्प नहर	खुदाई (सिल्ट, सफाई, मरम्मत) पर तीन वर्षों में हुए व्यय का विवरण व्यय (धनराशि रु० में)			योग
		वर्ष 95-96	96-97	97-98	
1	2	3	4	5	6
1	नवगवां	12158.00	14909.00	16198.00	43265.00
2	रुदौली	6214.50	12693.00	10035.00	28942.50

अधिशासी अभियन्ता, शारदा खण्ड–32 आजमगढ़ द्वारा ग्राम–कोहरौली, ब्लाक–मार्टीनगंज, ड्रेनेज निर्माण हेतु प्राक्कलन अनुमोदन एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

44–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि व श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–32 आजमगढ़ द्वारा माह अप्रैल, 98 में ग्राम–कोहरौली, ब्लाक–मार्टीनगंज, जनपद–आजमगढ़ में ड्रेनेज निर्माण हेतु रु० 7.92 लाख का प्राक्कलन अनुमोदन एवं धन आवंटन हेतु परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा कब तक अनुमोदन एवं आवंटन का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । परियोजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आजमगढ़ को प्रेषित कर दी गयी है । इस हेतु उनसे धनावंटन प्राप्त होने पर कार्य को प्रारम्भ कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद–हरदोई के ग्राम मजरा नया पुरवा (चमरहिया) में शासन की नीति के अनुसार खड़ण्जा न लगाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

45–श्री अब्दुल मन्नान–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 133 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच किस स्तर के अधिकारी से करायी गयी ? प्रश्नगत ग्राम के मजरा नया पुरवा (चमरहिया) में 150x2.5 मीटर भाग में जो खड़ण्जा बिछाया गया है वह किसके आदेश पर बिछाया गया है ? क्या यह सही है कि शासन की नीति के अनुसार खड़ण्जा नहीं लगाया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की पुनः पूरी उच्च स्तरीय जांच कराकर इसमें दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? उक्त ग्राम में 300 x 2.5 मीटर पर डाली गयी मिट्टी पर खड़ण्जा अथवा लेपन का कार्य कब तक करवा दिया जायेगा तथा विवादित भूमि का निपटारा कर कब तक उक्त ग्राम को सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया जायेगा ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रकरण की जांच जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अन्वेषक (तकनीकी) हरदोई, खण्ड विकास अधिकारी अहिरोरी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी हरदोई की संयुक्त टीम द्वारा करायी गयी थी ।

प्रश्नगत कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए है । ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकतानुसार अपने पारित प्रस्तावों के अन्तर्गत कार्य कराती हैं, जिसके लिए किसी अन्य अधिकारी के आदेश की आवश्कता नहीं होती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पंचायतें आवश्यकतानुसार उपलब्ध धनराशि के अनुरूप अपने पारित प्रस्तावों के अन्तर्गत कार्य कराती हैं । अतएव ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य में होने वाले खड़ण्जा निर्माण अथवा अन्य किसी निर्माण कार्य की अवधि के बारे में जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है इस प्रकार विवादित भूमि का निपटारा एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके निपटारे की अवधि को बताया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद–हरदोई के ब्लाक खण्ड पिहानी ग्राम सभा दमगड़ा को लिंक रोड से जोड़े जाने की मांग

46–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड पिहानी जनपत–हरदोई की ग्राम सभा दमगड़ा की आबादी लगभग एक हजार है किन्तु अभी तक सम्पर्क मार्ग से जोड़ा नहीं गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त ग्राम सभा को लिंक रोड से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । ग्राम सभा दमगड़ा विकास खण्ड पिहानी जनपद–हरदोई की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर 854 है ।

ग्राम सभा की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर एक हजार से कम होने के कारण सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना फिलहाल प्रस्तावित नहीं है ।

1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के पश्चात् ही 1000 से कम आबादी वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने पर विचार किया जायेगा ।

शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार सर्वप्रथम 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को ही लिंक रोड से जोड़ा जाना है । चूंकि प्रश्नगत ग्राम सभा की जनसंख्या 1000 से कम है, इस कारण लिंक रोड से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद–अम्बेडकरनगर के मोहल्ला शहजादपुर में स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय के डाक्टरों द्वारा अनुसूचित जाति कर्मचारी को मारने सम्बन्धी शिकायत की जानकारी

47–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अम्बेडकरनगर के अकबरपुर नगर परिषद् अकबरपुर के मोहल्ला शहजादपुर में स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय के डाक्टरों द्वारा अनुसूचित जाति कर्मचारी को गाली गलौज करने व मारने सम्बन्धी शिकायत जनता नगर परिषद् सदस्यों द्वारा नगर

भाजपा अध्यक्ष के हस्ताक्षर से माह मई व जून, 1998 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्र को जांच के लिए जिला अधिकारी अम्बेडकरनगर को भेजा गया था ? यदि हां, तो कब तक ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सन्दर्भित पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु प्रकरण से सम्बन्धित श्री प्रियदर्शी जेटली, प्रबन्धक, डा० गणेश कृष्ण जेटली इण्टरमीडिएट कालेज, अकबरपुर अम्बेडकरनगर के हस्ताक्षरयुक्त शिकायती-पत्र दिनांक 5-5-98 प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर से शासन के पत्र दिनांक 8-6-98 द्वारा जांच करायी गयी थी । जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्र-दिनांक 10-9-98 के संलग्न बिन्दुवार जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त उक्त चिकित्सालय के प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र में इंगित आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । अतएव प्रकरण को समाप्त कर दिया गया ।

डा० सुरेश द्विवेदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सचिवालय में तैनाती के समय में पंजीकरण शुल्क न जमा करने विषयक निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी, के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री हरदेव सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हण्डिया, इलाहाबाद के पत्रांक 56/97, दिनांक 2-7-97 जो डा० सुरेश द्विवेदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सचिवालय में तैनाती के समय पंजीकरण शुल्क न जमा करने विषयक था निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी उ० प्र० लखनऊ को जांच कर प्रेषित किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि डा० द्विवेदी वर्तमान में निदेशालय से सम्बद्ध हैं और जांच प्रभावित कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या निदेशालय से हटाकर निष्पक्ष जांच कराने का आदेश मंत्री जी देंगे ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

जी हां, डा० द्विवेदी वर्तमान में निदेशालय में सम्बद्ध हैं । निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी सम्बद्धता से जांच कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में तैनात अधीक्षक द्वारा आवंटन से अधिक धनराशि के आहरण में अनियमितता एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

49–श्री हरदेव सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ में तैनात तात्कालीन अधीक्षक द्वारा आवंटन से अधिक धनराशि के आहरण तथा औषधि एवं उपकरणों के क्रय से सम्बन्धित वर्ष 1993-94 की विशेष सम्प्रेक्षा रिपोर्ट में घोर अनियमितता होना पाया गया है और मानक के अनुसार सामान क्रय न किया जाना आवंटित धन अधिक की खरीद करना जिससे कई लाख की क्षति विभाग को हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधीक्षक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माण शाला लखनऊ के विरुद्ध जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा उ० प्र० लोक सेवा आयोग के परामर्श से दण्ड का अवधारण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव चिकित्सा शिक्षा उ० प्र० शासन को सम्बोधित निदेशालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक एवं उसके सगे सम्बन्धी की फर्जी नियुक्ति करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

50–श्री अफजाल अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 30-7-98 जो सचिव, चिकित्सा शिक्षा उ०प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र जो निदेशालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक एवं उसके सगे संबंधी की फर्जी नियुक्ति करने विषयक था, पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

शिकायती पत्र पर संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा की जा रही है । क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से अभिलेख निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें को प्राप्त होने पर [illegible] कर ली जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को सम्बोधित ग्रामीण अभियन्ता सेवा प्रखण्ड बांदा में मजदूरों की मजदूरी आदि का भुगतान न किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

51–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 25-7-98 जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड, बांदा द्वारा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान व गेहूं कूपन का गल्ला न दिये जाने की शिकायत विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नगद रूप में किया जा चुका है । गेहूं कूपन 174.96 कुन्तल का गल्ला वितरित किया जा चुका है अवशेष 21.18 कुन्तल गेहूं का वितरण किया जाना है, जिसे शीघ्र ही वितरित कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री राम लाल सिंह पर विभिन्न आरोपों के प्रकरण पर की गई कार्यवाही की जानकारी

52–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता की वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 की सत्य निष्ठा प्रमाणित नहीं है ? क्या उन्हें वर्ष 1997–98 में निन्दा प्रविष्टि भी दी गई है तथा वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 की विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिए वे उपयुक्त नहीं पाये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि इनकी नलकूप निर्माण खण्ड, इलाहाबाद की कार्य अवधि में लगभग 13.00 लाख रुपये मूल्य के सरकारी सामानों के गबन का मामला प्रकाश में आया है जिसके लिए इन्हें भी आरोपित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जांच अधिकारी को 60 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दे दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय नलकूप खण्ड बांदा में कूप चालकों के एरियर धनराशि से एन०एस०सी० पत्र उपलब्ध कराये जाने की मांग

53–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय नलकूप खण्ड बांदा में कूप चालकों के एरियर धनराशि से एन०एस०सी० बनवाने हेतु बाध्य कर विभागीय अधिकारियों ने 37 कूप चालकों से 1,39,600.00 रु० वसूल कर एन०एस०सी० फार्म पर हस्ताक्षर करा लिया, किन्तु एन०एस०सी० पत्र आज तक नहीं दिया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कर्मचारियों को कब तक एन०एस०सी० पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । शासनादेश सं०–वे०आ०–1/751/दस–42(एम) दिनांक 28-12-97 के प्राविधानों के अन्तर्गत 37 नलकूप चालकों से उनको देय अवशेषों से रुपये 1,39,600/- काटकर राष्ट्रीय बचत-पत्र बनवाने हेतु सम्बन्धित फार्म पर हस्ताक्षर कराये गये, किन्तु यह अभी तक नहीं दी जा सकी है ।

इस प्रकरण में रुपये 1,39,600/- के गबन की विभागीय एवं पुलिस जांच चल रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य खनिज निगम के माध्यम से सप्तम मंडल सिंचाई कार्य, लखनऊ के नियन्त्रणाधीन खण्डों में क्रय की गई बोल्डर्स की मात्रा एवं दर की जानकारी

54–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "उ० प्र० राज्य खनिज निगम" के माध्यम से सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के संगठनान्तर्गत 31-12-97 तक कुल कितने घनमीटर बोल्डर किस दर पर क्रय किए गए ? बोल्डर्स आपूर्ति हेतु रजिस्टर्ड कान्ट्रेक्टर्स द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें क्या थीं ? क्या उक्त प्रकरण पर निर्णय लेने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सप्तम मंडल के नियन्त्रणाधीन निम्न खण्डों द्वारा 31-12-97 तक उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से क्रय किये गये बोल्डर्स की मात्रा एवं दर निम्नवत् है :–

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ ।

क्रय का वर्ष	मात्रा घनमीटर	दर रु० प्रतिघन मीटर
1987-88	5,780.68	249.20
1989-90	1,186.58	300.00
1990-91	1,612.01	340.00
1991-92	6,701.402	365.00
1992-93	2,704.653	425.00
1995-96	1,827.571	520.00
1996-97	1,880.60	520.00
योग :	21,693.496	

शारदा सहायक खण्ड–40, लखनऊ ।

1995-96	260.46	506.00
योग	260.46	
कुल योग :	21,953.956	

बोल्डर्स का क्रय उत्तर प्रदेश, राज्य खनिज निगम के माध्यम से किया जाना था अतः रजिस्टर्ड कान्ट्रेक्टर्स से कोई प्रस्ताव ही नहीं मांगा गया ।

अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जी, हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई) कार्यालय के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य देखने वाले अनुभागों द्वारा जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये पत्रों पर एकनालेजमेंट प्रेषित किये जाने की जानकारी

55–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेशों के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य देखने वाले अनुभागों द्वारा 1-1-1998 से अब तक प्राप्त विधायकों/जनप्रतिनिधियों के कितने पत्रों की प्राप्ति (एकनालेजमेंट) की सूचना प्रेषित की गयी और कितने एकनालेजमेन्ट प्रेषित किए जाने शेष हैं ? क्या उक्त प्रकरण में विलम्ब हेतु दोषी लोक सेवकों को सचेत करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत अवधि में प्राप्त जनप्रतिनिधियों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार किये जाने वाले शासनादेश की अनभिज्ञता के कारण पत्र की प्राप्ति सम्बन्धी कार्यवाही नहीं हो पायी । भविष्य में लोक सेवकों को सचेत रहते हुए शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दे दिये गये हैं ।

जनपद–लखनऊ में स्थित सिंचाई विभाग की कैनाल कालोनी में तारघर की समाप्ति के सम्बन्ध में जानकारी

56–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ–जनपद स्थित विभाग की कैनाल कालोनी में जो तारघर (टेलीग्राफ आफिस) समाप्त कर दिया गया था, अनावासीय भवन का प्रयोग कब से, किसके द्वारा एवं किस सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से किस रूप में किया जा रहा है ? तारघर सुरक्षार्थ जो बाउण्ड्रीवाल बनायी गयी थी उसे कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ–जनपद स्थित विभाग की कैनाल कालोनी में तारघर की समाप्ति के पश्चात् उक्त तारघर आवास प्रमुख अभियन्ता के आदेश दिनांक 6-8-94 द्वारा श्री राकेश कुमार शर्मा, अनुरेखक, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ को आवंटित किया गया था, जिसमें वह दिनांक 6-8-94 से 9-3-98 तक अध्यासित रहें हैं । इसके पश्चात् श्री रामजी अवस्थी, वरिष्ठ सहायक को मुख्य अभियन्ता (शाखा सहायक) के कार्यालय आदेश दिनांक 4-5-98 द्वारा आवंटित किया गया है जिसमें वह दिनांक 18-5-98 से रह रहे हैं ।

सुरक्षा हेतु बनायी गयी बाउण्ड्रीवाल हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद–भदोही, संत रविदास नगर, ग्राम सभा बदरी जगदीशपुर, कलिंजरा , कलिक मवैया में बनाये गये बांध पर मिट्टी कार्य में घोटाले पर की गई कार्यवाही की जानकारी

57–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद–भदोही, संत रविदास नगर, ग्राम सभा बदरी जगदीशपुर, कलिंजरा, कलिक मवैया में कटाव रोकने हेतु बनाये गये बांध पर मिट्टी कार्य कराकर लाखों रुपये की

अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो उन कार्यों को किस विभाग द्वारा कराया गया है ? क्या सरकार उक्त घोटाले पर कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, हाल के वर्षों में प्रश्नगत ग्राम सभाओं हेतु न तो इस प्रकार की कोई योजना स्वीकृत हुई है और न ही इस पर कोई कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया है, अतः अनियमितता किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

संम्बन्धित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां के ग्राम कनपारा के पास नहर कटने से कृषकों की फसल नष्ट होने पर कार्यवाही किये जाने की मांग

58–श्री चेतराम–

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां अन्तर्गत शारदा नहर (हरदोई ब्रांच) ग्राम कनपारा के पास दिनांक 26-9-98 को कट गयी जिस कारण स्थानीय कृषकों की फसल पानी में डूब गयी और कृषकों का भारी नुकसान हुआ ? क्या यह सही है कि स्थानीय नागरिकों द्वारा स्थानीय अधिकारियों को आगाह करने के उपरान्त भी दिनांक 4-10-98 को कनपारा ग्राम के पास नहर पर बना पुल एवं झाल भी टूट कर पानी में बह गयी ? उक्त पुल टूटने तथा नहर कटने से उ० प्र० शासन की कितनी धनराशि की हानि हुयी ? नहर कटने तथा पुल व झाल टूटकर बह जाने के क्या-क्या कारण रहे ? क्या सरकार शासन स्तर से सक्षम अधिकारियों द्वारा मौके की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराकर जनहित में उक्त नहर एवं पुल का निर्माण पूर्ण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । दिनांक 26-9-98 को हरदोई ब्रांच (दायी पटरी) ग्राम कनपारा के पास (मील 40–6) कट गयी थी ।

जी नहीं । खांदी का पानी मील 40-6 के पास स्थित झबरिया नाले से होता हुआ खन्नौत नदी में चला गया था, नाले में ऊपर की तरफ कुछ खेतों में पानी अवश्य गया था, परन्तु शीघ्र निकल जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ ।

इस खादी से मील 40–6 का झाल दिनांक 26/27-9-98 को तथा मील 40-1-175 का वी०आर०वी० दिनांक 4-10-98 को क्षतिग्रस्त हो गया था ।

खांदी को बांधने आदि में 80 लाख रुपया व्यय हुआ तथा टूटे हुये पुल एवं झाल के स्थान पर बनाये जाने वाले वी०आर०वी० का फाल का परिकल्पन परिकल्प निदेशालय द्वारा किया जा रहा है । सही लागत का अनुमान कार्य के परिकल्पन के पश्चात् निर्धारित किया जा सकता है ।

नहर कटने का कारण नहर में शोरी होना है शोरी हो जाने के पश्चात् नहर की तली में तेज बहाव के कारण रिट्रोगेशन हुआ परिणाम स्वरूप दोनों पुल एवं झाल क्षतिग्रस्त हो गये ।

गठित जांच समिति द्वारा जांच की गई थी । तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं सींचपाल को स्थानान्तरित कर निलम्बित किया जा चुका है । हां निर्माण की कार्यवाही की जा रही है । यह कार्य जून, 2,000 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

जनपद–अलीगढ़ में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरण नीति के तहत स्थानातरण किये जाने की मांग

59–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन कार्य करने वाले कितने ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो विगत दो दशकों से एक ही पद एवं एक ही स्थान पर तैनात हैं ? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के तहत, करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद–अलीगढ़ में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन शून्य अधिकारी एवं 163 पुरूष एवं महिला कर्मचारी विगत दो दशकों से एक ही पद एवं एक ही स्थान पर तैनात है ।

जी हां ।

स्थानान्तरण सत्र में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–अलीगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें, उ० प्र० द्वारा भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

60–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें, उ० प्र० के पत्र सं०–4फ/ए/4फ/ए/23/75/4125, दिनांक 3 जुलाई, 1997 एवं पत्र सं० 4फ/ए/लिपिक/स्वास्थ्य/98/4640-51, दिनांक 28 मई, 1998 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ द्वारा महानिदेशक के पत्र संख्या 4 फ/ए/23/75/4125, दिनांक 3 जुलाई, 1997 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि स्थापना संबंधी कार्य श्री वी०एन० वर्मा, आशुलिपिक से हटा कर किसी वरिष्ठ लिपिक से सम्पादित कराया जाए । तद्नुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 3/4-8-97 के द्वारा स्थापना संबंधी कार्य श्री वर्मा से हटाकर श्रीमती कुसुमलता, कनिष्ठ लिपिक को दे दिया गया है । महानिदेशक के पत्र संख्या 4फ/ए/लिपिक/स्था०/98/4640–51, दिनांक 28-5-98 जो अनेक लिपिक संवर्ग के एक ही पटल पर 15–20 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों के पटल परिवर्तन किए जाने के संबंध में था, के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा 12 लिपिकों का पटल परिवर्तन कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों को राजकीय चिकित्सालयों के प्राइवेट वार्डों में उपचारार्थ नई मूल न्यूनतम वेतन सीमा निर्धारित करके संशोधित शासनादेश निर्गत किये जाने की मांग

61–श्री रामपाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1-1-1996 से सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों एवं न्यूनतम वेतन सीमा में वृद्धि हो जाने के कारण राजकीय चिकित्सालयों के प्राइवेट वार्डों में उपचारार्थ चिकित्सा अनुभाग–6/7 के शासनादेश संख्या–5451/[illegible]34/73, दिनांक 12-1-1990 का अनुपालन निष्क्रिय हो गया है ? क्या सरकार नई मूल न्यूनतम वेतन सीमा निर्धारित करके संशोधित शासनादेश निर्गत करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वेतनमानों के पुनरीक्षण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत हो जाने के पश्चात प्रश्नगत शासनादेश 12-1-1990 में उल्लिखित मूल वेतन रु० 1,225/-, रु० 1,600/- के स्थान पर क्रमशः रु० 3,800/- एवं रु० 5,000/- मूल वेतन के आधार पर राजकीय चिकित्सालयों में पेइंग/प्राइवेट वार्ड की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है यद्यपि शासनादेश दिनांक 12-1-90 अभी संशोधित नहीं हुआ है।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर के अधीन एवं जनपद हरदोई से सीतापुर स्थानान्तरित चिकित्सा अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में 1990–91 से 1998–99 के मध्य महंगाई भत्ते के एरियर को जमा किये जाने की मांग

62–श्री रामपाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर के नियंत्रणाधीन प्रत्येक प्राथ० स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों के भविष्य निर्वाह निधि में वर्ष 1990–91 से 1998–99 के मध्य स्वीकृत हुए महंगाई भत्तों की प्रत्येक किश्तों से संबंधित एरियर धनराशि को आज तक भविष्य निधि खाते में जमा न किये जाने का कारण क्या है ? हरदोई–जनपद से सीतापुर–जनपद में स्थानान्तरित होकर आये तथा पहले से कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के फण्ड में प्रश्नगत अवधि की एरियर धनराशि को सरकार कब तक उनके भविष्य निधि खाते में जमा करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर के नियंत्रणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों में से 7 चिकित्साधिकारियों को छोड़कर वर्ष 1990–91 से जून, 1998 तक के महंगाई भत्तों की किश्तें भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जा चुकी है। अवशेष 7 चिकित्सा अधिकारियों का 7/1994 से 11/1995 तक के मंहगाई भत्ते की किश्तों के भुगतान हेतु एरियर बिल कोषागार में दिनांक 8-2-99 को प्रस्तुत कर दिया गया है तथा शेष अवधि का भत्ता दिया जा चुका है।

मंहगाई भत्ते की किश्तों को समय से चिकित्साधिकारियों के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा न करने के कारणों की जांच करायी जा रही है।

जनपद–हरदोई से एक चिकित्साधिकारी स्थानान्तरित होकर सितम्बर, 1997 में जनपद–सीतापुर आये थे जिनका 1/98 तथा 7/98 को देय एरियर मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान तथा पूर्व से कार्यरत चिकित्साधिकारियों के उक्त अवधि के मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान हेतु एरियर बिल कोषागार में दिनांक 8-2-99 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के नियंत्रणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों के भविष्य निर्वाह निधि में महंगाई भत्ते के एरियर को जमा किये जाने की मांग

63–श्री रामपाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई के नियंत्रणाधीन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के भविष्य निर्वाह निधि में वर्ष 1990-91 से 1997-98 के मध्य स्वीकृत हुए महंगाई भत्तों की प्रत्येक किश्तों से सम्बन्धित एरियर धनराशि को आज तक उनके भविष्य निधि खाते में जमा न किये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार दोषी को दण्ड देते हुए अब कब तक प्रश्नगत अवधि के एरियर धनराशि को आहरित करवा कर चिकित्सा अधिकारियों के फण्ड खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

महंगाई भत्तों की किश्तों के अवशेष का अब तक भुगतान न किये जाने के कारणों की जांच करायी जा रही है ।

जांचोपरान्त दोषी पाये गये कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा एरियर धनराशि के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है ।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत नर्सों, स्टाफ नर्सों, मैटर्न व लिपिकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड व प्रोन्नति वेतनमान न दिये जाने की जानकारी

64–श्री रामपाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या वे०आ०–1-166/दस-12(एम)–95, दिनांक 5-3-1995 के अनुसार बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत किन-किन नर्सों, स्टाफ नर्सों, मैटर्न व लिपिकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिनांक 31-12-1995 तक 8 वर्ष की सेवा पर प्रथम सेलेक्शन ग्रेड व 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम पदोन्नति वेतनमान व 20 वर्ष की सेवा पर द्वितीय सेलेक्शन ग्रेड व 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय पदोन्नति वेतनमान देय हो चुका है ? देय कर्मचारियों के पक्ष में आवश्यक आदेश आज तक निर्गत न किये जाने के क्या कारण हैं ? किस शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों के द्वारा अनिवार्य रूप में लिखित अनुरोध करने पर ही आदेश निर्गत किये जाने का प्राविधान है ? सरकार कब तक सम्बन्धित देय कर्मचारियों के पक्ष में शासनादेश के अनुसार 8 एवं 20 वर्ष की सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड एवं 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का आदेश निर्गत करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

शासनादेश संख्या–वे०आ०–1-1763/दस–39(एम)/89, दिनांक 3-6-89 तथा शासनादेश संख्या–वे०आ०–1/166/दस–12(एम)/95, दिनांक 8-3-95 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–1-84/दस–12(एम)/95, दिनांक 5-2-97 के प्राविधानों के अधीन 10/8 वर्ष पर सेलेक्शन ग्रेड का लाभ 16/14 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नति वेतनमान का लाभ, 19/20 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नति वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड का लाभ तथा 24 वर्ष की सेवा पर अगला प्रोन्नति वेतनमान का लाभ नियमित एवं सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है । उक्त शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ की समस्त उपचारिकाओं, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिनांक 31-12-95 तक अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान तथा प्रोन्नति वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड का लाभ तथा

पुनः प्रोन्नति वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है। लिखित अनुरोध पर ही आदेश निर्गत किये जाने की कोई व्यवस्था नियमों में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद का गन्ना किसी अन्य जनपद में न भेजने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

65–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजियाबाद का गन्ना किसी अन्य जनपद में न भेजने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-10-98 जो कि उन्हें एवं गन्ना आयुक्त को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

उक्त पत्र द्वारा जनपद गाजियाबाद का गन्ना जनपद में ही डलवाने का सुझाव दिया गया था। परीक्षणोपरान्त सुझाव मान्य नहीं पाया गया।

शेष का प्रश्न नहीं है।

जिला टेहरी गढ़वाल के टिहरी स्थित टिहरी बांध सिंचाई निर्माण खण्ड–22 को सिंचाई खण्ड तृतीय पुनर्नामांकित कर धनसाली में खोलने के प्रस्ताव की जानकारी

66–श्री लाखीराम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के टिहरी स्थित टिहरी बांध सिंचाई निर्माण खण्ड–22 को सिंचाई खण्ड तृतीय पुनर्नामांकित कर स्थान धनसाली में खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक वहां स्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

शासनादेश संख्या–सअ–2198/98-27-सिं०–8-8अ(8)/93, दिनांक 19-6-98 द्वारा सिंचाई खण्ड–2, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल को पुनर्गठित कर सिंचाई खण्ड द्वितीय धनसाली, टिहरी गढ़वाल कर दिया गया है।

हरदोई में ग्राम अटवा अली, मदनीपुर ब्लाक माधोगंज की सोनहार ड्रेन के फटने से जल भराव से कतिपय ग्रामों का बचाव किये जाने की मांग

67–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम अटवा अली, मदनीपुर ब्लाक माधौगंज, हरदोई में सोनहार ड्रेन के फटने से जो जल भराव होता है उससे उक्त ग्राम व बढ़ैयाखेड़ा ग्राम की 95 प्रतिशत भूमि जलमग्न है जिससे किसान भुखमरी के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या उक्त जलभराव से बचाव हेतु शासन कोई उपाय करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

सोनहार ड्रेन के कैचमेन्ट में काफी क्षेत्र बरसात में जल भराव की समस्या से ग्रस्त हो जाता है।

बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या से उत्पन्न बाढ़ सुरक्षा के कार्य से सम्बन्धित बचाव का कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक से पोषित धन से कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामपुर मैसूरपुर, पूरनमऊ, बेरिया नजीर आदि कतिपय ग्राम पंचायतों में सिंचाई की सुविधा हेतु राजकीय ट्यूबवेल लगाये जाने की मांग

68–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामपुर मैसूरपुर, पूरनमऊ, बेरिया नजीर, हजरतपुर शाहपुर पवार में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है जिससे अन्न उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ग्राम पंचायतों में राजकीय ट्यूबवेल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत ग्रामों में राजकीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

जनपद योजना के अन्तर्गत नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण का प्राविधान न होने के कारण नवीन नलकूप का निर्माण किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

69–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत बिलग्राम में ग्राम पंचायत सठियापुर, बाण करेहका, छिबरामऊ, कोई जफरपुर, परसौला, शाहपुर, हरैया, बघोरिया तथा बिरौरी में राजकीय नलकूप किसानों के हित में बनवाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जिला योजना में प्राविधान के अभाव में प्रश्नगत ग्रामों में राजकीय नलकूप लगवाया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक जसरा, तहसील बारा के ग्राम सभा ओझा पट्टी तथा मानपुर के मध्य मार्ग को खड़ण्जा स्तर तक निर्मित किये जाने की मांग

70–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के ब्लाक जसरा, तहसील–बारा के ग्राम सभा ओझा पट्टी तथा मानपुर के मध्य मात्र छः फिट का एक मार्ग है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर ही समस्त राजकीय संस्थान भी पड़ते हैं तथा दोनों ग्राम सभाओं की जनता का भी मुख्य आवागमन भी इसी मार्ग से होता है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग दो ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण अब तक पूर्ण रूप से खड़ण्जा स्तर तक निर्मित नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त मार्ग की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए खड़ंजे का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

इस मार्ग पर एक संस्थान इलाहाबाद बैंक, ओझा पट्टी पड़ता है ।

प्रधान ओझा पट्टी द्वारा खड़ंजा मार्ग बनाया गया था । प्रधान मानपुर द्वारा मार्ग निर्माण में कोई रुचि नहीं ली गयी ।

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि से क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित कराकर कार्य कराने हेतु सक्षम है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती ऊषारानी पत्नी स्व० श्री अनिल बाबू सक्सेना ए०एन०एम० सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दातागंज जिला बदायूं की मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रित लड़की कु० हिमानी अनिल को अवशेष देयों का भुगतान किये जाने की मांग

71–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती उषा रानी पत्नी स्व० श्री अनिल बाबू सक्सेना ए०एन०एम० सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दातागंज जिला बदायूं की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 18-3-91 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी आश्रित लड़की कु० हिमानी अनिल का उनके अवशेष देयक बीमा धनराशि, वेतन, बोनस, अर्जित अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी, मृतक आश्रित पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अवशेषों का भुगतान कब तक करा देगी ?

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री देवेन्द्र सिंह ऊर्फ भोले सिंह)–

जी हां ।

स्व० श्रीमती उषा रानी के अवशेष देयकों में से अन्तिम अर्जित नकदीकरण अवकाश, बोनस, अवशेष महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी (90%) प्रोविजनल पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि का भुगतान उनकी आश्रित लड़की कु० हिमानी अनिल की संरक्षिका श्रीमती शान्ती देवी को किया जा चुका है । अवशेष देयों यथा पारिवारिक पेंशन एवं सामूहिक बीमा भुगतान के प्रपत्र तैयार कर सम्बन्धित अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं, जिनका भुगतान स्वीकृति के पश्चात् ही सम्भव है ।

समाज कल्याण सुपरवाइजरों की सेवा समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र एवं उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी

72–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण सुपरवाइजरों की सेवा समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 22 जून, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो समाज कल्याण सुपरवाइजरों की सेवा समस्याओं के निदान हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां ।

समाज कल्याण पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजरों) की समस्याओं के निदान के सन्दर्भ में प्रस्ताव मांग-पत्र के विषय में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है :–

सेवा नियमावली

समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या–2094/26-1-96-2(43)/94, दिनांक 27-6-97 द्वारा समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है ।

पदनाम परिवर्तन एवं शैक्षिक योग्यता में वृद्धि

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है ।

वेतन में वृद्धि

वित्त विभाग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वेतनमान उच्चीकृत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

स्थाई मासिक भत्ता

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है ।

पदोन्नति

उ० प्र० समाज कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 1997 की धारा–5(2) के अनुसार पदोन्नति किये जाने का प्राविधान है ।

मण्डलीय उप निदेशक कार्यालय में सुपरवाइजर की तैनाती

मण्डलीय उप निदेशक (स०क०) कार्यालय में समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पद न सृजित होने के कारण सम्भव नहीं है ।

समाज कल्याण पर्यवेक्षकों की सुरक्षा व्यवस्था

समाज कल्याण पर्यवेक्षकों के लिए अलग से कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था किये जाने का औचित्य नहीं है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के विरुद्ध शासन में प्राप्त हुए परिवाद पत्रों पर उक्त मुख्य अभियन्ता की सेवा निवृत्ति के पूर्व कार्यवाही किये जाने की मांग

73–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के विरुद्ध 1-12-88 से 31-12-90 के मध्य शासन में प्राप्त हुए परिवाद पत्रों/समाचार पत्रों पर जो आख्या सिंचाई 10 अनुभाग द्वारा मांगी गयी थी उस पर विभागाध्यक्ष कार्यालय के जांच अनुभाग एवं भ्रष्टाचार निवारण प्रकोष्ठ द्वारा अब तक कोई कार्यवाही सम्पन्न की गयी ? क्या उक्त मुख्य अभियन्ता की सेवा निवृत्ति (दिनांक 31-12-98) से पूर्व दण्डात्मक कार्यवाही का निष्पादन कर दिया जायेगा ? किस प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश करने पड़े ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, सिंचाई अनुभाग–10 के पत्रांक 48एम०एम०/89-27-सिं०–10–24/89, दिनांक 23 फरवरी, 1989 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (जांच) से आख्या मांगी गयी थी । जिसके अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के जांच अनुभाग के पत्रांक 3714/जा०अनु०/2074, दिनांक 5-6-91 द्वारा आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी थी । मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन के पत्रांक 3401/91–27–सिं०–10–24/89, दिनांक 8-4-92 द्वारा प्रकरण समाप्त किया जा चुका है ।

मामले का निस्तारण उपरोक्तानुसार पूर्व में ही किया जा चुका है ।

अवमानना वाद संख्या–437(सी) आफ 1998–सुषमा देवी बनाम वाई०एन० श्रीवास्तव में दिनांक 20-8-98 को मा० उच्च न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, लखनऊ के माध्यम से गिरफ्तारी का अधिपत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों की अर्हकारी सेवा सम्बन्धी वार्षिक प्रमाण-पत्र दिये जाने की मांग

74–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में शासनादेश संख्या : जी–1–789/दस–534(20)–82, दिनांक 8-6-1982 का अनुपालन करते हुए किन-किन कर्मचारियों को अर्हकारी सेवा सम्बन्धी वार्षिक प्रमाण-पत्र दिया जाना अवशेष है ? क्या इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनों पर अन्तिम कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में राजपत्रित अधिकारी/अनुसचिवीय अधिष्ठान/ड्राइंग/सांख्यिकीय/वाहन चालक तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों की अर्हकारी सेवा सम्बन्धी वार्षिक प्रमाण-मत्र दिया जाना शेष नहीं है ।

इस सम्बन्ध में अनुसचिवीय अधिष्ठान संघ कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा पत्र लिखा गया था, जिस पर कार्यवाही कर ली गयी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुबेहा जनपद बाराबंकी में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत डाक्टरों, कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने की मांग

75–श्री राजेश कुमार सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुबेहा जनपद बाराबंकी में ऐसे कितने डाक्टर एवं कर्मचारी हैं जो विगत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी डाक्टरों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद बाराबंकी के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुबेहा जनपद बाराबंकी में डा० जे०पी० मिश्र, चिकित्साधिकारी, विगत 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं । अगले स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण के लिए विचार किया

जायेगा । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुबेहा जनपद बाराबंकी में श्रीमती दमयन्ती यादव, कार्यकर्ता (महिला) विगत पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं । शासन द्वारा घोषित सामान्य स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत कार्यकर्ता (महिला) के 15 प्रतिशत स्थानान्तरण इसी सत्र में किये गये हैं । 15 प्रतिशत में श्रीमती दमयन्ती यादव का नाम नहीं आया था । स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) का संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग है और इस पद के नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी हैं, जिनके द्वारा नियमानुसार एवं स्थानान्तरण नीति के अनुसार जनपद के अन्दर ही स्थानान्तरण किया जाता है । अतः जनपद के बाहर के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

मेजर डा० कृष्णनाथ गुप्ता, चिकित्साधिकारी शाहगढ़, सुल्तानपुर की सैन्य सेवाओं को जोड़कर वरिष्ठता निर्धारण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

76–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेजर डा० कृष्णनाथ गुप्ता, चिकित्साधिकारी, शाहगढ़, सुल्तानपुर की सैन्य सेवाओं को जोड़कर वरिष्ठता का निर्धारण करने विषयक प्रश्नकर्ता का मा० मंत्री जी को सम्बोधित पत्र जिसे मा० मंत्री जी के कार्यालय से पत्रांक संख्या–752वी०आई०पी०, दिनांक 15-3-98 को प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को भेजा गया है, में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

डा० मेजर कृष्णनाथ गुप्ता, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहगढ़, सुल्तानपुर की सैन्य सेवाओं को जोड़कर वरिष्ठता निर्धारण के मामले में विचार किया गया और विचारोपरान्त यह पाया गया कि डा० गुप्ता ने दिनांक 2-1-84 से 31-8-92 तक सेना में सेवा की है जो संकटकाल की अवधि नहीं है । अतः डा० गुप्ता को कार्यालय ज्ञाप संख्या–39-3-1966–नियुक्ति–4, दिनांक 2-5-73 के आधार पर सैन्य सेवा का लाभ ज्येष्ठता निर्धारण हेतु अनुमन्य नहीं है । तद्नुसार शासकीय पत्र संख्या–5504/चि०–3–98–1968/97, दिनांक 27-11-98 द्वारा निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र० लखनऊ को सूचित किया जा चुका है ।

जनस्वास्थ्य रक्षक कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का महानिदेशक परिवार कल्याण विभाग, उ० प्र० को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

77–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-11-97 को जनस्वास्थ्य रक्षक कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कोई मांग-पत्र महानिदेशक परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को दिया गया था ? यदि हां, तो वह मांग-पत्र क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

78–श्री अम्बरीष कुमार–

[1ले शुक्रवार को अता० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली के मण्डलीय उप निदेशक के आवास पर लगे टेलीफोन तथा उस पर व्यय होने वाले धन का उक्त अधिकारी की तनख्वाह से वसूली किये जाने की मांग

79–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलों में तैनात निदेशकों के आवास पर टेलीफोन सुविधा अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो क्या बरेली के मण्डलीय उपनिदेशक के आवास पर लगे टेलीफोन तथा उस पर होने वाले धन का व्यय नियमानुसार है ? उक्त टेलीफोन पर अब तक कितनी धनराशि वर्ष 1996-97 व 1997-98 में व्यय की जा चुकी है ? क्या सरकार उक्त अधिकारी की तनख्वाह से धन की वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायतित योजना है, के प्रशासनिक व्यय में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से योजना के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु टेलीफोन की सुविधा प्रदान किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना प्रतिबन्धित नहीं है । वर्ष 1996-97 में रु० 15,000 एवं वर्ष 1997-98 में रु० 7,606 मात्र की धनराशि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रशासनिक व्यय में उपलब्ध धनराशि से खर्च की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत मद से टेलीफोन के व्यय पर कोई प्रतिबन्ध न होने के कारण ।

निदेशक, समाज कल्याण उ०प्र०, लखनऊ द्वारा निदेशालय में एअर कन्डीशनर लगाने हेतु शासन द्वारा धनराशि दिये जाने के कारणों की जानकारी

80–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ ने निदेशालय में एअरकन्डीशनर लगाने के लिये शासन ने धनराशि दी है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि दी है ? यदि नहीं, तो क्या निदेशक ने अपनी मर्जी से निदेशालय में विभागीय पैसों से एअरकन्डीशनर लगाये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

सयंत्रवार शासन द्वारा प्रश्नगत मद हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1995 के पूर्व विभागीय बजट से तथा वर्ष 1995 एवं उसके बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किये जाने के पश्चात् उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक व्यय की धनराशि में से एअरकन्डीशनर क्रय किये गये हैं ।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गाड़ियों के क्रय तथा वेतन भत्ते के भुगतान के अतिरिक्त अन्य मद में धनराशि व्यय करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है एवं वित्तीय बजट से कार्य व संयंत्रों की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए एअर कन्डीशनर लगाये गये हैं ।

निदेशक समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की धनराशि में से निदेशालय की साज-सज्जा आदि हेतु विभिन्न मदों पर खर्च किये जाने की जानकारी

81–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की धनराशि में से निदेशालय की साज-सज्जा तथा गाड़ियों के किराये पर कितनी धनराशि निर्धारित थी ? यह धनराशि किन-किन मदों पर खर्च करने की थी तथा किन-किन मदों पर खर्च की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक मद की धनराशि के व्यय हेतु कोई विशिष्ट मद निर्धारित नहीं थी । मात्र वाहनों के क्रय एवं वेतन भत्ते के भुगतान पर रोक है ।

केवल गाड़ियों के क्रय तथा वेतन भत्ते के भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य विशिष्ट मद पर व्यय हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रशासनिक मद हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के मार्च, 98 तक तैयार कराई गई बैलेन्स शीट के आधार पर निम्नवत् धनराशि व्यय हुई है :–

1—प्रिन्टिंग, स्टेशनरी	2,42,436.00
2—विविध व्यय	86,194.50
3—न्यूज पेपर आदि	3,534.75
4—प्रचार प्रसार	7,86,330.40
5—मानदेय	1,02,900.00
6—टेलीफोन	1,52,177.00
7—पी०ओ०एल०	2,18,001.45
8—मशीनरी मेन्टेनेंस	52,824.00
9—परिसम्पत्ति मद	
फर्नीचर एवं फिक्शर	5,41,403.00
मशीनरी	11,88,587.00
बैंक चार्जेज	60.00

जनपद हरदोई में मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के सोनहार ग्राम के पास टूटे पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

82–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के सोनहार ग्राम के पास पुल टूट गया है एवं दो वर्षों से रास्ता बन्द है तथा हरदोई से कुरसठ तक संचालित राजकीय

बसों का आवागमन भी बन्द है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । सोनहार ड्रेन पर कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा सोडिक लैण्ड रिक्लयेमेशन प्रोजेक्ट फेज–2 के अन्तर्गत विश्व बैंक से पोषित धन से कराया जाना प्रस्तावित है । उक्त ड्रेन के कार्य उक्त फेज के प्रथम वर्ष के लिये (जो सम्भवतः अप्रैल, 99 से प्रारम्भ कराये जायेंगे) चयनित है । उक्त ड्रेन के सुधार कार्यों के साथ-साथ टूटे पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण कार्य का प्रस्ताव सिंचाई खण्ड–2 उन्नाव द्वारा स्वीकृत हेतु भूमि सुधार निगम को भेजा गया है । भूमि सुधार निगम द्वारा स्वीकृतोपरान्त इस खण्ड द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में समूह ''ग'' एवं ''घ'' के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी किये जाने की मांग

83–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र सं०–सअ–2787/97/27–सिं–8, दिनांक 13–8–1997 के अनुसार प्रमुख सचिव, सिंचाई की अध्यक्षता में हुई दिनांक 12–8–97 की बैठक में समूह ''ग'' एवं ''घ'' के क्रमशः 3386 तथा 3416 पद समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के पद रिक्त पाये गये थे तथा 1000 पद नलकूप चालकों के रिक्त पदों को भरने हेतु शासन ने विभाग से प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव भेजकर अनुमति प्राप्त कर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । किन्तु मा० उच्च/उच्चतम न्यायालय के पारित आदेशों के संदर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को बाहर से सीधी भर्ती द्वारा भरना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

84–श्री अजय भट्ट–

[3 सरे बुधवार के लिये स्थगित]

सिंचाई विभाग में अवशेष अनुसूचित जाति/जनजाति के आशुलिपिकों के पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी किये जाने की मांग

85–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में 661 खण्डीय आशुलिपिकों के विरुद्ध मात्र 50 अनुसूचित जाति/जनजाति के आशुलिपिक ही कार्यरत हैं ? क्या 102 अवशेष अनु०जा०/ज० जा० के आशुलिपिकों के पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्तमान में सिंचाई विभाग में 661 नहीं वरन 655 खण्डीय आशुलिपिकों के विरुद्ध 39 अनुसूचित जाति/जनजाति के आशुलिपिक कार्यरत हैं । वर्तमान में 61 रिक्त पदों के विरुद्ध 38 पदों पर अनुसूचित

जाति/जनजाति के आशुलिपिकों के पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति माह अगस्त, 1998 में जारी कर दी गई है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता (भू०वि०प्र०) सिंचाई विभाग को सम्बोधित शासन के पत्रांक द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं विषयक प्रकरण पर कार्यवाही की मांग

86–श्री राम नक्षत्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता (भू०वि०प्र०), सिंचाई विभाग को सम्बोधित शासन के पत्रांक 16 लो०शि०/96–27–सिं–प्र०/47/96 दिनांक 9–5–1996 द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से संबंधित जो प्रकरण प्रेषित किया गया था उस पर अब तक विभाग एवं शासन स्तर पर क्या निर्णय लिया गया ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है, तो उस पर असाधारण विलम्ब के लिये उत्तरदायी लोक सेवकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासन द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 9–5–96 के आधार पर जांच की कार्यवाही की जा रही है।

जांचोपरान्त समुचित निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ खण्ड शारदा नहर के एक पूर्व सिग्नलर एवं एक अनुरेखक द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के प्रकरण पर जांच की मांग

87–श्री राम नक्षत्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर के एक पूर्व सिग्नलर एवं एक अनुरेखक द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर क्रमशः जन्म तिथि बदलने एवं नौकरी प्राप्त करने का प्रकरण संज्ञान में आने पर वर्ष 1991 में तत्कालीन मंत्री जी द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे ? क्या यह सही है कि उस प्रकरण की जांच अब तक लम्बित होने पर पुनः उनके द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में अद्यावधिक जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। कार्यवाही में विलम्ब हुआ है। विलम्ब के कारणों का परीक्षण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिकों के पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने विषयक मा० मुख्य मंत्री के निर्देश पर कार्यवाही किये जाने की मांग

88–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० चिकित्सा विभाग के अधीनस्थ कार्यरत आशुलिपिकों को 1–1–1998 से शासनादेश के अनुरूप स्वीकृत वेतनमानों को लागू करने विषयक मा० मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 15–4–98 को दिये गये निर्देश पर कार्यवाही पूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

शासनादेश संख्या 154–एम०–सेक–4/पांच–जी–63/93, दिनांक 27 दिसम्बर, 1997 के द्वारा मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के आधार पर चिकित्सा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों के वेतनमान पुनरीक्षित किये गये थे। तद्नुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आदेश सं०

4फ/ए/आशुलिपिक/पु०वे०/98/7473 दिनांक 19-6-1998 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालय के आशुलिपिकों को आरक्षण नियमों का पालन करते हुये वरिष्ठता के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

एस०जी०पी०जी०आई० अस्पताल लखनऊ में कार्यरत श्री राम दुलारे के विरुद्ध शिक्षा, योग्यता आदि के फर्जी प्रमाण-पत्र दिये जाने के बारे में कार्यवाही किये जाने की मांग

89–श्री इन्द्रजीत सरोज–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम दुलारे पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद एस०जी०पी०जी०आई० अस्पताल लखनऊ में दिनांक 12-4-1996 से लगातार डाक (रनर) के पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या श्री राम दुलारे भर्ती हेतु वास्तविक शिक्षा योग्यता एवं जन्मतिथि प्रमाण-पत्र छिपाकर जाली शिक्षा योग्यता एवं जन्मतिथि प्रमाण-पत्र बनवाकर भर्ती हुये थे ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच हेतु मा० सदस्य, विधान सभा श्री ज्ञानेन्द्र सिंह का पत्र दिनांक 17-9-98 मा० स्वास्थ्य मंत्री को, मा० सदस्य, विधान सभा श्री राम पाल सिंह, का पत्र दिनांक 22-9-98 मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री को एवं मा० सदस्य श्री पंकज का पत्र दिनांक 27-10-98 फैक्स निदेशक, एस०जी०पी०जी० आई० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक प्राप्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी जांच में दोषी पाये जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां।

डाक रनर का यह पद 3-1-97 से पदनाम अटेण्डेण्ट ग्रेड II में परिवर्तित कर दिया गया है।

श्री राम दुलारे को उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र जो श्रमिक जूनियर हाई स्कूल, आलमनगर, लखनऊ द्वारा निर्गत है, के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र बहुत खोजबीन करने पर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

शिकायती-पत्र उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

संदर्भित प्रश्न के आधार पर प्राप्त जानकारी के आधार पर छानबीन कराकर उचित कार्यवाही की जायेगी।

इलाहाबाद नलकूप मण्डल तृतीय एवं निर्माण खण्ड में काम करने वाले ठेकेदार श्री रमेश चन्द्र मिश्रा का भुगतान किये जाने की मांग

90–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नलकूप मण्डल प्रखण्ड तृतीय एवं निर्माण खण्ड में काम करने वाले ठेकेदारों का काम निष्पादित करने के बाद भी वर्षों तक भुगतान लम्बित है ? यदि हां, तो उसका भुगतान कब किया जायेगा ? क्या श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, ठेकेदार का सन् 1991 से 98 तक का भुगतान जो दो लाख तैतीस हजार उनसठ रुपया का है, का अभी तक नहीं हुआ है ? क्या उक्त का भुगतान करने एवं जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नियमानुसार देय लम्बित देयों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश मुख्य अभियन्ता नलकूप वाराणसी को दे दिये गये हैं ।

*श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, ठेकेदार का कथित खण्डों में रु० 2,28,644.00 मात्र का भुगतान दिनांक 1-4-98 को अवशेष था, उक्त के सापेक्ष रु० 78,382.00 मात्र का भुगतान किया जा चुका है । अवशेष धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

अवशेष भुगतान की कार्यवाही की जा रही है तथा भुगतान में विलम्ब के कारणों की जांच भी कराई जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में हैदरगढ़ के राजापुर रजबहा में पानी न आने की शिकायत पर कार्यवाही की मांग

91–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में दिनांक 9-8-98 को सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में शा० सं० खण्ड हैदरगढ़ के राजापुर रजबहा में पानी न आने की शिकायत पर प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायत करने के पश्चात् कुछ अधिकारियों को प्रश्नकर्ता के साथ भेजकर मौका मुआवना कराया गया था ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता की कोई जांच आख्या (प्रतिवेदन) 19 अगस्त, 98 को प्राप्त हुई है ? क्या मौके पर गये अधिकारियों ने भी कोई जांच आख्या भेजी है ? यदि हां, तो समय से पानी न पहुंचने के लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा नहर में समय से पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया । कोई दोषी नहीं है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

92–श्री अजय कुमार पोइया–

[1ले गुरुवार में अता० प्र० सं० 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

93– श्री अक्षयवर लाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ० प्र० की अनुसूचित जाति गोंड की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में प्रान्तीय महामंत्री श्री राम लगन गोंड के पत्र पर कार्यवाही की मांग

94–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० की अनुसूचित जाति गोंड की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में श्री राम लगन गोंड, प्रान्तीय महामंत्री, अखिल भारत वर्षीय गोंड

महासभा उ० प्र० का पत्र सं०-185/98. दिनांक 2 जुलाई, 1998 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां ।

परीक्षणोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि इस विभाग द्वारा नियमानुसार कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील अकबरपुर के पंचायत सस्पना को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन एवं व्यय आदि के विवरण की जानकारी

95–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के पंचायत सस्पना को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995 से अब तक कितना धन प्राप्त हुआ है और उक्त मद से कब-कब कितना-कितना धन ग्राम प्रधान द्वारा बैंक खाते से निकाला गया और कब-कब किस-किस कार्य में वह व्यय किया गया ? क्या उक्त कार्यों का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सस्पना को वर्ष 1995-96 से अब तक कुल रु० 2,10,807.80 (रु० दो लाख दस हजार आठ सौ सात रुपया अस्सी पैसा मात्र) की धनराशि प्राप्त हुई है ।

ग्राम प्रधान द्वारा उक्त मद में तिथिवार तथा व्यय की स्थिति संलग्न है । †

जी हां । सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अकबरपुर द्वारा कार्यों का सत्यापन किया गया है ।

दिनांक 4-11-1998 को सत्यापन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हैदलपुर, हैबतपुर, बैन आदि में जवाहर रोजगार योजना का धन ग्राम प्रधानों द्वारा हड़पे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

96–श्री भोलाशंकर मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हैदलपुर, हैबतपुर, बैन, अम्बियापुर, रिसौली तथा सिरतौल में जवाहर रोजगार योजना एवं विकास निधि की धनराशि ग्राम प्रधानों द्वारा हड़प कर लिए जाने के सम्बन्ध में क्या पंचायती राज मंत्री द्वारा जिलाधिकारी बदायूं को मई, 1998 में कोई कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं तथा दोषी ग्राम प्रधानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गयी ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग एवं सहायक अभियन्ता, डी०आर०डी०ए० तथा जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से करायी गयी जिसमें निम्न प्रकार ग्राम प्रधानों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग पाया गया :–

ग्राम पंचायत का नाम	दुरुपयोग की गयी धनराशि (रु० में)
1–सिरतौल	85,229.00
2–हैबतपुर	625.00
3–रिसौली	1,652.00
4–बैन	37.00
5–हैदलपुर	92.00
6–अम्बियापुर	3,992.00

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को उक्त दुरुपयोग की गयी धनराशि को ग्राम पंचायत कोष में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा जमा न करने की स्थिति में एफ०आई०आर० दर्ज कराने हेतु भी खण्ड विकास अधिकारी, अम्बियापुर को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक, समाज कल्याण उ० प्र० लखनऊ द्वारा एयरकन्डीशनर गाड़ियों हेतु अनियमित ढंग से किये गये भुगतान (किराया) के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

97–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, समाज कल्याण उ० प्र० लखनऊ ने वर्ष 1997-98 में एयरकन्डीशनर गाड़ियों का कितना किराया भुगतान किया ? क्या यह किराया भुगतान शासन से स्वीकृति लेने के उपरान्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

वर्ष 1997-98 में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किसी एयरकन्डीशनर गाड़ी के किराये का भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

98–श्री छोटे लाल गंगवार–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शासन द्वारा 1992 डिमांस्ट्रेटर को मेडिकल आफिसर के पद पर समायोजन के लिए मांगे गये विकल्प के सम्बन्ध में जानकारी

99–श्री राम प्यारे सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा 1992 में डिमांस्ट्रेटर को मेडिकल आफिसर के पद पर समायोजन के लिए विकल्प पत्र मांगा गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डिमांस्ट्रेटर पद का नाम परिवर्तन कर लेक्चरर करने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

100–श्री राम प्यारे सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 दिसम्बर, 1997 को आयुर्वेदिक शिक्षकों के अधिवेशन में मा० मंत्री जी द्वारा डिमांस्ट्रेटर पद का नाम परिवर्तन कर लेक्चरर करने को कहा गया था ? क्या सरकार उनको सी०सी०आई०एम० के नाम के अनुसार लेक्चरर पद नाम परिवर्तित कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु मानक एवं जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी

101–श्री राजधारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु मानक क्या है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत जन सामान्य को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं ? वर्ष 1997-98 में स्वास्थ्य विभाग को आवंटित कुल धनराशि का कितना प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य पर व्यय किया गया ? क्या उक्त धनराशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु मैदानी क्षेत्र में प्रति 30,000 जनसंख्या तथा पर्वतीय क्षेत्र में 20,000 जनसंख्या तथा 8 कि०मी० की परिधि में कोई अन्य चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध न होने का मानक है । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा, मातृ शिशु कल्याण, जनस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाती है, परिवार कल्याण क्यों और कैसे के विषय में भी जन साधारण को जानकारी दी जाती है और इस सम्बन्ध में उपलब्ध विधियों को भी निःशुल्क जन साधारण को उपलब्ध कराया जाता है ।

वर्ष 1997-98 में स्वास्थ्य विभाग को आवंटित कुल धनराशि का 50.66 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य पर व्यय किया गया ।

राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी

102–श्री राजधारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में प्राथमिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु विश्व बैंक से क्या कोई ऋण अथवा अनुदान प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो उपर्युक्त ऋण किन-किन शर्तों पर प्राप्त किया गया ? क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए एवं समय के भीतर कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

रायबरेली रोड में सुभानी खेड़ा, मोहारी बाग, नटखेड़ा, राजीव नगर तथा धुसियाना को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग

103–श्री अफजाल अहमद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली रोड में सुभानी खेड़ा, मोहारी बाग, नटखेड़ा, राजीव नगर तथा धुसियाना को जोड़ने हेतु कोई सम्पर्क मार्ग न होने के कारण बरसात में उक्त आबादी में रहने वाले लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है ? क्या उक्त सड़क जिसकी स्वीकृति लम्बाई 1.5 कि०मी० है, का शिलान्यास नगर प्रमुख द्वारा दिनांक 7-3-97 को किया गया था ? क्या उक्त सड़क का 150 मीटर लेपन स्तर तक निर्माण कर शेष कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में उक्त 1.5 कि०मी० स्वीकृत सड़क का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण ।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाबटमऊ बिराइच मऊ, मटिया मऊ आदि में ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था किये जाने की मांग

104–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत, बाबट मऊ, बिराइच मऊ, मटिया मऊ, सराय उर्द, देरवा कुल्ली, राधौपुर, ठठिया नारायण मऊ, सुआपुर नई बस्ती में सिंचाई सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय ट्यूबवेल लगाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जनपद योजना के अन्तर्गत नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण का प्राविधान न होने के कारण नवीन नलकूपों का निर्माण किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड चौबेपुर की ग्राम पंचायत पेम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

105–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात में विकास खण्ड चौबेपुर की ग्राम पंचायत पेम की आबादी लगभग पांच हजार होते हुए भी वहां कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्राम पंचायत पेम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है ।

एन० सी० चतुर्वेदी मूक बधिर विद्यालय एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय ऐशबाग, लखनऊ को अधिग्रहण सम्बन्धी संयुक्त सचिव श्री चक्रपाणि के पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

106–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि एन०सी० चतुर्वेदी मूक बधिर विद्यालय एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय ऐशबाग, लखनऊ को अधिग्रहण सम्बन्धी संयुक्त सचिव श्री चक्रपाणि का अर्द्ध शा० पत्र संख्या–290/65-1-97 विकलांग कल्याण अनुभाग–1 उ० प्र० शासन दिनांक 23-4-97 जो कि निदेशक, विकलांग कल्याण को सम्बोधित था तथा जिसमें अधिग्रहण सम्बन्धी आख्या प्रस्तुत करनी थी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या आख्या प्रस्तुत की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त पत्रावली गायब कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां । उक्त पत्र निदेशक, विकलांग कल्याण को भेजा गया है ।

जी हां ।

लागू नहीं ।

जी नहीं ।

लागू नहीं ।

एन० सी० चतुर्वेदी मूक बधिर विद्यालय एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय ऐशबाग, लखनऊ के अधिग्रहण सम्बन्धी शासन को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

107–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि एन० सी० चतुर्वेदी मूक बधिर विद्यालय एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय ऐशबाग, लखनऊ के भ्रष्टाचार के निवारण एवं जनहित में संस्था का अधिग्रहण सम्बन्धी प्रकरण पर कुमारी माया निरंजन, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) लखनऊ द्वारा

शासन को जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गयी तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त विद्यालय को अधिग्रहीत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जांच आख्या माह नवम्बर, 1998 में प्राप्त हुई ।

इस पर सम्यक् रूप से विचार किया गया ।

जी नहीं ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिग्रहीत करने की शासन की नीति नहीं है ।

108–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकरनगर के शिंगवान पट्टी मिझौड़ा ग्राम में चीनी मिल लगाने की मांग

109–श्री राजधारी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के शिंगवान पट्टी मिझौड़ा ग्राम में चीनी मिल लगाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उक्त मिल कब से कार्य प्रारम्भ कर देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय, बहराइच में सामानों की खरीद हेतु जनपद की पंजीकृत फर्मों से निविदायें आमंत्रित किये जाने की मांग

110–डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच में विज्ञान संबंधी उपकरणों एवं केमिकल्स उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन सी पंजीकृत फर्में हैं ? जिला चिकित्सालय, बहराइच में इन सामानों की खरीद हेतु वित्तीय वर्ष 1995-96 से अब तक किन-किन फर्मों से निविदायें आमंत्रित की जाती रही है ? क्या यह सत्य है कि जनपद की पंजीकृत फर्मों से निविदायें आमंत्रित नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन जनपद की पंजीकृत फर्मों से भी निविदायें आमंत्रित करने हेतु निर्देश जारी करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

विज्ञान संबंधी उपकरणों एवं केमिकल्स क्रय हेतु जनपद स्तर पर फर्में पंजीकृत करने का कोई प्राविधान नियमों में नहीं हैं ।

जिला चिकित्सालय, बहराइच में उक्त सामानों की खरीद हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई ।

जी हां ।

जनपद की फर्मों का कोई विभागीय पंजीकरण नहीं किया जाता है न ही उनसे निविदायें आमंत्रित की जाती हैं ।

जी नहीं ।

जनपद स्तर की पंजीकृत फर्मों से निविदायें आमंत्रित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उक्त सामानों के क्रय हेतु केन्द्रीय औषधि भण्डार, लखनऊ स्तर पर देश की पंजीकृत फर्मों से निविदायें आमंत्रित कर दर अनुबन्ध किया जाता है ।

श्री विजय बहादुर सिंह ग्राम-पूरे बेलखरिया, पोस्ट दुलारी नगर का स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध प्रेषित शिकायती-पत्र की जानकारी

111–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे बुधवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या 41 के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संदर्भित जांच आख्या कब तक प्राप्त हो जायेगी ? क्या इसके लिये किसी तिथि का निर्धारण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सन्दर्भित जांच आख्या अभी अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद से प्राप्त नहीं हुई है । 20-2-1999 तक जांच पूर्ण कर शासन को जांच आख्या प्रेषित करने हेतु अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निदेशित किया गया है ।

112–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिलाधिकारी/अध्यक्ष दि किसान सह० चीनी मिल्स लि० घोसी/आसवनी इकाई घोसी द्वारा प्रबन्ध निदेशक सहकारी चीनी मिल्स का प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र निर्माणकाल में फेल होने की सूचना पर कार्यवाही की मांग

113–श्री समरपाल सिंह–

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ के जिलाधिकारी/अध्यक्ष दि किसान सह० चीनी मिल्स लि० घोसी/आसवनी इकाई घोसी ने क्या 19-3-97 को प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० उ० प्र० को फैक्स भेजकर मिल के प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के निर्माणाकाल से ही फेल हो जाने की जानकारी दी थी ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 19-3-97 को नहीं वरन् दिनांक 19-3-1998 को जिला अधिकारी का फैक्स प्राप्त हुआ था जिसमें प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के फेल होने की जानकारी दी गयी थी ।

उक्त प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के सप्लायर की रु० 14.30 लाख की बैंक गारन्टी इन्वोक कर जब्त कर ली गयी तथा प्लांट को ठीक कराने हेतु कार्यवाही प्रचलित है ।

जनपद अम्बेडकरनगर में ब्लाक टाण्डा में इन्दिरा आवास योजना व निर्बल वर्ग आवास योजना में व्यय की गई धनराशि की जानकारी

114–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में "इन्दिरा आवास योजना" "ब" निर्बल वर्ग "आवास योजना" हेतु शासन द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में कितनी धनराशि व्यय की गयी है तथा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत ब्लाक टाण्डा में उक्त तीन वर्षों में कुल कितने आवास बनाये गये हैं तथा किन-किन को आवंटित किये गये हैं ? क्या यह

सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण न कराकर धन का गबन कर लिया गया है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ब्लाक टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर में इन्दिरा आवास योजना व निर्बल वर्ग आवास योजना में आलोच्य वर्षों में निम्नवत राशि व्यय की गयी है :–

इन्दिरा आवास योजना :

वर्ष	राशि (रु० में)
1995-96	30,45,000.00
1996-97	42,96,500.00
1997-98	1,09,37,500.00
योग:–	1,82,79,000.00

निर्बल वर्ग आवास योजना :

वर्ष	राशि (रु० में)
1995-96	2,67,250.00
1996-97	6,67,500.00
1997-98	5,33,000.00
योग:–	14,67,750.00

ब्लाक टाण्डा में उक्त तीन वर्षों में बनाये गये आवासों की संख्या निम्नवत है :

इन्दिरा आवास योजना :

वर्ष	संख्या
1995-96	280
1996-97	264
1997-98	588
योग:–	1132

निर्बल वर्ग आवास योजना :

वर्ष	संख्या
1995-96	32
1996-97	36
1997-98	30
योग:–	98

लाभार्थियों की सूची संलग्न है । †

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

[1ले शुक्रवार में अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में अपंग एवं विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की मांग

116–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपंग एवं विकलांग को रोजगार मुहैया कराने के लिये कोई ठोस कार्यक्रम घोषित कर सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां ।

विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उन्हें दुकान निर्माण के निमित्त साधारण ब्याज पर ऋण तथा अनुदान दिये जाने एवं राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की रोजगार परक योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यूनीसेफ के सहयोग से जनपद हरदोई में संचालित सी० सी० ए० योजना का लाभ विस्तृत रूप से दिये जाने की मांग

117–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद हरदोई में सी० सी० ए० परियोजना का लाभ केवल अम्बेडकर ग्रामों तक ही सीमित है ? क्या यूनीसेफ के सहयोग से संचालित योजना के अन्तर्गत ग्रामवासियों को विकास एवं योजनाओं संबंधी जानकारियां देने हेतु प्रत्येक ग्राम में सूचना केन्द्र बनायें जाने पर बल दिया गया है ? क्या सरकार योजना को और विस्तृत रूप देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यूनीसेफ के सहयोग से जनपद हरदोई में संचालित सी० सी० ए० परियोजना एक प्रयोगात्मक रणनीति के आधार पर जनपद के 16 अम्बेडकर/गांधी ग्रामों में संचालित की जा रही है ।

जी नहीं । यूनीसेफ द्वारा सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिये न तो कोई धनराशि उपलब्ध करायी गयी है और न ही सूचना केन्द्र स्थापित करने की उनकी कोई योजना है ।

योजना शत-प्रतिशत यूनीसेफ द्वारा वित्त पोषित है अतएव योजना को विस्तृत रूप दिया जाना यूनीसेफ पर ही निर्भर है ।

---

† छापी नही गई ।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैड़ास बुजुर्ग में पिरैला से नन्दौरी मार्ग के निर्माण की जांच किये जाने की मांग

118–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर (पूर्व जनपद गोण्डा) के विकास खण्ड गैंड़ासबुजुर्ग में ग्राम पिरैला से नन्दौरी ग्राम तक वर्ष 1994-95 व 1995-96 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण करवाया गया है ? उक्त वर्षों में इस मार्ग पर कितना धन स्वीकृत हुआ था ? कितना धन निर्माण पर व्यय किया गया ? क्या पुनः पिरैला से नन्दौरी मार्ग पर निर्माण कार्य 1996-97 में कराया गया है ? क्या निर्माण कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थल निरीक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ? निरीक्षणोपरान्त पाये जाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । वर्ष 1996-97 में उक्त मार्ग का निर्माण प्रथम बार कराया गया है ।

जी हां । निर्माण कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है । विभाग द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण किया गया है । अतः पुनः स्थल निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी उ० प्र० द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एड्स की रोकथाम के प्रचार-प्रसार हेतु लगाये गये होर्डिंग (बोर्ड) का फर्जी भुगतान के जांच की मांग

119–श्री राम औतार शाक्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य एड्स नियंत्रण केन्द्र, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा एड्स की रोकथाम के प्रचार-प्रसार एवं मलेरिया रोकथाम एवं बचाव, डेंगू से बचाव हेतु वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 से वर्षवार कितने बोर्ड प्रदेश में लगाये गये हैं ? क्या उसको लगाने हेतु विज्ञापन दिया गया है ? क्या यह सही है कि मेसर्स एवरेस्ट ट्रेडर्स निशातगंज, लखनऊ की फर्म को ही विज्ञापन एवं बोर्ड लगाने का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि बिना बोर्ड लगाये ही फर्जी पेमेंट किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सतर्कता विभाग से कराने और फर्म का लाइसेंस निरस्त करते हुये किये गये घपले की वसूली फर्म मालिक से करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एड्स की रोकथाम के प्रचार-प्रसार हेतु वर्ष 1995-96 में 25, वर्ष 1996-97 में 240 तथा वर्ष 1997-98 में 184 होर्डिंग (बोर्ड) प्रदेश में लगवाये गये हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में विधान सभा क्षेत्र भोगांव के अन्तर्गत इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु धन आवंटित किये जाने की मांग

120–श्री रामऔतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–5 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–वी०आई०पी०–446/38-5-98–200(36)/97, दिनांक 24-1-98 व अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–वी०आई०पी०–329/38-5-97–200(36)/97, दिनांक 28 जुलाई, 1997 व अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–वी०आई०पी०–155/38-5-98–200(36)/97, दिनांक 19-5-98 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में लगाये जाने के क्रम में अब तक कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम्य विकास विभाग से पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु पर्याप्त इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प जल निगम द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में लगवाने हेतु धन आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

संदर्भित पत्रों में निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में क्रमशः 150, 13 तथा 200 हैण्डपम्प लगाये जाने का उल्लेख था । विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भोगांव के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों के क्षेत्र में वर्ष 97–98 में 299 तथा वर्ष 98–99 में जनवरी तक 217 हैण्डपम्प लगाये गये हैं । इसके अतिरिक्त विधायक कोटे के हैण्डपम्प भी अधिष्ठापित किये जा चुके हैं ।

जी नहीं । वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र भोगांव इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर पेयजल से पूर्ण रूपेण मानक के अनुसार संतृप्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थिति ऊपर अंकित है ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

121–[1ले मंगलवार में अता० प्र० सं० 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री मुन्ना लाल सिंह अध्यक्ष प्रधान संघ विकास खण्ड–नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की मांग

122–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे बुधवार के अता० प्रश्न संख्या–74 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुन्ना लाल सिंह, अध्यक्ष प्रधान संघ विकास खण्ड नरायनपुर, जनपद–मिर्जापुर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-9-97, जो सिंचाई मंत्री के पत्रांक 1341सी/एम० आई०सी०/97 दिनांक 29-9-97 द्वारा मुख्य अभियन्ता सोन, वाराणसी को प्रेषित है, में उल्लिखित कार्यों के प्राकलन को वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो प्रश्नगत कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उल्लिखित कार्यों की योजना तैयार कर ली गई है । लेकिन प्रदेश की विषम अर्थोपाय स्थिति को दृष्टिगत धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य कराये जाने सम्भव हो सकेंगे ।

महिला कल्याण निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का पिछड़ी व अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

123–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण निदेशालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों में पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा वर्तमान समय में पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा आरक्षित कोटा पूर्ण करने हेतु कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी नहीं ।

वर्ष 1989 में महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के गठन के समय अराजपत्रित पदों पर आरक्षण का कोटा पूर्ण था । राजपत्रित संवर्ग के अन्तर्गत सृजित पदों को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर भरने की व्यवस्था थी फलस्वरूप कोटे को पूर्ण करने का प्रश्न नहीं था । दिसम्बर, 1990 व अगस्त, 1995 में कतिपय योजनायें पदधारकों सहित समाज कल्याण विभाग से महिला कल्याण विभाग में स्थानान्तरित होकर आयी थीं । उन पर नियुक्तियां समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी थीं । अतः महिला कल्याण विभाग द्वारा आरक्षण कोटा पूर्ण कराने का प्रश्न नहीं उठता । रिक्त पदों को भरते समय आरक्षण का ध्यान रखा जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के संस्थानों में विभिन्न पदों को सीधी भर्ती/प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग

124–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा संचालित संस्थानों में अधीक्षक/अधीक्षिकाओं/सहायक अधीक्षकों/प्रोवेशन अधिकारियों के 31-3-98 तक कितने पद रिक्त हैं ? सीधी भर्ती/प्रोन्नति द्वारा पद भरे जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में अधीक्षक/अधीक्षिकाओं/सहायक अधीक्षकों/प्रोवेशन अधिकारियों के 31-3-98 तक रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

	रिक्तियों की संख्या
1–अधीक्षक/अधीक्षिका	18
2–सहायक अधीक्षक	14
3–प्रोवेशन अधिकारी	25

उपर्युक्त पदों की सेवा नियमावली प्रख्यापित करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके बाद नियमानुसार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में सहायक अधीक्षक को अधीक्षक घोषित किये जाने की जानकारी

125–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किशोर न्याय नियमावली, ·1987 के नियम संख्या 2 के उपनियम (आई) के अन्तर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में सहायक अधीक्षक को अधीक्षक घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी नहीं ।

किशोर न्याय नियम सं०–2 के उपनियम (आई) के अन्तर्गत सहायक अधीक्षक को अधीक्षक घोषित करने की व्यवस्था नहीं है ।

वाराणसी के बुनकरों की रेशम समस्या को हल करने के लिए स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंस के अन्तर्गत रेशम आयात किये जाने की मांग

126–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या वस्त्र उद्योग मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी के बुनकरों की रेशम समस्या तथा इससे सीधे जुड़े बनारसी वस्त्र उद्योग व्यापार, रेशम के अभाव में भयंकर संकट में है जिससे व्यापारी तथा लाखों की संख्या में बुनकर चिन्तित हैं ? यदि हां, तो इस उद्योग पर आये संकट तथा रेशम की प्रतिबन्धित सूची से निकाल कर स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति हेतु क्या मंत्री जी कोई प्रयास करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

जी हां ।

दिनांक 10-07-1998 को रेशम की समस्याओं के संबंध में बैठक आहूत की गई थी । निर्णयानुसार उ० प्र० शासन की ओर से भारत सरकार को स्पेशल इम्पोर्ट हेतु अनुरोध किया गया था । भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1998 में आयातित रेशम को स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंस का श्रेणी में रख दिया गया है, स्पेशल इम्पोर्ट लाइसेंस के अधीन अब रेशम के आयात में कोई प्रतिबंध नहीं है और किसी भी व्यक्ति/निकाय द्वारा रेशम का आयात किया जा सकता है वशर्ते कि आयातित रेशम एक न्यूनतम श्रेणी (ग्रेड–11 ए अथवा उसके ऊपर) का हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के ग्राम मझरिया कोरोड़ी मार्ग के पटरी का कार्य करने वाले मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने की मांग

127–श्री अब्दुल कलाम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती के ग्राम मझरिया कोराड़ी मार्ग के कि०मी० नं० 1 व 2 में पटरी बनाने से संबंधित कार्य अप्रैल, 1989 में अनुसूचित जाति के दर्जनों

मजदूरों द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो क्या मजदूरों को पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

मजदूरों को पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 9362.00 का चेक तत्कालीन सहायक अभियन्ता को दिया जा चुका है । मजदूरों को पारिश्रमिक भुगतान किये जाने के संबंध में तत्कालीन सहायक अभियन्ता से पुष्टि नहीं हुई है ।

यदि मजदूरी का भुगतान न किया गया हो तो भुगतान कराने एवं दोषी अधिकारी को दण्डित करने हेतु संबंधित विभाग को लिखा गया है ।

शिल्पकार जाति एवं उसकी उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

128–श्री राजधारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शिल्पकार जाति अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन जनपदों में शिल्पकार को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है ? शिल्पकार के अन्तर्गत कौन-कौन सी उपजातियां आती हैं जिन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र सुलभ है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश'' जी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में ।

केवल शिल्पकार जाति को प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है । शिल्पकार की उपजातियों का उल्लेख अधिसूचना में नहीं है ।

उ० प्र० में अनुसूचित जाति गोंड की उपजातियों एवं उनके मुख्य व्यवसाय के सम्बन्ध में जानकारी

129–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में अनुसूचित जनजाति गोंड की कौन-कौन उपजातियां पायी जाती हैं एवं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश'' जी–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा गोंड जाति के अभिज्ञान हेतु वर्ष 1989 में सामाजिक अध्ययन किया गया, जिसमें गोंड जाति की निम्न उपजातियां बताई गयी हैं :– चगांया, दादवे, देवार, धसेबी, गोंड, गोंड मझवार गोंड, कसूलिया, कोइकोपाल, कोइला, भूताल, कोपाल, कोराम, ओझापाल, पादल, मोसाम, राजगोंड भोटपाल, रघुवल, कोरियाल, कोमल, मडपाल, साहनी भरकाती तथा कोरांव हैं, एवं सामान्य जानकारी के अनुसार कृषि,

कृषि मजदूरी तथा वन उत्पादों का संकलन तथा वनों में मजदूरी आदि इनके व्यवसाय है । अध्ययन रिपोर्ट में मुख्य व्यवसाय इंगित नहीं किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में अधिशासी अभियन्ता मैनपुरी प्रखण्ड निचली गंग नहर मैनपुरी द्वारा किये गये कार्य एवं उसके भौतिक सत्यापन की मांग

130–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में अब तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता मैनपुरी प्रखण्ड निचली गंग नहर मैनपुरी द्वारा जनपद मैनपुरी में क्या-क्या विकास कार्य किये गये और उनकी समीक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये किन-किन अधिकारी द्वारा कब-कब भौतिक सत्यापन एवं वित्तीय सम्प्रेक्षण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में इटावा शाखा के कि०मी० 29.927 तक नहर पटरी को पक्का कराने का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जो वर्ष 1998-99 में भी प्रगति पर है । किये गये कार्य की समीक्षा, गुणवत्ता, भौतिक सत्यापन व वित्तीय सम्प्रेक्षण अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, मुख्य विकास अधिकारी उप जिलाधिकारी, मैनपुरी एवं टी० ए० सी० द्वारा समय-समय पर किया गया ।

जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज में मुख्य विकास अधिकारी को कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

131–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज में दिनांक 19-12-97 को प्रश्नकर्ता ने मुख्य विकास अधिकारी बरेली को सेंथल जादोपुर मार्ग से मुझेल जागीर, जादोपुर मार्ग से ग्राम रतना-नन्दपुर अहरोला तक व ग्राम पंडरी से बरोर तक सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु पत्र दिया था ? क्या दिनांक 29-12-97 के पत्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता (ग्रा० अभि० सेवा) ने अपर जिला अधिकारी (परियोजना) से सम्पर्क मार्गों को बनाने के लिये धन की मांग की है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण करने के लिये धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इन सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये कब तक धन उपलब्ध करा देगी ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-12-97 द्वारा सैथल जादोपुर रोड से ग्राम बुझेना जागीर तक जादोपुर समुदा मार्ग से ग्राम रतना नन्दपुर से ग्राम अहरौला तक सम्पर्क मार्ग तथा ग्राम पंडारी तक बरौर से सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु लिखा गया था ।

जी हां ।

जादोपुर समूहा मार्ग से ग्राम रतना नन्दपुर से ग्राम अहरोला तक मिट्टी कार्य तथा दो पुलिया निर्माण हेतु रु० 3.87 लाख की धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बरेली को अवमुक्त कर दी गई है ।

संबंधित सेक्टर अन्तर्गत धनाभाव के कारण ।

अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता पर धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा ।

रेली के विकास खण्ड नवाबगंज में रिक्त पद पर खण्ड विकास अधिकारी की स्थायी नियुक्ति किये जाने की मांग

32–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज में खण्ड विकास अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब तक उक्त विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी की स्थायी नियुक्ति हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–439/38-1-99–3504/98, दिनांक 28 जनवरी, 1999 द्वारा एक खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती जनपद-बरेली में की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली की नेकपुर चीनी मिल को नगर के बाहर क्रय की गयी भूमि पर स्थानान्तरित किये जाने की मांग

133–मास्टर छोटेलाल गंगवार–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की नेकपुर चीनी मिल को नगर के बाहर स्थापित करने के लिये ग्राम सैदपुर कुर्मियान में सरकार द्वारा भूमि क्रय कर ली गई है ? यदि हां, तो सरकार नेकपुर चीनी मिल को कब तक स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नेकपुर चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों व श्रमिकों को अन्य चीनी मिलों में रोजगार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम को वी० आई० एफ० आर० द्वारा सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 21-8-95 को एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित किया जा चुका है और इसकी 18 इकाईयों के निजीकरण का निर्देश दिया गया है । निजीकरण के लिए प्रस्तावित 18 मिलों में निगम की इकाई बरेली भी सम्मिलित है । अतः वर्णित स्थिति में इस मिल का स्थानान्तरण ग्राम सैदपुर कुर्मियान किया जाना सम्भव नहीं है ।

निगम की अन्य चीनी मिलों में कर्मचारियों के रिक्त स्थान की पूर्ति एवं आवश्यकता के आधार पर 80 कर्मचारियों/श्रमिकों का स्थानान्तरण किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसीन एण्ड रिहैबिलीटेशन लखनऊ में शिक्षकों के पदों पर आरक्षण का कोटा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

134–श्री अब्दुल मन्नान–

विधान सभा तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–90 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिपार्टमेंट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन नदीउल्ला रोड, लखनऊ में शिक्षक के कुल कितने पद सृजित हैं ? क्या इन

पदों पर चयन आरक्षण नियमों के अनुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

डिपार्टमेंट आफफिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन, नवीउल्ला रोड, लखनऊ में शिक्षक के कुल तीन पद सृजित हैं ।

जी हां ।

आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अनेकों गांवों में बाढ़ के निराकरण हेतु रामगंगा नदी, गर्रा नदी आदि नदियों की खुदाई व रख-रखाव किये जाने की मांग

135–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत माधौगंज में गौरैया नदी, सोनहार ड्रेन, नेवादा ड्रेन, रुइया ड्रेन, सहिजना ड्रेन, क्योली ड्रेन, फिरोजपुर ड्रेन, गर्रा नदी, मिठाई ड्रेन, कुरसठ ड्रेन अहवां अलीमदीनपुर ड्रेन तथा हैदर कैनाल में राम गंगा नदी, सुखेता नाला तथा नीलम नदी का पानी वर्षा ऋतु में बहकर आ जाने से हर वर्ष बाढ़ से तमाम गांव जलमग्न हो जाते हैं और इससे खरीफ की पूरी फसल चौपट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या इसके निराकरण हेतु नदियों व ड्रेनों की खोदाई व रख-रखाव का कार्य किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । नसेवी क्षेत्र होने के कारण पंचायत माधोगंज एवं समीपवर्ती गांवों में, वर्षाकाल में, जल भराव की समस्या हो जाती है ।

क्योटी ड्रेन, सोनहार ड्रेन, रूइया ड्रेन एवं मिठाई ड्रेन का कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।

अन्य ड्रेनों का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ से बचाव हेतु ड्रेनों, नदियों की खुदाई किये जाने की मांग

136–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा नदी, कबीरा नदी, हथौरा ड्रेन कुदरौली ड्रेन, लालपुर कन्हरी ड्रेन, हैदर कैनाल, गुजई कैनाल तथा पविमानी ड्रेन में राम गंगा नदी, गर्रा नदी, सुखेता नाला, नीलम नदी का पानी वर्षा ऋतु में बहकर आ जाने से हर वर्ष बाढ़ से तमाम गांव जलमग्न हो जाते हैं तथा खरीफ की फसल चौपट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या इसके निराकरण हेतु नदियों व ड्रेनों की खुदाई व रख-रखाव शासन द्वारा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

हथौरा ड्रेन के सुधार का कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात की ग्राम पंचायत पेम की सरहद पर गंगा नहर की कटी पटरी को चौड़ा कराने की मांग

137–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि कानपुर देहात जनपद की ग्राम पंचायत पेम की सरहद पर गंगा नहर की दाहिनी पटरी ग्राम पंचमापुरवा के पास पूरी तरह से कट चुकी है और यदि इस वर्षा ऋतु से पूर्व ठीक न कराया गया तो पूरी नहर कट जायेगी और आस-पास के ग्राम जलमग्न हो जायेंगे ? क्या सरकार जनहित में उक्त नहर की पटरी को चौड़ा कराने के शीघ्र आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इस स्थान पर निचली गंगा नहर की कानपुर शाखा प्रवाहित होती है । इसकी दाहिनी पटरी तो नहीं वरन बांयी पटरी पशुओं के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो गयी है । जल स्तर के सापेक्ष भू-स्तर को देखते हुये ग्राम के जल मग्न होने की स्थिति नहीं है ।

सामान्य मरम्मत हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा ग्राम बेलवारी, राजपुर, धरवासपुर आदि ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाने विषयक अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० जल निगम मिर्जापुर को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

138–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर का पत्रांक 814/एस०टी०–मु०वि०अ०/97 दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 जिसमें ग्राम बेलवारी राजपुर, धरवासपुर, परमहंशपुरी, बरुइया में 5 हैण्डपम्प प्राथमिकता के आधार पर लगवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (वि०/या०), मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कितने हैण्ड पम्प लगवाये गये और कितने अवशेष हैं ? अवशेष हैण्डपम्पों को कब तक अधिष्ठापित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

बेलवारी, राजपुर, धरवासपुर व बरुइया राजस्व ग्राम है तथा परमहंसपुरी ग्राम धरवासपुर की नयी स्थापित बस्ती है । परमहंसपुर राजीव गांधी मिशन सर्वे में चिन्हित नहीं है । धरवास व बेलवारी के स्थलों से संबंधित बस्तियां संतृप्त हैं । ग्राम राजपुर व बरुइया के स्थलों से संबंधित बस्तियों में संतृप्तीकरण हेतु एक-एक हैण्डपम्प लगाया जाना अवशेष है ।

राजपुर, बरुइया व परमहंसपुर में एक-एक हैण्डपम्प इसी वित्तीय वर्ष में अधिष्ठापित किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के अम्बियापुर खण्ड विकास अधिकारी श्री राम देव सिंह द्वारा इन्दिरा आवास में अनियमिततायें किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बदायूं द्वारा लिखे गये पत्र पर कार्यवाही की मांग

139–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड अम्बियापुर जनपद बदायूं के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदेव सिंह को इन्दिरा आवास में अनियमिततायें बरतने का दोषी पाया गया था और जिलाधिकारी बदायूं ने उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु शासन को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

श्री राम देव सिंह, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये निलम्बन सहित उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । अनुशासनिक कार्यवाही में जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में वित्तीय वर्ष 97–98 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु धनराशि के आवंटन की जानकारी

140–श्री भोलाशंकर मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु जनपद बदायूं को कितनी धनराशि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बदायूं द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं के प्रस्ताव पर वर्ष 1997–98 में आवंटित की गई थी ? उक्त आवंटित धनराशि के व्यय हेतु जो नीति निर्धारित है उसको बदायूं जनपद में कितनी कार्य योजनाओं पर लागू किया गया है तथा कितनी योजनाओं में इसका उल्लंघन किया गया है और इसके लिये कौन व्यक्ति उत्तरदाई है ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बदायूं में वित्तीय वर्ष 1997–98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्न प्रकार धनराशि आवंटित की गई :–

क्र०सं०	मद का नाम	अवमुक्त धनराशि
1	उद्यान, वन, भूसंरक्षण	152.767
2	लघु सिंचाई	74.886
3	सम्पर्क मार्ग	289.381
4	स्कूल भवन/पंचायत भवन	223.701
	योग=	740.735

निर्धारित नीति का समस्त परियोजनाओं पर लागू किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा निदेशालय उ० प्र० लखनऊ में प्रधानाचार्य व अपर निदेशकों में से निदेशक आयुर्वेद यूनानी सेवा के पद पर तैनात न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

141–श्री अफजाल अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ में निदेशक के प्रद पर नियुक्ति प्रधानाचार्य तथा अपर निदेशक के मध्य के पद से किये जाने का प्राविधान सेवा नियमावली में विद्यमान है ? यदि हां, तो वर्तमान में कितने प्रधानाचार्य तथा अपर निदेशक के पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद भरे हुये हैं ? उक्त प्रधानाचार्य व अपर निदेशक के पदों पर कार्यरत कार्मिकों में से कितनों को आरोप पत्र दिया गया है ? इन चार्ज सीटेट कार्मिकों को छोड़ते हुये कार्यरत प्रधानाचार्य व अपर निदेशकों में से निदेशक आयुर्वेद यूनानी सेवा के पद पर तैनात न किये जाने के क्या कारण हैं ? उनकी निदेशक के पद पर तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त–

जी हां ।

वर्तमान में प्रधानाचार्य के 12 पद तथा अपर निदेशक के 2 पद स्वीकृत है, जिनमें से प्रधानाचार्य के 8 पद भरे है तथा अपर निदेशक के 2 पद रिक्त है ।

6 प्रधानाचार्यों को आरोप पत्र दिया गया है ।

शेष दो प्रधानाचार्यों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम 5(1) में वांछित निदेशक के पद का अनुभव नहीं रखते । अतः चयन करना सम्भव नहीं हो पाया ।

अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शारदा खण्ड पीलीभीत को प्रश्नकर्ता का अफसैरहा नदी पर पत्थर की पिचिंग लगाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142–श्री छोटे लाल गंगवार मास्टर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दि० 7-9-98 को अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शारदा खण्ड पीलीभीत को पत्र लिखकर ग्राम अधकरा नजराना में अफसैरहा नदी का कटाव रोकने के लिये पत्थर की पिचिंग लगाने को लिखा है ? यदि हां, तो क्या अफसैरहा नदी के किनारों पर पत्थर की पिचिंग लगा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अफसैरहा नदी के कटान से हुये कृषकों के नुकसान का मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत स्थल के बचाव हेतु टी०ए०सी० की दि० 8-6-98 की बैठक में संस्तुति हो गयी है । प्रस्तावित कार्य धन उपलब्धता पर निर्भर है ।

अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल पंचम बरेली को अफसैरैहा नहर पर खड़ंजा लगाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

143–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दि० 11-8-98 को अधीक्षण अभि० सिंचाई कार्य मण्डल पंचम बरेली को पत्र लिखकर अफसैरैहा नहर के किलोमीटर 17.2 से 17.6 एवं ग्राम खंजनपुर पर पीलीभीत रोड तथा खड़ंजा लगवाने को लिखा है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त नहरों पर खड़ंजा लगा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त खड़ंजा कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हां ।

नहीं ।

अबसरा राजवाहा के कि०मी० 17.2 से 17.6 के मध्य खड़ंजा लगाने का कार्य माह 3/99 तक पूर्ण हो जायेगा एवं ग्राम खंजनपुर को पीलीभीत बरेली मार्ग से जोड़ने का कार्य लो०नि० वि० द्वारा करा दिया गया है ।

जनपद शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता सिंचाई द्वितीय द्वारा नहर विभाग में सिल्ट सफाई कार्य में हुए गबन की जांच की मांग

144–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता सिंचाई द्वितीय ने जनवरी, 1996 से सितम्बर, 1998 तक नहर विभाग में सिल्ट सफाई कहां कहां कब-कब करायी तथा कितना-कितना खर्च किया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उपरोक्त अधिकारी ने अगस्त, 1998 में सिल्ट सफाई दिखाकर लाखों रुपयों का गबन किया है ? क्या सरकार उपरोक्त सहायक अभियन्ता द्वितीय के द्वारा किये गये कार्यों की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सहायक अभियन्ता द्वितीय शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर ने 01/96 से 3/96, 4/97 से 3/98 एवं 4/98 से 9/98 की अवधि में क्रमशः 17, 22, 25 व 4 नहरों में क्रमशः 53.14, 80.95, 112.00 व 52.75 कि०मी० लम्बाई में सिल्ट सफाई का कार्य किया तथा उपरोक्त अवधि में क्रमशः 2.654, 9.14, 16.82 एवं 31.31 लाख रुपया व्यय किया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति का विवरण

145–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद-प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्रों पर निर्धारित संख्या में चिकित्सक नियुक्ति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो कब तक नियुक्तियां की जायेंगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र में एक महिला चिकित्सक, एक दन्त चिकित्सक एवं 12 पुरूष चिकित्सकों के पद रिक्त हैं । महिला चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सक की तैनाती शीघ्र की जा रही है एवं अवशेष बारह पुरूष चिकित्सकों की तैनाती उ० प्र० लोक सेवा आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने पर की जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढिढुयी, ढ़खवा के भवन निर्माण हेतु जिला योजनान्तर्गत प्रस्ताव एवं उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी

146–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढिढुयी, ढखवा के भवन निर्माण हेतु जिला योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 में परिव्यय का प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति हेतु शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-ढ़खवा, जनपद-प्रतापगढ़ के भवन निर्माण हेतु शासनादेश सं० 3800/5–6–98–एस०एन०डी०–01/1998, दिनांक 9-9-1998 द्वारा रु० 32.21 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० 10.31 लाख की धनराशि स्वीकृति कर दी गयी है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-ढिढुयी-जनपद-प्रतापगढ़ के भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना में अनुमोदित नया स्वास्थ्य केन्द्र नारायनपुर ब्लाक मगरौरा का निर्माण कार्य शुरू किये जाने की मांग

147–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ की जिला योजना में वर्ष 1998-99 में अनुमोदित नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरायनपुर ब्लाक मगरौरा का निर्माण कार्य कब तक शुरु कर दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण जिला योजना का भाग है और जिला योजना में परिव्यय एवं आय-व्ययक में प्राविधान की उपलब्धता पर निर्भर करता है । प्रश्नगत केन्द्र के भवन निर्माण हेतु उपर्युक्त व्यवस्था अभी नहीं हो पायी है ।

प्रतापगढ़ में नहर की पटरियों को पक्का करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी

148–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–आ–419015 दिनांक 18-4-98 प्रतापगढ़ में नहर की पटरियों को पक्का करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रमुख सचिव, लो० निर्माण विभाग के अर्ध शासकीय पत्र संख्या–3433ई/23–लो० नि०–11–98 दिनांक 24-6-98 के द्वारा वर्ष 1998-99 में 1000 किमी० लम्बाई में नहर पटरियों को पक्का करने की योजना के अन्तर्गत जनपदवार निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में नहर पटरी पक्का करने के कार्य का कार्यदायी विभाग लोक निर्माण विभाग है । अतः सिंचाई विभाग द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में नहर पटरी पक्का करने का कार्य नहीं किया जाना है ।

जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में जगापुर से विन्नई सड़क के कार्य एवं पुल के कार्य के लिए धन अवमुक्त होने के बाद अधूरे कार्य होने पर जांच की मांग

149–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश की कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी० एस० द्वारा व्यापक पैमाने पर कार्य के ठेके दिये जा रहे हैं जब कि धन अवमुक्त होने के बाद भी कार्य अधूरे हैं ? क्या यह सही है कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में जगापुर से विन्नई सड़क का कार्य अपूर्ण है और धन पुल के नाम से अवमुक्त हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि धन का सही उपयोग हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी० एस०, जल निगम द्वारा ठेके पर कार्य न कराकर राजकीय निर्माण निगम मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य कराया जाता है । यह सही है कि जनपद भदोही की ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में जगापुर से विन्नई सड़क का कार्य अपूर्ण है । धन पुल के नाम से अवमुक्त हुआ था परन्तु डी० आर० डी० ए० की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार उक्त कार्य कराया गया ।

कार्य स्थल प्रश्नकर्ता के ही विधान सभा क्षेत्र में था एवं उनके कहने पर ही डी०आर० डी० ए० की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयानुसार उक्त पुल के स्थान पर जगापुर विन्नई में कार्य कराया गया है, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही के ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड के ओवर फ्लो के कारण टूटे स्थल को पक्का कराये जाने की मांग

150–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड मुख्य स्थान (किछुनी) से लगभग 1 कि०मी० आगे प्रतिवर्ष ओवर फ्लो करती है तथा कई बार टूट भी चुकी है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थल से बोल्डर लगाकर पक्का कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मुख्य नहर 0.00 से 1.800 तक फिलिंग रीच होने के कारण नहर ओवर फ्लो होने की स्थिति में आ जाती है, परन्तु कभी टूटी नहीं है ।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में बन्द पड़े नलकूपों की रिबोरिंग हेतु धन उपलब्ध कराये जाने की मांग

151–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के कितने नलकूप कई वर्षों से बन्द पड़े हैं ? चन्दनपुर दीघ ब्लाक, नागमलपुर सुरियावां ब्लाक, नौवापुर (गणेशराधपुर) ज्ञानपुर ब्लाक को रिबोरिंग हेतु धन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर में स्थित राजकीय नलकूप संख्या–238 भदोही समूह तथा ग्राम चन्दापुर में स्थित नलकूप सं०–119 भदोही समूह असफल हो जाने के कारण बन्द हैं ।

ग्राम–हरिहरपुर में स्थित राजकीय नलकूप सं०–238 भदोही समूह का पुनः निर्माण प्रगति पर है तथा विद्युत परिषद द्वारा ऊर्जीकृत होने पर यह सिंचाईरत हो जायेगा । जनपद योजना में प्राविधान न होने के कारण ग्राम–चन्दापुर में स्थित राजकीय नलकूप सं०–119 भदोही समूह का पुनः निर्माण नहीं हो सका है ।

ग्राम–नागमलपुर विकास खण्ड सुरियावां में स्थित राजकीय नलकूप सं०–41 भदोही समूह तथा ज्ञानपुर विकास खण्ड के ग्राम नौवापुर में स्थित राजकीय नलकूप सं०–225 भदोही समूह असफल नहीं है । अतः इनका पुनः निर्माण वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में बेरवां पहाड़पुर नलकूप की नाली के निर्माण हेतु अवमुक्त किये धन का उपयोग नाली निर्माण में न किये जाने की जांच

152–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में बेरवां पहाड़पुर नलकूप की नाली के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस धन का प्रयोग नलकूप नाली निर्माण हेतु नहीं किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय नलकूप संख्या–29 हेतु समूह की नालियों के निर्माण हेतु माह 12/97 में रु० 1,20,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, लेकिन लेखीकृत न हो पाने तथा प्रश्नगत क्षेत्र पुर्नगठित हो जाने के कारण चेक वापस करते हुए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को चेक निर्गत करने के लिये ग्राम्य विकास अभिकरण से अनुरोध किया है लेकिन अभी तक धन उपलब्ध न हो पाने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव न हो सका है ।

किसी अधिकारी का दोष दृष्टिगोचर नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 95-96 एवं 97 में जनपद आजमगढ़ ग्राम भरपुर पिछवार, ब्लाक तरवां में ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अनियमित ढंग से आवास आवंटित किये जाने की शिकायत

153–श्री रमेश राही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-1996 तथा 1997 में जनपद आजमगढ़ ग्राम भरपुर पिछवार, ब्लाक तरवां में खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अनियमित

ढंग से अपात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटित किया गया है ? क्या यह सही है कि एक ही परिवार में एक साथ रहने वाले दो व्यक्तियों को आवास आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 97-98 में जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, सिरतौल एवं बेरमई बुजुर्ग की चारदीवारी घटिया स्तर की बनाये जाने की जांच

154–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड अम्बियापुर, जनपद बदायूं में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, सिरतौल एवं बैरमई बुजुर्ग की चारदीवारी गुणवत्ता के मानक से घटिया स्तर की बनायी जाने के कारण गिर गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रकरण पर टी० ए० सी० जांच प्रचलित है ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्रीमती कंचन लता देवी, एवं चन्द्रावती देवी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पत्र के उपरिपत्र संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

155–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 98 के 3सरे बुध को उत्तरित अता० प्रश्न सं०–94 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या संदर्भित प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहगढ़ का कोई उत्तरदायित्व नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के सिंचाई खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवैध रूप से खरीदे गये फर्नीचर के विषय में जांच की मांग

156–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 3सरे बुधवार के अता० प्रश्न संख्या–152 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि संदर्भित जांच आख्या कब तक प्राप्त कर ली जाएगी ? क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रमुख अभियंता, सिंचाई को प्रश्नगत जांच आख्या दिनांक 15-3-99 तक शासन को उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में दीघ प्रखण्ड नहर से छेछुवा हरीरामपुर, गजाधरपुर तक सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति किये जाने की मांग

157–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र एवं जनपद भदोही की सिंचाई व्यवस्था अधिकांशतः ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड से आपूर्ति की जाती है किन्तु टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है ? क्या दीघ प्रखण्ड नहर से छेछुवा हरीरामपुर, गजाधरपुर तक पानी की आपूर्ति सिंचाई हेतु की जायेगी तथा टेल तक सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इनारगांव एवं बहोरनपुर माइनर के अतिरिक्त सभी नहरों के टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

सिंचाई की व्यवस्था पूर्व से ही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए योजना संचालित किये जाने की मांग

158–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये चालू वित्तीय वर्ष में एक योजना संचालित करने पर शासन विचार कर रहा है जिसमें लगभग पांच हजार से अधिक पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वावलम्बी बनाने की योजना है ? सरकार कब तक इस योजना को पूर्ण रूप प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी नहीं, पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वावलम्बी बनाने हेतु मार्जिन मनी/टर्मलोन की योजनायें उ० प्र० पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा पूर्व से ही संचालित की जा रही हैं । चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में इन योजनाओं के लिये 4,000 इकाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य भवन लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर आये अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति काल समाप्त होने पर उन्हें पैतृक विभाग को वापस किये जाने की मांग

159–श्री शिव सिंह चक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में "सिविल इंजीनियरिंग" संवर्ग अभियन्ता, उत्तर प्रदेश रा० निर्माण निगम से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं ? क्या उनका प्रतिनियुक्ति काल समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें उनके पैतृक विभाग में वापस करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक उनके पैतृक विभाग में वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरिद्वार के सिंचाई अनुसंधान रुड़की में वैज्ञानिक सहायकों के पद पर प्रोन्नति पाये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने की मांग

160–श्री शिव सिंह चक–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई अनुसंधान रुड़की जनपद हरिद्वार में कुल कितने वैज्ञानिक सहायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं तथा कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के कोटे के अन्तर्गत वैज्ञानिक सहायक के पद पर प्रोन्नत एवं विनियमित किये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा वर्ष 1981 से वैज्ञानिक सहायकों के पद पर प्रोन्नत पाये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की अब तक कोई वरिष्ठता सूची जारी की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की वरिष्ठता सूची शीघ्र तैयार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की जनपद हरिद्वार में मात्र एक वैज्ञानिक सहायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं । वैज्ञानिक सहायक संवर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के कोटे के अन्तर्गत पृथक से प्रोन्नति एवं विनियमितीकरण की कोई व्यवस्था नियमों में निर्धारित नहीं है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की पृथक से कोई वरिष्ठता सूची जारी करने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए स्थायीकरण विनियमितीकरण एवं पदोन्नति के लिए पृथक से कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत सिंचाई विभाग में कार्यरत एस०डी०ओ० द्वारा हरदन नाले की सफाई में किये गये धन के दुरुपयोग पर कार्यवाही की मांग

161–श्री शिव सिंह चक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 जून, 1998 जो जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत सिंचाई विभाग में कार्यरत एस० डी० ओ० द्वारा हरदन नाले की सफाई में सरकारी धन के दुरुपयोग विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, किन्तु उक्त पत्र की उपलब्धता कार्यालय में सुनिश्चित न होने के कारण मा० विधायक महोदय से उक्त पत्र दिनांक 24-6-98 की प्रति पुनः उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा चुका है, जिसके प्राप्त होने के बाद जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराये जाने की मांग

162–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में 1-1-97 से 15-6-98 के बीच में कितनी संख्या में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? उनमें से कितने की मरम्मत करायी गयी है ? क्या सरकार समय सीमा निर्धारित करके तत्काल हैण्ड पम्पों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

दिनांक 1-1-97 से दिनांक 15-6-98 तक 519 हैण्डपम्प अस्थायी रूप से तथा 94 हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब थे ।

अस्थायी रूप से खराब समस्त 519 हैण्डपम्पों की मरम्मत कर दी गयी है तथा स्थायी रूप से खराब 72 हैण्डपम्प भी रिबोर करा दिये गये हैं ।

अवशेष 22 हैण्डपम्प इसी वित्तीय वर्ष में रिबोर करवाकर ठीक कराने का प्रयास है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

163–श्री उबैदुर्रहमान–

[1ले मंगलवार में अता० प्र० सं० 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड श्री दत्तगंज में सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत बलरामपुर उतरौला मार्ग पर हुये मिट्टी के कार्य का स्थानीय निरीक्षण कराये जाने की मांग

164–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताते की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड श्री दत्तगंज में सुनिश्चित रोजगार योजना वर्ष 1995-96 में स्वीकृत बलरामपुर उतरौला मार्ग पडरी रामनाथ से वाजिदपुर होते हुए नन्द महरा तक मिट्टी पुलिया का काम पूर्ण करा लिया गया है ? क्या कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है ? क्या सरकार टेक्निकल आडिट से स्थानीय निरीक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । मिट्टी कार्य तथा दो पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी की आख्या के अनुसार कराया गया कार्य संतोषजनक है । अत: टी० ए० सी० जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद बलरामपुर में इन्दिरा आवास निर्माण के लिए अपात्र व्यक्तियों हेतु धन आवंटन में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग तथा उसका विवरण

165–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-1-96 से 15-6-98 के बीच में विकास खण्ड श्री दत्त गंज/गैडास बुजुर्ग/उतरौला, जनपद बलरामपुर के किस-किस ग्राम सभा में किस-किस लाभार्थी को इन्दिरा आवास निर्माण के लिये धन आवंटित किया गया है ? क्या सरकार शासन स्तर से जांच धन

भेजकर पात्र तथा अपात्र लाभार्थियों की जांच करायेगी ? क्या सरकार अपात्र व्यक्तियों को किये गये आवंटन में दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

दिनांक 1-1-96 से 15-6-98 के बीच प्रश्नगत विकास खण्डों के ग्राम सभा लाभान्वित किये गये लाभार्थियों का विवरण निम्नवत है :–

विकास खण्ड	ग्राम सभा का नाम	लाभार्थियों की संख्या
श्री दत्तगंज	बनगंवा	39
	केरावगढ़	6
	खम्हरिया	5
	अल्लीपुर बुजुर्ग	4
	अमारेभरिया	19
	सहदेइया	5
	बाजिदपुर	9
	नन्दमहरा	25
	अगयाबुजुर्ग	12
	पिपरा रामचन्दर	9
	बलहा	1
	बलहाजगदेव	1
	गौर	6
	गालिबपुर	2
	मुजहना	6
	विशम्भपुर	2
	बायभीट	4
	पुरैनावाजिद	1
	चन्दापुर	4
	रूखीमझारी	1
	लखमा	4
	बियरिया परसपुर	20
	गुलरह	3
	ज्वालपुरवा	5
	विशम्भीपुर	1
	संवहालप्रेम नगर	3
	महवाढार	5
	पिपर याकूठ	6
	कपौवाशेरपुर	4
	पिपरीकोल्हई	1
	जिगना	1
	अगयाखुर्द	1
	मझरीब बछिल	8

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड	ग्राम सभा का नाम	लाभार्थियों की संख्या
	महदेइया सिरसिया	6
	बभनपुरवा	1
	रामपुरबगनहा	4
	खरदौरी	1
	देवरियामुबारकपुर	20
	कोल्हईबिनौनी	8
	शाहपुरइटई	1
	बरगदवा	4
	धमौली	1
	चमरूपुर	1
	गायडीह	1
	पटियालाग्रन्ट	1
	भिऔडी	1
	गोमड़ी	2
	गिधद्धौर	1
	कुल	276
गैण्डासबुजुर्ग	नरायनपुर	18
	बंजरिया	25
	कैथवलिया सलेमपुर	4
	गैण्डासबुजुर्ग	10
	मितवरिया	2
	छितरपारा	6
	इटईरामपुर	13
	बांकभवानीपुर	3
	मो० पुरबन्जरह	4
	जिगनाघाट	2
	बौड़िहार	10
	जगपुरग्रन्ट	2
	पकड़ीउवार	1
	पिडियाखुर्द	2
	पिडियाबुजुर्ग	1
	बेलरिया	9
	सहियापुर	12
	अमहवा	7
	दुधरा	2
	नगवा	2
	टेढ़वातप्याबांक	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड	ग्राम सभा का नाम	लाभार्थियों की संख्या
	बड़हरी पाण्डेय	1
	धौरहारा	4
	मगईपुर	2
	जिगनाघाट	5
	नन्दरौरी	1
	हुसैनाबाद ग्रन्ट	1
	शाहपुरतप्पाबांक	2
	सोनहट	1
	पुरैनाबुलन्द	3
	नगवा	2
	बढ़याभंसाही	1
	टेढ़वानवाबाद	2
	कुल	163
उतरौला	रूस्तमनगर	25
	महिली	12
	शेरगंज ग्रिन्ट	10
	सेखइया	2
	देवरियाजंगली	21
	पिपराएकडाड	1
	गोकुलामाफी	17
	वासूपुर	14
	टेढ़वाऐमा	11
	बरमभारी	3
	बिलरिया	23
	गनवारिया	2
	रेडवलिया	3
	बड़हराभिटौरा	2
	जाफरबाद	5
	बारम	1
	विरदाबनियाभारी	3
	तेन्दुवातकिया	2
	फत्तेपुर	2
	चीती	3
	बढ़यापकड़ी	2
	नयानगरविशुनपुर	2
	रेडरामाफी	3

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड	ग्राम सभा का नाम	लाभार्थियों की संख्या
	देवरियामैनहा	3
	उपरहला	3
	बरायल	2
	भैरमपुर	2
	मझेवाकुरथुवा	3
	मधुपुर	3
	मोहनजोत	3
	लालगंज	3
	अमवादेवरिया	1
	जोगीबीर	3
	बकसरिया	2
	उत्तरौलाग्रामीण	12
	मिलौलीबाघाजीत	1
	बभनीखास	15
	रमवापुर	11
	रजयाहरनीडीह	3
	बांबीजोत	1
	छिपिया	5
	गरूदयालडीह	1
	गोंसाईजोत	4
	राजाजोत	2
	डरदिहवा	2
	कायमजोत	4
	प्यालाजोत	1
	मझौवाकांदे	6
	भैरमपुर	2
	मटिबीरयाकर्मा	1
	देवरियाजंगली	4
	गेडरौला	8
	मयानगरविशुनपुर	1
	सेखुइयाकस्बा	2
	कुल	283

लाभार्थियों की सूची संलग्न है। †

† छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है । अतः विशिष्ट शिकायत के अभाव में शासन स्तर से जांच दल भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त यदि कोई कार्मिक दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बलरामपुर में चित्तौड़गढ़ बांध से निकलने वाली नहर गैसिणी में लठवार मझौली तथा डालपुर माईनर में सहायक अभियन्ता द्वारा फर्जी वर्क आर्डर करके भुगतान करने पर उसकी जांच कराये जाने की मांग

166–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर चित्तौड़गढ़ बांध से निकलने वाली मुख्य नहर गैसिणी से लठवार माइनर, मझौली माइनर, डालपुर माइनर में वर्ष 1996-97, 1997-98 सहायक अभियन्ता द्वारा बिना कार्य कराये फर्जी वर्क आर्डर के जरिये फर्जी मस्टर रोल बनाकर दिखाये गये कार्यों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी भुगतान कराने वाले सहायक अभियन्ता को सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कराकर दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

जांच परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री वाई०एन० श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक के आवासीय टेलीफोन पर व्यक्तिगत वार्ता के बिल का भुगतान शासकीय मद से करने पर जांच की मांग

167–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री वाई०एन० श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक (तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ प्रखण्ड) के आवास का दूरभाष सं० 218495 का बिल 15-11-97 से 15-1-98 तक का मु० 22,952.00 रुपये का था ? यदि हां, तो उक्त बिल का भुगतान किस मद से किया गया ? क्या यह सही है कि व्यक्तिगत वार्ता के बिल का भुगतान शासकीय मद से किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

बीजक का भुगतान अनुदान संख्या–93 (अधिष्ठान) की मानक मद–13 टेलीफोन के अन्तर्गत किया गया ।

जी नहीं, श्री वाई० एन० श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा रु० 3362.00 का भुगतान व्यक्तिगत एस०टी०डी० काल्स हेतु अग्रिम के समायोजन हेतु किया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की चार दीवारी के फर्जी निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग

168–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड अम्बियापुर बिसौली, सहसवान, इसलामनगर, वजीरगंज जनपद बदायूं में वित्तीय वर्ष 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत

बनायी गयी प्राथमिक विद्यालयों की जांच में कितने विद्यालयों की चारदीवारी का फर्जी निर्माण कराया गया है ? इस प्रकरण में जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रकरण पर टी० ए० सी० जांच प्रचलित है ।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं स्वीकृत किये जाने के शासनादेश का अम्बेडकर नगर में अनुपालन कराने की मांग

169–श्री लाल जी वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मा० सांसदों एवं विधायकों के परामर्श से विभिन्न योजनाएं स्वीकृत किये जाने का कोई शासनादेश हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश का अनुपालन जनपद अम्बेडकर नगर में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त शासनादेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

उपर्युक्तानुसार शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

170–श्री राजधारी–

[दिनांक 1-7-98 की अता० प्र० सं० 89 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलिया में शारदा सहायक परियोजना के तहत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक योजना के अवशेष कार्य कराने की मांग

171–श्री राजधारी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के तहत जनपद बलिया में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का शासन का कोई कार्यक्रम था ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि (रकबा) सिंचित करने का लक्ष्य था ? उक्त योजना में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार जनहित में उक्त योजना के अवशेष कार्य को करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलिया में क्रमशः 15068 हैक्टेयर खरीफ व 9404 रबी की सिंचाई प्रस्तावित है ।

उक्त योजना में जनपद बलिया में रु० 358.07 लाख का व्यय हुआ है ।

जी हां ।

अवशेष नहरों का निर्माण भूमि व धन उपलब्ध होने पर वर्ष 2002-2003 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

श्री महेश चन्द्र शर्मा, गृह दर्शक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर, शाहजहांपुर का सेवा निवृत्त होने पर उनके अवशेष देयों के भुगतान की जानकारी

172–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महेश चन्द्र शर्मा, गृह दर्शक, सामु० स्वा० केन्द्र, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर ने सेवा निवृत्त होने के बाद अपने समस्त देयों के भुगतान के संबंध में रजिस्टर्ड पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर को माह सितम्बर, 1998 में दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

श्री महेश चन्द्र शर्मा, गृह दर्शक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के सेवा निवृत्त होने के बाद अनुमन्य देयकों में से अनन्तिम ग्रेच्युटी रु० 88,283.00 एवं उपार्जित अवकाश का वेतन रु० 37,935.00 का भुगतान क्रमशः दिनांक 9-12-98 व 21-1-99 को किया जा चुका है । जी० आई० एस० एवं पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि के भुगतान से संबंधित प्रपत्र संबंधित अधिकारियों को दिनांक 20-11-98, 23-12-98 एवं 6-2-99 द्वारा प्रेषित कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

173–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री सुरेश सिंह कुशवाहा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड बांदा पर गबन सम्बन्धी लगाये गये आरोपों की जांच

174–श्री बाबूलाल कुशवाहा–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे बुधवार हेतु निर्धारित अता० प्र० संख्या 152 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश सिंह कुशवाहा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण सेवा, बांदा द्वारा स्टोर से रु० 4,20,348 रुपये के गबन एवं अन्य गम्भीर आरोपों के क्रम में कोई जांच आख्या प्रस्तुत की गयी है ? यदि हां, तो उनकी जांच में क्या कमियां हैं ? क्या इस संबंध में पुनः कोई जांच कार्यवाही प्रगति में है ? यदि हां, तो वह किस अधिकारी तथा कितने दिनों में की जायेगी ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं । जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमंडल लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है । यथाशीघ्र जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जांच अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता, शारदा नहर दक्षिणी, रायबरेली के द्वारा किये गये आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच की मांग

175–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजधारी, विधायक बलिया के पत्र दिनांक 29-9-98 पर सिंचाई मंत्री के आदेश पत्रांक 4323/वी०आई०पी०/एम०आई०सी०/98, दिनांक 8–9–98 जो श्री अजय कुमार श्रीवास्तव,सहा० अभि०, शारदा नहर दक्षिणी, रायबरेली के आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक था, प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या

कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण की विजिलेंस जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच की कार्यवाही प्रगति में है ।

प्रमुख अभियंता से आख्या प्राप्त होने के बाद समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा मुख्यालय कमोलड़िया के मुख्य मार्ग पर अफसरैहा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

176–मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा मुख्यालय कमोलड़िया के मुख्य मार्ग पर अफसरैहा नदी के क्योलड़िया डैम पर भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता के निकास के लिये क्योलड़िया डैम से ऊपर बिहारीपुर अब्दुल रहमान के निकट अफसरैहा नदी पर शीघ्र ही पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । कमोलड़िया डैम पर बना पुल बहुत पुराना होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है ।

सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड नकहा में सम्पर्क मार्ग हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को आवंटित धनराशि की जानकारी

177–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड नकहा में सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 व 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, लखीमपुर को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी है ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद–लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड–नकहा में सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग लखीमपुर खीरी को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गयी है, परन्तु वर्ष 1998-99 में रुपये 10.32 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

178–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या ऐसे लोगों को जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के विरुद्ध निरुद्ध किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की जाती है । मिलावट रोकने हेतु खाद्य निरीक्षक के माध्यम से नमूने एकत्र कराये जाते हैं, जिसका परीक्षण राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में कराये जाने की व्यवस्था है । परीक्षणोपरान्त जो नमूने नकली या अपमिश्रित पाये जाते हैं, उनके संबंध में तदनुसार अभियोजन की कार्यवाही की जाती है ।

गम्भीर प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन कार्यवाही की संस्तुति की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में सरसों के तेल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के उपरान्त बहराइच एवं श्रावस्ती में मारे गये छापे में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

179–डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरसों के तेल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगने के उपरान्त बहराइच एवं श्रावस्ती में कितने और किन-किन तेल विक्रेताओं के यहां छापे मारे गये तथा इनमें कितने लोग मिलावट के लिये दोषी पाये गये ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

उत्तर प्रदेश में सरसों के तेल की बिक्री पर प्रतिबन्ध दिनांक 27-8-98 से दिनांक 3-11-98 के मध्य था । इस अवधि में जनपद बहराइच में सर्वश्री नरेश कुमार, नरेन्द्र अग्रवाल, गुरूदीप सिंह, शाहजाद अली, तारिक बेग, सुशील कुमार, सुरेश चन्द्र जैन, रईस अहमद, कृष्णा नन्द, जगत राम, श्री रामजी, रक्षा राम सैनी, मुरली चन्द्र अग्रवाल, महावीर प्रसाद, रसूल बक्श, श्री रघुबीर प्रसाद एवं दिनेश कुमार के यहां छापे मारे गये, जिसमें से श्री गुरूदीप सिंह, शाहजाद अली, रक्षा राम सैनी एवं रसूल बक्श मिलावट के लिये दोषी पाये गये । जनपद श्रावस्ती में श्री पुत्ती लाल, शम्भू नाथ, संवाली प्रसाद, मो० अन्सारी, राम तीर्थ, राम बिलास, मोबिन अहमद, कैलाश नाथ, सांबल प्रसाद, राम कुमार, कृष्णा नन्द, बेचल लाल, सुनील कुमार, राम निवास एवं गोली राम के यहां छापे मारे गये, जिनमें से श्री सांबल प्रसाद, राम कुमार, बेचल लाल, सुनील कुमार एवं राम निवास मिलावट के दोषी पाये गये ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय वाद प्राधिकृत न्यायालय में दायर कर दिये गये हैं ।

विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री त्रिवेणी सिंह, श्री लालदास, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री बृजेश्वर सहाय प्रधान, श्री इश्तियाक अहमद, श्री श्याम लाल कनौजिया, श्री ओंकार सिंह, श्री मो० रिजवानुल हक, श्री नत्थाराम रावत, श्री रामनाथ खैरा, श्री कमला प्रसाद उपाध्याय, श्री दल बहादुर सिंह, श्री वासुदेव मिश्र, श्री श्याम लाल वाजपेयी, डा० जेड० ए० अहमद, श्री राम अधार तिवारी, आचार्य दीपंकर, श्री इन्द्रभद्र सिंह, श्री लोकमणि शर्मा, श्री शिव शंकर सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय एवं श्री अरुण प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मुझे सदन को बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पिछले दिनों इस माननीय सदन के कई पूर्व सदस्य दिवंगत हो गये । उनमें से 22 सदस्य ऐसे भी थे जिनका साथ स्वतंत्रता संग्राम से सीधा जुड़ा हुआ है और इस प्रकार अपने-अपने क्षेत्रों और जनपदों में प्रदेश भर में नेतृत्व करने में सक्षम थे । आज हमारे बीच वे नहीं हैं । श्रीमन् यूं तो हम सब जानते हैं कि जो आया है वह जायेगा भी लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनके उठ जाने से उनके अभाव की पूर्ति करना बहुत कठिन होता है । उनके अच्छे कार्यों से आने वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छा संदेश मिलता है । आज उन्हीं दिवंगत आत्माओं के शोक प्रस्ताव को करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, त्रिवेणी सिंह जी का निधन 3 फरवरी, 1998 को हो गया है । उनका जन्म 1925 में जिला गोण्डा में हुआ था । 1977 में वे इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे सदैव जनसेवा में लगे रहते थे, कृषि उनका क्षेत्र था । उनके निधन से एक अच्छा समाजसेवी खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति तथा सद्गति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें । मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री लाल दास का निधन 14 जून, 1998 को हो गया है । वे 66 वर्ष के थे । उनका जन्म 4 जनवरी, 1932 में जिला सीतापुर में हुआ था । वे सन् 77 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे धार्मिक प्रवृत्ति के नेता थे । समाजसेवी थे । उनके निधन से सीतापुर में एक श्रेष्ठ श्रेणी का समाजसेवी खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति तथा सद्गति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे । मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री अर्जुन सिंह यादव का निधन 15 अक्टूबर, 1998 को हो गया । उनका जन्म 10 जनवरी, 1954 को जनपद जौनपुर में हुआ था । वे 1985 और 89 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुये । वे विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में आये । उनके निधन से जिले में शून्यता आयी है । वे कई शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े रहे । उनके निधन से जौनपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति तथा सद्गति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे । मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदनाये उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री ब्रजेश्वर सहाय प्रधान का निधन 17 अक्टूबर, 1998 को हो गया । उनका जन्म 1919 में एटा में हुआ था । वे 1962 में विधान सभा के सदस्य रहे । वे कई शिक्षण संस्थाओं और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे । वे एक अच्छे लेखक भी थे । उनके निधन से एक अच्छा लेखक और समाजसेवी खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं की उनकी आत्मा को शान्ति और सद्गति प्रदान करे और उनके शोकाकुल परिवार को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें । मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री इश्तियाक अहमद का निधन 29 अक्टूबर, 1998 को हो गया । उनका जन्म 4 नवंम्बर, 1947 में बाराबंकी में हुआ था । वे 1993 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । समाज सेवा उन्हें प्रिय थी, कृषि के क्षेत्र में उन्हें लगाव था । उनके निधन से एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है । श्रीमन् मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वर्गीय अहमद की आत्मा को शान्ति और संद्गति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुख को सहने की धैर्य प्रदान करें । आप से भी प्रार्थना करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री श्याम लाल कनौजिया का निधन 31 अक्टूबर, 1998 को हो गया इनका जन्म 25 जून, 1933 को आजमगढ़ में हुआ था वे वर्ष 1969 में विधान सभा सदस्य चुने गये और सदैव समाज सेवा में लगे रहे । उनके निधन से आजमगढ़ ने एक समाज सेवी खो दिया है मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति और सद्गति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने का धैर्य और क्षमता प्रदान करें । मान्यवर, आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

भूतपूर्व सदस्य श्री ओंकार सिंह का निधन 5 नवम्बर, 1998 को हो गया उनका जन्म जनपद बदायूं में हुआ था वे वर्ष 1952 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये । 1958 से लेकर 1962 तक विधान परिषद् के सदस्य रहे तथा वर्ष 1962, 1967 तथा 1977 में लोक सभा सदस्य भी निर्वाचित हुये थे । वे जनसंघ के समर्पित कार्यकर्ता थे जिला परिषद् के उपाध्यक्ष भी रहे । वर्ष 1974 में जिला परिषद् के अध्यक्ष बने तथा आपातकाल में वे जेल में रहे । कई शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे । उनके निधन से जनपद बदायूं में एक कुशल समाजसेवी खो दिया है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वर्गीय ओंकार सिंह की दिवंगत आत्मा को शान्ति और सद्गति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने का धैर्य प्रदान करे और आप से भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

भूतपूर्व सदस्य श्री मोहम्मद रिजवानुल हक का निधन 7 नवम्बर, 1998 को हो गया । उनका जन्म 1 जुलाई, 1950 को मुरादाबाद में हुआ था । वे 1985 और 1989 तथा 1991 में सदन के सदस्य रहे समाज सेवा में उनकी रुचि थी और कई शिक्षण संस्थाओं से वे जुड़े रहे । उनके निधन से जनपद मुरादाबाद में एक कुशल राजनेता और समाजसेवी खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वर्गीय मो० रिजवानुल हक की दिवंगत आत्मा को शान्ति और सद्गति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने का धैर्य प्रदान करें और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

भूतपूर्व सदस्य श्री नत्था राम रावत का निधन 29 नवम्बर, 1998 को हो गया । उनका जन्म फरवरी, 1917 में बाराबंकी में हुआ था । 1957, 1962, 1967 तथा 1985 में वे इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये । उनकी सामाजिक कार्यों में विशेष रूचि थी अपने जनपद में वे बहुत ही लोकप्रिय थे उनके निधन से जनपद बाराबंकी ने एक अच्छा राजनेता खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना

करता हूं कि उनके दिवंगत आत्मा को शान्ति दे सद्गति दे और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने की क्षमता दें । मान्यवर, मेरी आप से प्रार्थना है कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

भूतपूर्व सदस्य श्री रमा नाथ खैरा का निधन 17 दिसम्बर, 1998 को हो गया । उनका जन्म 1910 में झांसी में हुआ था वे 1952 और 1957 में सदन के सदस्य रहे । वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । क्षेत्र के विकास में सदैव लगे रहते थे । स्वर्गीय रमा नाथ खैरा के निधन से जनपद झांसी में एक कुशल समाजसेवी खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दे और सदगति दे और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने की क्षमता और धैर्य दे । और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी शोक संवेदनाएं पहुचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य श्री कमला प्रसाद उपाध्याय का निधन 25 दिसम्बर, 1998 को हो गया । उनका जन्म 1921 में हुआ था । 1967 में वे इस माननीय सदन के सदस्य रहे । बहुत उच्च कोटि के जाने-माने वकील थे । वे कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और कई सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़े रहे । उनके निधन से जनपद जौनपुर में एक कुशल समाज सेवी और कुशल राजनेता खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और सद्गति दे और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने की क्षमता दे और धैर्य दे । श्रीमन्, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी शोक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य श्री दल बहादुर सिंह का निधन 29 दिसम्बर, 1998 को हो गया । उनका जन्म 20 अक्टूबर, 1909 को जनपद उन्नाव में हुआ था । 1952 और 1967 में वे इस सदन के सदस्य रहे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़चढ़ कर भाग लिया कई संगठनों से जुड़े रहे वे अपने जनपद में बहुत लोकप्रिय थे । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दे और सद्गति दे और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने की क्षमता दे और धैर्य दे और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी शोक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री वासुदेव मिश्र का निधन 6 फरवरी, 1999 को हो गया । वह इस सदन में वर्ष 1952 में निर्वाचित होकर आये थे, वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कई शिक्षा संस्थाओं से जुड़े रहे उनके निधन से जनपद कानपुर नगर ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति तथा सद्गति प्रदान करें और उनके शोकसंतप्त परिवार को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें । मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि हमारी शोक संवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम लाल बाजपेयी का निधन 6 फरवरी, 1999 को हो गया । उनका जन्म 8 जून, 1934 को कानपुर में हुआ था । वह 1980 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे, छात्र जीवन से राजनीति में रहे । वे लखनऊ विश्वविद्यालय यूनियन के महामंत्री और अध्यक्ष पद पर रहे उनके निधन से एक महान समाजसेवी उठ गया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने का धैर्य प्रदान करें । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोकसंवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य डा० जेड० ए० अहमद का निधन 17 जनवरी, 1999 को हो गया । उनका जन्म 29 अक्टूबर, 1908 को हुआ था । वे 1962 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । 6 मई, 1978 एवं 6 मई, 1984 को विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए । वे 1958, 1966, 1972 तथा 1990 में राज्यसभा के सदस्य रहे । उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अग्रणी योद्धा के रूप में भाग लिया । उन्होंने लन्दन स्कूल आफ इकोनामिक्स में शिक्षा ग्रहण की थी । उनका मृदु स्वभाव सबको आकर्षित करता था । डा० जेड०ए० अहमद के निधन से प्रदेश ने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ और एक उच्चकोटि के समाजसेवी को खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि डा० जेड०ए० अहमद की दिवंगत आत्मा को शान्ति और सद्गति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने का धैर्य प्रदान करें । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोकसंवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य राम अधार तिवारी का निधन 19 जनवरी, 1999 को हो गया । उनका जन्म 22 नवम्बर, 1907 को हुआ था । वे 1952 और 1957 में इस माननीय सदन के सदस्य रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । उनके निधन से जनपद प्रतापगढ़ ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने का धैर्य प्रदान करें । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य आचार्य दीपंकर जी का निधन 19 जनवरी, 1999 को हो गया । वे लगभग 78 वर्ष के थे । उनका जन्म अगस्त, 1921 में हुआ था । वे 1957 और 1967 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कई शिक्षण और सामाजिक संगठनों से जुड़े थे । उनके निधन से मेरठ जनपद ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उच्च कोटि का समाजसेवी खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने का धैर्य प्रदान करें । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी शोकसंवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य श्री इन्द्रभद्र सिंह का निधन 21 जनवरी, 1999 को हो गया । उनका जन्म 15 अप्रैल, 1954 को जनपद सुल्तानपुर में हुआ था । वे 1989 और 1993 में इस माननीय सदन के सदस्य रहे । वे कई शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे । श्री इन्द्रभद्र सिंह के निधन से जनपद सुल्तानपुर ने एक महान और कुशल राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने का धैर्य प्रदान करें । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोकसंवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य श्री लोकमणि शर्मा, उनका निधन 23 जनवरी, 1999 को हो गया, उनकी उम्र 83 वर्ष थी । श्री शर्मा का जन्म 15 मई, 1916 को जनपद उन्नाव में हुआ था और वह सन् 1980 में इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे, वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, कई सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े थे और उनकी विकास कार्यों में विशेष रुचि रहती थी । उनके उठ जाने से जनपद को बहुत बड़ी क्षति हुई है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दे, सद्गति दे और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दें, धैर्य दें तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन शोक संवेदनाओं को आप उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन् भूतपूर्व सदस्य श्री शिव शंकर सिंह जी का निधन 27 जनवरी, 1999 को गया। उनका जन्म 15 फरवरी, 1920 को जिला रायबरेली में हुआ था। वह 1957, 1967, 1969 तथा 1974 में निर्वाचित होकर इस माननीय सदन में आये थे। अपने क्षेत्र के विकास में वह बहुत रुचि लेते थे, कई शिक्षण संस्थाओं के साथ भी वह जुड़े थे। वह अपने जनपद में बहुत लोकप्रिय थे, इसी कारण वह बार-बार इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुये थे, जनता का उन्हें बहुत बड़ा विश्वास प्राप्त था। उनके उठ जाने से रायबरेली जिले ने एक अच्छा राजनेता, समाजसेवी को खो दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति और सद्गति प्रदान करें तथा उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने का धैर्य प्रदान करें और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन शोक संवेदनाओं को आप उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन् भूतपूर्व सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे का निधन 31 जनवरी, 1999 को हो गया। उनका जन्म 1925 में जनपद गोरखपुर में हुआ था, वह 1975 में इस सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे। विद्यार्थी जीवन से ही वह राजनीति में रहे, अध्यापन कार्य से भी जुड़े रहे, वह कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनके निधन से जनपद गोरखपुर ने एक अच्छा समाजसेवी खो दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति व सद्गति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता और धैर्य प्रदान करें तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी इन शोक संवेदनाओं को उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन् भूतपूर्व सदस्य माननीय श्री अरुण प्रताप सिंह जी का निधन 6 फरवरी, 1999 को हो गया। उनका जन्म 1 फरवरी, 1941 को जनपद इलाहाबाद में हुआ था। वह वर्ष 1985 व 1989 में इस सदन के सदस्य रहे। कई शैक्षणिक संस्थाओं से भी वह जुड़े रहे। उनके निधन से जनपद इलाहाबाद ने एक अच्छा राजनेता और समाजसेवी खो दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दे और उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, अभी जिन 22 सदस्यों के प्रति, जो अब हमारे बीच में नहीं है, माननीय नेता सदन ने जो शोक संवेदनायें प्रस्तुत की हैं, उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करते हुये, कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में, इस थोड़ी सी अवधि में इस सदन में रह कर और सदन से बाहर रहकर विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े रह कर इन 22 माननीय सदस्यों ने जनता की सेवा की है। श्रीमन्, सर्वश्री त्रिवेनी सिंह, लाल दास, अर्जुन सिंह, बृजेश्वर सहाय प्रधान, इश्तियाक अहमद, श्याम लाल कनौजिया, ओंकार सिंह, मोहम्मद रिजवानुल हक, नत्था राम रावत, रमा नाथ खैरा, कमला प्रसाद उपाध्याय, दल बहादुर सिंह, वासुदेव मिश्र, श्यामलाल बाजपेई, डा० जेड०ए० अहमद, राम अधार तिवारी, आचार्य दीपंकर, इन्द्र भद्र सिंह, लोकमणि शर्मा, शिवशंकर सिंह, लक्ष्मी नारायण पाण्डे और अरुण प्रताप सिंह, यह सभी 22 माननीय सदस्य आज हमारे बीच नहीं रहे। श्रीमन्, इनमें से कई माननीय सदस्यों ने सहकारिता के क्षेत्र में, बहुत से लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में और बहुत से लोगों ने अधिवक्ता के रूप में इस समाज की सेवा की है। वैसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

दुनिया में जो आया है, यह निश्चित है कि वह जायेगा, लेकिन जो हमारे जितना नगदीक होते हैं, वह जब हम से जुदा होते हैं, तो दुख होता है और इसलिये आज हम उन माननीय सदस्यों के प्रति गहरा दुख प्रकट करते हुये कहना चाहते हैं कि ईश्वर उनके स्थान पर उनका जैसा ही समाजसेवी पुनः दे और ऐसी भावनायें उनमें पैदा करें कि वह उनसे बढ़ चढ़ कर समाज की सेवा में लगें, समाज की सेवा करें, जिससे उनकी रिक्तता इस समाज को महसूस न हो, न ही शिक्षा के क्षेत्र में महसूस हो, न राजनीति के क्षेत्र में महसूस हो और न ही किसी अन्य क्षेत्र में महसूस हो । मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं कि यह सभी 22 माननीय सदस्य एक विशेष गुण लेकर पैदा हुये थे और उन्हीं गुणों के कारण उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है । मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शाश्वत शांति और उनके परिवारीजन को जो शोक से संतप्त हैं उनको धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करे । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवारीजन तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भूतपूर्व सदस्य एक बड़ी तादाद में, जिनकी संख्या 22 है, हमारे बीच में नहीं रहे । इस संबंध में माननीय नेता सदन एवं नेता प्रतिपक्ष ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

मै सर्व प्रथम श्री त्रिवेणी सिंह जी जो 3 फरवरी, 98 को हृदय गति रुक जाने के कारण हमारे बीच से उठ गये । वह इस विधान सभा में जनता पार्टी की तरफ से जीतकर आये थे । गोंडा में उनके कार्यों से लोगों में एक चेतना आयी थी और उनके न रहने से पूरे जनपद ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश को अभाव का अहसास होगा । हम बहुजन समाज पार्टी के लोग आपके माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी इस संवेदना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, इसी प्रकार माननीय लालदास जी जो इस सदन के सदस्य रहे हैं उनका निधन 14 जून, 98 को हुआ । वह सन् 77 में सीतापुर से जनता पार्टी के टिकट पर वहां से जीतकर आये थे । वह एक अच्छे समाजसेवी थे और गंवई गांव की राजनीति से ऊपर उठकर यहां तक आये थे । मान्यवर, सीतापुर ही नही बल्कि सारे प्रदेश के लोगों ने एक अच्छे समाजसेवी और ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुये समाजसेवी को खो दिया है । उनके निधन पर मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी इस संवेदना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री अर्जुन सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं रहे । बहुत ही अल्पआयु में 15 अक्टूबर, 98 को उनका निधन हो गया । वह 85 और 89 में इस विधान सभा के सदस्य रहे । वह पार्लियामेंट के भी माननीय सदस्य रहे । वह लोकदल की राजनीति से जुड़े होने के नाते व्यक्तिगत रूप से हमारे साथी रहे हैं । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं । उनके निधन पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री बृजेश्वर सहाय 17 अक्टूबर, 98 को हमारे बीच से उठ गये । वह 62 में मैनपुरी से चुनकर आये थे और उन्होंने एक सदस्य के रूप में सदन की गरिमा बढ़ाने का काम

किया । वह एक समाजसेवी कार्यकर्ता थे । वह तमाम संस्थाओं के संस्थापक थे । आज उनके न रहने से पूरा मैनपुरी जनपद शोक संतप्त है । उनके निधन पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हमारी शोक संवेदना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री इश्तियाक अहमद इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं । वह 93 में बाराबंकी से चुनकर आये और उन्होंने इस सदन की गरिमा बढ़ाने का काम किया । आज हमारे बीच में नहीं हैं । उनके निधन से बाराबंकी, फैजाबाद जनपद जहां शोक-संतप्त है वहीं पर हम सभी लोग अपनी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार को प्रेषित करते हैं । आपसे अनुरोध है कि आप हमारी संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री श्यामलाल कनौजिया का 31 अक्टूबर, 1998 को निधन हो गया । वह 1969 में सोशलिस्ट पार्टी से जीतकर इस सदन में पहुंचे थे, वह अब हमारे बीच में नहीं हैं । हमने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । हम अपनी ओर से तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपनी संवेदना, शोक-संतप्त परिवार को प्रेषित करते हैं । आपसे अनुरोध है कि आप हमारी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री ओंकार सिंह का निधन 9 नवम्बर, 98 को बदायूं में हुआ । वह इस माननीय सदन के सदस्य के साथ ही विधान परिषद् और लोक सभा के भी सदस्य रहे थे । आपकी सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन की दिशा में एक अच्छा कार्य रहा है । इनका अभाव जहां बदायूं में खटक रहा है वहीं हम पूरे प्रदेश के लोगों ने भी एक कुशल राजनैतिक व्यक्ति को खो दिया है । हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार को संवेदना प्रेषित करते हैं । आपसे अनुरोध है कि आप मेरी भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री मोहम्मद रिज़वानुल हक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा 7 नवम्बर, 1998 को हमारे बीच में नहीं रहे । वे मुरादाबाद से चुनकर कई बार इस सदन में पहुंचे थे और आज उनके निधन से पूरा मुरादाबाद ही नहीं बल्कि हम सभी दुःख महसूस कर रहे हैं । उनके निधन पर हम अपनी ओर से और बहुजन समाजपार्टी की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी इस भावना को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

मान्यवर, इसी प्रकार श्री नत्था राम रावत जी, जो बराबंकी के रहने वाले थे अभी 29 नवम्बर, 1998 को उनका निधन हो गया । वह गरीब तबके से निकले थे और उनकी आवाज को मुखर करने के लिए कई बार इस सदन में भी पहुंचे थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं । वह एक जुझारू प्रवृत्ति के थे । उनके निधन से हम सभी लोग दुःखी हैं । मैं अपनी ओर से तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे अनुरोध है कि आप हमारी भावनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री रमानाथ खैरा जी 17 दिसम्बर, 98 को हमारे बीच में नहीं रहे । 1952, 1957 में इस माननीय सदन के सदस्य रहकर प्रदेश की सेवा करने का काम किया । वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे । ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के निधन पर हम अपनी ओर से एवं बहुजन समाज पार्टी की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार को संवेदना प्रेषित करते हैं । मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस भावना को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

श्री कमला प्रसाद उपाध्याय का निधन 25 दिसम्बर, 1998 को हो गया । वह इस माननीय सदन के सदस्य रहे थे । सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में उनका बहुत योगदान रहा है, वह तमाम सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं । उपाध्याय जी के निधन से जनपद जौनपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । हम उनके निधन पर अपनी ओर से एवं बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस भावना को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री दलबहादुर सिंह का निधन 29 दिसम्बर, 1998 को हुआ । इत्फाक से मैं भी उसी क्षेत्र से विधायक हूं, जिस क्षेत्र से वह प्रतिनिधित्व कर चुके हैं । वह दो बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं । यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मैंने उनके निधन पर स्वयं पहुंच कर श्रद्धांजलि अर्पित किया है लेकिन उसके बावजूद वह एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनको मैंने स्वयं सुना ही नहीं बल्कि देखा भी है । वे लगभग 89 वर्ष के थे । वह मरते दम तक सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में निरन्तर अपनी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं । वे तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थापक रहे हैं । वह अच्छे समाजसेवी रहे हैं, और कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं में उनकी पहचान रही है और ऊंचाहार में एन० टी० पी० सी० जैसी बड़ी संस्था उन्हीं की देन है । यद्यपि वह कांग्रेस में थे लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से गरीबों का काम करने के लिए मरते दम तक उनके मन में चाहत थी मैं उससे बड़ा प्रभावित रहा । ऐसे महान समाजसेवी जो मरते दम तक समाज सेवा का व्रत लेकर सामाजिक कार्यों का निष्पादन निरंतर करते रहे । उनके निधन से केवल रायबरेली ही नहीं बल्कि निकटवर्ती जिलों के लोगों ने ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को निधन से एक अच्छा व्यक्ति खो दिया है । मैं अपनी ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से ऐसे भूतपूर्व सदस्य के निधन पर शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि शोक संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक आप पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री श्याम लाल बाजपेयी जिनका निधन 6 जनवरी, 1999 को हो गया । वह हैदरगढ़ जिला बाराबंकी के रहने वाले थे और इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं । वे लगभग 65 वर्ष के थे । वह अच्छे सामाजिक, राजनीतिक, जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं । वह कई बार आन्दोलनों में शिरकत किये । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं । उनके निधन पर हम अपनी ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक शोक-संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री डा० जेड० ए० अहमद का 17 जनवरी, 1999 को लखनऊ में निधन हो गया । वह इस माननीय सदन के कई बार सदस्य रहे । वे लगभग 91 वर्ष के थे । वह आज हमारे बीच में नहीं हैं । मान्यवर, वे ऐसे जुझारू नेता थे जिनके कार्य हमेशा याद किये जायेंगे । वह इसी सदन के सदस्य नहीं रहे बल्कि विधान परिषद्, लोक सभा और राज्य सभा के भी सदस्य रहे थे । वे आज हमारे बीच में नहीं हैं । मान्यवर, उनके निधन पर हम अपनी ओर से और अपनी बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त तक परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

इसी कड़ी में श्री राम आधार तिवारी जी जिनका निधन 19 जनवरी, 1999 को हुआ । इत्तिफाक से मैं भी उसी जनपद से हूं, जिस जनपद से श्री तिवारी जी का सम्बन्ध रहा है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में आपने राजनैतिक शुरूवात की थी । एक अच्छे प्रवृत्ति के राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, आज वह हमारे बीच नहीं है और हमने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी राजनेता को खो दिया है । इनके निधन पर मैं अपनी ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं । और अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

इसी कड़ी में श्री आचार्य दीपांकर जी जिनका निधन 19 जनवरी, 1999 को हुआ, बहुत बड़े विद्वान और प्रगतिशील विचारक थे और इस सदन में कम्युनिस्ट पार्टी से जीतकर दो बार आकर अपने को मुखर करने का काम किया था। आप साहित्य प्रेमी थे अपनी प्रगतिशील बातों को साहित्य के माध्यम से उन्होंने प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश को संदेश देने का काम किया। शैशव स्वप्नम्, भारतीय अर्थ तंत्र कौटिल्य का भारत आदि पुस्तकें आपकी उपलब्धि के रूप में हमारे बीच में विद्यमान हैं। हम इस महान बैद्ध विचारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं कुशल राजनेता के निधन से दुखी हैं। हम अपनी और से एवं बहुजन समाज पार्टी की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना अर्पित करते हैं आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

इसी कड़ी में श्री इन्द्र भद्र सिंह जो हमारे पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले थे अभी-अभी 21 जनवरी, 1999 को उनका निधन हुआ। इस सदन में दो बार आकर उन्होंने अपने जनपद की सेवा करने का काम किया। आप बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के थे। युवावस्था में ही हत्यारों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस जुझारू साथी के न रहने पर हम सभी दुखी हैं और उनके निधन पर अपनी ओर से और अपने दल बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

इसी कड़ी में श्री लोक मणि शर्मा का 23 जनवरी, 1999 को निधन हुआ उनके न रहने से केवल मथुरा ही नहीं बल्कि उनके अभाव का हम सभी को अहसास है। उनके निधन से हमने एक कुशल राजनेता और समाज सेवी खो दिया है। मैं अपनी ओर से और अपने दल बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री शिव शंकर सिंह जी जो इस सदन के एक बार नहीं बल्कि चार-बार माननीय सदस्य रहे। इत्तिफाक से पहली बार वह हमारी विधान सभा से जीते थे जहां से मैं काम कर रहा हूं। एक जमींदार घराने में पैदा हुए थे उसके बावजूद उनका गरीब तबके से लगाव था। उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। बहुत ही अच्छी सोच के थे। गरीबों के बीच मिलजुल कर रहने से रायबरेली जनपद में उनकी एक अच्छी उपलब्धि रही है। अभी 27 जनवरी, 1999 को वह हमारे बीच में नहीं रहे। वह मृदुल स्वभाव के थे तथा गरीबों के साथ रहने वाले साथी के न रहने पर पूरा रायबरेली उनके अभाव को आज महसूस कर रहा है। मैं श्री सिंह जी के निधन पर अपनी ओर से तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध है कि हमारी इन भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य स्व० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी का निधन 21 जनवरी, 1999 को हुआ और गोरखपुर से प्रतिनिधित्व करते हुए इस माननीय सदन में अपना योगदान पूरे प्रदेश के सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यों में दिया। वह कम्युनिष्ट पार्टी के सदस्य रहे तथा अच्छे विचारक रहे। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। स्व० पाण्डेय जी की देशाटन तथा स्वाध्याय में विशेष रुचि थी। उनके न रहने पर हम सभी दुखी हैं। मैं अपनी ओर से तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध है कि हमारी इस भावना को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, स्व० अरुण प्रताप सिंह जी इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। एक बार नहीं दो-दो बार सदस्य रहे। गोंडा से रहे और प्रतापगढ़ से रहे। वह प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। चूंकि उसी जनपद का मैं भी रहने वाला हूं इसलिये मैं व्यक्तिगत रूप से तथा प्रतापगढ़ के लोग उनके निधन से दुखी हैं। मैं

उनके निधन पर अपनी ओर से तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध है कि संवेदना के ये भाव उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य स्व० श्री त्रिवेनी सिंह, श्री लाल दास, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री वृजेश्वर सहाय प्रधान, श्री इश्तियाक अहमद, श्री श्याम लाल कन्नौजिया, श्री ओंकार सिंह, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री नत्था राम रावत, श्री रमानाथ खैरा, श्री कमल प्रसाद उपाध्याय, श्री दल बहादुरर सिंह, श्री वासुदेव मिश्र, श्री श्याम लाल बाजपेयी, डा० जेड० ए० अहमद, श्री राम अधार तिवारी, श्री आचार्य दीपंकर, श्री इन्द्रभद्र सिंह, लोकमणि शर्मा, श्री शिव शंकर सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे और श्री अरुण प्रताप सिंह के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो शोक सम्वेदनाएं व्यक्त की हैं उससे मैं अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि समस्त स्वर्गीय सदस्यों की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को यह शक्ति दे कि इस रिक्तता को वे सहन कर सकें। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे तथा मेरे दल की ओर से समस्त स्वर्गीय सदस्यों के परिवार तक शोक सम्वेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह अत्यन्त दुःखदायी घड़ी है कि उत्तर प्रदेश को यह विधान सभा एक साथ अपने 22 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये निधन के निर्देश पर पहुंची है। मान्यवर, स्वर्गीय श्री त्रिवेनी सिंह, स्वर्गीय श्री लाल दास, स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह यादव, स्वर्गीय श्री वृजेश्वर सहाय प्रधान, स्वर्गीय श्री इश्तियाक अहमद, स्वर्गीय श्री श्यामलाल कनौजिया, स्वर्गीय श्री ओंकार सिंह, स्वर्गीय श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, स्वर्गीय श्री नत्था राम रावत, स्वर्गीय रमा नाथ खैरा, स्वर्गीय श्री कमला प्रसाद उपाध्याय, स्वर्गीय श्री दल बहादुर सिंह, स्वर्गीय श्री वासुदेव सिंह, स्वर्गीय श्री श्याम लाल बाजपेयी, स्वर्गीय डा० जेड०ए० अहमद, स्वर्गीय श्री राम अधार तिवारी, स्वर्गीय श्री आचार्य दीपंकर, स्वर्गीय श्री इन्द्रभद्र सिंह, स्वर्गीय श्री लोकमणि शर्मा, स्वर्गीय श्री शिव शंकर सिंह, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे, स्वर्गीय श्री अरुण प्रताप सिंह इस विधान सभा के कई बार सदस्य रहे और इनमें से कईयों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के नव निर्माण की लड़ाई लड़ी, प्रदेश, क्षेत्र और जनपद की सेवा किसी न किसी रूप में की है। स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह यादव सांसद होते हुए अल्पायु में उनका निधन हुआ। मान्यवर, श्री कमला प्रसाद उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में विख्यात थे और स्वर्गीय दल बहादुर सिंह जी इंदिरा जी के साथ सदैव कांग्रेस के आन्दोलन में लगे रहे। मान्यवर, जब जिक्र आता है श्याम लाल बाजपेयी जी का तो एक ऐसा व्यक्तित्व हमारी नजरों के सामने आता है जिसको अपनी वाणी से, वाक पटुता से, हाजिर जवाबी से सदैव विधान सभा को जीवन्त किया। इनके निधन से हम सब दुखी हैं। डा० जेड०ए० अहमद बेमिसाल शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई और नव निर्माण की लड़ाई साथ साथ लड़ी थी। उनके निधन से एक बहुत बड़ा खालीपन देश और प्रदेश में आया है। स्वर्गीय श्री राम आधार तिवारी देश की आजादी के महान योद्धा थे उन्होंने स्वर्गीय उपाध्याय जी के साथ मिलकर प्रतापगढ़ जनपद में शिक्षण संस्थाओं के लिये कार्य किया। स्वर्गीय श्री इन्द्र भद्र सिंह अभी-अभी विधान सभा में आये थे, युवा थे जिन विषम परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई उससे हर कोई दुखी है। हम विशेष रूप से इनके निधन पर इतना जरुर कहेंगे कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनके हत्यारों को पकड़ने में सरकार को कोई कसर नहीं उठानी चाहिए। स्वर्गीय श्री लोकमणि शर्मा बड़े सहृदय व्यक्ति थे उनके साथ मुझे सन् 80 में कार्य करने को मिला। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ मथुरा जिले के सहकारिता आन्दोलन में और उसके बाद पंचायत के आन्दोलन में बड़ी ईमानदारी और कर्मठता से भाग लिया। दुर्भाग्य से वह आज हमारे बीच में नहीं रहे। श्री श्याम सुन्दर शर्मा जो उत्तर प्रदेश के खेल कूद मंत्री हैं स्वर्गीय श्री लोकमणि शर्मा जी के बेटे हैं मैं अपने व अपने दल की ओर से विशेष रूप से शोक सम्वेदनाएं व्यक्त करता हूं। स्वर्गीय श्री अरुण प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के बड़े परिवार के सदस्य थे, उनके निधन से हम सब दुखी हैं। इनके परिवारजनों को मेरे और मेरे दल के सदस्यों की ओर से शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें और मैंने जो विशेष आग्रह किया है उस पर ध्यान दे दें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ सदन में रहने का अवसर मिला कुछ ऐसे लोग जिनके नाम हम लोग सुनते आए हैं ऐसे 22 भूतपूर्व सदस्य हमारे साथी नहीं रहे हैं हम चाहेंगे कि हमारे दल की तरफ से हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय यह अत्यन्त दुख की घड़ी है जब इस सम्मानित सदन के 22 भूतपूर्व सदस्यों के दिवंगत होने पर शोक संवेदनायें व्यक्त की जा रही हैं। इस समय हम सब बहुत दुखी हैं श्री त्रिवेणी सिंह, श्री लालदास, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री बृजेश्वर सहाय प्रधान, श्री इश्तियाक अहमद श्री श्याम लाल कनौजिया, श्री ओंकार सिंह, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री नत्थाराम रावत, श्री रमा नाथ खैरा, श्री कमला प्रसाद उपाध्याय, श्री दल बहादुर सिंह, श्री वासुदेव मिश्र, श्री श्यामलाल बाजपेयी, डा० जेड० ए० अहमद, श्री राम अधार तिवारी, आचार्य दीपंकर, श्री इन्द्र भद्र सिंह, श्री लोकमणि शर्मा, श्री शिव शंकर सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय तथा श्री अरुण प्रताप सिंह जी के निधन पर इन सभी स्वर्गीय भूतपूर्व सदस्यों की आत्माओं के प्रति हम अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक संवेदनायें व्यक्त करते हैं। इन महान विभूतियों के संबंध में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विपक्ष एवं अन्य दल के माननीय नेताओं द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं को वह शाश्वत शान्ति दें। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि हमारे तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रामजग–

बहुत दुख की घड़ी है विधान सभा के भूतपूर्व 22 माननीय सदस्यों के संबंध में शोक संवेदनायें यह सम्मानित सदन व्यक्त कर रहा है। 22 सदस्यों में दो को मैं विशेष रूप से जानता था। जो मेरे जिले के रहने वाले थे। श्री श्याम लाल कनौजिया पार्टी के नेता भी थे, सोशलिस्ट पार्टी के विधायक के रूप में भी इन्होंने काम किया। इसी तरह से डा० जेड० ए० अहमद साहब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अग्रणी नेता थे। डा० अहमद ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की यह उसके संस्थापक थे यह महासचिव भी चुने गए इन्होंने पूरी जिन्दगी भर किसानों के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। आज यह हमारे बीच नहीं हैं इनके निधन से एक अपूर्णनीय क्षति हुई है मैं और मेरा दल इन सभी दिवंगत साथियों के मरने के बाद यह महसूस करता है कि इनके द्वारा शुरू किए गए कार्य जिनमें यह अग्रणी रहे उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। श्रीमन् हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनाओं को इनके शोक संतप्त परिवार तक भिजवाने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)–

माननीय, स्व० श्री त्रिवेणी सिंह, श्री लाल दास, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री बृजेश्वर सहाय प्रधान, श्री इश्तियाक अहमद, श्री श्याम लाल कनौजिया, श्री ओंकार सिंह, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री नत्था राम रावत, श्री रमा नाथ खैरा, श्री कमला प्रसाद उपाध्याय, श्री दल बहादुर सिंह, श्री वासुदेव मिश्र, श्री श्यामलाल बाजपेई, डा० जेड० ऐ० अहमद, श्री राम आधार तिवारी, आचार्य दीपंकर, श्री इन्द्रभद्र सिंह, श्री लोकमणि शर्मा, श्री शिव शंकर सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे व श्री अरूण प्रताप सिंह के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र सिंह–

श्रीमन्, आज सदन के भूतपूर्व 22 सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं। उनमें से अधिकांश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन 22 महानुभावों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सराहनीय योगदान दिया। विभिन्न समाजसेवी संगठनों में उनकी सराहनीय भूमिका रही। उनमें से जेड० ए० अहमद को मैं नजदीक से जानता हूं। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। यह साम्यवादी नेता थे। आज जिन 22 भूतपूर्व सदस्यों के प्रति उनकी आत्माओं के प्रति जो शोकोद्गार प्रकट किये गये हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

* श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रान्त के राजनीतिक रंगमंच में 22 देदीप्यमान नक्षत्र हमारे बीच से विलुप्त हो चुके हैं। परम्पराएं जीवित रहती हैं और व्यक्तियों की यादें रह जाती हैं। मुझे इस अवसर पर कहने के शब्द तो नहीं हैं लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि इन 22 नक्षत्रों में आजादी की लड़ाई का वह चमकता हुआ सितारा जेड० ए० अहमद आज हमारे बीच में नहीं हैं वहीं मेरे जनपद और क्षेत्र के पूर्व प्रतिनिधि जिनकी परम्पराओं का निर्वहन मैं कर रहा हूं, पंडित श्यामलाल बाजपेई आज हमारे बीच में नहीं हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रारम्भ की हुई राजनीतिक यात्रा को विगत 6 जनवरी को विराम लग चुका है। जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने उद्धृत किये हैं मैं अपने आपको उनकी भावनाओं से सम्बद्ध करते हुए आज के इस दुखद अवसर पर माननीय नेता सदन से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनकी जीवंतता को आश्वस्त रखने के उद्देश्य से कुछ ऐसे उपक्रम करने का प्रयास करें जिससे आने वाले कल में हमें रोशनी और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी व्यक्तिगत भावनाओं को विशेष रूप से उल्लिखित डा० श्याम लाल बाजपेई के प्रति, जिनका वरिष्ठ पुत्र जंगवार में मारा जा चुका है, हमारी शोक संवेदना उसे शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

विगत लगभग एक वर्ष में इस सदन के 22 भूतपूर्व सदस्यों का निधन हो गया। श्री त्रिवेणी सिंह, श्री लाल दास, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री बृजेश्वर सहाय प्रधान, श्री इश्तियाक अहमद, श्री श्याम लाल कनौजिया, श्री ओंकार सिंह, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री नत्था राम रावत, श्री रमा नाथ खैरा, श्री कमला प्रसाद उपाध्याय, श्री दल बहादुर सिंह, श्री वासुदेव मिश्रा, श्री श्यामलाल बाजपेई,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० जेड० ए० अहमद, श्री राम अधार तिवारी, श्री आचार्य दीपंकर, श्री इन्द्रभद्र सिंह, श्री लोकमणि शर्मा, श्री शिव शंकर सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय व श्री अरूण प्रताप सिंह–हमारे बीच नहीं रहे। इन माननीय सदस्यों ने विभिन्न काल खण्डों में इस सदन की तो सेवा की ही इसके साथ-साथ समाज में सेवा की, कुछ ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया कुछ ने साम्यवादी आन्दोलन में भाग लिया, कुछ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे, कुछ सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करते रहे कुछ समाज के अन्य विभिन्न कार्यों से सम्बद्ध रहे। उनके निधन से इस प्रदेश को, इस विधान सभा को क्षति हुई है।

स्वर्गीय श्री त्रिवेणी सिंह, श्री लाल दास, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री ओंकार सिंह, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री रमा नाथ खैरा, श्री श्यामलाल बाजपेई, श्री इन्द्रभद्र सिंह, श्री लोकमणि शर्मा, श्री अरूण प्रताप सिंह, से मैं व्यक्तिगत रूप से भी परिचित था। इस सदन में उन्हें मैंने कार्य करते हुए भी देखा है। सदन में अपना योगदान देने के लिए और विभिन्न स्थानों पर सदैव जागरूकता लाने के लिए वे सब हम सबके प्रेरणा-दायक हैं और हमारे प्रेरणा के स्रोत वे बने रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री माननीय नेता प्रतिपक्ष और इस सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने शोकोद्गार व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं मैं आप सबकी शोक संतप्त भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। आप से अनुरोध है कि कृपया दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट खड़े होकर मौन धारण करें।

(सदन ने 2 मिनट का मौन रखा)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी सदन को कोई महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं।

विद्युत् परिषद् के अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की वापसी की सूचना

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। परसो 8 फरवरी से रात्रि के 9 बजे से विद्युत अभियन्ताओं ने और विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। यह सूचित करते हुये मुझे खुशी हो रही है कि केवल 35 घण्टे के अंतराल से ही बिना शर्त यह हड़ताल वापिस से ली गई है।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं और मेरे मंत्रिपरिषद् की जो समिति है उनसे वह मेरे की आवास पर मिले थे और वहां पर अभियन्ताओं के प्रतिनिधि और राज्य विद्युत कर्मचारियों के प्रतिनिधि आये थे और प्रातः 9 बजे उन्होंने हड़ताल समाप्त करने के निर्णय की लिखित सूचना हमको दी। हम विद्युत अभियन्ताओं के और विद्युत कर्मचारियों के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। यह महत्वपूर्ण सूचना आपकी नोटिस में देनी थी।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश को अंधकार में डूबने से बचा लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो वार्ता हुई है या जो निर्णय हड़ताल वापिस करने का लिया गया है वह क्या कुछ शर्तों के साथ वापिस लिया गया है, या कोई निर्णय आपने किया है उसको इस सदन को बता दें कि क्या करने जा रहे हैं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, बिना किसी शर्त के यह हड़ताल समाप्त हो गयी है, बिना किसी शर्त के निर्णय के हड़ताल को वापिस लेने का निर्णय किया गया है। जो लिखित में निर्णय मुझको दिया है, मैंने उसका स्वागत किया है। कैबिनेट से जो विद्युत सुधार बिल पारित होकर सदन में आयेगा, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं

माननीय सदन को कि इसी सत्र में हम विद्युत सुधार बिल ले आयेंगे, इस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है। (व्यवधान)

(मेजों की थपथपाहट)

माननीय सदन को पूरा विचार करने का अधिकार होगा, वह टाला नहीं जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उसे पढ़कर सुना दें।

(अनेक सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं पूरा पढ़े देता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। विषय–हड़ताल वापिस करने की सूचना। आदरणीय महोदय, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश, माननीय ऊर्जामंत्री, माननीय राज्यमंत्री ऊर्जा एवं आपके समक्ष अपना पक्ष रखने के बाद आश्वस्त है कि विद्युत परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भावनाओं पर उचित विचार होगा। अतः आप में पूर्ण विश्वास करते हुए अपनी 9-2-99 की प्रथम पाली, 8-2-99 की रात्रि 10 बजे से प्रारम्भ हुई हड़ताल वापिस करने का निर्णय आपको सूचित करता हूं। आशा है कि विश्वास का वातावरण और सामान्य स्थिति को बहाल करने का उचित निर्णय लिया जायेगा। इस पर सबके हस्ताक्षर हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें

(सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास नियम 311 की 4 सूचनायें आई हैं और आज का उपवेशन प्रारम्भ होने के पूर्व, जैसा मैंने पहले कहा था, कि प्रश्नकाल और निधन के निर्देशों के उपरान्त मै इनको लूंगा। उसी के अनुसार मैं एक-एक करके ले रहा हूं। माननीय सदस्य जिन्होंने सूचना दी हैं, उनके विचार सुनूंगा। पहली सूचना पर माननीय श्री धनीराम वर्मा, श्री कौकब हमीद, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और श्री रामजग के हस्ताक्षर हैं। इसी आशय की दो सूचनायें और हैं, जिस पर श्री प्रमोद कुमार, श्री सुरेन्द्र नाथ और श्री जगदम्बिका पाल के हस्ताक्षर हैं, यह सूचना प्रदेश में रबी की बुवाई के समय डी० ए० पी० न मिलने और यूरिया खाद के दामों में बढ़ोत्तरी के संबंध मे है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात कहें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लेता हूं, ठीक है, आप प्रारम्भ करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस प्रदेश में जब से यह सरकार पदारूढ़ हुई है, तब से इसके पूरे दृष्टिकोण और इसके कार्यकलापों से स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसानों को अपना मानती नहीं है । यह सरकार किसानों के हित में काम नहीं करती, बल्कि उनको अपना शत्रु मानकर उनकी रीढ़ को तोड़ने का काम यह सरकार कर रही है । हम लोगों के यहां एक कहावत प्रचलित है कि जैसा राजा का आचरण होगा, वैसा ही देश की, प्रदेश की प्रजा को भोगना होगा । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कल्याण सिंह की सरकार आई है, इस प्रदेश के किसानों की स्थिति गम्भीर हो गई है । जो अति गम्भीर स्थिति है, जिसके कारण नियम 311 में सूचना देनी पड़ी है, वह यह है कि इस प्रदेश के किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है । मैं माननीय सदन के सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं कि गत 7 जुलाई को केन्द्रीय सरकार के माननीय कृषि मंत्री ने हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में जो आंकड़े दिये हैं, वह विभिन्न प्रदेशों में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के संबंध में हैं, उसके अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 269, महाराष्ट्र में 82, कर्नाटक में 44 और पंजाब में 52 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी । आज उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने वही स्थिति उत्पन्न हो गई है । किसान के पास भुखमरी की वजह से आत्महत्या करने के सिवा वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं है । इसका कारण यह है कि पिछली रबी की बुवाई के समय जितनी डी० ए० पी० की आवश्यकता थी, उसका 60 प्रतिशत भी किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया । यह स्थिति अचानक नहीं आई । पहले बहुत से सवालों में अपनी विफलता छिपाने के लिये सरकार की तरफ से कह दिया जाता था कि प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा हुआ, हम आकलन नहीं कर सके । इसमें दो गड़बड़ियां हुई । एक तो उत्पादकों ने जितनी खाद की सप्लाई का वायदा किया था, उतना उपलब्ध नहीं कराया । इफको ने 60 हजार मीट्रिक टन देने का वायदा किया था, लेकिन 33 हजार मीट्रिक टन ही उपलब्ध कराया । इसी प्रकार गोदावरी ने 60 हजार मीट्रिक टन का एग्रीमेंट किया था, लेकिन 19,600 मीट्रिक टन ही उपलब्ध कराया । इसी प्रकार पी० पी० एल० ने 65 हजार मीट्रिक टन का एग्रीमेंट किया था और 20,600 मीट्रिक टन ही उपलब्ध कराया...

सरकार की खुली साजिश जब तक नहीं होगी तब तक इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी । मान्यवर, जहां तक खाद के वितरण का सवाल है, इस बारे में बहुत घपला किया गया है, जिसके कारण खाद किसानों तक नहीं पहुंच पायी । अभी तक खाद के वितरण का कार्य सहकारिता के माध्यम से किया जाता था, पी० सी० एफ० के माध्यम से किया जाता था और निजी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता था और खाद किसानों तक पहुंचती थी । एग्रो को 5 प्रतिशत वितरण के लिये दिया जाना था, लेकिन इस बार उनकी 60-70 प्रतिशत की कटौती की गयी है, जिसके कारण खाद किसानों तक नहीं पहुंच पायी है, यह सब क्या है, यह सरकार की नाकामयाबी का नमूना है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पी० सी० एफ० में खाद उपलब्ध नहीं रही, लेकिन वहीं देखा जाये तो पाया गया कि निजी दुकानों पर खाद उपलब्ध रही और वह खाद मंहगें दामों पर किसानों को मिल पायी । वह खाद मंहगी ही नहीं बल्कि नकली खाद उपलब्ध हुई, जिससे उनकी फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ । एक ओर तो किसान ने अधिक पैसा दिया और दूसरी ओर उसकी फसल भी नष्ट हो गयी ।

मान्यवर, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आलू के किसानों को भी यूरिया सही दामों पर उपलब्ध नहीं हो पायी । 20 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से किसान को ज्यादा दाम देने पड़े । इससे किसान की आर्थिक हालत चरमरा गयी है, और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है । आर्थिक हालत कमजोर हो जाने के कारण किसान अपना लगान नहीं जमा कर पाया है और जो दूसरे बकाये थे

उनको नहीं जमा कर पाया है, लेकिन इस सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे जबरिया वसूली कर रहे हैं और जो किसान नहीं दे पा रहा है उसको बन्द किया जा रहा है, इस तरह के जुल्म तो किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुये, जो आज यह सरकार कर रही है। यह सरकार किसानों की रीढ़ तोड़ने पर लगी है। ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों को यह सरकार राहत नहीं दे पायी है, अति वृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, उससे यह सरकार उनको मुक्ति नहीं दिला पायी है और किसानों की स्थिति अत्यंत गम्भीर हो गयी है, किसान भुखमरी के कगार पर हो गया है। इसलिये आपसे विनती करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करा दें।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही गम्भीर विषय है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। आप जानते ही होंगे कि खरीफ की फसल किसान की बरबाद हो गयी और रबी की फसल भी खाद न उपलब्ध हो पाने के कारण खराब हो गयी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने टमाटर, नमक, मिट्टी का तेल और प्याज की कई गुना दामों पर बिकवाया, और इस सरकार ने उनके कफन खोलने का काम किया है।

मान्यवर, जो स्थिति है वह सभी को मालूम है। आज रबी की पैदावार इसलिये ज्यादा होती है कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल काफी मात्रा में किया जाता है। लेकिन आज रासायनिक उर्वरक उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है और मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और मुनाफाखोरों में एक गठबन्धन है जिसके तहत रासायनिक उर्वरक आज नियंत्रित मूल्य पर नहीं मिल पा रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों को मुनाफाखोरों ने गायब कर दिया है। आज जो खाद बिक्री के केन्द्र हैं वहां पर उर्वरक उपलब्ध नहीं हैं। समितियों में और संघों की दुकान पर यह रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं हैं।

आज डी० ए० पी०, यूरिया और पोटाश बाजार में 2 गुने दाम पर उपलब्ध है चाहे जितना खरीद लो। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की आंखें हों तो देखे लेकिन उसे दिखायी नहीं दे रहा है। सरकार को दिखायी दे या न दे लेकिन हमें और प्रदेश की जनता को दिखायी पड़ रहा है कि सरकारी केन्द्रों पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं हैं लेकिन बाजार में ऊंचे मूल्य पर खुले आम बिक रहे हैं तो यह प्रदेश सरकार क्यों सोई है। इसका यही कारण हो सकता है कि मुनाफाखोरों और जमाखोरों और कल्याण सिंह की सरकार के बीच एक खुला समझौता है जिसके तहत किसानों को खुले आम लूटने की छूट दी गयी है। यदि रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं होते हैं तो पैदावार उतनी नहीं होगी। इसका निदान यही है कि अन्य राज्यों में जो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है उससे बढ़ाकर यहां पर दिया जाय। केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री अटल बिहारी सरकार ने एक ऐसा वित्त मंत्री रखा है जिसने सब्सिडी को हटा दिया है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने जो सब्सिडी हटाई है उसको प्रदेश सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी किसानों को दे। किसानों को उर्वरक उसी दाम पर उपलब्ध कराये जायं जिस दाम पर कांग्रेस की सरकार में या यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में उपलब्ध होते थे। लूटने खाने के लिये सरकार के पास पहले से ही बहुत से मुहकमें हैं यह सरकार किसानों पर खुले आम डकैती डाल रही है। सरकार किसान का पेट काट रही है और इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है। इसलिये मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि नियमों को निलम्बित कर दीजिये और इस समस्या पर आप चर्चा करायें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, प्रदेश की 17 करोड़ की आबादी में से 90 फीसदी किसान हैं । यह सरकार किसानों के लिये बड़े-बड़े वायदे करती है पिछली बार बाढ़ आयी तो सरकार ने वायदा किया, ओलावृष्टि हुयी वेस्टर्न यू० पी० में तो सरकार ने वायदा किया लेकिन किसी को आज तक मुआवजा नहीं दिया । आज भी किसान के खेतों में पानी भरा है । किसानों को मुआवजा देने के बजाय किसानों पर जो बकायें हैं उनकी वसूली को लेकर किसानों को बंद किया जा रहा है । सरकार को इसको रोकना चाहिये । लेकिन इसकी तरफ ध्यान न देकर सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि रबी में जो फसल बोयी जाने वाली थी उसके लिये उर्वरक उपलब्ध नहीं है । सरकारी केन्द्रों में खाद नहीं मिल रही है लेकिन मुनाफाखोर बाहर ऊचें दामों पर उर्वरक बेच रहे हैं । मान्यवर, इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाकर भेजें जो पता लगाये कि वाकई में किसान को उर्वरक उपलब्ध है या नहीं है । बाहर खाद 2 गुने दाम पर बिक रही है । यह किसनों की दुश्मन सरकार उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहती है । ओलावृष्टि के बारे में आपका आदेश हुआ कि मुआवजा मिलेगा लेकिन आज तक नहीं मिला है । बाढ़ के लिये जो धन दिया गया है वह जिस तरह से बांटा गया है उसके बारे में चर्चा है ही कि उसमें बड़े पैमाने पर लूट हुयी है । मगर मैं यह चाहूंगा कि किसान के इस मसले पर कि वह कैसे आगे कि फसल बोयेगा, क्या खायेगा, उसका मुआवजा यह सरकार दे । मैं चाहूंगा कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ही लोकमहत्व का सवाल है । मैं कुछ कहूं, सर्वप्रथम मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप सदन के नियमों को निलम्बित करके इस पर तत्काल चर्चा करायें । मैं सादर इस बात को कहना चाहता हूं कि आज मरकज में जिस पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूरिया खाद के दाम में 11 फीसदी बढ़ोत्तरी करा दी है । आज 200 रुपये प्रति बोरी की दर से सरकार यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध करा रही है । उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोर्चे की सरकार, यह पहली ऐसी सरकार है जिसने बाढ़ की तबाही के बाद प्रदेश के किसानों को रबी के बुवाई के समय मिट्टी में डाली जाने वाली खाद तक उपलब्ध नहीं करा सकी । जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है उसी पार्टी की अगुवाई की सरकार केन्द्र में भी है । किसानों को डी० ए० पी० खाद नसीब नहीं हुई, बीज उपलब्ध नहीं हुये । पंजाब के अन्दर और दूसरे सूबों में वह खाद भेजा गया । आज उत्तर प्रदेश की जो सकल आमदनी है उसमें कृषि क्षेत्र की आमदनी 42.5 प्रतिशत आता है । आज इस मंहगाई की मार का सबसे ज्यादा दुष्परिणाम असंगठित क्षेत्र के किसानों के ऊपर ही पड़ रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 1994-95 में की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया था कि एक प्रतिशत मुद्रास्फीति की वृद्धि दो प्रतिशत बेरोजगारी को बढ़ावा देती है । मंहगाई, बेरोजगारी और उसके बाद गरीबी यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ सवाल है । आज उत्तर प्रदेश के किसान जो असंगठित क्षेत्र में हैं इस मंहगाई के चलते कृषि उत्पादकता ही नहीं प्रभावित होगी बल्कि उनकी प्रति व्यक्ति आय भी घटेगी । 1951 में जब इस देश में नियोजित विकास की प्रक्रिया शुरू की गयी तो उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी 6 करोड़ से ऊपर थी लेकिन आज इससे भी अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गयी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, मैं आपसे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह कितनी चिन्ताजनक बात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और देश के प्रति व्यक्ति आय में मात्र 8 रुपये का अन्तर था लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना के समापन में प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच में 4038 रुपये का अन्तर आ गया है । मैं यह निःसंकोच कहना चाहता हूं कि दुनिया के वित्तीय संस्थाओं, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में आकर यूरिया खाद से सब्सिडी को कम किया गया । उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जो सब्सिडी केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किया गया है उसको वह अपने राजकीय कोष से पूरा करती । प्रदेश सरकार को यह पहल करनी चाहिए कि कृषि उत्पादों के मूल्यों और कारखानों में बनने वाले सामानों के मूल्यों के बीच में सन्तुलन स्थापित हो ताकि प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालत सुधर सके । इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश सरकार, केन्द्र की सरकार से यह व्यवस्था सुनिश्चित कराये कि जैसे देश में कृषि मूल्य आयोग गठित है उसी प्रकार इसे कारखानों के उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए औद्योगिक मूल्य आयोग बनाना चाहिए । मान्यवर, इस लोक महत्व के विषय पर नियमों को निलम्बित करके चर्चा करायें ।

श्री रामजग–

अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त लोकमहत्व का प्रश्न है कि आज पूरे प्रदेश में किसानों के बारे में यह भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केन्द्र की जो सरकारें हैं उसने किसान विरोधी रवैया अख्तियार कर रखा है । मान्यवर, एक तो किसान मंहगाई की मार से परेशान है और दूसरी ओर बे-मौसम की बरसात से और ओला वृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई है । इसके साथ ही रवी की बुवाई में किसानों को खाद और बीज यह सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई है । मान्यवर, डी०ए०पी० की जो सरकारी दुकानें हैं वहां पर यह खाद उपलब्ध नहीं थी लेकिन प्राइवेट दुकानों में डी०ए०पी० खाद दुगुने-तिगुने दामों पर उपलब्ध थी और किसानों को रबी के बढ़े हुये दामों के अलावा मिलावटी खाद दी जा रही थी । यह उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को रवी की बुवाई के समय खाद उपलब्ध नहीं करा पायी है ।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को भूखा मारना चाहती है । मान्यवर, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कारण इन खादों के दाम बढ़ाये जा रहे हैं । मान्यवर, मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया तो मालूम हुआ कि किसानों को रवी फसल की बुवाई के समय खाद नहीं मिली है जिससे रवी की फसल खराब हो रही है । यह सरकार किसान विरोधी है इसलिये यह अत्यन्त लोकमहत्व का प्रश्न है जिससे सदन में आज इस पर चर्चा कराई जाय ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, प्रस्तुत नियम 311 के प्रस्ताव की ग्राह्यता पर मैं अपने विचार रखते हुये आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है और अभी इस कार्यकाल में इसने जो कार्य किये हैं वे किसान के दुश्मन की तरह से किये हैं । जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से आलू,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तिलहन, दलहन सब बर्बाद हुआ और यह चीजें जब किसान के घर से बाहर चली गई तो इन सभी चीजों के दाम आसमान छूने लगे । मान्यवर, आप देखें तो तिलहन, दलहन और प्याज के दाम आसमान को छूने लगे और बड़े व्यापारियों तथा पूंजीपतियों को इस सरकार ने फायदा पहुंचाया । मान्यवर, किसान की पिछली खरीफ और रबी की फसल नष्ट हो गई थी तथा इस साल बाढ़ और वर्षा से फसल नष्ट हुई । लेकिन इस सरकार ने सिंचाई और लगान की वसूली बड़ी निर्दयता से किया जिसे आप देखें तो अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और इतिहास में ही मिलेगा । श्रीमन्, वसूली के तहत जनपद जालौन में एक हरिजन किसान की मौत हुई । इसी प्रकार चित्रकूट में हरिजन किसान की मौत हुई । सदन में बैठे माननीय सदस्य जानते होंगे क्योंकि उनके क्षेत्रों में भी यही हालत होगी ।

आज तहसीलदार, एस०डी०एम० और रेवेन्यू के अधिकारी गांव में जाते हैं । बैल छोड़ देते हैं, बकरी छोड़ देते हैं, भैंस छोड़ देते हैं, लेकर चल देते हैं । जब लोग प्रार्थना करते हैं कि पैसा इस वक्त नहीं है छोड़ दीजिये तो उनको जूतों और तमाचों से पीटा जाता है वह किसान जो सारे देश और प्रदेश को खिलाता है उसको जितना इस वक्त अपमान झेलना पड़ रहा है वैसा इतिहास में कभी नहीं झेलना पड़ा होगा दुनिया में कहीं भी इतना अपमान उसको नहीं देखना पड़ता होगा । आज आलू का किसान बरबाद है, प्याज का किसान बरबाद है, टमाटर का किसान बरबाद हो गया ।

मिर्जापुर और सोनभद्र में जहां ज्यादा टमाटर पैदा होता है वहां पर एक रुपये और आठ आने किलो टमाटर बिक रहा है । कहीं भी दो रुपये किलो से ज्यादा टमाटर नहीं बिक रहा होगा । प्याज की कीमत दो तीन रुपये से ज्यादा नहीं होगी । आलू की कोई पूछ नही है एक रुपये और डेढ़ रुपये किलो में आलू बिक रहा है । जो आलू बीज में किसानों से 10-13 रुपये किलो खरीदा था उसकी आज यह दशा है उसका $\frac{1}{6}$ भाव भी नहीं मिल रहा है । इस तरह से किसानों की बरबादी कभी नहीं हुई होगी । इस सस्कार को यह चाहिये था कि वह आलू की सरकारी खरीद करवाती तो निश्चित रूप से आलू की इतनी दयनीय दशा नहीं होती । अक्तूबर में जब आलू के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । आज खोल दिया गया है लेकिन कहां खोला गया है कौन खरीद रहा है कहीं पता नहीं है । अक्तूबर तक आलू का उत्पादन शुरू हो चुका था लेकिन उस वक्त तक प्रतिबन्ध लगा हुआ था । अब आलू खेतों में सड़ेगा इसलिये सड़ेगा कि इस सरकार की नीति किसानों के लिये दुखदाई बन गई है ।

अब किसानों का भविष्य क्या होगा, ईश्वर ही मालिक है । आलू भण्डार के सिलसिले में शीतगृह मालिक 80 रुपये प्रतिबोरा मांग रहे हैं । यह भी कह रहे हैं कि 10 रुपये पहले जमा कर दीजिये । जब हमारी सरकार थी तो आलू भण्डारण की दर 44 रुपये कुन्तल था आपके जमाने में पहले 65 रुपये बोरा था जिसमें 85 किलो आलू आता है अब आपने 80 रुपये कर दिया । इतने रुपये में तो उसका आलू भी नहीं होगा । आप इस लोकमहत्व के प्रश्न को स्वीकार करें इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं । क्योंकि कहीं महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश की तरह किसान आत्महत्या करना न शुरू कर दें ।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अध्यक्ष जी, आपकी कृपा से नियम 311 के माध्यम से ऐसा विषय उठाया गया जिस पर चर्चा करने का अवसर माननीय सदस्यों को महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मिल जाता । मैं कुछ बिन्दुओं तक अपनी बात रखना चाहता हूं । यह सही है कि दिसम्बर के महीने तक डी०ए०पी० क्योंकि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आयात होती है उस वक्त अवरोध पैदा हो गया था जिससे काफी कठिनाई प्रदेश सरकार को आई । लेकिन प्रदेश सरकार बराबर प्रयास करती रही और यह प्रदेश सरकार के प्रयासों का ही फल है कि हमारा लक्ष्य 6 लाख मीट्रिक टन था .....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

जो भी आपने कहा मैंने उसे शान्तिपूर्वक व बड़े आदर के साथ सुना । मेरी बात में अगर कहीं कोई कमी रह जायेगी तो मैं आपके सामने अभी बैठा ही हूं । स्पष्ट कर दूंगा । मान्यवर, 6 लाख मिट्रिक टन का का लक्ष्य था और यह लक्ष्य था 1998-99 का । मान्यवर, जनवरी के महीने तक 6 लाख 26 हजार 177 लाख मीट्रिक टन डी०ए०पी० उपलब्ध कराई जा चुकी थी ।

श्री समरपाल सिंह–

[× × ×]

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुन लें । यह जो आप लोग कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

दिसम्बर के महीने तक 4 लाख 80 हजार 441 लाख मीट्रिक टन डी०ए०पी० उपलब्ध कराया गया । इसके बावजूद भी आखिर यह कमी क्यों रही, इस पर आप लोगों को भी विश्लेषण करना होगा । आलू के दाम एकदम ऊपर चढ़ गये, आलू की पैदावार के लिये भूमि को तैयार करके, जिसमें दूसरी फसल बोई जा सकती थी, उस भूमि पर आलू की फसल बो दी गई । आलू के लिये डी०ए०पी० की आवश्यकता होती है । परिणाम क्या हुआ ? परिणाम यह हुआ कि जो हम 90 से 95 लाख मीट्रिक टन आलू के उत्पादन की उम्मीद करते हैं वह एक करोड़ मीट्रिक टन से अधिक आलू का उत्पादन होने जा रहा है । किसान को लगा कि आलू के भाव ऊंचे मिलेंगे, इसलिये एकदम उसकी आवश्यकता बढ़ गई । आप कारण भी तो समझें लेकिन इसके बावजूद भी जितनी आवश्यकता थी, विलम्ब हुआ, इसको हमने स्वीकार किया ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिये । जो बात आप लोग कह रहे हैं, वह नहीं लिखी जा रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

दिसम्बर के महीने तक 4 लाख 80 हजार 44 लाख मीट्रिक टन की बात मैंने कही है । जहां तक रबी की बुवाई का प्रश्न है, यह क्षेत्र-क्षेत्र पर निर्भर करता है । पूरब में दिसम्बर तक बुवाई हो सकती

[× × ×] मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

है। ऐसे भी क्षेत्र में जहां पर बहुत ज्यादा गेहूं होता है वहां 31 जनवरी तक रवी की बोवाई चलती है। गेहूं की बोवाई चलती है। उधर जो बैठे हैं, इस बात के गवाह हैं। मान्यवर, दूसरी बात यह कि एक आध प्रमाण मैं देना चाहूंगा। मान्यवर, यूरिया की बात कही। यूरिया का लक्ष्य पी०सी०एफ० का ही केवल 7 लाख 67 हजार मीट्रिक टन का था जिसे 10 लाख 4 हजार 247 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ। इस तरह से साफ है कि खाद की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं रही। मैं पोटाश के भी आंकड़े देने जा रहा हूं। एक अनुरोध आपसे करूंगा कि जो आंकड़े आपके सामने हैं, वास्तविकता क्या रही, उसकी तो समीक्षा कर लें। बाढ़ की विभीषिका हुई, बरसात हुई, बरसात का पानी भरा रहा और बाढ़ का भी इसके बावजूद भी धान की उपज पूर्वगामी सब वर्षों से रिकार्ड उत्पादन हुआ। 119 लाख मीट्रिक टन इससे पहले नहीं हुआ। यह किसानों को खाद उपलब्ध कराई गई थी उसका ही परिणाम है यह प्रदेश सरकार को किसानों के प्रति सही नीति है उसी का परिणाम है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष पी०सी०एफ० के डी०ए०पी० का कितना वितरण किया ?

श्री हुकुम सिंह–

पिछले वर्ष का भी आंकड़ा मेरे पास है वह भी बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी आलू का रिकार्ड उत्पादन और धान का रिकार्ड उत्पादन हुआ है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि रबी का भी रिकार्ड उत्पादन इस प्रदेश में होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि आलू में, धान में, गेहूं में, गन्ने में सारे भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों से अधिक केवल यह प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मिथ्या भाषण का यह सर्वोच्च रिकार्ड है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

रिकार्ड धान का उत्पादन होने के बावजूद यह पहला वर्ष है यह मैं माननीय सदस्यगण का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसी जनपद में इस प्रदेश सरकार ने धान को सरकारी मूल्य से कम बिकने के लिये विवश नहीं होने दिया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं और आप खाद्य मंत्री भी हैं। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि इस वर्ष खाद्य क्रय केन्द्र कितने खोले गये और किन-किन जनपदों में खोले गये और कितनी खरीद की अभी तक।

श्री हुकुम सिंह–

सारे प्रदेश में दो हजार 225 क्रय केन्द्र खोले गये और मैं खुद नेता विरोधी दल के जनपद में गया था।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं हो रही है, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह कुछ नहीं लिखा जायेगा। पहले सब लोग खड़े होकर बोल लें, लिखा नहीं जायेगा। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो कृपया शान्तिपूर्वक उनकी बात सुन लें उसके बाद एक दो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें। जो तथ्यात्मक बातें थीं उसका उत्तर यह दे रहे थे हो सकता है कि विपक्ष उससे सहमत हो, हो सकता है कि न सहमत हो, लेकिन यह उचित नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

आज तक इस प्रदेश में कोई भी सरकार आई है तो हर वर्ष गन्ने के दाम एक रुपया या दो रुपया बढ़े हैं लेकिन इस सरकार ने दस रुपया दाम बढ़ाया है और किसानों को दिलवाया है।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

किसानों के इस्तेमाल की जो चीजें हैं उसके दाम इन्होंने 30-40 प्रतिशत बढ़ा दिये यूरिया के दाम बढ़ा दिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने बार-बार अनुरोध किया, यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी तो इन्होंने गन्ने का मूल्य 5 रुपया बढ़ाया था यह जानकारी आपको हो तो आप बतायें अगर आप गुमराह करना चाहते हैं इस सदन को, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, यह बात उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने एक प्रश्न उठाया। आलू का उत्पादन ज्यादा हो गया है किसानों का शोषण हो रहा है कोल्ड स्टोरेज वाले उनका शोषण कर रहे हैं। मान्यवर, मंत्रि-मण्डल किसानों को

विश्वास में लेकर कोल्ड स्टोरेज वालों से बात करके एक फार्मूला तैयार कर रहा है ताकि कोल्ड स्टोरेज वाले किसानों का शोषण न कर पायें । इनकी सरकार थी तो सारे कोल्ड स्टोरेज वालों को छूट दे दी थी सारी मर्यादा समाप्त कर दी थी ।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

इसमें आप भी भागीदार थे ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

यह बात सही है कि रिकार्ड उत्पादन आलू किसान का है उत्तर प्रदेश सरकार के पास करीब 48 लाख मीट्रिक टन आलू रखने की क्षमता है । जितने पड़ोसी प्रदेश हैं बात की जा रही है, समीक्षा की जा रही है, यह कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक भण्डारण प्रदेश में हो जाये ताकि आलू बाहर भेजा जा सके । किसानों के प्रति यह प्रतिबद्धता है । किसानों को समस्यायें कितनी आपके शासनकाल में हुई हैं उतनी कभी नहीं हुई हैं ।

(व्यवधान)

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

श्री धनीराम वर्मा–

यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी झूठे आश्वासन देकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने नारे लगाते हुये सदन का बहिष्कार किया)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्पष्टीकरण के लिये समय दिया । प्रश्न कुछ था और उत्तर कुछ आ रहा है । माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार कर लिया कि जब रबी का सीजन था तो किन्हीं कारणों से लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया । पोटाश नहीं उपलब्ध हो पायी, यूरिया नहीं उपलब्ध हो पाई । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह सरकार रिकार्ड तोड़ने वाली सरकार है इसने आलू के उत्पादन में, धान के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में रिकार्ड उत्पादन किया है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसने भ्रष्टाचार के क्षेत्र में भी रिकार्ड तोड़ा है । मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय सीजन था पूर्व, मध्य और उत्तर प्रदेश में कितनी पोटाश, कितनी डी०ए०पी० की आवश्यकता थी, कितना यह उपलब्ध करा पाये ?

श्री अध्यक्ष–

यह कैसे बता पायेंगे । यह नियम–311 में उठाया गया था और उसमें पूरा विवरण देना सम्भव नहीं हो सकता है । आप भी होते तो न दे पाते ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने व्यापारियों से मिली-भगत करके खुले बाजार में ब्लैक में खाद बिकवाई है इसलिये मैं और मेरा दल इस मिलीभगत के खिलाफ, चोर बाजारी के खिलाफ सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इनसे जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है। जिस वक्त खाद की जरूरत थी उस समय ये खाद उपलब्ध नहीं करा पाये, यह सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इस प्रश्न के माध्यम से उन्होंने स्वीकार किया है कि वे बोवाई के समय डी०ए०पी० खाद उपलब्ध करा पाये थे, वे अपने आप को किसानों का हितैषी मानते हैं, लेकिन एक बात भी किसानों के हित की नहीं कर पा रहे हैं। यूरिया के दाम में बढ़ोत्तरी कर दी गई और इस सरकार ने अपनी ओर से सबसिडी की घोषणा भी नहीं की। यह जमाखोरों से मिली हुई सरकार है इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम जग–

मान्यवर इन्होंने सदन को गुमराह किया है और सही जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस नियम 311 की सूचना को, जो श्री धनीराम वर्मा, श्री अम्बिका चौधरी, श्री कौकब हमीद, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम जग, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री जगदम्बिका पाल जी ने दी है, को अस्वीकार करता हूं। अब मैं दूसरी सूचना जो कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री राम ललित चौधरी, श्री लालमणि प्रसाद जी व श्री लालजी वर्मा की पूर्व मुख्य मंत्री सुश्री मायावती द्वारा बनाये गये सन्त कबीर नगर जिला सहित अन्य जिलों एवं तहसीलों को बनाये रखने के संबंध में है, को लेता हूं।

* श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, 2 सितम्बर, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय बहन मायावती जी ने सन्त कबीर नगर जिले की घोषणा की और उसका गठन किया। तब से लेकर यह जिला आज तक सुचारु रूप से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

चल रहा था । सरकार के आदेशों को चैलेंज करते हुये हाई-कोर्ट में कुछ लोगों ने एक याचिका दाखिल की सरकार की ओर से याचिका में पहल ढिलाई से की गई काउंटर एफीडेविट नहीं .....

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुये)

लगाया फलस्वरूप एक पक्षीय निर्णय हो गया । मान्यवर, आज खलीलाबाद में अफरा-तफरी मची हुई है । बाबा आदम के जमाने के मापदण्ड लेकर 15 जिलों को समाप्त करने की आज साजिश चल रही है । हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, खलीलाबाद मुख्यालय पर सन्त कबीर नगर नाम से एक नये जिले का सृजन किया गया । सृजन के बाद वहां जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और अन्य लोग काम करने लगे हैं सुचारु रूप से वह जिला कार्य कर रहा था । उसके उपरान्त हाईकोर्ट के आदेश का सहारा लेकर उसे समाप्त करने की साजिश की गई है । मान्यवर, जबकि कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है यह कहा गया है कि अगर गठन करना है तो सदन में बिल लाकर गठन कर सकते हैं । अवसर था कि हम बिल लाते और नियमित रूप से उस कार्यवाही को पूरा करते । लेकिन सरकार की मंशा है वहां के निवासियों को कष्ट देने की । मान्यवर, वहां के लोगों को बस्ती आना पड़ता है और उससे बहुत समस्यायें रहती हैं । उस समस्या को दूर करने की जगह पर इस सरकार ने इस तरह की साजिश की है । डेढ़ साल से वह जिला है । उसे पूरी तरह समाप्त करने की साजिश की जा रही है । एस०पी० और डी०एम० को बुला लिया है । आज पूरे मण्डल में एक अजीब तरह का वातावरण हो गया है जनता में आक्रोश है सरकार के मंत्री लोगों को वहां के लोगों ने घेरने का काम किया है उन्हें वहां क्षमा मांग कर आना पड़ा । इस ज्वलंत समस्या पर मैं चर्चा की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

* श्री लालमणि प्रसाद–

मान्यवर, पूर्व मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने बस्ती जिले के अन्तर्गत एक नये जिले सन्त कबीर नगर का सृजन किया । महान सूफी सन्त कबीर साहब का देहावसान मगहर में हुआ था उन्हें सम्मान देने के लिये उनकी यादगार में जन भावना का आदर करते हुये खलीलाबाद मुख्यालय को सन्त कबीर नगर के नाम से जिले की घोषणा की गई । साथ ही साथ मेंहदावल तहसील-श्रावस्ती आदि तमाम जिलों के सृजन की घोषणा की गई थी । आज जो वर्तमान सरकार है साजिश के तौर पर जनपद को खत्म करना चाहती है । इस मुद्दे को लेकर वहां के किसान वहां के व्यापारी, वहां के वकील, वहां के छात्र, वहां के नौजवान संघर्षरत है कि सन्त कबीर नगर बरकरार रहे । मैं अनुरोध करूंगा कि इस जिले को बरकरार रखा जाय क्योंकि वहां पर डेढ़ वर्ष से सभी अधिकारी काम कर रहे हैं और जनता की समस्याओं का निस्तारण हो रहा है । कोई समस्या होने पर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच जाते हैं, डी०एम० और दूसरे अधिकारी वहां मौजूद हैं जिससे वहां के लोगों को राहत है । मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महान सन्त कबीर के नाम पर पूर्व मुख्य मंत्री सुश्री बहन मायावती जी ने जो सन्त कबीर नगर जनपद का सृजन किया था, वर्तमान मनुवादी सरकार सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उस नवसृजित जनपद को मिटाने का कुचक्र कर रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि महान सन्त कबीर जिनका देश ही नहीं विश्व भी जिनके संदेशों पर गर्व करता है दर्शन पर गर्व करता है। ऐसे महान सन्त के नाम पर सम्मान स्वरूप सन्त कबीर का नाम देकर एक अच्छा कार्य किया गया था सुश्री बहन मायावती जी द्वारा। मान्यवर, तमाम राजनीतिक द्वेष भावनाओं में आकर इस महान सन्त को अपमानित करने का कार्य जो इस सरकार द्वारा किया जा रहा है वह बहुत ही गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वहां पर पिछले लगभग डेढ़ सालों से जनपद का सुचारु रूप से कार्य चल रहा था। जिलाधिकारी बैठ रहे थे, पुलिस अधीक्षक बैठ रहे थे, सारा कार्य ठीक ढ़ंग से चल रहा था लेकिन इस भाजपा की सरकार ने आज उस सन्त कबीर नगर के जिले के जिलावासियों का जीवन तहस-नहस कर दिया है। सारे सन्त कबीर नगर के वासी आज सड़क पर उस जनपद को बचाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। मान्यवर, ये ऐसा प्रयोग करके उत्तर प्रदेश में जिन महापुरुषों के नाम पर सुश्री मायावती के द्वारा नये जिलों का विकास किया गया था, छोटे-छोटे जिलों में उसको करके विकास की गति देने का अच्छा कार्य किया गया था, वर्तमान सरकार उसको नेस्तनाबूत करने पर तुली हुई है। मैं कह देना चाहता हूं कि यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है। आज ऐसे महापुरुष के नाम पर जिन पर विश्व गर्व करता है ऐसे महापुरुष के नाम जहां पर विश्व में भारत की पहचान जानी जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, वर्तमान मनुवादी सरकार अपनी [× × ×] साजिश के तहत उस घिनौने कृत्य को करने पर तुली हुई है। यह लोक महत्व का विषय है इसलिये इस पर चर्चा करायी जानी चाहिये।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ जो सरकार की निरंकुश वादी नीति है जो सरकार की महापुरुषों को अपमानित करने की घिनौनी साजिश है उस पर अंकुश लगाये जाने का निर्देश आप की तरफ से दिया जाना चाहिये। मान्यवर, तमाम महापुरुषों के नाम पर गौतमबुद्ध जिला रहा है, महामाया नगर, सन्त रविदास नगर, साहूजी महराज नगर, अम्बेडकर नगर, उधम सिंह नगर, सन्त कबीर नगर आदि जिले हैं इन सारे जिलों को आज सुनियोजित षड़यंत्र के तहत यह सरकार मिटाने पर तुली हुई है जो बहुत ही निन्दनीय है। इसलिये हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि यह जो नवसृजित जनपद सन्त कबीर नगर है तथा प्रदेश के जो अन्य जनपद हैं, जो हमारे अतीत के इतिहास को, उनके नाम को रोशन करने के लिये चिन्हित किये गये हैं, जिनका निर्माण ऐसे महापुरुषों को सम्मान प्रदान करने के लिये किया गया है, उनको समाप्त न किया जाय। यह अत्यन्त लोकमहत्व का विषय है, इसलिये इस पर आप चर्चा अवश्य करायें।

(श्री अब्दुल कलाम के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक निवेदन कर दूं। मैं यह मानता हूं कि माननीय अब्दुल कलाम जी उसी जिले के हैं और इनकी रुचि इस पर हो सकती है, लेकिन मैं इनका तथा पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि

नोट :–[× × ×] मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जिन माननीय सदस्यों की वास्तव में रुचि हो, उनको नोटिस पर हस्ताक्षर करना चाहिये । वैसे मैं इनको अनुमति दे रहा हूं, मगर यह उदाहरण नहीं बनेगा । इसके बाद जिनके हस्ताक्षर नोटिस पर होंगे, उन्हीं को बोलने का अवसर प्राप्त होगा ।

* श्री अब्दुल कलाम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, संत कबीर, जिनको आप महान पुरुष कह लीजिये, महान सूफी कह लीजिये, जिनके नाम पूरे देश में ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, आज उनके नाम के नगर को तोड़ने का काम किया जा रहा है । संत कबीर नगर की 9 लाख की आबादी है, जब से इस नगर को खत्म करने का काम शुरू हुआ, वहां की 9 लाख की आबादी सड़क पर आ गई है, बहुत से लोगों ने आत्मदाह की धमकी भी दी है । छात्र, अधिवक्ता, किसान, व्यापारी सभी लोगों की रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो गया है । कलेक्टर, एस०पी० तथा अन्य सभी सुविधायें वहां पहुंच चुकी थीं, ऐसे समय पर अपने को संवेदनशील कहने वाली सरकार ऐसे महापुरुषों का नाम मिटाने के लिये, किसानों को विकास से वंचित करने के लिये उस जिले को समाप्त करने का काम कर रही है । अभी पिछले वर्ष प्रदेश में तमाम जगह बाढ़ आई, वहां सरकार की ओर से पैसा भेजा गया लेकिन संत कबीर नगर में बाढ़ का पैसा भी रोक दिया गया । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करें कि वह सदन में संत कबीर नगर को बरकरार रखने के लिये बिल लायें और माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दें कि वह इस बिल को लायेंगे । आज पूरे खलीलाबाद के लोग आन्दोलनरत हैं, हाय-हाय कर रहे हैं, त्राहि-त्राहि मची हुई है । अभी एक हफ्ता पहले इस सरकार के मंत्री श्री दल बहादुर कोरी वहां गये थे, जो वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनको किसानों, पत्रकारों, जनता ने घेरने का काम किया था, लेकिन वह दूसरे रास्ते से घूमकर निकल आये, लेकिन उनको जनता के बीच यह कहकर अपनी जान बचानी पड़ी कि हम आपकी बात वहां जाकर कहेंगे और संत कबीर नगर जिला आबाद रहेगा ।

मान्यवर, यह आश्वासन सरकार को देना चाहिये कि यह जिला हर हालत में रहेगा । इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस जिले को न तोड़ा जाये, इसको बरकरार रखा जाये, जिससे यहां की जो जनसंख्या है उसकी उपेक्षा न हो और जो यहां का विकास है वह उपेक्षित न हो ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, प्रस्तुत नियम–311 की ग्राह्यता पर जो चर्चा चल रही है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सन्त कबीर नगर की संरचना जिस समय की गई थी, उस समय इस सरकार के लोगों की भी हामी थी, जो आज उसे समाप्त करना चाहते हैं । यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वह करते नहीं हैं, लेकिन यह चीज हर जगह एप्लाई नहीं करते । उस सन्त के नाम से यह जिला बनाया गया है, जिसका नाम समाज सुधारक के रूप में और हिन्दी साहित्य में एक महान साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, उसके नाम को मिटाने का काम न करें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकमहत्व के प्रश्न पर आप चर्चा करा दें और सारे विषयों को स्थगित कर दें, जिससे सारे सदन की भावनायें जाहिर हो सकें और एक महान आत्मा जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, हम सबको देख रही है, उसे सांत्वना मिल सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, संत कबीर नगर यह किसी अन्य जनपद की एक विशेष परिस्थिति में संरचना हुई, बिना किसी आकलन के उसकी संरचना हुई, बिना किसी परीक्षण के उसकी संरचना हुई । लेकिन यह प्रदेश का निर्णय नहीं है कि उनको समाप्त किया जाये । संत कबीर नगर के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है और उनका निर्देश है, एक लिटीगेशन था, उसमें निर्णय दिया है । उसमें यह कहा गया है कि एक जिले के निर्माण में यह एक मानवर्टी होनी चाहिये । आपको बिल लाना पड़ेगा, बजटरी प्राविधान करना पड़ेगा, बिल असेम्बली से पास कराना होगा, तब उसे सृजित कर सकते हैं, जब तक ऐसा न किया जाये, आप संरचना नहीं कर सकते हैं । अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार यह कह दे कि उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं माना जायेगा । मान्यवर, विचार चल रहा है, सभी जनपदों का मामला है और प्रदेश सरकार ने मंत्रि परिषद् की एक समिति बना दी है, जो इस पर विचार करेगी । सन्त कबीर जी के बारे में कहा गया, उनकी पहचान किसी तहसील या जिले से नहीं, उनका नाम तो अमर है, वह तो हमारी संस्कृति में बसे हैं, उनको जिन्दा रखने के लिये हमें किसी तहसील या जिले के नाम की आवश्यकता नहीं है । अगर जिलों की संरचना करने के पहले सारी बातों पर विचार कर लिया गया होता, तो यह चीज न होती । आप घूमे फिरे और गये और घोषणा करके चले आये ।

(शोर)

* श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, यह सरकार नहीं चाहती है कि संत कबीर नगर बने सरकार ने काउंटर एफीडेविट दाखिल नहीं किया है, सरकार जानबूझकर ढिलाई कर रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, इस निर्णय में जो दिशा निर्देशन दिये गये हैं, बजट सेशन में उसी दिशा निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, यह बात सही है कि बहुत स्थानों से प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं, ज्ञापन प्राप्त हुये हैं । मीडिया के माध्यम से भी सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है । प्रदेश सरकार से जो प्रतिवेदन आये हैं उनकी सार्थकता पर विचार किया था और कहां पर औचित्य है और कहां पर औचित्य नहीं है इस संबंध में विचार किया है । आप लोगों ने जो निर्णय लिये हैं उनसे हजारों करोड़ रुपये खर्च करने का भार डाल कर आप चले गये भुगत तो उसको हम रहे हैं ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अब्दुल कलाम, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(श्री राम ललित चौधरी, श्री श्रीराम पाल, श्री लाल मणि प्रसाद, श्री लालजी वर्मा आदि अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाते रहे ।)

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, बाबा आदम के जमाने के मानक लेकर सभी जिलों को रद्द करने जा रहे हैं । यह सरकार की सोची समझी साजिश है ।

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये हुये सदस्येगण नारे लगाते रहे ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, इनके मंत्रीगण मारे जा रहे हैं। एक मंत्री को बूढ़ा समझकर छोड़ दिया गया। मंत्रियों की बेइज्जती हो रही है। लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है।

श्री लालमणि प्रसाद–

मान्यवर, अगर समय से काउण्टर दाखिल किया गया होता तो आज न्यायालय का फैसला दूसरा होता।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का भी तरीका होता है।

(घोर व्यवधान)

(सदन के वेल में बैठकर बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अधिष्ठाता–

(व्यवधान के मध्य) कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। यह शोभनीय नहीं है। आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में बैठे-बैठे नारे लगाते रहे।)

श्री अधिष्ठाता–

(व्यवधान के मध्य) आप लोग सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं और अपने आसन पर नहीं जा रहे हैं। इसलिये मैं सदन की कार्यवाही 3.15 बजे (अपराह्न) तक स्थगित करता हूं।

(3 बजे श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।

3 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, हम शान्तिपूर्ण ढंग से सदन को चलाने के पक्षधर हैं लेकिन आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो भ्रमात्मक स्थिति पैदा की है, उसका वह स्पष्टीकरण दे दें। पहली बात तो यह कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस निर्णय को मंत्रिमण्डल से लेकर कार्यान्वित किया है, मंत्रिमण्डल के उस निर्णय पर मंत्रिमण्डल के उप समिति उस पर विचार करे, इसका क्या औचित्य है ? दूसरी चीज यह है कि संत कबीर नगर जनपद के साथ अगर सरकार की मन्शा छेड़खानी करने की नहीं है तो वहां के जो न्यायिक कार्य हैं, उनको अवरुद्ध क्यों कर दिया गया है ? तीसरी चीज, माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है क्या उसके खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० दायर करने जा रही है कि नहीं। इसी के साथ चौथी चीज यह है कि जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय में काउन्टर एफीडेविट देने में सरकार ने आनाकानी की क्या उसी प्रकार सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० दायर करके एफीडेविट न देकर अप्रत्यक्ष रूप से नव

सृजित जनपद संत कबीर नगर के साथ खिलवाड़ करने का काम तो नहीं करेगी । इन सबका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी देने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं केवल दो बाते कहना चाहूंगा । माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री मारकण्डेय चन्द काटजू जी ने जो निर्णय दिया है, उसको मैंने देखा है । जो नोटिफिकेशन कैंन्सिल किया गया है, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि सरकार ने कुछ औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की हैं । मैं इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें न तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत है और न इसे निरस्त करने की जरूरत है । एक सीधा सा रास्ता है, अगर सरकार की नीयत साफ है तो जिन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकार इमानदारी से 15 दिन के अन्दर या एक महीने के अन्दर एक समय सीमा निर्धारित कर ले और उन औपचारिकताओं को पूरा करके पुनः एक नया नोटिफिकेशन जारी करने का इस सदन को आश्वासन दे दे । यदि ऐसा नहीं किया गया तो जितने भी नव सृजित जनपद हैं, उनके स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा और एक गम्भीर परिस्थिति पैदा हो जायेगी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का यह कहना कि घूमफिर कर घोषणा कर दी, उसमें तो आधे मंत्री आपके घूमफिर और टहल रहे थे । भले ही मायावती जी की सरकार थी लेकिन आधे मंत्री आपके भी घूम टहल रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री तिवारी जी मैंने आपको अवसर दिया, आपने अपनी बात कह ली । अब आप कृपापूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें । आपके सुझाव आ गये हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

जो निर्णय हुआ, आपके भी आधे मंत्री उस मंत्रिमण्डल में थे । ये घूम टहल रहे थे तो क्या आपके [× × ×] जिन्होंने इसका विरोध नहीं किया ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस समय इन जनपदों का सृजन हो रहा था, उस समय भी हमने इस विधान सभा के सत्र में यह मामला उठाया था कि ऐसे मामलों में गम्भीरतापूर्वक विचार करके फैसले लिये जायं । एक बार जनपद का सृजन हो, फिर उसे समाप्त किया जाय, ऐसा करके प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ होता रहेगा । दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, यह कहां तक उचित है । अगर माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ कमियों की तरफ ध्यान दिलाया है तो सरकार उन मानकों को पूरा कर सकती है और उसके लिये व्यवस्था कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती है । अगर सरकार की सदाशयता तथा नियत साफ है तो । सरकार उन औपचारिकताओं को पूरा करके संकल्प ला सकती है परन्तु यह सरकार केन्द्रीयकरण में विश्वास करती है, यह नहीं चाहती कि छोटे-छोटे जनपद बनाकर विकास की गति तेज हो सके । यह हर कार्य राजनैतिक सोच की दृष्टि से करती है । अगर जल्दबाजी में ये निर्णय लिये गये थे तो बहुत बड़ा हिस्सा इनका भी तो उस मंत्रिमण्डल में था । तीन हिस्सा सरकार इनकी थी । आज उससे कोई क्षम्य नहीं होता है जो ज्वाइन्ट निर्णय सरकार में रहकर लिये गये थे उससे आज पल्ला झाड़ना चाहें तो यह नैतिकता वाली बात नहीं है । इस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ न हो कि कल जनपद बन गया था और आज समाप्त हो जाय ।

नोट :–[× × ×] यह अंश मा० अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

अधिष्ठाता महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने बीच में अपनी बात कही थी कि सन्त कबीर जो किसी जिले, या कस्बे के लिये मोहताज नहीं है। लेकिन मान्यवर, अगर कोई जिला इस तरह का बन गया है तो उसको खत्म कर देने की क्या बात है ? मेरे यह विधायक उस क्षेत्र से हैं और इनको भी वेदना है और लोगों की भी है। पहले कोई चीज शासन से बना दी जाय और फिर बिगाड़ दी जाय। यह गुड्डा गुड्डी का खेल करने से कोई फायदा नहीं है। पैसा लगाया गया है। एक सोच विचार करके उसके आधार पर निर्णय लिया गया लेकिन अब यह सरकार क्यों ऐसा निर्णय ले रही है उसको समाप्त करने का ? आप स्वयं विद्वान हैं जो निर्णय पहले ज्वाइन्ट लिया गया था उस पर आज कैसे असहमति हो गयी जो उसे खत्म किये जाने का विचार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मानक के आधार पर नहीं है। यदि मानक के आधार पर नहीं है तो उसे मौजूदा सरकार अपने मंत्रि-मण्डल की बैठक में तय कर सकती है। यह बात नहीं है कि वह नहीं किया जा सकता है जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। यह विधायक जी हमारे दल के हैं इनकी भी वेदना है कि जनपद बने। पहले जनपद बना त्वरित गति से कार्य विकास के आरम्भ हुए। डी० एम०, एस० डी० एम०, सी० डी० ओ० वहां तैनात हो गये आप अब उनको बैक करके क्या व्यवस्था करेंगे ? जिस समय यह निर्णय लिया गया आप भी सरकार में साझीदार थे बराबर का काम देख रहे थे। जिला खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विचार करके उसके विकास का कार्य किया जाय। संत कबीर हों, महात्मा गांधी हों, अम्बेदकर हों या पंडित दीनदयाल हों, यह सब हमारे महापुरूष हैं। इस देश के हैं। जिला बनाने और फिर बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने चाहा है उसके आधार पर मानक बनाकर निर्णय लेकर जिले को बनाये रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री हुकुम सिंह–

दो पक्ष आये हैं। एक तो माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्टीकरण के रूप में खास तौर से जानना चाहा कि इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एस० एल० पी० दायर करेंगे कि नहीं। सम्मानित नेता ने कहा कि जरूरी नहीं है कि करें जो गाइडलाइन्स दी गई हैं उसके अनुरूप कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है ? मान्यवर, जैसा कि स्पष्ट है कि कमियां हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। यह कमियां दूर होनी चाहिए। इन कमियों का परीक्षण करने के लिये मंत्रि-परिषद् ने एक सब कमेटी का गठन किया है। एक बार विस्तार से देख लीजिये ताकि आगे कोई कमी न रहे। उसके वजूद को हम जस्टीफाई कर पायेंगे कि नहीं यह विचाराधीन है। जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आने वाली है। एक रिपोर्ट और भी आई है सम्भवतः आज समाचार पत्र में पढ़ा होगा। मैं उसका उल्लेख विस्तार से नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे सामने आई है लेकिन मैंने उसे अभी देखा नहीं है। मंत्रि-परिषद् की उप समिति में उस पर विचार हो जाय मंत्रि-परिषद् में वह रिपोर्ट आ जाय और जो प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित की है उसके बाद सब बातें सामने आ जायेंगी। जहां तक हमारे साथी ने कहा हमने पुनर्विचार याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की है वह उसी कोर्ट में पैंडिंग है। यह माननीय उच्च न्यायालय पर निर्भर करता है कि उस पर कब विचार करे न करे लेकिन हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र अति शीघ्र उस पुनर्विचार याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो जाय और इस बीच जो हिदायतें माननीय उच्च न्यायालय ने दी हैं उसके अनुरूप कार्यवाही करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार–

पुनर्विचार याचिका में तब तक फायदा नहीं है जब तक कि उनकी कमियों को न देखें । आप उसको विधान सभा में लाइये हम सब पूरा कर देंगे । सरकार की नीयत ठीक नहीं है । जनपद बनाकर फिर उसको खत्म कर रही है । सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री प्रमोद कुमार व उनके दल के लोग सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हमने स्पष्टीकरण मांगा था वह नहीं दिया ।...

(व्यवधान)

इस सरकार की नीयत गन्दी है । यह सरकार मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ कार्य कर रही है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार किया ।)

श्री अब्दुल कलाम–

मैं और मेरा दल भी सरकार की नीतियों के खिलाफ इस सदन का बहिष्कार करता है ।

(सामजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया ।)

(व्यवधान)

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, भारत की आजादी के बाद मेरे क्षेत्र में जो अभूतपूर्व घटना घटी है उसने अंग्रेजी राज्य की यातनायें भी भूला दीं । मान्यवर, दिसोरी गांव में पिता पुत्र में विवाद हो गया पुत्र ने पिता के खिलाफ लिखकर दिया, स्थानीय पुलिस के सिपाही वहां पहुंचते हैं और उत्तेजित होकर रायफल चलाते हैं और इससे 60 वर्षीय छब्बू चमार को और उसको देखने के लिए लड़की दौड़ती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है । सिपाही साइकिल छोड़कर भाग जाते हैं । उसके बाद पुलिस फोर्स आती है और उनकी लाश उठाकर बगैर पंचनामे के ले जाती है । ग्रामवासियों में इतना डर पैदा कर दिया है कि कोई भी ग्रामवासी एफ० आई० आर० लिखाने नहीं गया । घटना की सूचना जब हम लोगों को मिली तो ग्रामवासियों ने एफ० आई० आर० लिखाई । जनपद जौनपुर का मामला है दो सिपाही निलम्बित हो गए और उसी थाने पर मौजूद हैं । यह घटना 28-11-98 की है तीन महीने हो गए कोई कार्यवाही नहीं हुई कोई गिरफ्तारी नहीं हुई सिपाही उसी थाने पर हैं । गांव में आतंक व्याप्त है यह अति लोकमहत्व का मामला है यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का मामला है । मानवीय अधिकारों का हनन वर्तमान सरकार में हो रहा है इससे स्पष्ट होता है यह सरकार दलित विरोधी है और दलितों की हत्यायें सुनियोजित ढंग से करवा रही है । इस मामले में मेरा अनुरोध है कि चर्चा कराई जाए ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र की यह घटना है यह घटना कहने की नहीं जो इसके डाकुमेन्टरी एवीडेन्स हैं 26 तारीख की यह घटना है और जिस आवेदन पत्र को पिता पुत्र में झगड़े की बात कही जाती है पुत्र एक आवेदन पत्र थाने में देता है वह 26 तारीख को देता है उस पर रपट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

27 तारीख को दर्ज होती है 27 तारीख को साढ़े आठ बजे रपट दर्ज होती है जबकि आठ बजे दो निरपराध लोगों को पुलिस गोली मारकर मौत के घाट उतार देती है जब यह सूचना थाने पर पहुंचती है तो जैसा आपको विदित हैं जो उनकी जी० डी० होती है वह बही की तरह रखी जाती है।...

उसके बाद 8.30 बजे इस कृत्य को छिपाने के लिए रिपोर्ट दर्ज होती है। यह डाकूमेन्टरी एवीडेन्स है। 27 तारीख की शाम को वहां पर जो जुल्म हुआ, अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ था। आज की तारीख में इस घटना को घटे कई महीने हो गये हैं और एक भी पर्चा तफ्तीश का नहीं काटा गया है। वहां पर दोनों सिपाहियों को निलम्बित करके रखा गया है। उनके द्वारा परिवार के लोगों, गांव के लोगों और गवाहों को धमकियां दी जा रही हैं। जो हत्या हुई दो लोगों की एक एस० सी० महिला की और एक पुरूष की तो उनको क्षति पूर्ति भी नहीं दी गयी। एस० एटी० एक्ट में इस चीज का प्राविजन है कि एक महीने के अन्दर तफ्तीश पूरी करके चार्ज शीट दे दी जाय परन्तु आज कई महीने के बाद भी उनको चार्जशीट नहीं दाखिल की गयी है। उनसे यह कहा जाता है कि जब तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो जायेगी तब तक आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी। मान्यवर, इससे पूरे गांव में रोष व्याप्त है, वह गांव पुलिस जुल्म का नमूना बना हुआ है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ताकि हर चीज स्पष्ट हो सके और निरपराध लोगों को राहत मिल सके, पुलिस जुल्म से बच सके और दोषी लोगों को सजा मिल सके।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह घर परिवार का झगड़ा है जिसके कारण दो लोगों की हत्या की नौबत आयी। यह बहुत दुखद घटना है। झगड़ा केवल सास बहू का था। जब पति घर आया तो पत्नी ने उससे कहा। वह पुलिस को बुला लाता है और फिर तनाव बढ़ जाता है। जो 164 में बयान हैं उसमें सारी बातों की पुष्टि हुई है कि झगड़ा कहां से शुरू हुआ था ? पुलिस वाले वहां पर मौके पर आये। दो पुलिस कर्मी थे एक सिपाही और एक इंस्पेक्टर...

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, दोनों सिपाही थे।

श्री हुकुम सिंह–

मैं तो जो रिपोर्ट में लिखा है उसके आधार पर कह रहा हूं। एक दया शंकर और दूसरे पियूष कान्त। पियुष कान्त द्वारा दो फायर किये गये जिससे झब्बू चमार और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गयी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण माननीय मंत्रीजी को अपनी बात पूरी करने दें। माननीय वर्मा जी कृपया बैठ जायें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एफ० आई० आर० की कापी हमारे पास है। यदि आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। पुलिस के लोगों द्वारा जो एफ०आई० आर० दर्ज करायी गयी है उसमें उन्होंने जो कहा है उसको माननीय मंत्री जी पढ़ दें।

मान्यवर, इसमें तत्काल कार्यवाही की बात है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो उस वक्त के तत्कालीन थानाध्यक्ष थे जोन के बाहर ट्रान्सफर कर दिए गये। दोनों पुलिस कर्मी निलम्बित कर दिए गए। राहत के रूप में जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से अभी तक

10–10 हजार रुपये की धनराशि दी गयी है पुलिस कर्मचारियों को खुद दोषी पाया गया है इसलिए जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराने के आदेश दे दिए गए हैं ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, जब तक इन्कवायरी होगी तब तक तो गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी । यह घटना है 29 नवम्बर की है और जब 10 फरवरी है जो एक्ट है उसमें चार्ज शीट जानी चाहिए । एक महीना दो महीना बीत चुका है एक भी पर्चा काटा गया या नहीं । सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा उसमें क्या जांच हो रही है । जो बयान है वह 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान हैं या 161 में है । इसमें निर्दोष लोगों की हत्या हुई है । पुलिस द्वारा हुई है सबको पता है कि गोली किसने मारी है शुरुआत जो है परिवार के झगड़े से है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब पूरी बात तो आ गई ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसमें कोई समय सीमा जांच की तय हो जानी चाहिए । निलम्बित पुलिस कर्मियों को वहां से हटाया जाए और दोषी लोगों को जेल भेजने का कार्य किया जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

जो पुलिस कर्मी निलम्बित किये गये हैं यदि वह उसी थाने में हैं तो यह हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें थाने से तुरन्त हटाया जाए या यह भी निर्देश दिए जायेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच होकर कार्यवाही हो जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जांच के आदेश किस तारीख के हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मेरे पास जांच की बात का उल्लेख है जिसे मैने बताया ।

(श्री बाबू राम यादव के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपका नाम नोटिस में नहीं है ।

श्री रामजग–

यह लोकमहत्व का विषय है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 425 माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे ।

* श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, नोटिस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं, आप मेरी बात सुन लें, आप कहेंगे तो हम बैठ जायेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरा अनुरोध यह है कि यह इतना संवेदनशील विषय है । कोई माननीय सदस्य अपने दुख दर्द की बात कह रहा है उसमें हम अगर सहायता कर देंगे तो आपको भी बल मिलेगा । इसमें एक ही बात है कि सी० बी० सी० आई० डी० के लिए किसी ने नहीं कहा, न ही पीड़ित ने कोई दरख्वास्त दी तो यह सी० बी० सी० बी० आई० डी० से जांच हुई क्यों ? जो माननीय सदस्य ने कहा कि एक माह में डेढ़ माह में जांच हो जाय तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इतनी सक्षम है कि अगर सी० बी० सी० आई० डी० को निर्देश दे दे कि 15 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाय तो वह आ जायेगी । मान्यवर, आप भी सदस्य हैं और हम भी सदस्य हैं इसमें यह जानकारी देने में क्या दिक्कत है कि सी० बी० सी० आई० डी० से तफ्तीश किन परिस्थितियों में हुई और अब जब इसको कर दिया है, लिंगरआन करने के लिए यह किया जाता है, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य की जो मांग है कि एक माह में या दो माह में इसकी जांच रिपोर्ट आ जाय तो इसमें क्या दिक्कत हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जांच इसलिए उनको दी क्योंकि दोनों स्थानीय पुलिस के कर्मी हैं । मान्यवर, फिर यह आक्षेप लगता कि स्थानीय पुलिस जांच कर रही है तो निष्पक्षता की वजह से जांच सी० बी० सी० आई० डी० को दी गयी है । चूंकि यह जांच चल रही है एक एजेन्सी जांच कर रही है मैंने यह आश्वासन दिया है कि जल्दी जांच पूरी करा दी जायेगी लेकिन इसमें एक माह या 15 दिन का समय देना उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

सभी संबंधित माननीय सदस्यों को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए इसे निरस्त करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । इसी लखनऊ में पिछले हफ्ते एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई तो उसके लड़के और लड़की दोनों को नौकरी दी गयी और उसको सहायता भी दी गयी । तो मान्यवर, दलित ने क्या पाप किया है उसको तो पुलिस ने मारा है, इनके मातहत लोगों ने मारा है और उसको आज तक किसी प्रकार की सहायता नहीं उपलब्ध करायी गई है । यह जनता की हत्यारी सरकार है, यह दलितों की हत्यारी सरकार है इस सरकार की दलित विरोधी नीति के विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

(सदस्य श्री श्रीराम पाल के बोलने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह परम्परा ठीक नहीं है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं । पहली सूचना श्री विजय पाल सिंह की दूसरी सूचना श्री श्रीराम पाल की है । आप अपनी सूचना पढ़ेगें या पढ़ी हुई मान ली जाय ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, आप दो मिनट हमारी बात सुन लें । इस सूचना को तो आप पढ़ा हुआ मान लें लेकिन मैंने दूसरे नियम में सूचना दी है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, यह सदन परम्पराओं से चलेगा ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जब सदस्यों की बात ही नहीं सुनी जायेगी, जनता की बात नहीं सुनी जायेगी तो फिर सदन का क्या मतलब । यह लोकमहत्व का विषय है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कल इसे पुनः दे दीजियेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है । इसे आप सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल जी आपकी नियम 311 की सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने नियम 51 में परिवर्तित कर दी है । जब वह मद आयेगी, तब उसके बारे में सूचना दी जायेगी ।

अगली सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की, चौथी सूचना श्री (डा०) लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, पांचवी सूचना श्री लाल जी वर्मा की है । छठी सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह की है, वह उपस्थित नहीं हैं । सातवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है । प्रतीक्षा सूची में पहली सूचना श्री गोपाल कृष्ण की है, वह उपस्थित नहीं हैं, अतः अगली सूचना डा० राम बाबू हरित की स्वीकार की जाती है ।

(संलग्न सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद आगरा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गए कार्यों में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय पाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद आगरा में योजना व जवाहर रोजगार योजना, 10 लाख कूप योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार ने एक नया रिकार्ड बनाया है । नियमतः ग्राम्य विकास प्राधिकरण की बैठक हर 3 माह के अन्तर्गत सुनिश्चित है । मगर वर्ष 98-99 की बैठक मई माह में हुई थी । उक्त बैठक में जन प्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं में अपने प्रस्ताव भी दिये गये थे मगर अभी तक कार्य होना तो दूर उनको स्वीकृत तक नहीं किया गया है ।

यही हाल सुनिश्चित रोजगार योजना का है, नियमतः उक्त योजना के अन्तर्गत चुने हुये जन प्रतिनिधियों के द्वारा दिये गये प्रस्तावों को स्वीकृत होना चाहिये मगर ठेकेदारों व दलालानों के कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं । जब कि उक्त योजना कार्डधारक मजदूरों द्वारा कार्य कराया जाना सुनिश्चित है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लेकिन सभी कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं तथा सुविधा शुल्क के बल पर उन्हीं के कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं।

यह एक दुर्भाग्य है कि एक ही सम्पर्क मार्ग का दो या तीन बार स्वीकृत कर उसका भुगतान निकाला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर विकास खण्ड फतेहाबाद में फतेहाबाद निवोहरा मार्ग से बीलपुरा जिला योजना वर्ष 1997-98 में स्वीकृत की गयी थी तथा एस० आर० वाई० में भी स्वीकृत की गयी तथा सांसद निधि से कई वर्ष पूर्व में निर्माण किया गया है तथा कच्ची मिट्टी के अभी भी ढेर लगे मिल जायेंगे व ओवर साइज मिट्टी की आपूर्ति किया जाना आम रिवाज है जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत किये जाने पर भी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंगती है। चूंकि वो ही प्रस्तावक हैं और वो ही कर्ता धर्ता भला उन्हें कौन रोकेगा ? एस०आर० वाई० के अन्तर्गत वर्ष 97-98 तथा 98-99 में स्वीकृत कार्यों का यदि अवलोकन किया जाय तो वस्तुस्थिति स्वतः ही उजागर हो जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय में सदन में चर्चा कराये जाने की कृपा करेंगे।]

ग्राम ककड़रा थाना चुरखी, जनपद जालौन निवासी एक हरिजन की मारपीट करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीराम पाल–

[मान्यवर, उपरोक्त भारत सिंह अनु० जाति की मारपीट ग्राम के ही सर्वण जाति के लोगों द्वारा दिनांक 16-1-99 को की गयी। घटना की प्राथमिकी थाना चुर्खी में दिनांक 16-1-99 को ही मु०अ०सं० 2/99 धारा 323/504,506 आई० पी०सी० एवं 3(1) 10 अनु० जाति जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत की गई तथा मारपीट करने वाले लोगों को प्राथमिकी में नामजद किया गया, घटना की तफतीश श्री राजेन्द्र कुमार मलिक क्षेत्राधिकारी उरई सिटी को दी गयी परन्तु क्षेत्राधिकारी द्वारा अभियुक्तों से सांठगांठ कर लेने से गिरफ्तारी नहीं की गयी जबकि भारत सिंह की दोनों टांगे अभियुक्तों ने लाठियों से तोड़ दी और वह एक हफ्ते से जिला अस्पताल में भर्ती है। एक्सरे रिपोर्ट से टांगों में फ्रैक्चर होने पर भी मुकदमा तरमीम न करने व सभी मुल्जिमानों की गिरफ्तारी न होने मुल्जिमान भारत सिंह व उसके परिवार वालों की हत्या करने की फिराक में हैं। इधर पुलिस कुछ अभियुक्तों को मुकदमा से निकालने की फिराक में हैं, पीड़ित श्री भारत सिंह व उसका परिवार भय व असुरक्षा से गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी जसपुरा एवं बड़ोखर खुर्द में ग्राम प्रधानों द्वारा कराये गए विकास कार्यों की जांच/मूल्यांकन के नाम पर जबरिया धन वसूली किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी, जसपुरा व बड़ोखर खुर्द में ग्राम प्रधानों द्वारा कराये गये विकास कार्यों की जांच/मूल्यांकन के नाम पर जबरियां धन वसूली की जा रही है प्रधानों द्वारा पैसा न देने पर गलत रिपोर्ट भेजकर कार्यवाही करने की धमकी दी जा रही है। प्रशासन के उक्त कृत्यों से जहां जनता द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान अपमानित हो रहे हैं वहीं उनका अवैध आर्थिक शोषण हो रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु सरकार का ध्यानाकर्षण करने की मांग की जाती है ।]

थाना कोतवाली मेरठ क्षेत्र में मकानों की दीवालें फटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, उपरोक्त थाना क्षेत्र के मोरी पड़ा मोहल्ला म मकानों की दीवालें फट रही हैं । लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है । कई वर्ष पूर्व भी इस प्रकार की घटनायें हुई थीं । किसी भी समय भयंकर दुर्घटना घटित हो सकती है ।

जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन से मांग करता हूं कि रूड़की विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से जांच कराकर समस्या का निवारण करावें ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के जनपदीय मुख्यालय एवं चिकित्सालय के रोके गए निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा–

[मान्यवर, जनपद अम्बेडकरनगर का गठन 29 सितम्बर, 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा किया गया । उक्त जनपद के जिला मुख्यालय विकास भवन एवं 300 शैया के चिकित्सालय का शिलान्यास 4 जून, 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती द्वारा किया गया था तथा निर्माण हेतु एकमुश्त धन का भी आवंटन किया गया । आज उक्त समस्त निर्माण कार्य रोक दिया गया है जिसके कारण जहां जनपद अम्बेडकरनगर की आम जनता को चिकित्सालय न होने के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ जनपदीय कार्यालय के निर्माण न होने के कारण भी विकास कार्य प्रभावित हो रहा है ।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त रोके गये जनपदीय मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों को अविलम्ब निर्मित कराने की मांग करता हूं ।]

जौनपुर के थाना केराकत अन्तर्गत ग्राम टिसौरी के एक मृतक के परिवार को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के थाना केराकत अन्तर्गत ग्राम टिसौरी में दिनांक 27-11-98 को स्थानीय पुलिस द्वारा दो दलित (चमार) क्रमशः छब्बू उम्र–60 वर्ष तथा उसकी लड़की हीरावती उम्र 22 वर्ष की हत्या कर दी गयी है । इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अ०सं० 453ए/98 धारा 302 थाना केराकत में पंजीकृत हैं । मृतक परिवार को प्रदेश सरकार द्वारा कोई राहत राशि नहीं दी गयी है ।

अस्तु इस लोकमहत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुये मृतक परिवार को शासन से एक-एक लाख रुपये मुआवजे की मांग करता हूं ।]

आगरा पश्चिमी क्षेत्र में जल भराव की समस्या के निदान हेतु पानी की निकासी के लिए योजना बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० राम बाबू हरित–

[मान्यवर, आगरा महानगर जो विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आगरा का बहुमुखी विकास होने हेतु समय-समय पर निर्देश निर्गत किये हैं । लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में ताज फिरोज खां, जहां काफी पुरानी पुरातत्व

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विभाग की इमारत है, सिकन्दरा, अजीतनगर, वी० आई० पी० गेट, नगर निगम के सामने, श्रीराम हास्पिटल वाली रोड थोड़ी सी बरसात में ही पानी से लबालब भर जाता है । ताल फिरोज खां व सिकन्दरा में पानी की निकासी न होने से इन क्षेत्रों में हर समय पानी भरा रहता है । यही नहीं इन क्षेत्रों की सड़कों/फर्शों पर पानी हर समय भरा रहने से जलकुम्भी उग आई है । लोग अपने मकान छोड़ने को मजबूर हो गये हैं । तमाम लोगों के मकान पानी की सीलन के कारण टूटकर गिर रहे हैं । इन क्षेत्रों में ज्यादातर गरीब, मध्यमवर्गीय जनता रहती है । ताज फिरोज खां क्षेत्र की पानी निकासी हेतु 23 लाख रुपये नाला बनाने हेतु स्वीकृत हो गये हैं लेकिन विभाग द्वारा कार्य बहुत ही मन्द गति से कराये जाने के कारण उसका लाभ अभी जनता को नहीं मिल पा रहा है जब कि सिकन्दरा में पानी की निकासी हेतु अभी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

अतः आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि ताज फिरोज खां में बन रहे नाले को युद्ध स्तर पर गुणवत्तानुसार कार्य करवाकर पानी की निकासी हेतु व्यवस्था तथा सिकन्दरा क्षेत्र से पानी की निकासी हेतु एक योजना बनाने की सरकार से तुरन्त व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 10-2-1999 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–

पहली सूचना श्री लाल जी वर्मा की है, जो जौनपुर के मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र से संबन्धित श्री बी०आर० वर्मा को एक साल के उपरान्त भी आवास उपलब्ध न कराये जाने से संविधान के अनुच्छेद 195 के उल्लंघन के बारे में है ।

जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं विधान सभा से निर्वाचित सदस्य श्री बी०आर० वर्मा को एक साल के उपरान्त भी आवास उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस विधान सभा का गठन अनुच्छेद 168 के अन्तर्गत हुआ है और अनुच्छेद 195 में विभिन्न विधान मंडलों को अधिकार दिये गये हैं कि वह अपने सदस्यों की सुख सुविधा के लिये व्यवस्था करें और विधान सभा ने यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक सदस्य को लखनऊ में उसे रहने की सुविधा दी जायेगी और उसे आवास दिया जायेगा, लेकिन मान्यवर, श्री बी० आर० वर्मा जी को लगभग एक साल हो गया है, पिछले बजट सत्र में भी यह प्रश्न मैंने यहां पर उठाया था और मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उनको उनकी गरिमा के अनुसार आवास दिया जायेगा । खेद है कि उनको उनकी गरिमा के अनुकूल आवास देने की बात तो दूर रही, कोई भी आवास उनको नहीं दिया गया है । मान्यवर, विधान सभा के सदस्य की हैसियत से उनको अपने क्षेत्र के कार्यों के निष्पादन के लिये लखनऊ में रहना होता है, इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह–)

माननीय वर्मा जी को कठिनाई हुई, यह जानकर दुख है, लेकिन जो जानकारी है उसको मैं यहां पर रखना चाहता हूं । 16-6-1998 को विधायक निवास नं० 2 का कक्ष सं० 37 उनके नाम आवंटित हुआ था, इसका कब्जा उन्होंने नहीं लिया, यह उनकी गरिमा के अनुकूल भी नहीं था । इसके बाद 6-7-98 को कक्ष सं० 37 के स्थान पर एफ–6 आवंटित किया गया, जो श्री त्रिपाठी के देहावसान के कारण रिक्त हो गया था । व्यवस्थाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं कि उसका अविलम्ब कब्जा दे दिया जाये ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आज तक एलामेंट आर्डर नहीं आया है, इसलिये यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। व्यवस्थाधिकारी के पास सूचना नहीं है, इसलिये यह गुमराह करने वाली बता है। संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों सदन में मौजूद हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने अनुच्छेद 195 का हवाला दिया है।

श्री प्रमोद कुमार–

जो विधान परिषद के दूसरे सदस्य चुनकर आये हैं, वह आवास उनको दे दिया गया है, उनको आवंटित कर दिया गया है।

श्री लालजी वर्मा–

उसमें एक सदस्य विधान परिषद ने रहना शुरू कर दिया है और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि कब्जा दिला दिया जायेगा, तो यह सदन को धोखे में डाल रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कब तक आवास आवंटित कर दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी ने अनुच्छेद 195 का हवाला दिया है, यह तो माननीय सदस्यों के वेतन व भत्तों से सम्बन्धित है, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है।.....

श्री अधिष्ठाता–

फिर भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि शीघ्रताशीघ्र श्री बरखू राम वर्मा को आवास उपलब्ध करा दें।

श्री लालजी वर्मा–

शीघ्रातिशीघ्र माने कितने समय में उपलब्ध करा देंगे।

श्री कल्याण सिंह–

जल्दी करा देगें।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इसमें पीठ का निर्देश है। मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, टाइम निश्चित कर दीजिये।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक वर्मा जी को मिल गया है दूसरे वर्मा जी रह गये हैं उनको भी जल्दी मिल जायेगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, धनीराम वर्मा जी को मिल गया है, वर्मा नाम से एलर्जी है क्या ?

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत चिकित्साविज्ञान पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में कार्यरत कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार के मामले में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर अध्यक्ष पीठ से शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना माननीय अजय कुमार पोइया की है।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, सदन की पीठ से जो निर्देश जारी किये जाते हैं उनका पालन किया जाता है । मैं इसी संबंध में सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, दिनांक 23-7-98 को नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना लायी गयी थी । यह सूचना चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में कार्यरत कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में थी । वहां के कर्मचारियों को समूह–ग का वेतन मिलना चाहिये लेकिन समूह–ग की अपेक्षा कम वेतन मिल रहा है । वहां के क्षेत्रीय प्रबन्धक दुग्ध द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है । अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश के बावजूद कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं की गयी है । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह मामला हाउस में उठाया गया है और यह चीजें आ गयीं हैं तो क्षेत्रीय प्रबन्धक दुग्ध ने जो अनेकों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्होंने उत्पीड़न, अत्याचार और शोषण और तेज कर दिया है । आज तक उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है । मान्यवर, जब इस पीठ से निर्देश दिया जाता है तो अक्षरशः शासन की ओर से उसका पालन किया जाता है परन्तु मैं खेद एवं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वहां के वित्तीय प्रबन्धक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और वहां के श्रमिकों के विनियमितीकरण का तो सवाल ही नहीं है । वहां पर कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न प्रारम्भ किया गया है । मैं इस औचित्य के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इसको स्वीकार करें और इस संबंध में कार्यवाही करायें ।

(ध्वनि व्यवस्था ठीक न होने के कारण आवाज स्पष्ट सुनायी नहीं दे रही थी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह मथुरा के कालेज का मामला है जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत आता है । माननीय सदस्य ने जो शिकायत की थी उसकी जांच कुलपति ने अपने स्तर से करायी और यह पाया गया कि कुछ शिक्षकों के वेतन मिलने में विलम्ब हुआ था । 5-10-97 से 3-8-98 तक के 12 चिट्ठे बने हैं । 5 महीने का वेतन दे दिया गया है । जो वित्तीय प्रबन्धक हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे और माननीय सदस्य को जानकारी दे दी गयी है । उसकी जांच करायी गयी और जांच में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, प्रबन्धक ने जहां हरा चारा बोया जाता था वहां चारा न बोकर चना, मटर बोया गया तथा भुस मात्र को उसे बाजार से खरीदवाया डीन की रिपोर्ट तक पर कोई कार्यवाही नहीं हुई उसने काफी भ्रष्टाचार किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना को सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । जो पीठ की ओर से निर्देश दिये गये उस पर माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है और वह सन्तोषजनक है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री रामपाल जी की सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं अतः इन्हें निरस्त किया जाता है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, दो मिनट में सुन लें मेरे साथ इनजस्टिस न करें । 300 की आपने सारी सूचनायें सुन लीं तो दो मिनट में इसको भी सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इस सूचना को किसी अन्य नियम में दे दीजिएगा उस पर सुन लिया जायेगा । अब मैं मद संख्या–4 ले रहा हूं ।

श्री भोनू राम सोनकर सदस्य विधान सभा, गाजीपुर को बन्दी बनाये जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

उपजिलाधिकारी, सदर गाजीपुर ने अपने पत्र दिनांक 8 फरवरी, 1999 जो इस सचिवालय में फैक्स संदेश के रूप में दिनांक 9 फरवरी, 1999 को प्राप्त हुआ, हमें सूचित किया है कि श्री भोनू राम सोनकर, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर) को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 8 फरवरी, 1999 को बन्दी कर जिला कारागार, गाजीपुर में रखा गया है ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 फरवरी, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 1 फरवरी, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 15 फरवरी, 1999 को सदन की बैठक न रखी जाय ।

2–सदन का दिनांक 10 फरवरी, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

फरवरी, 1999

10 बुधवार	1–निधन के निर्देश । 2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
11 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
12 शुक्रवार	1—असरकारी दिवस (आधा दिवस) । 2—वित्तीय वर्ष 1998-99 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार और मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण (आधा दिन) । 3—(1) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर चर्चा–एक घण्टा । "यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान में इस आशय का संशोधन करे कि लोक सभा एवं विधान सभाओं का कार्यकाल निश्चित रूप से पांच वर्ष का हो और इसके पूर्व विघटित न की जाय ।" (2) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर चर्चा–एक घण्टा ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि', रख दिया जाय।"

13 शनिवार 14 रविवार 15 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
16 मंगलवार 17 बुधवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
18 गुरुवार	निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :– (क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998—आधा घण्टा। (ख) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998—आधा घण्टा। (ग) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998–आधा घण्टा। (घ) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998–आधा घण्टा।
19 शुक्रवार	1—11.00 बजे पूर्वाह्न ——————— वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2—असरकारी दिवस (पूरा दिन)।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार 23 मंगलवार 24 बुधवार 25 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

26 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
27 शनिवार 28 रविवार मार्च, 1999 1 सोमवार 2 मंगलवार	(होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
3 बुधवार 4 गुरुवार 5 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
6 शनिवार 7 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
8 सोमवार 9 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
10 बुधवार	(शीतलाअष्टमी का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
11 गुरुवार 12 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
13 शनिवार 14 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
15 सोमवार 16 मंगलवार 17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
22 सोमवार 23 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
24 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (4.00 बजे अपराह्न तक) । (2) 4.00 बजे अपराह्न --- उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

3–दिनांक 19 फरवरी, 1999 को प्रश्नकाल न रखा जाय ।

4–दिनांक 10, 11, 16 तथा 17 फरवरी, 1999 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचना न ली जाय ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना अभी माननीय अधिष्ठाता महोदय ने सदन को दिया है उससे यह सदन सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश संबंधी प्रस्ताव जिसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 9 फरवरी, 1999 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।"

मान्यवर, तेरहवीं विधान सभा के वर्ष 1999 के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल जी द्वारा जो अभिभाषण यहां दिया गया है वह सरकार की पिछली एक वर्ष चार माह की उपलब्धियों के बारे में है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों एवं उसके संकल्प का द्योतक है । तेरहवीं विधान सभा के निर्वाचन के समय से इस पर संशय के बादल मंडरा रहे थे । निर्वाचन के पश्चात् काफी लम्बे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा उसके बाद एक लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ फिर उसके बाद एक कठिनाई पैदा हुई लेकिन आज की वर्तमान भाजपा और उसके सहयोगी दलों की समझदारी के कारण प्रदेश दुबारा मध्यावधि चुनाव के भट्टी में जाने से बच गया । मैं बधाई देना चाहता हूं सहयोगी दलों को जिनके प्रयास से जिनकी समझदारी और जिनकी सूझबूझ से विधान सभा में महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज वह जीवन्त रूप में है ।

यह अभिभाषण जो महामहिम द्वारा 9 फरवरी को दिया गया क्रान्तिकारी परिवर्तन जनतांत्रिक मूल्यों को स्थापित एवं जनभावनाओं की रक्षा करने जनसमस्याओं को हल करने का दस्तावेज है । भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार शोषण मुक्त समाज, समता मूलक समाज एवं आत्मनिर्भर समाज को बनाने के लिए संकल्प-बद्ध सरकार है ।

मैं कुछ विशेष बातों का उल्लेख करते हुए विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा । इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह केन्द्र सरकार में नरसिंह राव जी के प्रधान मंत्रित्व काल में जिस तरह से सांसद निधि की व्यवस्था की गई थी उसके बाद प्रदेश में कई सरकारें आईं लेकिन किसी ने प्रदेश के विधायकों के लिए विधायक निधि की व्यवस्था नहीं की जबकि सदन में हमेशा से यह मांग होती रही कि विधायकों को भी विधायक निधि मिलनी चाहिए । मैं बधाई देना चाहता हूं मा० मुख्य मंत्री जी को उन्होंने बावजूद घोर आर्थिक संकट के विधायक निधि देने का निर्णय लिया और 25 लाख रुपए की एक किस्त भी जारी कर दी गई । किसी भी सरकार ने विधायकों के हितों की इतनी चिन्ता नहीं की जितनी इस भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार ने चिन्ता की । इस सरकार ने भूतपूर्व मा० सदस्यों के लिए 10,000 रुपए के वार्षिक कूपन और एक सहवर्ती के लिए बस के पास की सुविधा उपलब्ध कराई । घोर आर्थिक संकट के बावजूद सरकार ने नई भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की व उसे भ्रष्टाचार से मुक्त पारदर्शी रूप दिया । इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है । इस सरकार ने बजट का 70 फीसदी हिस्सा गांवों के विकास पर खर्च करने का संकल्प किया यह कार्य पूर्व की सरकारों ने कभी नहीं किया ।

विद्युत हड़ताल से निपटने के लिए मा० मुख्य मंत्री जी ने जिस दृढ़ता का परिचय दिया जिसके कारण आज उनको सफलता मिली । इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । इसी दृढ़ता के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जनता का जो शोषण किया जा रहा था जनता को शोषण से मुक्त करने के लिए राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है । राज्य विद्युत परिषद् में जो चोरी विद्युत की हो रही थी उसको रोकने का किसी ने साहस नहीं किया यह काम इस भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार ने कर दिखाया । सरकार ने इस बात को भी दुहराया कि पुनर्गठन में किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों और उनको मिलने वाली सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा न ही किसी कर्मचारी को हटाया जाएगा । विपक्ष के साथियों ने प्रचार किया, विद्युत परिषद् के हड़तालियों ने प्रचार किया कि ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली बिजली मंहगी कर दी जाएगी । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसी भी कीमत पर ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली बिजली को मंहगी नहीं किया जाएगा । व ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली बिजली में सुधार अवश्य लाएंगे । राज्य विद्युत परिषद् को तीन हिस्सों में बांटकर प्रदेश की जनता के हित में जो काम किया है, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । एक बहुत पुरानी मांग थी चिकित्सा विश्वविद्यालय की । हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाऐगी और साथ ही उसका जो नाम रखा गया है, उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं । "धन्वन्तरी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय" की स्थापना करके प्रदेश के सारी चिकित्सा पद्धतियों चाहे वह एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो और चाहे यूनानी हो, चाहे प्राकृतिक सभी को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करके सबके समग्र विकास करने का जो निर्णय लिया, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है ।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार ने की है । राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करके शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है । शायद हमारे विपक्ष के साथी भी इससे सहमत होंगे कि इस पुरूष प्रधान समाज में बल्दियत में पिता के नाम के साथ मां के नाम को लिखे जाने का ऐतिहासिक कार्य भी इसी सरकार ने किया है । विधवा को सम्पत्ति पर अधिकार देने का कार्य भी इसी सरकार ने किया है, पिछली सरकारों ने इस बारे में कुछ नहीं किया । जनता को

उसके कार्यक्रमों की जानकारी हो सके और उसके हितों के बारे में बनाये गये कानूनों की जानकारी हो सके, सूचना पाने का अधिकार भी इसी लोकप्रिय सरकार ने दिया है।

मान्यवर, सड़क एक महत्वपूर्ण विकास का साधन है। इस सरकार ने सड़क विकास निधि की स्थापना की। सरकार ने एक नीति बनाई और हमको चलने के लिये एक समुचित साधन उपलब्ध कराया, इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। पेंशन के भुगतान के लिये पेंशन अदालतों का लगाया जाना, राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान देने के लिये पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये यह पहला राज्य है, जिसने अपने यहां से लागू किया। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यही नहीं जब 1992 में माननीय श्री कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने योजना आयोग के समक्ष आश्वासन दिया था अतिरिक्त संसाधन जुटाने के संबंध में तो उस समय अतिरिक्त संसाधन जुटाया गया और जब इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी योजना आयोग के समक्ष गये तो उन्होंने कहा कि आप अतिरिक्त संसाधन जुटायें। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक 1992 से लेकर 1999 तक महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसी भी सरकार ने संसाधन जुटाने की बात नहीं की परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार साढ़े चौदह हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का संकल्प किया गया है। ये सारे काम उन परिस्थितियों में किये जा रहे हैं जब सरकार के पास संसाधन नहीं हैं। पिछली सरकारों से खाली खजाना मिला, कुशासन मिला, उस परिस्थिति में भी इतने संसाधन जुटाने का एक जनहित का फैसला हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, मैं एक-दो उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले एक मुख्य मंत्री थे जिन्होंने विवेकाधीन कोष का जो निर्धारित अंश होता है, उससे कहीं अधिक पैसा खर्च करके इस सरकार को आर्थिक संकट में डाल दिया। आयुर्वेद का घोटाला हुआ, उससे आज तक आयुर्वेदिक विभाग ऊबर नहीं पाया है, अम्बेडकर पार्क बनाया गया, है जिस पर सी०ए०जी० की रिपोर्ट आयी है, प्रदेश को आर्थिक संकट में डाल दिया गया। ये तो मैंने अभी तीन ही उदाहरण दिये हैं पिछली सरकारों के, जिसके कारण प्रदेश का आर्थिक संकट बढ़ा। इसके बावजूद भी हमने व्यवस्थायें की। मैं इस सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार ने औद्योगिक विकास का वातावरण पैदा करने के लिए, औद्योगिक विकास की जो गति देने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की तरह औद्योगिक विकास आयुक्त का पद सृजन किया है। सभी उद्योगों के लिए एक छतरी के नीचे सब सुविधायें एक खिड़की पर सब सुविधायें मिल सकें यह व्यवस्था की है ताकि किसी उद्योगपित को उद्योग लगाने के लिए अलग-अलग मेजों पर अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। निजी पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए योजनायें बनायी हैं। सरकार ने अपनी उद्योग नीति तैयार की है, निर्यात नीति तैयार की है। अपने प्रदेश की खनिज सम्पदा के लिए खनिज नीति तैयार करने जा रही है। जो कि बहुत शीघ्र जनता के समक्ष घोषित होने वाली है। विकास को गति प्रदान करने हेतु अवस्थापनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये से इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशिएटिव फण्ड की स्थापना की है।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश राज्य निवेश केन्द्र की स्थापना की है। स्थानिक आयुक्त उत्तर प्रदेश को देशी और विदेशी निवेशकों को निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए एन०आर०आई० कमिश्नर बनाया गया है। इन्स्पेक्टर राज्य को समाप्त कर दिया गया है। विशिष्ट प्रकार के उद्यमियों को वी०आई०पी० कार्ड सुविधा इस सरकार ने दिया है। रोजगार सृजन का लक्ष्य 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत भी हमारी सरकार ने किया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन करने की दृष्टि से एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो बनाया है और निर्यात लक्ष्य को सन् 2002 तक बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का बनाया है। इसके अतिरिक्त फिल्म को उद्योगों का दर्जा देने के लिए फिल्म नीति घोषित की जा रही है। इस सरकार ने फिल्म उद्योग को अपने प्रदेश में आकर्षित करने का प्रयास किया है उसका सार्थक परिणाम होगा कि प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक

स्थिति में सुधार होगा । 30 हेक्टेयर भूमि पर 4 करोड़ की लागत से ग्रेटर नोयडा में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण कराया है । सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली से विस्थापित उद्योगों को प्रदेश की धरती पर लाने का प्रयास इस सरकार ने किया है । विस्थापित उद्योगों को विकास की दृष्टि से व्यापार कर में छूट प्रदान की जायेगी । इसके साथ ही साथ व्यापार कर की व्यवस्था में सरलीकरण इस सरकार ने किया है । इसी तरह से विद्युत के क्षेत्र में भी इस सरकार ने प्रभावी कार्य किये हैं । जैसा कि मैंने पहले कहा था कि राज्य विद्युत परिषद् को तीन हिस्सों में बांटकर व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रही है ।

विद्युत का उत्पादन हो और उसका सही तरीके से वितरण हो । इसके अलावा विद्युत चोरी को रोकने के लिए उपाय कर रही है । विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है । इसमें स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दिया गया है । पन्द्रह दिन के भीतर कनेक्शन दे दिया जायेगा । सरकार ने इस तरह के आदेश अधिकारियों को दे दिये हैं कि आवेदन करने के 15 दिन में कनेक्शन कर दिया जाय । ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बिल की परेशानी से बचने के लिए किसानों को पास बुक सुविधा द्वारा 31 जनवरी, 99 तक विद्युत बिलों का भुगतान करने पर 50% सरचार्ज माफ किये जाने का निर्णय हमारी इस सरकार ने लिया है । आर्थिक संकट व विद्युत उत्पादन को देखते हुए भी 5-5 गांवों को प्रत्येक विधायकों के क्षेत्र में विद्युतीकरण करने का फैसला लिया है । विद्युत चोरी रोकने के लिए फैक्ट्री में इलेक्ट्रानिक्स मीटर लगाने का कार्य इस सरकार ने किया है । इस तरह का कार्य किसी सरकार ने नहीं किया था । इस सरकार ने कटिया हटाओ कनेक्शन लगाओ अभियान चलाकर अवैध कनेक्शनों को नियमित किया है । $\frac{1}{3}$ पैसा लेकर उनके कनेक्शन को रेगुलर किया मात्र 600 रुपये कनेक्शन चार्ज लेकर किया है ताकि अधिक से अधिक लोग कटिया हटाकर कनेक्शन लें जिससे राजस्व बढ़े । इस तरह का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है । मान्यवर, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रयास किया है हमारी सरकार विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण और विद्युत आपूर्ति में सुधार लाएगी । पारेषण के नाम पर राज्य विद्युत परिषद् हानि दिखाया करता था वह पारेषण की हानि न होकर उसका अधिकांश भाग बिजली की चोरी होती थी उसका सरकार ने हल निकाला । कनेक्शन लोड फैक्टर 3.994 मेगावाट है, क्षमता 5,886 मि० यू० है प्रदेश में विद्युत की स्थिति आज यह है कि 204 यूनिट पर व्यक्ति प्रतिवर्ष होता है, मध्य प्रदेश में 335 आन्ध्र प्रदेश में 374 गुजरात में 688 आता है महाराष्ट्र में 319 का है, हमारी सरकार ने विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने का निर्णय लिया है ।

मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति पर आप देखें कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं इस शताब्दी का अन्तिम कुम्भ मेला शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ । चार करोड़ लोग देश और विदेश से आये और शान्तिपूर्ण ढंग से पर्व मनाकर अपने घर चले गये यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इसके अतिरिक्त ईद का पर्व और दीवाली का पर्व शान्तिपूर्ण ढंग से मने हैं । प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है यह सहयोगी दलों की सरकार में स्थिति है ।

(इस समय 4 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अनेक वर्षों से शिया सुन्नी विवाद चला आ रहा था अगर इस पर चर्चा न की जाए तो कानून व्यवस्था पर चर्चा करना व्यर्थ होगा । जो लोग इस वर्ग के हिमायती हैं उन्होंने इसमें कोई प्रयास नहीं किया जो शिया सुन्नी का विवाद चल रहा था उसमें समझदारी का विकास करके इस समस्या का हमारी सरकार ने निवारण कर दिया । भा०ज०पा० का संकल्प था इनकी तरह उनमें झगड़ा न कराके बटवारा न कराके राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे । भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जो किया प्रदेश की राजनीति में किसी ने नहीं किया । प्रदेश के माथे पर शिया सुन्नी झगड़े का जो बदनुमा दाग था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोया । दोनों पक्षों को बुलाकर, बैठाकर विवाद हल कराया ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

हमारी सरकार बधाई की पात्र है कुछ लोग आपसी झगड़े कराने की सोच रखते हैं हमने आपसी विवाद को समाप्त कराने का निर्णय लिया है यह सरकार की उपलब्धि है । स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की है माफियाओं का चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । जिसकी वजह से बड़े-बड़े माफिया जेलों में जाना चाहते हैं । प्रदेश की सड़कों पर रहना नहीं चाहते हैं । इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने यह चिन्ता नहीं की है कि एफ०आई०आर० दर्ज होगी तो मुकदमों के आंकड़े बढ़ेंगे बल्कि शत-प्रतिशत एफ०आई०आर० दर्ज करने के आदेश दिये हैं । हमारी सरकार ने थाना दिवस मनाना तय किया है थाना दिवस में किसी केस के बारे में जानकारी कर सकते हैं यह थाना प्रभारी की जवाबदेही है । इसके अलावा हमारी सरकार ने पुलिस विभाग के जो अच्छे पुलिसकर्मी हैं उनको पुरस्कृत किया है जो अनुशासहीन पुलिसकर्मी हैं उनको दण्डित किया है । जिन पुलिस कर्मियों के अपराधियों से सम्बन्ध रहे हैं उनको दण्डित किया है उनको बर्खास्त किया गया है । कुछ पुलिस कर्मियों को चेतावनी देकर स्थानान्तरण किया है पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमारी सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था की है । हमारी सरकार पहली सरकार है जिसमें सिपाहियों की भर्ती की है 20 लोगों की जो छाती की नाप, ऊंचाई आदि की नाप ली गयी है उसमें बीसों लोगों के हस्ताक्षर हैं ताकि यह रहे जो भर्ती की गयी है वह लिस्ट सही है । सिपाहियों की भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था की गयी है । इससे पहले जो सिपाहियों की भर्ती होती थी उसमें प्रभारी अधिकारी आखिर में जो लिस्ट फाइनल हो जाती थी तो अपने दस्तखत कर देते थे और नियमानुसार जो सिपाही भर्ती होना चाहिये था वह नहीं हो पाता था । लेकिन यह हमारी साझा सरकार है जिसने नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी व्यवस्था की है । जो नियमानुसार भर्ती होगा उससे हम ईमानदारी से काम ले सकेंगे । वहीं अगर कोई बेईमानी से भर्ती होकर आता है वह पुलिस विभाग में चोर बाजारी करेगा उससे न्याय पाना बहुत मुश्किल है ।

मान्यवर, इसी के साथ पुलिस विभाग को अत्याधुनिक बनाने के लिए हमने 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके वाहन और अस्त्र-शस्त्र खरीदे हैं । कृषि के क्षेत्र में यह पहली सरकार है जिसने एक अभियान चलाकर बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने का काम किया है । और मुझे मान्यवर, यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले एक वर्ष में हमें सफलता मिली है । अभी यहां पर डी० ए० पी० और यूरिया की चर्चा हो रही थी । कुछ हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे । जबकि उनके कार्यकाल में मिलावटी खाद मिलती थी और जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी । यह पहली सरकार है जिसने किसान सेवा केन्द्र पर एक उर्वरक परीक्षण किट की व्यवस्था की है जिससे कृषकों को उनके द्वारा क्रय की गयी रसायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता का स्तर आंकलन करने में सहायता मिलेगी । इस सरकार ने यह भी किया है कि यदि कोई मिलावटी खाद बेचते हुआ पाया जायेगा तो उसके लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा जेल भेजा जायेगा । हमारी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिये गेहूं के बीज पर 25 प्रतिशत का अनुदान दिया है । कृषि के क्षेत्र में यह वर्तमान सरकार पहली सरकार है, जिसने प्रदेश में बेरोजगार कृषि डिप्लोमा धारकों को शत प्रतिशत रोजगार दिया है ।

सिंचन क्षमता में वृद्धि के लिये हमारी सरकार ने प्रयास किया है । लगभग 5हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचन क्षमता में वृद्धि की जा रही है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में एक आदर्श विकास खण्ड का चयन किया गया है । हमारी सरकार ने प्रत्येक जनपद में माडल किसान सुविधा केन्द और कृषि उपज बढ़ाने का केन्द्र खोला है । हमारी सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि क्षेत्र में 50 प्रतिशत क्षति वाले किसानों को 2.43,851 क्विंटल गेहूं निःशुल्क बटवाया है इतनी बड़ी सहायता पिछली सरकारों ने कभी नहीं दी थी । यह सही है कि इस साल जो बाढ़ आयी वह बड़ी भयंकर आयी थी । और जो सहयता दी गयी वह उसको देखते हुए कम थी । लेकिन फिर भी जितनी सहायता इस सरकार ने दी है उतनी

सहायता शायद ही पिछली सरकारों ने दी होगी । इस सरकार ने 40 हजार किलोमीटर नहरों की सिल्ट की सफाई तथा टेल तक पानी देने का काम किया है । जनपद स्तर पर सिंचाई बन्धु की स्थापना की है । और प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर नहर पट्टी पक्की योजना को बनाने का काम किया है । प्रदेश में जो 120 चीनी मिलें हैं उसमें 409.06 लाख टन गन्ना पेराई और 39.22 लाख टन चीनी का रिकार्ड उत्पादन हमारी साझा सरकार ने किया है । हमारी सरकार ने 6200 करोड़ रुपये के गन्ने के मूल्य का भुगतान किया है । जो गन्ने के मूल्य का भुगतान बाकी है वह इसी वर्ष का बाकी है । दूसरी किसी भी सरकार ने इतनी धन की व्यवस्था करके किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं कराया जितना इस सरकार ने कराया है । यह इस सरकार का साहस है कि अगर मिल मालिक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें जेल के सीखचों में भेजने का काम उन्होंने किया है । विपक्षी माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि प्रतिशत के हिसाब से आंकड़ों को देखें । घाटे की सरकारी चीनी मिलों में 10 करोड़ का नकद मुनाफा इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है । गन्ना किसानों को भुगतान बैंकों के माध्यम से करने की बात कही गयी है । बिचौलियों/माफियों का खात्मा हुआ ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय, कितना समय लेंगे ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

इस सरकार में 5 नयी चीनी मिलों को लाइसेंस मिला है । शीरा नीति में परिवर्तन करके दोहरी मूल्य नीति समाप्त करने का काम किया गया है ।

मान्यवर, यही नहीं घटतौली रोकने के लिये सरकार ने कड़े कदम उठाये हैं । 150 नये गन्ना केन्द्रों कीं स्थापना की गयी है । विधायकों को मौके पर विकास के कार्यों के लिए गन्ना केन्द्रों के जांच का अधिकार किसी ने दिया है तो वह भी इस सरकार ने दिया है । ग्राम्य विकास की दृष्टि से देंखे तो बजट का 70 प्रतिशत गांव पर खर्च करने के लिए 6300 करोड़ रु० की व्यवस्था पिछले वर्ष की गयी थी । जो ग्रामीण विद्युतीकरण की बात है उसे पहली बार इस सरकार ने जिला योजना का भाग बनाया है कि ग्राम का विद्युतीकरण होना है किस ग्राम में ट्रांसफारमर लगना है, यह उसमें बैठकर तय हो जायेगा ।

मान्यवर, इसी तरह से सुनिश्चित हैण्डपम्प योजना, कूप योजना, इन्दिरा आवास योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम और ट्राइसम के माध्यम से 356.95 करोड़ रु० से 445 लाख मानव दिवस सृजित करके रोजगार नौजवानों को दिया गया है । 145.21 करोड़ रु० में 61943 मकानों का निर्माण गांव में किया गया जिससे ग्रामीण आवास की समस्या हल की गयी है । 127.57 करोड़ रु० से 2.11 लाख गरीब परिवार के लोगों को लाभान्वित किया गया है । 21835 युवक/युवतियों को प्रशिक्षित कर रोजगार देने का कार्य किया गया है । इवाकरा योजना में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से उनके समूह गठित करके उन्हें प्रशिक्षित करके प्रति समूह 25 हजार 200 रुपये की कार्यशील पूंजी देकर महिलाओं को स्वालम्बी बनाने की दिशा में मील का पत्थर है । ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत टूल किट्स प्रदान किये गये हैं । 3775 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं । 49.689 हैण्ड पम्प स्थापित करने का काम इस सरकार ने किया है । प्रति विधायक 25 हैण्ड पम्प प्रदान करना इस सरकार की ही देन है । यह योजना किसी सरकार ने नहीं दी थीं ।

सहकारिता के क्षेत्र में देखें तो इस क्षेत्र के घपले किस वर्तमान में विपक्ष में बैठे लोगों की सरकार के कार्यकाल के हैं । हमारी सरकार ने ऐसे घपलों की जांच कराके कार्यवाही करने का काम किया है । रबी के फसल हेतु किसानों के लिए यूरिया तथा अन्य खादों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है । बीमार कृषि ऋण समितियों को शिथिलता देकर पुनर्जीवित कर किसानों को ऋण सुविधा प्रदान की गयी है । देय वार्षिक ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी की गयी है । इस तरह से जो ऋण किसानों को नहीं दिया जा रहा है वह ऋण की सुविधा देने की व्यवस्था इस सरकार ने की है । मान्यवर, सहकारिता के क्षेत्र में राज्य भण्डारागार निगम 5 करोड़ का मुनाफा अर्जित करने जा रहा है । पहली बार कोआपरेटिव के क्षेत्र में यह संस्था मुनाफा की ओर जा रही है । यह पिछली किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाया है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त करें।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, गो सेवा संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गो सेवा आयोग का गठन किया गया है 10,000 से अधिक के कुक्कुट फार्मों को उद्योग का दर्जा देकर कुक्कुट फार्मिंग को बढ़ावा देने का कार्य इस सरकार ने किया है। पशु चिकित्सा में लक्ष्य का 80 प्रतिशत प्राप्त करने का कार्य इस सरकार में किया गया है। मान्यवर, दुग्ध, उत्पादन में देखें तो दूध उत्पादन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम आया है। सघन मिनी डेरी परियोजना का विस्तार प्रदेश के अब समस्त जनपदों में करने का निर्णय इस सरकार ने किया है। 52 जिलों में लागू महिला डेरी परियोजना का 7 अन्य जिलों में विस्तार किया गया है। 14,545 समितियों के माध्यम से 8.02 लाख लीटर दुध प्रतिदिन एकत्र करने का काम डेरियों के माध्यम से हो रहा है उससे 5.08 लाख लीटर दूध शहरों को देकर और बाकी से अन्य प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। यह इस सरकार के समय में किया गया है। मान्यवर, हैदराबाद में अखिल भारतीय कैटिल प्रदर्शिनी में गंजरिया फार्म, लखनऊ को प्रथम पुरुस्कार प्राप्त हुआ है।

मत्स्य पालन की दृष्टि से देखें तो इस विभाग में अपने टारगेट से अधिक सफलता अर्जित की है। मत्स्य पालन प्रशिक्षण में 95 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति की गयी है मत्स्य बीज वितरण में 99 प्रतिशत, बीजक संचय में 108.5 प्रतिशत और अंगुलिका वितरण में 101 प्रतिशत की लक्ष्य की प्राप्ति इस सरकार के कार्यकाल में हुई है। 73 वां, 74 वां संविधान संशोधन की प्रत्येक व्यवस्था को लागू करने के लिए इस सरकार ने कृत संकल्प होकर कदम उठाया है। इसके तहत ग्रामीण स्थानीय निकाय को 4 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकाय को 7 प्रतिशत सीधे धन देकर अपने विकास का कार्य करने का समस्त अधिकार दिया गया है। स्थानीय निकायों को स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से उनके चेयरमैनों को अधिक अधिकार देने की दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। इस सरकार ने निर्णय लेकर यह कर दिया है कि बोर्ड के अध्यक्ष की दो तिहाई से कम पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आयेगा। और एक बार अविश्वास का प्रस्ताव आ जायेगा और वह असफल हो जायेगा तो दुबारा दो वर्ष से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं आयेगा। इस सरकार ने यह करके स्थानीय निकायों की अस्थिरता को समाप्त किया है। मान्यवर, विकास के कामों की स्वीकृति लेने के लिये पहले लखनऊ आना पड़ता था अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब विकास के कामों की स्वीकृति मंडलायुक्तों के स्तर से हो जायेगी। अब स्थानीय निकाय के लोगों को लखनऊ दौड़ने की जरुरत नहीं है। इस सरकार ने लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई को स्वावलम्बी और स्वायत्तशासी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यदि समाज कल्याण की दृष्टि से देखें तो स्वच्छकार विमुक्ति योजना सफलतापूर्वक चल रही है, यह इसी सरकार की देन है। इसी प्रकार किसान पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और पुत्रियों की शादी में जो अनुदान पहले 5 हजार दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है, यह भी इसी सरकार की देन है। निःशुल्क बोरिंग योजना, विकलांग छात्रों की छात्र वृत्ति में भी इस सरकार ने वृद्धि की है। इसी प्रकार विकलांगों को बस यात्रा सुविधा और अति विकलांग व्यक्ति को एक सहवर्ती के साथ यात्रा सुविधा इस सरकार ने मुहैया कराई है।

मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में इस सरकार ने वृद्धि की है, पिछली किसी सरकार ने इस काम को नहीं किया था। मान्यवर, महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार की दृष्टि से विचार करें तो गर्भवती माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों को पुष्टाहार प्रदान करने के लिये केन्द्र पर रोज न आना पड़े, इसके लिये इस सरकार ने व्यवस्था की है कि अब उनको एक दिन आने पर एक सप्ताह का पुष्टाहार मिल सकेगा। इस सरकार ने 425 मुख्य सेविकाओं के पदों का सृजन भी किया है। इसी प्रकार 8 वर्ष तक बच्चों को 450 रुपये प्रतिमास 18 वर्ष तक 500/- रु० और संवासिनयों को 550 रुपये प्रतिमास देने का निर्णय किया गया

है। इसी के साथ विधवा पेंशन को आवेदन पर अब शतप्रतिशत देने का उल्लेखनीय निर्णय लिया गया है। इसके अलावा विधवा को सम्पत्ति में पुत्र के समान हक और महिला का नाम वल्दियत में दर्ज कराने का निर्णय इस सरकार की अच्छी सोच का परिचायक है।

यदि अल्प संख्यक कल्याण की दृष्टि से देखें तो पायेंगे कि पिछली डेढ़ वर्ष से अरबी और फारसी मदरसों की बोर्ड की परीक्षायें नहीं कराई गई थीं। इस सरकार ने उन परीक्षाओं को कराया है। साथ ही इस वर्ष 305 मदरसों को इस सरकार ने मान्यता भी प्रदान की है। इस समय पूरे प्रदेश में कुल 781 मदरसे हैं जिसमें से 305 मदरसों को इस सरकार ने मान्यता प्रदान की है। इस वर्ष 15 हजार से अधिक हज़ यात्रियों को हज़ पर जाने की स्वीकृति इस सरकार ने प्रदान की है। मान्यवर, अगर हम अल्प संख्यक कल्याण की चर्चा न करें, तो बात अधूरी रह जायेगी। इस सन्दर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि 304749 छात्रों को रुपये 1069.32 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। डेढ़ वर्ष में रुकी अरबी फारसी मदरसा बोर्ड की परीक्षा को कराया गया है और 305 मदरसों को मान्यता दी गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रिय नेता श्री अटल बिहारी बाजपेई ने लखनऊ से शारजाह तक के लिये हवाई जहाज़ चलाने की व्यवस्था की है, इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा और देश को आय होगी। लखनऊ में हज़ हाउस की स्थापना की घोषणा की गयी है और हज़ यात्रियों हेतु 15556 आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये हैं। लखनऊ का चिकन का कार्य बहुत ही विख्यात है और मलिहाबाद का दशहरी आम विख्यात है, आवागमन से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बल मिलेगा। हमारी सरकार द्वारा यह भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है कि लखनऊ (अमौसी) से आजमगढ़, मऊ आदि जिलों के लिये शारजहा सेवा कनेक्टिंग बसें चलायी जायें। ताकि यात्रियों को कठिनाई न हो।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं। जो अध्यापकों के रिक्त पद थे, उन पर भर्ती की व्यवस्था की गयी है। कक्षा तीन से अंग्रेजी अनिवार्य की गयी है और संस्कृत की पढ़ाई का प्रबन्ध किया जा रहा है। यही नहीं हमारी सरकार ने स्कूलों की दशा को देख कर 267 जर्जर भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। शहीद वीरों के नाम पर उनके पैतृक गांव में जूनियर हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। महिला शिक्षा पर जोर दिया गया है और कन्या हाई स्कूल की दृष्टि से 153 असेवित विकास खण्डों में से मात्र 23 विकास खण्ड बचे हैं और वह भी मार्च तक पूर्ण हो जायेंगे। विकास खण्ड की पृथक-पृथक न्याय पंचायत में दो कन्या विद्यालयों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक तथा प्रधान अध्यापक के लगभग 16 हजार पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय स्तर पर लगभग 4 हजार शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन किया गया है। राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद में की जायेगी और गौतमबुद्ध नगर में एक नये विश्वविद्यालय के खोलने का निर्णय लिया गया है। छात्र कल्याण निधि में छात्रवृत्ति की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। डिप्लोमा धारक को इन्जीनियरिंग द्वितीय वर्ष में प्रवेश की सुविधा देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। विश्वविद्यालयों में द्वितीय अनुशासन तथा शिक्षा कलेंडर का कड़ाई से पालन करने का निर्णय लिया गया है। खिलाड़ियों को एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। 58 पालिटेक्निकों में कम्प्यूटर व्यवस्था की गई।

मान्यवर, चिकित्सा के सम्बन्ध में भी हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। दवा खरीद के बजट को बढ़ाया गया है, 34 करोड़ से बढ़ा कर 70 करोड़ रुपये किया गया है, एड्स बचाव के लिये शिक्षण, प्रशिक्षण नियंत्रण हेतु कारगर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। कुष्ठ निवारण के लिये प्रभावी प्रयास हमारी सरकार द्वारा किये जा रहे हैं सन् 2001 में 10,000 आबादी पर एक कुष्ठरोगी का संकल्प और पल्स पौलियो अभियान को व्यापक बनाकर 104.587 की उपलब्धि प्राप्त की गई। मान्यवर, जनसंख्या की दृष्टि से एक बात जरूर चिंताजनक है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं उनके अपेक्षित

परिणाम नहीं आ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रदेश के विकास को देखते हुये रोकना बहुत आवश्यक है। सरकार इस ओर और अधिक प्रयास करेगी यह मुझे आशा है।

मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है। जहां पर अनेक सरकारी अस्पताल और चिकित्सालय स्थापित किये गये हैं वहीं पर-मेडिकल कालेजों को स्वायत्तशासी बनाकर उनको स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया है। इसका फायदा यह हुआ है कि प्रदेश में जो मेडिकल कालेजों में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर के पद रिक्त थे जिसके कारण छात्रों का अध्ययन प्रभावित होता था तो इन पदों की भर्ती के लिये विज्ञापन हो गया है और रिक्त पदों को भरने के लिये प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। मान्यवर, इसी प्रकार से मानव अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने कानून बनाया। मान्यवर, 10 आयुर्वेदिक कालेजों के सुदृढ़ीकरण हेतु 4 करोड़ 22 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से आयुर्वेदिक फार्मेसी के सुदृढ़ीकरण हेतु 5.40 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से 10 होम्योपैथिक कालेजों के भवनों के निर्माण के लिये 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, पहले परम्परा थी कि 5 बजे के बाद अगर सत्र चलाना होता था तो एक प्रस्ताव आता था और वह प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन का समय बढ़ जाता था। यह प्रथा 74,75,77 में थी। 5 बजे के बाद समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव लाया जाता था।

श्री अधिष्ठाता–

परिपाटी यह है कि जो सदन का कार्य निर्धारित है वह पूरा होगा। अगर किसी विशेष कार्य के लिये कोई निश्चित समय घोषित है और उस मद को घोषित समय से पहले शुरू करना है तो प्रस्ताव लाया जाता है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, समय बढ़ाने के लिये माननीय नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाते हैं कि इतना समय और बढ़ा दिया जाय। समय बढ़ाने के लिये विधिवत् प्रस्ताव आता है अगर आपकी सरकार परम्परा भूल गयी है तो और बात है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को स्वयं याद होगा कि 74, 75, 77 में जब सदन 5 बजे के बाद चलता था तो उसके लिये अलग से प्रस्ताव आता था। बीच में आपने संशोधन कर दिया हो तो दूसरी बात है।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियम 15 (1) देखें। इसमें व्यवस्था है कि अध्यक्ष के निर्देश के अधीन रहते हुये सभा का उपवेशन साधारणतया 11 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ होगा और तब तक चलेगा जब तक उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त न हो जाय यह संशोधन हुआ है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

आपने अपनी सुविधा के लिये संशोधन कर लिया है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

समन्वित मार्ग नीति सभी प्रकार के मार्गों के अनुरक्षण एवं विकास का दस्तावेज है एक्सप्रेस वेज, फ्लाई ओवर्स, निजी क्षेत्र की सहभागिता का प्रयास, टुबटेलिंग व्यवस्था को प्रोत्साहन, पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत 1000 से अधिक आबादी के ०१३ ग्रामों को जोड़ना, लगभग 400 और गांवों को 31 मार्च तक जोड़ने का संकल्प, 1023 किलोमीटर नहर पटरी का इस वर्ष पूरा होना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, बहुत संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। गड्ढा मुक्त सड़क केवल नारा नहीं था लगभग 25,000 किलोमीटर सड़क को इस प्रदेश की सरकार ने गड्ढा मुक्त किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में 65 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। उपरिगामी, अधोगामी रेलवे पुल का निर्माण कार्य प्रदेश में प्रगति पर है।

नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड करने की प्रक्रिया को सरल किया है। गृहकर की स्वतः निर्धारण श्री भाउराव देवरस योजना के अन्तर्गत 20 हजार मकानों का निर्माण मध्यम वर्ग हेतु कराने का संकल्प है। आश्रय योजना के अन्तर्गत 5, 10 व 15 रुपये प्रतिदिन पर 40 हजार आवास उपलब्ध कराने की योजना इस सरकार की देन है। इन्दिरा आवास योजना के तहत 62 हजार मकान ग्रामीण क्षेत्रों में इस सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। 11097 हैण्ड पम्प, सूडा द्वारा पटरी दुकानदारों को 50 हजार रुपये का ऋण देना, रिक्शा चालक को रिक्शा मालिक बनाना इस सरकार की देन है। 543 ट्यूबेल रीबोर हेतु चिन्हित करके उनके लिये 3 किश्तों में धन अवमुक्त करने का निर्णय इस सरकार का है।

पर्यटन की दृष्टि से देखा जाये तो यह सरकार है जिसने पर्यटन नीति घोषित किया है। यह वह सरकार है जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने जा रही है। एन०आर०आईज को आकर्षित करने हेतु योजना बनाई गई है। इण्टरनेट पर उत्तर प्रदेश पर्यटन को पहुंचाया है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो अगले कुछ वर्षों में 3 लाख विदेशी पर्यटकों का लक्ष्य मानकर व्यवस्थाओं को सुधारने का संकल्प किया है। वन विहार, जल विहार, लग्जरी ट्रेन व्यवस्था पर्यटकों को आकर्षित करेगी। शारजाह तक हमने वायु सेवा का शुभारम्भ कर दिया है इससे भी हमारे यहां पर्यटकों का आगमन होगा।

गेहूं की रिकार्ड खरीद की गई। गेहूं का प्रति कुन्तल 510 रुपये समर्थन मूल्य दिया गया। धान का 415 से 440 रुपये प्रति कुन्तल मूल्य देने का काम इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की आपूर्ति बनाये रखने के लिये 1-4-99 से भूमिगत टैंक पेटी होना लाइसेंस की अनिवार्य शर्त रखी गई है। राज्य कर्मचारियों को वाहन खरीद पर छूट की व्यवस्था समाप्त की गई थी उसको पुनः बहाल कर दिया गया है। परिवहन की दृष्टि से जल परिवहन का प्रारम्भ इलाहाबाद से हल्दिया तक किया गया है। वाहन पंजीकरण के कार्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये निजी क्षेत्र में पंजीकरण का कार्य दिया गया है। "यात्री देवो भव" के नारे के साथ बसों की दशा सुधारने के लिये नई चेचिस की खरीद की व्यवस्था की गई है। लोड फैक्टर वृद्धि से अर्जित आय का 10 प्रतिशत कन्डक्टर/ड्राइवर को देने की व्यवस्था की गई है। ट्रकों में ओवरलोडिंग को बन्द किया गया है।

उत्तरांचल को स्वतंत्र राज्य का दर्जा इस सरकार ने देने का निर्णय लिया है जो अन्तिम चरण में है। उत्तरांचल के वार्षिक योजना परिव्यय में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और 860 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। 75 हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टर तथा 99 जूनियर स्कूलों को उच्चीकृत कर हाई स्कूल बनाया गया है। 210 करोड़ रुपये की लागत से उत्तरांचल के पर्यावरण को बचाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। उत्तरांचल में पं० दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर प्रत्येक नगरपालिका को एक पार्क देने का निर्णय लिया गया है। 9 नयी जल विद्युत परियोजनायें, पर्यटक, आवास, गृह सुविधाओं में वृद्धि इस सरकार ने किया है। भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व वसूली को स्थगित किया है। जनता की सरकार जनता के द्वार के अन्तर्गत प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को तहसील दिवस, द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार को थाना दिवस, तृतीय मंगलवार को नगरीय सेवा केन्द्र शुरू करने का निर्णय इस सरकार ने किया। वन माफियाओं को चिन्हित करके अवैध कटान व खदान को रोकने का काम इस सरकार ने किया है। नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण इस सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया है।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, पं० दीन दयाल उपाध्याय तेन्दू पत्ता श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को तेंदू पत्ता एकत्र करने का काम हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 1500 रुपये के स्थान पर 2250 रुपये पेंशन बढ़ाकर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, शहीद स्मारकों के निर्माण हेतु हमारी सरकार ने 59 लाख रुपये की व्यवस्था किया है। मान्यवर, होमगार्ड्स की मृत्यु अथवा अपंगता होने पर उसकी बीमा राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 53,000/- रुपये किया है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया है। हमारी सरकार ने वार्षिक योजना धनराशि में लगभग 44 प्रतिशत की वृद्धि किया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने कोषागारों में कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था किया है जिससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा। हमारी सरकार ने समय पर स्वीकृतियां जारी करने के आदेश दिये हैं। टी०आर० 27 से जिससे राज्य कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान की व्यवस्था की है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये मनोरंजन कर में छूट देने की व्यवस्था किया है। मनोरंजन कर की दर 125 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत किया है। हमारी सरकार ने बन्द पड़े सिनेमाघरों के संचालन हेतु अनुदान की सुविधा देने की व्यवस्था किया है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर दिये गये स्टाम्प शुल्क के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि के लिये स्टाम्प में मुकदमा नहीं करने की रियायत दी है। स्टाम्प कमी के हल हेतु इसी प्रकार हमारी सरकार ने फ्रैंकिंग मशीन की सुविधा दिया है। स्टाम्प शुल्क में कमी किया है। बैंक में पैसा जमा करने की सुविधा सरकार ने दिया है। मान्यवर, व्यापार कर की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने विभिन्न चीजों पर व्यापार कर माफ करने का काम किया है। मान्यवर, सरकार ने वर्ष 1996-97 में 2,757 करोड़ रुपये का राजस्व व्यापार कर से प्राप्त किया था जबकि वर्ष 1997-98 में 3,073 करोड़ रुपये बिना नये कर लगाये राजस्व प्राप्त किया। मान्यवर, आप देखें तो यह हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मान्यवर, श्रम विभाग में देखें तो हमारी सरकार ने 14 नये आई०टी०आई० की स्थापना किया है। बाल श्रमिकों का शोषण न हो इसलिये इस दिशा में सरकार ने नियमों को कड़ाई से पालन करवाने का काम किया है।

मान्यवर, आज सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष में बैठे सभी माननीय सदस्यों से मैं अपील करता हूं कि इस सदन की गौरवमयी परम्परा को दृष्टि रखते हुये प्रदेश की 15 करोड़ जनता को सुख सुविधा देने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसे पूरा करने हेतु आज सौभाग्य से हमें एक जुझारू और कर्मठ मुख्य मंत्री मिले हैं जिसका परिचय आज विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल बिना शर्त वापस हो गई है उससे मिलता है।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हाउस आफ कामन्स, हाउस आफ लार्ड्स जिसके आधार पर हमारा संविधान बना है वहां जब कभी हाउस आफ कामन्स, हाउस आफ लार्ड्स एक साथ बैठते हैं तथा किंग का सम्बोधन होता है तो विपक्ष द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान सम्बोधन में नहीं पैदा किया जाता है। मैं पूरे सदन से अपील करते हुये कि आप अपने कर्तव्य को पहचानें, सत्य से साक्षात्कार करें। सत्य से परे जाकर मुंह छिपाने से कोई लाभ नहीं है। इस शब्दों के साथ महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री बाजपेयी जी द्वारा रखे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महामहिम श्री राज्यपाल ने 9 फरवरी को समवेत् सदन में उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों का खुलासा किया। मैं बधाई देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को यह सदन याद करे जब मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री की कुर्सी संभाली थी। उस समय हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर थी। प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली था। राजनैतिक अस्थिरता का दौर था। समाज में चारों तरफ तनाव व्याप्त था। हिंसा का वातावरण व्याप्त था। मैं कभी सोचता हूं कि आज हमारे प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसका कारण क्या है। तो मेरी दृष्टि पूर्व सरकारों पर जाती है। 1952 से लेकर 1996 तक प्रदेश की बागडोर ऐसे हाथों में जाती रही जिन्होंने प्रदेश के विकास पर ध्यान नहीं दिया। आज हमारे सामने जो आंकड़े हैं 50 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश में 43 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इस तरह से आज 16 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ की आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन पर मजबूर है। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर 6 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास दर 3 प्रतिशत है। आज जहां राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 52 प्रतिशत है वहीं उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 41.25 प्रतिशत है। हमारे यहां ऋण जमा करने का अनुपात केवल 22 से 28 प्रतिशत है। यह तमाम आंकड़े हैं जिनसे साफ है कि पूर्व की सरकारों का दृष्टिकोण व्यवहारिक नहीं रहा। उनका चिन्तन प्रदेश की जनता के लिये सही नहीं था। उत्तर प्रदेश जो कभी देश का हृदय प्रदेश था आज सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तर पर निचले स्तर पर चला गया है। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होने कुर्सी संभालने के समय संकल्प लिया था कि प्रदेश में कानून का राज होगा। श्री कल्याण सिंह जी के मुख्य मंत्री बनने के पूर्व कहीं हल्ला बोल चल रहा था कहीं न्यायालयों पर हमला हो रहा था कहीं हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा था पूरे प्रदेश में भय का वातावरण व्याप्त था।

मुख्य मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि पूरा प्रदेश भयमुक्त होगा इसी कड़ी में इन्होने सवा साल में ऐसा वातावरण बना दिया है कि पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। सारे अपराधी जेलों में हैं या तो बन्द कर दिये गये हैं या सड़कों पर पुलिस द्वारा इनकाउन्टर में मारे गये हैं। पूर्व में जितने अपराध होते थे

सभी में एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की जाती थी हमारी सरकार ने हर थाने पर निर्देश दे दिये हैं कि प्रत्येक मामले की एफ०आई०आर० दर्ज की जाये । जो पुलिस कर्मी अपराधियों से तालमेल रखते थे उनको चिन्हित करके उनको बर्खास्त करने का काम इस सरकार ने किया है । आज माफिया गिरोहों के सफाये के लिये स्पेशल टास्क फोर्स का गठन इस सरकार ने किया है इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के माफिया गिरोहों का सफाया कर दिया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इसके लिये मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले यह प्रदेश दंगों का प्रदेश हुआ करता था । हमेशा शिया सुन्नी का विवाद होता था लेकिन जब से माननीय श्री कल्याण सिंह जी की सरकार आयी, मैं विरोध पक्ष से भी पूछना चाहता हूं कि क्या कहीं पर कोई दंगा हुआ, क्या कहीं पर हिन्दू-मुस्लिम फसात् हुये । कभी मुरादाबाद में दंगे होते थे तो कभी बनारस में दंगे होते थे तो उस समय केवल इंसानियत का जनाजा निकलता था । किसी ने कहा भी कि न हिन्दू मरा न मुसलमान मरा है, शैतान ने मारा है एक इन्सान मरा है । आज इंसानियत की हत्या नहीं हो सकती है और शिया सुन्नी का दंगा नहीं हो सकता है जब तक माननीय श्री कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री हैं । इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्षों से शिया-सुन्नी का झगड़ा होता रहता था । न जाने कितने प्रयास किये गये परन्तु शिया-सुन्नी के बीच होने वाले झगड़े को कोई नहीं रोक सका परन्तु माननीय श्री कल्याण सिंह जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं और प्रदेश की जनता की तरफ से भी मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने अल्पकाल में ही शिया-सुन्नी के झगड़े को हमेशा-हमेशा के लिये खत्म कर दिया और एक भाई-चारे की समरसता का संदेश पूरे प्रदेश को दिया । पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 12 साल के बाद हमारे देश में आयी । कुछ लोगों ने विरोध किया परन्तु मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिन्होने दृढ़ता के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत आने दिया और उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की ।

मैं देश के प्रधान मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की समस्याओं को सुलझाने के लिये 20 फरवरी को बस द्वारा पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया है । यह भारत और पाकिस्तान के लिये बहुत ही लाभदायक होगा । आज जब बी०जे०पी० के सरकार द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करने के लिये तथा कौमी एकता कायम करने के लिये काम किया है तो कुछ लोग जो विभिन्न सम्प्रदायों की राजनीति करते हैं, वह बौखला रहे हैं । कभी कांग्रेस को गाली देते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी को देते हैं । मैं अपनी सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि आज कौमी एकता को बनाये रखने के लिये वह काम कर रही है । इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । यदि देश में देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजनैतिक अस्थायित्व रहा है । 1989, 1991, 1993 तथा 1996 में उत्तर प्रदेश विधान सभा भंग होती रही । यदि औसत कार्यकाल विधान सभा का देखा जाय तो वह 15 महीने से अधिक का नहीं रहा । आज इन तमाम राजनैतिक विरोधाभासों के बाद भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं और यह सदन भी कृतज्ञ है कि उनकी संकल्पशक्ति तथा सूझ-बूझ के कारण हम उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बैठे हैं और 28 महीने का कार्यक्रम पूरा करने जा रहे हैं और पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे । इस सरकार को भंग कराने के लिये सदन में हिंसा कराई गई और राज्यपाल पर भी आरोप लग गये और वह भी इस साजिश के शिकार हुये । इन सारी कठिनाइयों के बाद भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी सूझ-बूझ का परिचय देते हुये उत्तर प्रदेश में जनतंत्र तथा जनता को सुरक्षित किया । इसका श्रेय मैं माननीय श्री कल्याण सिंह

जी को जाता है । इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं हमें इस बात की खुशी है कि इस सरकार ने गांव, गरीब तथा किसान को अपना लक्ष्य बनाया है और 70 प्रतिशत की धनराशि गांवों पर खर्च करने की बात कही है । और उसका नतीजा है कि ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये बड़े पैमाने पर काम चल रहा है । हर गांव में वैज्ञानिक तरीके से खेती हो इसके लिये गांवों का चयन किया जा रहा है । पहली बार ऐसा हुआ है कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया गया है । वर्षों से बन्द बड़े ट्यूबेल जिनसे सिंचाई के कार्य में बाधा होती थी को ठीक कराया गया है, नालियों का रख-रखाव करके टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य इस सरकार ने किया है । माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि दैवी आपदा बाढ़ से यह प्रदेश प्रभावित रहा है । हमारे गांवों में पुराने लोग रहते हैं उनसे जब हमने पूछा कि इससे पहले भी कभी इस तरह की बाढ़ आई है तो उनका यही जवाब था कि हमारे सामने तो ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई है, हमने ऐसी बाढ़ न देखी है न हमारे जेहन में आई । बाढ़ से कितना बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश का हुआ । 85 जनपदों में से 73 में प्रलयकारी बाढ़ की विनाशलीला थी । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और जितनी मदद हो सकती थी की । पिछली सरकारों का इतिहास देखा जाय तो पता चलेगा कि अहेतुक सहायता 500 रु० मिलती थी और आवास के नाम पर कुछ नहीं मिलता था ।

हमारी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को अहेतु सहायता 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये तक दिये । आवास के लिये भी 20-25 हजार रुपये देने की घोषणा की और देने का कार्य माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया । इस सरकार ने सड़कों के निर्माण में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है । बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम अपने इलाकों में जाते हैं, प्रतिपक्ष के साथी भी अपने इलाकों में जाते होंगे चारों तरफ सड़कों का कार्य हो रहा है, कहीं पर सड़क पक्का किये जाने का कार्य, कहीं पर लेपन करने का कार्य हो रहा है । इस सरकार ने सड़क नीति बनाकर एक हजार से अधिक की आबादी के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया है लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2005 तक कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसको पक्की सड़कों से न जोड़ा जाय । नहरों की पटरियों को प्रति वर्ष के हिसाब से । हजार पटरियां प्रतिवर्ष पक्की की जायेंगी । प्राथमिकता के रूप में सड़कें चाहे वे ग्रामीण हों, राष्ट्रीय हों या प्रान्तीय हों, सबको गड्ढामुक्त करने का कार्य किया है । इसके लिये मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । इन्होंने और शासन की नीति ने पूरे प्रदेश में जो सड़कें गड्ढायुक्त थीं उनको गड्ढामुक्त बनाने का कार्य किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राजधारी–

महोदय शिक्षा के क्षेत्र में भी इस सरकार का बहुत योगदान रहा है । आज सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करेंगे और उनकी स्थापना भी की जा रही है । प्रत्येक न्याय पंचायत में जूनियर हाई स्कूल, प्रत्येक विकास खण्डों में कन्या हाई स्कूल की स्थापना करने को इस सरकार ने प्राथमिकता दी है । वहीं विश्वविद्यालय के सत्र को नियमित करने का प्रयास सरकार ने किया है । बच्चों की हाजिरी की अनिवार्यता को रखा है । प्रवेश की तिथि, परीक्षा की तिथि की एक साथ घोषणा की है । अपने भविष्य के चिन्तन को देखते हुये नकल अध्यादेश को लागू करके बच्चों में जो प्रवृत्ति बढ़ रही थी, शिक्षा के प्रति जो अरुचि पैदा हो रही थी उसको दूर करने का प्रयास किया है ।

इसके लिये भी यह सरकार बधाई की पात्र है। यह सरकार पारदर्शी है और सबका सुधार चाहती है। सबको जीने का अधिकार मिले इसलिये सरकार ने यह योजना बनाई है।

श्री राजधारी–

जो गांव में विकास के कार्य हो रहे हैं उसका परीक्षण कराना सरकार की प्राथमिकता है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजधारी–

हमारी सरकार ने किसान दिवस के माध्यम से तहसील दिवस के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई है। पहले लोग छोटे-छोटे कार्यों के लिये परेशान होते थे अब परेशानी नहीं होगी। थाना दिवस, तहसील दिवस, किसान दिवस का आयोजन करके कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, जनहित को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है इसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजधारी–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का हाल यह था कि हमारी भारत सरकार के ऋण का आधा भाग विद्युत बोर्ड को चला जाता था पहले सरकारें आईं वह विद्युत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकीं लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से विद्युत वितरण की व्यवस्था को ठीक करने के लिये विद्युत की कमियों को दूर करने के लिये सुधार योजना बनाई और उसकी शुरुआत की आज बड़ी खुशी हुई मुख्य मंत्री जी ने सदन के अन्दर घोषणा की कि बिजली कर्मियों ने बिना शर्त हड़ताल वापस ले ली है मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजधारी–

मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को, हमारी 70 फीसदी आबादी गांव में बसती है उनकी कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये पहली बार कदम उठाये हैं किसानों को किसान बहियां दी गई हैं वह बैंक से कर्जे के रूप में कुछ लेते हैं तो वह सहायक होंगी मृतक के आश्रित का नाम अभिलेख में दर्ज हो जायेगा पहले इस कार्य में महीनों, साल लगते थे। किसानों का शोषण होता था विधवा और उसके बच्चे दौड़ते रहते थे। लेकिन मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं इन्होंने मृतक आश्रितों का नाम दर्ज करने और इसको हफ्ते के अन्दर करने के लिये सरल व्यवस्था की है इसके लिये यह बधाई के पात्र हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजधारी–

मान्यवर, जो लूट और चोरी स्टैम्प की होती थी इस संबंध में हमारी सरकार ने फैसला किया है कि आप रजिस्ट्री करायें और उसी समय उसके दस्तावेज की कापी मिल जाती है इसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है यह गरीब जनता की सरकार है।

(लालबत्ती होने पर)

आप मान्यवर, लालबत्ती बन्द कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजधारी–

बस दो मिनट में बन्द करता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं इस सरकार ने विधायकों की सहभागिता विकास के कार्यों में हो इसको इस सरकार ने महसूस किया है। प्रतिपक्ष के साथी बैठे हैं लेकिन किसी सरकार ने इसको महसूस नहीं किया इन्होंने विधायक निधि की स्थापना करके विधायकों की सहभागिता की है। इसके लिये मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। औद्योगिक विकास के बारे में जब हम सोचते हैं अपने प्रदेश की हालत को देखते हैं। सारे मिल कारखाने बन्द हैं। इस सरकार ने फैसला किया है, लोगों को रोजगार सुलभ कराने के लिये कार्य किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजधारी–

इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है। इंस्पेक्टर राज के चलते औद्योगिक विकास में जो कठिनाई होती थी उसको समाप्त करने का निर्णय सराहनीय है। आपकी लाल बत्ती देखने के बाद मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुये पुनः अपने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये सदन के समस्त साथियों से चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जो आज इस प्रदेश की हालत है उसको देखते हुये अपील करना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुये एक सकारात्मक वातावरण में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनाया है उसमें आप हमारा साथ दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल जी आप अपना संशोधन रखें।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अभी जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है और जो समर्थन किया गया है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। केवल मैं आज संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। चर्चा कल उसमें प्रारम्भ की जायेगी क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1—राज्य की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी विशेष प्रभावी उपाय की घोषणा किये जाने के संबंध में,

2—फर्जी मुठभेड़ों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की हत्याओं के अपराधी, संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्ड दिलाये जाने एवं मारे गये मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने के प्राविधान की घोषणा किये जाने के संबंध में,

3—बदतर आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किये जाने के संबंध में,

4—शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं में क्रमशः 23 और 27 प्रतिशत विद्यार्थियों के प्रवेश को अनिवार्य बनाये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

5—विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों तथा इंजीनियरिंग कालेजों में दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों, अध्यापकों, प्राध्यापकों और प्रधानाचार्यों को अनिवार्य रूप से आरक्षण कोटे के अनुसार भर्ती किये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

6—किसान का आलू लागत के छठवें भाग के बराबर लगभग 1.50 रुपये कि०ग्रा० बिक रहा है, उसकी सरकारी खरीद की घोषणा किये जाने के संबंध में,

7—गन्ना किसानों के बकाया भुगतान व भुगतान न होने पर ध्यान दिये जाने की व्यवस्था तथा उस पर जो कर्ज अथवा सरकारी देय बकाया है, उसकी वसूली स्थगित करने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

8—बाढ़ पीड़ित किसानों का एक साल का लगान व सिंचाई तथा उस पर जो भी कृषि संबंधी देय हो चाहे वह ट्यूबवेल का हो अथवा खाद का हो के एक वर्ष के ब्याज माफी की घोषणा किये जाने के संबंध में,

9—किसी भी कृषक अथवा व्यवसायी जिसने किसी सरकारी संस्था अथवा अर्द्धसरकारी संस्था से ऋण लिया है उसकी वसूली ब्याज के रूप में मूलधन के बराबर से अधिक वसूली न किये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

10—इण्टरमीडिएट और स्नातक कक्षाओं में रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

11—शत प्रतिशत साक्षरता और इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु घोषणा किये जाने के संबंध में,

12—प्राइमरी से लेकर इण्टरमीडिएट तक पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं को वेतन वितरण योजना के अन्तर्गत लिये जाने की घोषणा जिससे प्रदेश के लाखो शिक्षक अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, के संबंध में,

13—जिन शिक्षण संस्थाओं की मान्यता वित्तविहीन है उनकी मान्यता सवित्त घोषित करने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

14—प्रशिक्षित बी० टी० सी०, बी० एड०, और डी० पी० एड० की नियुक्तियां किये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

15—अधूरी और जीर्णशीर्ण सड़कों के पूरे किये जाने हेतु और मरम्मत के लिये कोई प्रभावी घोषणा किये जाने के संबंध में,

16—श्री मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में जिन योजनाओं पर 50 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है उसको पूरा किये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

17—यमुना, चम्बल और क्वारी नदियों की तलहटियों में सिंचाई कार्यों में शत प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा, जिससे पानी के अभाव में सैकड़ों वर्षों से लोग आर्थिक तंगी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, के संबंध में,

18—डकैतों के आतंक को समाप्त किये जाने हेतु यमुना, चम्बल, क्वारी आदि नदियों के रिवाइन्स को समतल किये जाने हेतु सड़कों के निर्माण की घोषणा किये जाने के संबंध में,

19—प्रदेश की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है, जिन्हें काम देने की कोई योजना घोषित किये जाने के संबंध में,

20—हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने की घोषणा, जिससे भविष्य में बेरोजगारी की आशंका तथा कृषि उत्पादन में कमी की आशंका है, के संबंध में,

21—गेहूं, धान और आलू के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिये क्रमशः 600 रुपये, 500 रुपये और 300 रुपये प्रति कुन्तल सरकारी खरीद दिये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

22—बेरोजगारों को रोजगार देने और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

23—गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले प्रदेश के परिवारों को रहने लायक पक्के मकान बनाये जाने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

24—समस्त वृद्ध, विकलांग एवं निराश्रित विधवाओं को अविलम्ब पेंशन प्रदान करने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

25—बेरोजगार पुरुषों एवं महिलाओं को रोजगार देने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर कुटीर उद्योगों की स्थापना के संबंध में कोई घोषणा नहीं किये जाने के संबंध में,

26—ग्राम सभाओं को भू-राजस्व की आधी धनराशि ग्राम विकास हेतु ग्राम सभाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

27—वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सवित्त मान्यता एवं भविष्य में जो भी मान्यताएं दी जायें उनके लिये वित्तविहीन की शर्त न लगाये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

28—न्याय पंचायत स्तर पर एक बालिका इंटर कालेज एवं ब्लाक स्तर पर एक डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

29—बाढ़ के प्रकोप को रोकने हेतु एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

30—प्रदेश में एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पास की प्रमुख सड़क से जोड़ने के संबंध में घोषणा किये जाने के संबंध में,

31— अधूरी सड़कों और पुलों के निर्माण के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

32—विधान सभा क्षेत्र विधूना, जनपद औरैया की प्रमुख सड़क सहरापुर–विधूना के निर्माण एवं उस पर ग्राम पिपरौलिया और लखनों के बीच अरिन्द नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में घोषणा किये जाने के संबंध में,

33—भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाये जाने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

34—हमारे क्षेत्र विधूना, जनपद औरैया तथा प्रदेश की अन्य नदियों की तलहटियों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और पेयजल उपलब्धि के लिये इंडिया मार्क हैण्डपम्प लगवाये जाने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

35—जनपद औरैया/इटावा में बहने वाली यमुना, चम्बल, क्वारी आदि नदियों के रिवाइन्स का समतलीकरण करवाकर उस पर बागवानी और भूमिहीनों को पट्टे दिलवाकर बहुत से बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में घोषणा किये जाने के संबंध में,

36—किसानों की फसल नष्ट करने वाले जानवरों (पाड़ा जिसे नीलगाय कहते हैं) की जन्मदर पर अंकुश लगाये जाने हेतु किसी योजना की घोषणा किये जाने के संबंध में,

37—मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित अधूरी सड़कों को पूर्ण कराये जाने एवं बनी हुई सड़कों के मरम्मत की घोषणा किये जाने के संबंध में,

38—प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समझौते के तहत केन्द्रीय वेतनमान दिये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

39—क्षेत्र पंचायत के बी० डी० सी० सदस्यों को विकास की कड़ी से जोड़ने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

40—प्रदेश के हर खेत को पानी और नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की योजना की घोषणा के संबंध में,

41—गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों को निःशुल्क विद्युत देने की घोषणा किये जाने के संबंध में।"

(कृपया सदस्यों के संशोधनों के लिये देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ सं० 176-213 पर।)

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र में जिला योजना से जो प्रस्तावित किया हुआ सड़क और विकास का कार्य होता है उनका उद्घाटन और शिलान्यास का कार्य केन्द्रीय मंत्री करते हैं, तो उससे विधायकों की गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो मैं इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यहां पर मौजूद हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपको यह कहने का अवसर मिलेगा, अभी आप बैठें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान विधायकों से हटकर कहीं अलग है इसलिये यह बार-बार कह रहे हैं कि मैं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, इनका संकट दूसरा है ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जिला योजना से जो भी विकास कार्य प्रस्तावित हों उनका उद्घाटन शिलान्यास विधायकों द्वारा हो ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 10 फरवरी, 1999 को नियम 311 में प्राप्त दो सूचनाओं को नियम 51 में परिवर्तित किया गया है । इस प्रकार नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई ।

पहली सूचना श्री रामपाल की जनपद जालौन के थाना रामपुरा क्षेत्रान्तर्गत 10 किसानों को डकैतों द्वारा फिरौती वसूलने व हत्या के उद्देश्य से सामूहिक अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री विनोद मणि की जनपद महाराजगंज के थाना बृजमनगंज एवं फरेन्दा की पुलिस द्वारा क्रमशः ग्राम बजरहा तथा श्रीरामपुर टोले में नागरिकों को उत्पीड़ित किये जाने तथा महाराजगंज महाविद्यालय के छात्रों पर लाठीचार्ज तथा दर्जनों मुकदमें दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । तीसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा के मांट ब्लाक अन्तर्गत ग्राम बहादीन के प्राइमरी पाठशाला के नवीन भवन का निर्माण चयनित स्थल पर न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । चौथी सूचना डा० कौशल किशोर की जनपद लखीमपुर खीरी में अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल पर चले जाने से वादकारियों के समक्ष उत्पन्न गंभीर संकट के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । पांचवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह गौर की जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम अमिलिहा में सार्वजनिक उपयोग की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित कर साजिशन एक उद्योग गुट (लोहिया ग्रुप) को लाभ पहुंचाये जाने के संबंध में है, को केवल ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री विजय पाल सिंह, श्री स्वामी ओइमूवेश, श्री बनारसी दास चन्दाना, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी तथा डा० राम बाबू हरित की सूचनायें अस्वीकार की गई हैं ।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 1 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

10 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये ता०प्र०सं०–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री दीपलाल भारती एवं श्री प्रदीप कुमार बालियान द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर हेतु अनुपूरक सामग्री

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में पशुओं पर शोध कार्य हेतु एक लघु पशु गृह की स्थापना की योजना 1988–89 में बनाई गई थी । इस पर वर्ष 1988–89 में रु० 1.67 लाख स्वीकृत किया गया । इस लघु पशु गृह में चूहा, खरगोश, भेड़ आदि लघु पशुओं पर शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध है ।

वर्ष 1995–96 में यह पाया गया कि एक बड़ा पशु गृह जिसमें सभी आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हो, की आवश्यकता है । इस योजना की कुल लागत वर्तमान रु० 3.50 करोड़ रुपये अनुमानित है । इस योजना को कार्यरूप में अभी तक इसलिये नहीं परिणति किया गया है क्योंकि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अभी इसे गवर्निंग बाडी द्वारा प्राथमिकता पर नहीं लिया गया है ।

एक बड़ा पशु गृह अभी तक निर्मित न होने के कारण आपरेशन थियेटर, औषधियों का प्रभाव का अध्ययन करने तथा विषाणु रहित पशुओं की व्यवस्था करने आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है । संस्थान को शोध कार्य हेतु सी०डी०आर०आई० के एनिमल हाउस का प्रयोग करना पड़ता है जो संस्थान से काफी दूर है ।

वर्तमान रु० 1.67 लाख की धनराशि से निर्मित लघु पशु गृह में पशुओं पर सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रतिरोधात्मक शक्ति, औषधियों का उनके शरीर पर प्रभाव आदि का अध्ययन कार्य किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता०प्र०सं०–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

संलग्नक

क्रमांक	तहसील	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 96–97 में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या		
			अनुसूचित जाति बस्ती में	सामान्य बस्ती में	योग
1	2	3	4	5	6
1	कुण्डा	कालाकांकर	17	27	44
2	,,	बाबागंज	16	28	44
3	,,	कुण्डा	10	21	31
4	,,	विहार	15	23	38
5	लालगंज	सांगीपुर	15	29	44
6	,,	लालगंज	15	26	41
7	,,	रामपुर संग्रामगढ़	10	21	31
8	,,	लक्ष्मणपुर	12	22	34
9	सदर	संडवाचन्द्रिका	05	25	30
10	,,	सदर	10	28	38
11	,,	मान्धाता	15	38	53
12	पट्टी	मगरौरा	10	30	40
13	,,	आसपुर देवसरा	10	28	38
14	,,	पट्टी	10	24	34
15	,,	शिवगढ़	20	29	49
16	,,	गौरा	26	30	56
		योग	216	429	645

संलग्नक–2

क्रमांक	तहसील	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 97–98 में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या		
			अनुसूचित जाति बस्ती में	सामान्य बस्ती में	योग
1	2	3	4	5	6
1	कुण्डा	कालाकांकर	28	48	76
2	,,	बाबागंज	59	49	108
3	,,	कुण्डा	91	49	140
4	,,	विहार	50	52	102
5	लालगंज	सांगीपुर	39	53	92
6	,,	लालगंज	26	50	76
7	,,	रामपुर संग्रामगढ़	53	50	103
8	,,	लक्ष्मणपुर	31	51	82
9	सदर	संडवाचन्द्रिका	60	45	105
10	,,	मान्धाता	63	44	107
11	,,	सदर	30	46	76
12	पट्टी	मगरौरा	48	50	98
13	,,	आसपुर देवसरा	34	52	86
14	,,	पट्टी	35	49	84
15	,,	शिवगढ़	51	65	116
16	,,	गौरा	48	50	98
			योग : 746	803	1549

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता०प्र०सं०–22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(का०प्र०अनु०–1)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या :–457/का०प्र०अनु०–1, लखनऊ : दिनांक : फरवरी 28, 1986

विषय :–मकान किराया भत्ता लेने के संबंध में सूचना ।

समस्त कार्यालय अधीक्षक स्तर–1 तथा स्तर–2/शिविर सहायक कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

आपके अनुभाग/शिविर में कार्यरत तृतीय श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं जो मय दम्पति के राजकीय सेवा/संगठन में हैं और दोनों (पति/पत्नी) मकान किराया भत्ता ले रहे हैं, की सूचना संलग्न प्रपत्र पर भरवा कर रोकड़ शाखा को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(का०प्र०अनु०–1)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या :–935/का०प्र०अनु०–1, लखनऊ : दिनांक : अप्रैल 28, 1986

विषय :–मकान किराया भत्ता लेने के संबंध में सूचना ।

समस्त कार्यालय अधीक्षक स्तर–1 तथा स्तर–2/शिविर सहायक कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 457/का०प्र०अनुभाग–1, दिनांक 28-2-1986 को देखें तथा उसके साथ संलग्न प्रपत्र पर वांछित सूचना अभी तक आपसे प्राप्त नहीं हुई है, जिसे शीघ्र भेजने का कष्ट करें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रपत्र

क्रमांक	कर्मचारी का नाम व पद	नियुक्ति की तिथि	क्या पति/पत्नी दोनों ही राजकीय सेवा/संगठन में हैं यदि हां तो विभाग का नाम	क्या पति/पत्नी दोनों ही मकान किराया भत्ता लेते हैं ।	पति/पत्नी का नाम	मूल वेतन	मकान किराया की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महादेव प्रसाद श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक	12-4-50	पत्नी किसी सेवा में नहीं हैं ।	प्रश्न नहीं उठता है ।	प्रश्न नहीं उठता है ।	रु० 1065/–	रु० 140/–प्रति माह
2	पी० सी० तिवारी, वरि० लि०	6-9-73	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 520/–	मकान किराया भत्ता नहीं लिया जा रहा है ।
3	श्याम लाल, कनिष्ठ लिपिक	24-5-78	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 424/–	मकान किराया भत्ता नहीं लिया जा रहा है ।
4	मेवा लाल, कनिष्ठ लिपिक	2-6-66	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 514/–	रु० 75/–प्रति माह
5	महेश चन्द्र शुक्ला, वरि० लि०	12-12-73	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 520/–	रु० 75/–प्रति माह
6	शिव चन्द्र पाठक, वरि० सहायक	11-10-73	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 626/–	—
7	पी० एन० टण्डन, वरि० लि०	वर्ष 1973	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 520/–	रु० 75/–प्रति माह
8	प्रताप बहादुर, आशु० लि०	10-50	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 1000/–	रु० 115/–प्रति माह

उदय विधान सभा

9	अखिलेश कुमार शर्मा, आशु० लि०	6-82	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 515/–	रु० 75/–प्रति माह
10	विनोद कुमार	3-5-78	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 374/–	रु० 60/–प्रति माह
11	राज कुमार साहू	18-6-83	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 374/–	रु० 60/–प्रति माह
12	अवध लाल, वरि० सहा०	16-7-66	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 608/–	रु० 90/–प्रति माह
13	राम किशुन सिंह, वरि० सहायक	5-10-66	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	रु० 608/–	रु० 90/–प्रति माह
14	श्रीमती राजो सेठ, वरि० लिपिक	26-6-73	पति का निजी व्यवसाय है।	–तदैव–	–तदैव–	रु० 454/–	रु० 75/–प्रति माह
15	ए० पी० सिंह, वरि० सहा०	6-56	पत्नी महापालिका में अध्यापिका है	दोनों मकान भत्ता लेते हैं।	श्रीमती एम०ए० सिंह	रु० 740/–	रु० 105/–प्रति माह
16	एन० एन० सक्सेना, आशु० लि०	26-7-54	पत्नी किसी सेवा में नहीं हैं।	प्रश्न नहीं उठता है।	प्रश्न नहीं उठता है।	रु० 745/–	रु० 90/– गलत आहरित की जा रही है।
17	श्रीमती विमला श्रीवास्तव, वरि० सहा०	जुलाई, 66	पति राजकीय सेवा संगठन में कार्यरत नहीं हैं।	पति राजकीय कोष से मकान किराया भत्ता नहीं प्राप्त करते हैं।	प्रश्न नहीं उठता है।	रु० 608/–	रु० 90/–प्रति माह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी ''घ''

(महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन पीछे पृष्ठ 167पर)

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2	श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : ''किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–प्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय असुन्तलन को समाप्त करने के संबंध में, 2–समान शिक्षा की व्यवस्था लागू करने के संबंध में, 3–प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा ''पूर्वांचल'' के विकास के संबंध में, 4–प्रदेश में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु नीति बनाये जाने के संबंध में, 5–बेरोजगारों का काम या बेरेजगारी भत्ता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, 6–बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, 7–उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग आर्किटेक्ट एसोसियेशन द्वारा मा० लोक निर्माण मंत्री को दिये गये ज्ञापन संख्या–243ए०ए०/99 दिनांक 16-11-98 जिसके आर्किटेक्ट एसोसियेशन द्वारा लोक निर्माण में वस्तुविद संवर्ग को मृत कैडर घोषित नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया था, पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के संबंध में, 8–विधान सभा क्षेत्र देवरिया के अन्तर्गत कार्यों/परियोजनाओं के, जनपद देवरिया के प्रभारी मंत्री द्वारा एक भूतपूर्व विधायक की अध्यक्षता में किये गये जबरन शिलान्यास/उद्घाटन की पुनरावृत्ति भविष्य में न कराये जाने के संबंध में, 9–विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में, 10–विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी पर स्थित पक्का सेतु बनाये जाने के संबंध में, 11–देवरिया नगर स्थित कसया रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज/फ्लाई ओवर बनाये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12–प्रदेश में अग्रिम जमानतों के प्राविधान पुनः लागू किये जाने के संबंध में, 13–देवरिया सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत वर्ष सन् 1998-99 तथा वर्तमान वर्ष की जिला योजना, अम्बेडकर योजना अन्तर्गत स्वीकृत लोक निर्माण विभाग की सड़कों के निर्माण को तत्काल पूरा कराये जाने के संबंध में ।"
3	श्री संजय गर्ग	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– (1) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार उ० प्र० शासन को राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में निर्देशित किये जाने के बावजूद भी इसका गठन न किये जाने के संबंध में, (2) जल प्रबन्धन में स्थानीय लोगों को सहभागिता के संबंध में कोई शसक्त योजना के उल्लेख न किये जाने के संबंध में, (3) प्रदेश के स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों को निरन्तर घटती संख्या से सफाई व्यवस्था के चरमरा जाने की स्थिति में प्रदेश भर के नागरिकों की परेशानी तथा नई भर्ती किये जाने के संबंध में, (4) बालक-बालिकाओं के अच्छे शिक्षण संस्थानों को सवित्त मान्यतायें दी जाने तथा वित्त विहीन की शतों न लगाये जाने के संबंध में, (5) गैर कानूनी स्लाटरिंग को रोकने के लिये सहारनपुर व गंगोह में अत्याधुनिक कवर्ड स्लाटरहाउस बनाने की कार्य योजना के संबंध में, (6) सहारनपुर में बाईपास के निर्माण हेतु दो दशक से लम्बित प्रस्ताव के संबंध में, (7) सहारनपुर जनपद में विद्युत समस्या के निदान हेतु नये बिजलीघरों का निर्माण एवं वर्तमान बिजली घरों की क्षमता बढ़ाये जाने एवं रख-रखाव हेतु राज्य विद्युत परिषद् में लम्बित प्रस्तावों के संबंध में, (8) सभी स्कूल कालेजों में दाखिले व सरकारी नौकरियों में सवर्ग जाति के निर्धन व गरीब लोगों को दस प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(9) प्रदेश भर के दलितों व पिछड़ों के लिये जल प्रवाहित शौचालय सामूहिक सेप्टी टैंक, सड़क (गली) में बनवाकर, संडास घरों में लगवाने की योजना के संबंध में, (10) चोरी, डकैती, अपहरण, लूट और फर्जी मुठभेड़ों पर अंकुश लगाने व प्रदेश को पूरी तरह ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने तथा अराजकता व आतंक को समाप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में, (11) बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार की गारन्टी तथा समान कार्य के लिये समान वेतन नीति के संबंध में, (12) गन्ना व आलू उत्पादकों को शोषण से मुक्ति दिलाये जाने के संबंध में, (13) सहारनपुर जनपद के ग्रामीण अंचलों में लेपन से वंचित सड़कों के लेपन की योजना के संबंध में, (14) सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की चिर प्रतिक्षित मांग के संबंध में, (15) पश्चिमी उ०प्र० के जनपदों के समुचित विकास के लिये पश्चिमांचल विकास निधि स्थापित करने के संबंध में, (16) जनपद सहारनपुर में नई चीनी मिलें स्थापित करने के संबंध में, (17) प्रदेश के व्यापारियों का उत्पीड़न व शोषण रोकने हेतु किसी प्रभावी योजना बनाये जाने के संबंध में, (18) प्रदेश के स्नातक युवकों को बी०एड० व अन्य पाठ्यक्रमों में प्रदेश हेतु कोटा बढ़ाये जाने के संबंध में, (19) प्रदेश में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु किसी प्रभावी योजना के संबंध में, (20) प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के संबंध में, (21) पिछड़ी जातियों के प्रदेश में मिलने वाले 27 प्रतिशत आरक्षण का पिछड़ा आयोग द्वारा चिन्हित सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अलग-अलग स्लेव घोषित करके सभी चिन्हित पिछड़ी जातियों को न्याय दिलाने के संबंध में।"
4	श्री राम विशुन आजाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– (1) उ० प्र० में दलित एवं शोषण एवं निर्बलों के विकास के लिये कोई ठोस योजना बनाये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(2) प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाने के संबंध में,
		(3) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घन्टे विद्युत आपूर्ति करने के संबंध में,
		(4) प्रदेश के शिक्षित बेरोज़गारों को रोजगार देने और एक हजार रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में,
		(5) प्रदेश में बढ़ती महंगाई रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के संबंध में,
		(6) प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं अच्छे बीजों एवं कीटनाशक दवाईयों को सस्ती दरों पर दिलाये जाने के संबंध में,
		(7) प्रदेश में गन्ना मूल्य सौ रुपया (100) प्रति कुन्तल किये जाने के संबंध में,
		(8) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र/छात्राओं को इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा निःशुल्क किये जाने एवं पठन पाठन सामग्री की सुविधा दिये जाने के संबंध में,
		(9) गेहूं के समर्थन मूल्य एक हजार रुपया (1000) प्रति कुन्तल किये जाने के संबंध में,
		(10) प्रदेश के गन्ना कृषकों के बकाया मूल्य भुगतान की तत्काल व्यवस्था कराये जाने के संबंध में,
		(11) निर्बल, दलितों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के उपाय करने के संबंध में,
		(12) गरीबों एवं बेसहारा लोगों के लिये निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था करायें जाने के संबंध में,
		(13) जनपद गोण्डा को सर्वाधिक पिछड़ा जनपद मानकर विशेष धन का प्राविधान करने तथा उसके सर्वांगीण विकास हेतु कार्यक्रम चलाये जाने के संबंध में,
		(14) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में तहसील मुख्यालय पर तहसील भवन निर्माण कराये जाने तथा मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने के संबंध में,
		(15) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के वजीरगंज और मसकनवां बाजार को टाउन एरिया बनाने के संबंध में,
		(16) जनपद गोण्डा में श्रवणपाकर (छपिया) पसका (वि० ख० परसपुर) तीर्थस्थल का विकास करने तथा पर्यटक स्थल घोषित करने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(17) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में विद्युत संकट को देखते हुए झिलाही सावरपुर में 33 के०वी०ए० उपकेन्द्र स्थापित करने के संबंध में,

(18) नवाबगंज शुगर मिल जनपद गोण्डा को इसी वित्तीय वर्ष में चालू करने के संबंध में,

(19) जनपद गोण्डा के गन्ना कृषकों का नवाबगंज शुगर मिल पर पुराना बकाया मूल्य दिलाने के संबंध में,

(20) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में बभनान शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों की व्यापक तौर पर शोषण तथा सभी गन्ना क्रय केन्द्रों पर व्यापक रूप से की जा रही घटतौली को रोकने के संबंध में,

(21) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में टिकरी से रौजा मार्ग का लेपन कराये जाने के संबंध में,

(22) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में बक्सरा से बेलिया मार्ग का लेपन और पुल के निर्माण के संबंध में,

(23) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में 600 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाने के संबंध में,

(24) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर भुजेहना में बरवार जाति के लोग जो काफी पिछड़े हैं अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा जिनका मुख्य पेशा जरायम पेशा है शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिये रचनात्मक योजना बनाये जाने के संबंध में,

(25) विकास खण्ड छपिया और वजीरगंज में सिंचाई हेतु एक-एक कलस्टर नलकूप लगाये जाने के संबंध में,

(26) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में छपियागोरहा मार्ग, सकदरपुर मकोइया कोटखास महराजगंज ग्रान्ट मार्ग, परसा मण्डप मार्ग, महुली खोरी पायर खास मार्ग, चारु संगवा बगदर ग्रान्ट मार्ग, बीरपुर संगवा मार्ग, रामपुर झीलाही मार्ग, चिरैया चौकाट घाट मार्ग, अमवां वीरपुर मार्ग का जनहित में लेपन कराये जाने के संबंध में,

(27) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1993 से वर्ष 1998–99 तक जितने भी अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है उन ग्रामों में विकास की योजनाओं हेतु तत्काल धन आवंटन करके योज़नाओं को पूरा कराने के संबंध में,

(28) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1993 से वर्ष 1998–99 तक राज्य योजना के अन्तर्गत धन न आवंटन होने से बाधित विकास कार्यों हेतु धन आवंटित किये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(29) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में माड़ा, सावरपुर, महराजगंज ग्रिन्ट, कुड़ासन में प्रा० स्वा० केन्द्र खोले जाने के संबंध में, (30) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम हरनारायण, हड़हवा, बक्सरा, इमिलिया, नई बस्ती, नरेन्द्रपुर, दलपतपुर, अजबनगर, चन्दहा, बौगड़ा, भोपतपुर बाजार, गडरही बाजार, माड़ा चटकनवा, सनवरसा, बखरौली, दीननगर, सिसहनी, विशुनपुर, परसाउदयकर, यादवपुरवा, मटेरिया, भटुवाउल्ला, अगयामाफी, सैजलपुर, दुवौली, बैदौली, वासुदेवपुर ग्रिंट, हरैया, चांदनी चौक, मनीपुर ग्रिन्ट, गायघाट, धनश्यामपुर ग्रिन्ट, उपाध्यायपुर ग्रिन्ट, नरायनपुर, शंभू नगर, हरदवा, सतीया, लिदेहना ग्रिन्ट, जमुनहां, दुर्जनपुर बाजार, महराजगंज ग्रांट, लक्ष्मीनकर ग्रांट बगदर ग्रांट, चुवाड़, रमदत्तपुर आदि ग्रामों का सर्वे करवाकर विद्युतीकरण करवाने के संबंध में, (31) विकास खण्ड छपिया में बहउर नाला और चारू नाले को साफ कराने के संबंध में, (32) जनपद गोण्डा के जिन ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशाला अभी तक नहीं खुले हैं और जिन न्याय पंचायतों में जूनियर हाई स्कूल नहीं खुले हैं उनमें स्कूलों को खोलने की योजना के संबंध में, (33) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में एक डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में, (34) विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में जंगली पशुओं से होने वाली क्षति का मुआवजा देने के संबंध में।''
5	श्री विजय पाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–यमुना नदी पर फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग शंकरपुर घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 2–आगरा जनपद के सभी विकास खण्ड डार्क व ग्रे घोषित होने से सिंचाई व पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाने के संबंध में, 3–आगरा जनपद में निरन्तर गिर रहे भूगर्भीय जल स्तर को रोके जाने हेतु उटंगन नदी व खारी नदी पर बांध बनाये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4–आगरा जनपद के विकास खण्ड शमसाबाद के ग्राम डौकी व मझारा में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण न कराये जाने के संबंध में, 5–फतेहाबाद में 132 उप गृह विद्युत केन्द्र का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 6–फतेहाबाद (आगरा) विधान सभा क्षेत्र में धनौला कलां देवी का मन्दिर पारौली सिकरवार, वाजिदपुर ग्रामों में रिपोर्टिंग चौकी स्थापित किये जाने के संबंध में, 7–फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के एक हजार आबादी वाले ग्रामों को कल्याणपुर, रायपुरा, रिहावरी, तारौली, गूर्जर बरना पक्के सम्पर्क मार्गों से न जोड़े जाने के संबंध में, 8–आगरा जनपद के शमसाबाद को तहसील बनाये जाने के संबंध में, 9–आगरा जनपद की जिला योजना वर्ष 97–98, 98–99 में (स्वीकृत) ग्राम मझारा विकास खण्ड शमसाबाद के लिये स्वीकृत निर्माण कार्यों को कराये जाने के संबंध में, 10–आगरा शमसाबाद राजा खेड़ा मार्ग को चौड़ा कराये जाने के संबंध में।"
6	श्री रामतेज यादव एडवोकेट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में बेकारों के संबंध में, 2–विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के बाढ़ पीड़ितों को घर एवं नष्ट खेतीं फसल का मुआवजा दिये जाने एवं वितरण में धांधली की जांच कराने के संबंध में, 3–कैसरगंज की जर्जर विद्युत व्यवस्था में सुधार किये जाने के संबंध में, 4–कैसरगंज भग्गड़वा को गोण्डा जनपद से जोड़ने वाले सुएद सेतु के निर्माण के संबंध में, 5–कैसरगंज में किसानों के सभी कर्जों की वसूली रोके जाने के संबंध में, 6–कैसरगंज क्षेत्र के सभी गांवों में पेजजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु ज्यादा इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

7–कैसरगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भीषण बीमारी से मरने वालों की सुरक्षा एवं मुआवजा देने के संबंध में,

8–कैसरगंज क्षेत्र के गन्ना किसानों का पुराना बकाया मिल द्वारा भुगतान करने के संबंध में,

9–क्षेत्र में विशेष करके जरवल टाउन की बिजली सप्लाई, सड़क व्यवस्था सुधारने के संबंध में,

10–कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम महमीरपुर छिटुकुरी में प्रभावित दो थानों को बनाये जाने के संबंध में,

11–कैसरगंज में बदरौली गोड़हिया नं०–1, 2, 3, 4 खुरमपुर, रेवली, गुहासा, रेतीहाता बहरामपुर, जासेपुर, सोहरास, नासिरगंज में बाढ़ से बचाव हेतु पटाई कार्य के संबंध में,

12–कैसरगंज क्षेत्र में अम्बेडकर गांवों तथा गांधी ग्रामों में प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कराये जाने एवं पुराना भुगतान देने के संबंध में,

13–कैसरगंज क्षेत्र में फतेहपुर से बदरौली बांध तक घाघरा के तटवर्ती मार्जिनल बांध के निर्माण के संबंध में,

14–कैसरगंज क्षेत्र में जरवल रोड बाजार की विद्युत सफाई नाली खड़ण्जा के संबंध में,

15–कैसरगंज बाजार में पानी निकासी व्यवस्था के संबंध में,

16–कैसरगंज क्षेत्र के मेटिया सुतौली, करैल शहबाजपुर मुलहरिया, गाजीपुर मार्गों के लेपन एवं पुलिया निर्माण के संबंध में,

17–कैसरगंज क्षेत्र के हरचन्दा धनसरी गौदौरा, जोतोड़ा करनई में पक्की सड़कें एवं खड़ण्जा निर्माण कराये जाने के संबंध में,

18–कैसरगंज के ग्राम जमालुद्दीन से सोनारी निम्दीपुर, हरना, आई उसरा, चहलार, भदौदी, मलिकापुर, रिथा में सम्पूर्ण विद्युतीकरण, खड़ण्जा एवं पक्की सड़क बनाये जाने के संबंध में,

19–कैसरगंज क्षेत्र की वृद्धाओं, बेवाओं, विकलांग,पेंशन पात्र लोगों को पेंशन स्वीकृत किये जाने के संबंध में,

20–कैसरगंज क्षेत्र के अल्पसंख्यक छात्र-छात्रओं, अनु० जाति के छात्र/छात्राओं एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को एवं संवर्ण छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में,

21–कैसरगंज क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर सारी सुविधायें मुहैया कराये जाने के संबंध में ।"

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
7	श्री राम औतार शाक्य	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के संबंध में, 2–प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के संबंध में, 3–प्रदेश में सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं/नेताओं के फर्जी एनकाउन्टर एवं मुकदमों में फंसाये जाने के संबंध में, 4–प्रदेश में समाज के विभिन्न वर्गों में अलगाव पैदा करने एवं समरसता खत्म करने तथा जातिवाद फैलाने के संबंध में, 5–प्रदेश में नीचे से लेकर ऊपर तक शासन एवं प्रशासन में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार के संबंध में, 6–प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे रोकने के संबंध में, 7–प्रदेश में किसानों, मजदूरों एवं बुनकरों का शोषण एवं उत्पीड़न करने के संबंध में, 8–प्रदेश में ठण्ड एवं भूख से मरने वालों की बढ़ती संख्या के संबंध में, 9–प्रदेश में किसानों की क्रय शक्ति घटने एवं उनको उनकी उपज का लाभकारी मूल्य न दिये जाने के संबंध में, 10–प्रदेश में अल्पसंख्यकों, कमजोर तबके के लोगों एवं पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब लोगों में असुरक्षा की भावना बलवती होने के संबंध में, 11–प्रदेश विगत समय में भूस्खलन एवं भीषण बाढ़ के कारण हुई धन एवं जनहानि तथा इस संबंध में सरकार द्वारा त्वरित एवं प्रभावी तरीके से सहायता न करने तथा इसमें करोड़ों सरकारी रुपयों की हेराफेरी व घपला किये जाने के संबंध में, 12–प्रदेश में अस्पतालों में सरकारी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित न कराने तथा कुत्ता काटने के इंजेक्शनों की कृत्रिम रूप में अभाव पैदा करने के संबंध में, 13–प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा पाठयक्रम बदलने के संबंध में, 14–प्रदेश में आई०ए०एस०, आई०पी०एस० तथा अन्य विभागों में अभियन्ताओं के स्थानान्तरण को एक उद्योग बनाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15–प्रदेश की सरकार में सामंजस्य स्थापित न करके तथा मंत्रियों द्वारा संवैधानिक दायित्व का निर्वहन न करने से प्रदेश की जनता में असामंजस्य व अनिश्चितता की भावना पैदा होने के संबंध में,
		16–प्रदेश में मंत्रिमण्डल द्वारा फिजूलखर्ची करने तथा विकास के कार्यों में भारी भ्रष्टाचार करने के संबंध में,
		17–प्रदेश में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने तथा घटिया कार्यदात्री संस्थाओं द्वारा इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगवाने के संबंध में,
		18–प्रदेश में जिलाधिकारियों को भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस निर्गत करने के संबंध में,
		19–प्रदेश में डी०आर०डी०ए० एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों में शासनादेशों, नियमों एवं मानकों के अनुसार संबंधित विधायकों से प्रस्ताव न लेकर अधिकारियों द्वारा अवांछनीय लोगों द्वारा प्रस्ताव लेकर कार्य कराने के संबंध में,
		20–प्रदेश में कृषि नीति, उद्योग नीति, भाषा नीति, शिक्षा नीति, जल नीति, सड़क नीति, अर्थ नीति ठीक न होने से मंहगाई,बेरोजगारी, गरीबी बढ़ने के संबंध में,
		21–प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में,
		22–प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक न होने के संबंध में,
		23–प्रदेश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते प्रभाव के कारण कुटीर उद्योगों के तहस-नहस होने के संबंध में,
		24–प्रदेश में पोखरन बम विस्फोट के कारण विदेशी सहायता बन्द होने तथा उसके फलस्वरूप कई परियोजनायें बन्द होने/प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,
		25–प्रदेश में रवी की फसल में किसानों को डी०ए०पी० खाद के समय से उपलब्ध न होने एवं डी०ए०पी० के नाम पर नकली खाद के बढ़ते प्रकोप के कारण किसानों की अपूर्णनीय क्षति होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,
		26–प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु पानी व बिजली उपलब्ध न होने के संबंध में,
		27–प्रदेश में सरकार की वित्तीय नीति ठीक न होने से लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन न मिलने, नकदीकरण की सुविधा समाप्त व जी०पी०एफ० पर रोक लगाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		28–प्रदेश में पब्लिक के लोगों को विभिन्न निगमों में चेयरमैन/प्रशासक नियुक्त कर करोड़ों रुपयों की फिजूलखर्ची के बढ़ाने तथा निगमों की वित्तीय स्थिति डगमगाने के संबंध में,
		29–प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में बेतहाशा किराया वृद्धि के संबंध में,
		30–प्रदेश में आर्थिक एवं राजनीतिक अपराधीगण बढ़ने के संबंध में।
		31–जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में अलीपुर से सोवनपुर, मुड़ई से कमलपुर, मुड़ई से कल्याणपुर, तिलियानी से जासमई, जी०टी० मार्ग से बीलपुर कांसेपुर, जी०टी० मार्ग से खजअइआ, जी०टी० मार्ग से छबीलेपुर, जी०टी० मार्ग से मनिकापुर,जी०टी०मार्ग से रामनगरिया, जी०टी० मार्ग से लक्ष्मनपुर, जी० टी० मार्ग से पुरैया, जी०टी० मार्ग जोगा से तिलियानी तक वाया महमुदिया, जी०टी० मार्ग जोगा से हुसैनपुर जसवंतपुर–घूमसपुर तक, लिपुरनेक-इटावा मार्ग से बड़ाहार नं० केहरी से सोवनपुर तक वाया परौखा, बझेरा से जल्लापुर खद्दइया वाया गंगरवाला तक, लियुलेक इटावा मार्ग से खजुरिया तक, मोटा मार्ग (हजारा) से अकबरनपुर गनू वाया सुल्तानपुर नवादा तक, मोटा मार्ग से जिलही तक, मानपुरहरी से भूड़पतिया-भूड़हार-बौद्धनगर से होकर मोटा मार्ग गौशाला तक, जलालपुर मोटा मार्ग से माधौनगर वाया सुल्तानगंज में महोलीखेड़ा के पुल तक दोनों तरफ एप्रोच रोड व नगला हरीसिंह से गोविन्दपुर तक, गोविन्दपुर से मौजेपुर हबिलिया तक, गोविन्दपुर मार्ग से जैतूलपुर तक, भोगांव से औग तक वाया सलेमपुर पठीना, पठीना-सलेमपुर से नगला कान्धर तक, सलेमपुर पठीना से गचरियापुर वाया नगला बरी, भोगांव मैनपुरी मार्ग से नगला शीश तक भोगांव मैनपुरी मार्ग से बीलों वाया अतिरवा बीलो, फर्दपुर मार्ग से जी०टी० मार्ग वाया नगला दीपा, हन्नूखेड़ा से लहरा तक वाया नगला हिम्मत शाहपुरा का छूटा हुआ भाग, हन्नूखेड़ा मार्ग से नगला कोंकनाया नगला मितकर-बलारपुर-गनेशपुर-भोजपुर, हन्नूखेड़ा मार्ग से भनऊ वाया नगला बगिया, जी०टी० मार्ग से जरामाई वाया नगला शिम्भू, जी०टी० मार्ग से तिलियानी वाया नगला धैकल, हन्नूखेड़ा मार्ग से खटाना वाया धनमऊ, करीमगंज-बिछिया मार्ग से शीतलपुर वाया नगला धारा, जी०टी० मार्ग से नगला धुरा वाया नगला कुन्दन, जी०टी० मार्ग से हबिलिया (सुरजनपुर) आलीपुर खेड़ा मार्ग से कल्याणपुर तक, भोगांव से देवीपुर वाया बरासूरजपुर, भोगांव से भवानीनगर, लिपुलेक इटावा मार्ग से नगला दलीप, परौखा मार्ग से धीरपुर, लिपुलेक मार्ग इटावा से लात नगला पैठ से शेरपुर चूहरपुर वाया चन्दनपुरस मोटा मार्ग से सुल्तानपुर नवादा, जी०टी० मार्ग से जी०टी० मार्ग वाया धुबिया (महानन्दपुर), जी०टी० मार्ग से विक्की पुर-बघेला, जी०टी० मार्ग से लालापुर वाया गम्भरपुर, जी०टी० मार्ग से लोधीपुर

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		वाया खांकेवाल, गंगरवाला से चन्दीपुर, बेबर-जल्लापुर खद्दइया मार्ग से चन्दीपुर, वाया नं० देवीधुनिया, मोटा मार्ग से शीलवन्त, मेरापुरछदानी से जलालपुर तक, मेरापुरदायी मार्ग से महादिया, अमरहा से मेरापुर छदामी मार्ग तक वाया पूरनपुर तक पेन्टिंग स्तर तक पक्की सड़कें बनाये जाने के संबंध में, 32–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी के ग्राम छ्योकरिया, विनोदपुर, अरमसराय, नगला टांकन (मल्लामई), भोजपुर (ब्लाक सुल्तानगंज) में जूनियर हाईस्कूल बनाये जाने के संबंध में तथा 33–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में नगला हिम्मत (बलारपुर), फकैता (सुल्तानगंज) में प्राथमिक विद्यालय बनाये जाने के संबंध में ।''
8	श्री जगदीश नारायण	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–कृषि क्षेत्र में किसानों के विकास के लिये जनपद जौनपुर में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने, गन्ना अनुसंधान केन्द्र खोलने तथा जनपद में नई चीनी मिल खोलने के बारे में, 2–जनपद जौनपुर में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार तथा अच्छी सुविधा हेतु एक आधुनिक अस्पताल की स्थापना के बारे में, 3–पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में एक महत्वपूर्ण संस्थान सतहरिया औद्योगिक संस्थान के संबंध में।''
9	श्री स्वामी ओइम्वेश	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– **1–आलू का भण्डारण**–गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आलू की फसल अच्छी है परन्तु किसानों को अपने आलू को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है । अतः आलू के भण्डारण एवं आलू को सड़ने से बचाने के संबंध में, **2–खाद की समस्या**–इस वर्ष गेहूं की फसल बोने के समय डी०ए०पी० खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाई थी । यदि कहीं पर मिली भी तो उसमें मिलावट थी जिससे किसानों को भारी हानि हुई यूरिया खाद के दाम भी बढ़ा दिये गये हैं । यूरिया खाद की कीमतों को घटाने, खाद में मिलावट रोकने व फसल की बुवाई के समय खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3–गन्ना किसानों की समस्या–गन्ना किसानों का गन्ने के मिल मालिकों पर अरबों रुपया बकाया होने, घटतौली होने छोटे किसानों का गन्ना मिलों में न लिये जाने के संबंध में तथा **4–बिजली की समस्या**–पूरे प्रदेश में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है जिससे किसानों की गेहूं सरसों आदि की फसलें बिना पानी के बरबाद हो रही है । बिजली की निरन्तर आपूर्ति कराये जाने के संबंध में, 1–हल्दौर ब्लाक में जनपद बिजनौर में कृषि कालेज एवं मेडिकल कालेज खोले जाने के संबंध में, 2–हल्दौर कस्बा में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में, 3–सिसौना एवं कड़ापूर व मसीट में बिजली घर का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 4–करनपुर गांवड़ी में पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में, 5–बास्टा में एक सौ बेड का चिकित्सालय एवं पशु औषधालय खोले जाने के संबंध में, 6–चांदपुर में महिला डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में, 7–छांछरी मोड पर पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में, 8–गंज में मेडिकल कालेज खोले जाने के संबंध में, 9–दत्याना के सामने गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 10–जनपद बिजनौर में पेपर मिल और गन्ना मिलों से निकले गन्दे पानी के सफाई करने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में, 11–शेरपुर कल्याण से पुटठा, देत्याना से स्याली तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में ।''
10	श्री सीताराम निषाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– (1) उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में निषाद समुदाय की उपजातियां मझवार, गोन्ड, तुरेहा, बेलदार, खरवार की भांति निषाद समुदाय की वंचित उपजातियां केवट, मल्लाह, बिन्द, धीवर, बाथम, रायकवार आदि को भी अनुसूचित जाति की सुविधायें दिये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(2) उ० प्र० राज्य वन नीति, 1998 में संशोधन करके वन क्षेत्र में बहने वाली नदी एवं नालों से बालू व मौरंग खनन तथा बोल्डर व बजरी का चुगान कार्य निषाद समुदाय के परम्परागत पुश्तैनी पेशेवर केवट, मल्लाह, बिन्द, धीवर, बाथम, रायकवार आदि की पंजीकृत सहकारी समितियों को सार्वजनिक नीलामी प्रथा समाप्त करके दीर्घ कालीन पट्टा दिये जाने के संबंध में,
		(3) वन विभाग के प्रबंधाधीन नदी, नालों, बंधों में मत्स्य आखेट एवं नौका संचालन घाटों की सार्वजनिक नीलामी प्रथा समाप्त करके मछुआ निषाद समुदाय की पंजीकृत सहकारी समितियों को बिना नीलामी के पिछले वर्ष की औसत आय पर दीर्घकालीन पट्टा दिये जाने के संबंध में,
		(4) उ० प्र० राज्य खनिज नीति, 1998 में संशोधन करके निषाद, मल्लाह, बिन्द, धीवर, बाथम, रायकवार समुदाय के लिये कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत नदी तल से बालू, मौरंग, खनन की सार्वजनिक नीलामी प्रथा समाप्त करके निषाद, केवट, मल्लाह समुदाय के परम्परागत पुश्तैनी पेशेवर लोगों की पंजीकृत सहकारी समितियों को पिछले तीन वर्ष की औसत आय पर दीर्घकालीन पट्टा दिये जाने के संबंध में,
		(5) जनपद फैजाबाद में स्वीकृत 500 शैय्या का अस्पताल का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने के संबंध में,
		(6) जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी पर टकसरा व बरेहटा घाटों पर पक्के पुल के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में ही जारी करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के संबंध में,
		(7) जनपद फैजाबाद में रामवन गमन मार्ग अयोध्या, दर्शननगर, गयासपुर, दशरथपुर मार्ग पर मड़हा नदी पर वर्ष 1988-89 में निर्मित पक्के पुल का अप्रोच मार्ग का अवशेष भाग दशरथपुर, गयासपुर के मध्य के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में जारी करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।''
11	श्री अवधेश प्रसाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–
		(1) प्रदेश में इस समय उर्वरक खाद का घोर अभाव है जो है भी उसमें मिलावट है दामों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है किसान तबाह है इस पर प्रभावी ढंग से कुछ नहीं कहा गया है खाद के बढ़े हुए मूल्य पर रोक लगायी जाय, बढ़े मूल्य घटाये जायं, कालाबाजारी रोके जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(2) प्रदेश में गन्ना किसानों का मिल मालिकों पर करोड़ों रुपया बकाया है उसका भुगतान शीघ्र कराये जाने के संबंध में,

(3) किसानों के खेतों में आलू की फसल पैदा हो गयी है अभी जब किसान के खेत में आलू नहीं थी तो आलू के दाम 20 रुपया से ऊपर बढ़ गया था आज वही आलू मिट्टी के मोल बिकना शुरू हो गया है भण्डारण की समस्या पैदा हो गयी है सरकार की तरफ से किसानों के साथ सट्टेबाजी जारी है आलू भण्डारण की समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में,

(4) प्रदेश में किसान पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो पिछली मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने स्वीकृत की थी बन्द हो गयी है पुनः दिये जाने के संबंध में,

(5) समूचे प्रदेश में किसानों की फसलों को नीलगाय (बनरोज) चौपट कर रहे हैं प्रत्येक वर्ष लाखों एकड़ फसलें बरबाद हो रही हैं इसकी रोकथाम किये जाने के संबंध में,

(6) अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण की जो सुविधा थी उस सुविधा को यह सरकार समाप्त करने में तुली है उसके उपाय के बारे में तथा इन लोगों को संविधान के अनुसार सरकारी नौकरियों, न्यायालयों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने के संबंध में,

(7) किसानों की दुश्मन, अल्पसंख्यक विरोधी, समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने वाली सरकार के संबंध में,

(8) प्रदेश का इस सरकार ने दिवाला कर दिया है राज्य कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा है बोनस, मानदेय, आदि सारे फण्ड नहीं दिये जा रहे हैं यहां तक कि फण्ड से करोड़ों रुपये सरकार द्वारा निकाल दिया गया है इस बारे में राज्यपाल ने कुछ नहीं कहा है वित्तीय अनुशासनहीनता पर रोक लगाये जाने के संबंध में,

(9) विधान सभा क्षेत्र सोहावल जिसमें विकास खण्ड मसौधा पूरा सोहावल की तमाम योजनाएं जो पिछली मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में स्वीकृत थीं जिसमें भदरसा टाउन एरिया, मिर्जापुर निमौली में विद्युत उपगृह, सोहावल में डिग्री कालेज, सैसिंग में इण्टर कालेज तथा तमाम सड़कें व पुल जैसा उसुरी अमौना का पुल रानी बाजार में आई०टी० कालेज आदि का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(10) अभी हाल की बाढ़ अतिवृष्टि से प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था गांवों में तमाम गरीबों के घर जो कच्चे थे अतिवृष्टि से गिर गये हैं लोग बेघर हो गये सरकार की तरफ से 25 हजार रुपये की बेघर लोगों को देने की घोषणा थी उन्हें नहीं दिया जा रहा है । बरसात में जिनके घर गिरे हैं उन्हें 25 हजार रुपये दिये जायें मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोहावल में हर गांवों में घर गिर गये हैं उन्हें हक नहीं मिला है । कहीं कहीं दिया भी गया है जो 5 सौ रुपया 6 सौ रुपया दिया गया है सभी घर गिरे लोगों को 25-25 हजार रुपये अनुदान दिये जाने के संबंध में,
		(11) प्रदेश में चोरी डकैती राहजनी इस सरकार में दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है इस सरकार की असफलता और निकम्मापन का ज्वलंत उदाहरण राजभवन के सामने जेल अधीक्षक को गोलियों से भूना गया है, दलितों अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना है उनके मन में डर बना हुआ है सुरक्षा की भावना जागृत करने के संबंध में,
		12–जनपद फैजाबाद स्थित विकास खण्ड मसौधा अन्तर्गत 60 गांव तथा भदरसा टाउन एरिया सदर तहसील से हटा दिया गया है नई तहसील सोहावल में जोड़ दिया जाये । लोगों के सामने परेशानियां बढ़ गयी हैं इन्हें तुरन्त सदर तहसील में वापस किये जाने के संबंध में,
		(13) राजकीय कन्या इण्टर कालेज गोहनियां (मसौधा ब्लाक) तथा सलोनियां राजकीय कन्या इण्टर कालेज सोहावल ब्लाक में पिछली मुलायम सिंह यादव की सरकार में खोले गये थे सरकार कक्षा–6 से पढ़ाई नहीं करा रही है कक्षा–6 से कक्षा–12 तक प्रवेश लेकर शिक्षा दिये जाने के संबंध में ।''
12	श्री वसीम अहमद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		''किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–
		1–मेरे विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर आजमगढ़ ब्लाक विलरियागंज महराजगंज में एक भी महिला विद्यालय अथवा महाविद्यालय खोलने के संबंध में,
		2–महाजी सिंह वारा के पुल के निर्माण के संबंध में,
		3–देवपरा हरखपुरा (कौवापुर) के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		4–बाढ़ पीड़ितों के घर पटाई कराने के सम्बन्ध में,
		5–महुला गढ़वल बांध के पक्कीकरण के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

6–श्रीनगर से लंगड़पुर होते हुए सड़क को गढ़वल तक गोरखपुर मार्ग से पक्कीकरण कराने के सम्बन्ध में,

7–सरैया बाजार के पुल के बगल से जाने वाली सड़क को बनकट रोड से जोड़ कर पक्का करने के सम्बन्ध में,

8–जयगहा एवं सरदहा में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–सेहदा से आजमपुर तक सड़क को लेपन स्तर तक पक्की कराने के सम्बन्ध में,

10–महराजगंज विलरियागंज मार्ग से बैदरा भटनी होते हुए चेंवता तक सड़क को पक्कीकरण कराने के सम्बन्ध में,

11–जयराजपुर से भलवाई होते हुए विलरियागंज महराजगंज मार्ग से जोड़ने एवं पक्कीकरण कराने के सम्बन्ध में,

12–डिप्टी की छावनी से सरदहा मार्ग से जोड़ने एवं पक्कीकरण कराने के सम्बन्ध में,

13–गोरिया बाजार से जाने वाले मार्ग को पक्कीकरण करते हुए सरदहा मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में,

14–विलरियागंज एवं महराजगंज ब्लाकों में महिला अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में,

15–देवारा क्षेत्र में चीनी मिल खोलने के सम्बन्ध में,

16–कन्धरापुर में आई०टी०आई० पालिटेक्निक खोलने के सम्बन्ध में,

17–विलरियागंज एवं महराजगंज टाउन एरिया में पानी निकासी, पीने के लिए पानी, बिजली व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

18–आजमगढ़ में सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19–आजमगढ़ में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

20–खेल के उत्थान के लिए एम०पी०एड० के बाद शिक्षक रखने के सम्बन्ध में,

21–आजमगढ़ में स्पोर्ट्स कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

22–आजमगढ़ में किसी अच्छे पार्क के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

23–महराजगंज, विलरियागंज ब्लाकों में लड़कों के डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में।''

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
13	डा० कौशल किशोर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–नगरपालिका लखीमपुर में कई वर्षों से न जल रही रोड लाइट की व्यवस्था कराने का, 2–शहर लखीमपुर में कई वर्ष पूर्व से 33 के०वी०ए० का मंजूर सब-स्टेशन का शिलान्यास अब तक न कराकर बनवाने की व्यवस्था कराने का, 3–शहर लखीमपुर की जर्जर सड़कों की मरम्मत का, 4–शहर लखीमपुर की नई बस्तियों में सड़कें व पानी निकास के लिए नालियां बनवाने का, 5–शहर लखीमपुर में नाले व नालियों की सफाई कराने का, 6–लखीमपुर शहर के लिए शुद्ध जल व्यवस्था कराने का, 7–कस्बा खीरी में 25 हजार की आबादी होने की वजह से बालकों के लिए हाई स्कूल व इण्टर कालेज खुलवाने का, 8–कस्बा खीरी में आधुनिक स्लाटर हाउस बनवाने का, 9–कस्बा खीरी में जल निकास, रोड लाइट व सड़कें बनवाने व मरम्मत कराने का, 10–कस्बा ओपल में गेस्ट हाउस बनवाने का, 11–कस्बा ओपल में लड़कियों की शिक्षा के लिए इण्टर कालेज खोलने का, 12–कस्बा ओपल में मशहूर मेढ़क मन्दिर होने की वजह से पर्यटन केन्द्र बनाने का, 13–बर्तन उद्योग के लिए प्रख्यात कस्बा ओपल को पीतल नगरी घोषित करने का, 14–कस्बा ओपल में शुद्ध पेयजल व्यवस्था, रोड लाइट सड़क व नाले नालियां बनवाने का, 15–ग्राम भूलनपुर से अल्हवापुर होते हुए बहादुरपुर तक तथा यहां से टेड़वा होते हुए अछनियात तक रोड बनवाने का, 16–बाबागंज बाजार से हस्नापुर, कोरैय्या, लौकी, रायपुर होते हुए ओपल बेहनम मार्ग तक रोड बनवाने का, 17–ग्राम कैमहरा से रौंसा बेल होते हुए बेहजम रोड तक सड़क बनाने का, 18–ग्राम बाछपुर से ग्राम बहादुरपुर तक रोड बनाने का,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		19–ओपल रोड से ग्राम बढ़रिया होते हुए सिकिटिहा मनवापुर तक मार्ग बनाने का, 20–बेहजम रोड से खरवा रारी मलिगंवा मार्ग बनाने का, 21–बेहजम रोड पर टूटा जुमुवारी पुल बनवाने का, 22–कस्बा खीरी से कस्बा ओपल तक का मार्ग व पुलिया बनवाने का, 23–महमदपुर महेवा व ग्राम सरैय्या के बीच स्थित नाले पर पुलिया बनाने का, 24–थाना खीरी से गरकटिया, गोयालापुर, निजामपुर निकटी मार्ग बनाने का, 25–कस्बा खीरी से महमदपुर, कैमहरा, परसरेहा, भानपुर, बाजूड़िहा होते हुए अमृतापुर तक मार्ग का बनाने का, 26–खानपुर गुल्लिहा से केशवापुर गुरेला, मंकमुखेड़ा होते हुए महमदपुर महेवा तक मार्ग बनाने का, 27–नकहा से सकेथू मार्ग पर बहने वाले नाले पर पुल बनाने का, 28–ग्राम पहाड़ा खजुरिहा के दक्षिण नदी पर पुल बनाने का, 29–ग्राम चक कमलापुर व लौनिपुरवा मरखापुर के पास रेलवे लाइन पर समपार बनाने का, 30–पूरे लखिया नाले की सफाई व हरदासपुर के पास इस पर पुल बनाने का, 31–ग्राम शंकरपुर से उमरिया ग्राम तक सड़क बनाने का, 32–लीला कुवां से कोटेखेरवा ग्राम से गन्ना क्रय केन्द्र सड़क बनाने का, 33–ग्राम कालाडूंड से ग्राम लकेश्वर तक सड़क बनाने का, 34–लगुचा रोड से महगू खेड़ा तक सड़क बनाने का ।''
14	श्री अम्बरीष कुमार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–हरिद्वार में पं० महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय को अधिग्रहण करने के पश्चात् संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में, 2–जनपद हरिद्वार में विधि कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3–जनपद मुख्यालय पर 200 शैय्याओं वाले चिकित्सालय का निर्माण के सम्बन्ध में, 4–बहादराबाद में चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में, 5–तहसील लकसर में घोषित राजकीय महाविद्यालय की शीघ्र स्थापना के सम्बन्ध में, 6–प्रदेश के किसानों तथा नगरीय उपभोक्ताओं पर लादे गये बढ़े हुए विद्युत मूल्य को वापस लेने के सम्बन्ध में, 7–प्रदेश के टैक्सी विक्रम (तिपहिया) आदि पर लगाये गये अतिरिक्त कर को वापस करने के सम्बन्ध में, 8–भोगपुर बलावाली बांध के शीघ्र निर्माण की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में ।''
15	श्री विश्वनाथ	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–विधायक निधि का समय से प्रेषण नहीं किया गया है और दूसरे भाग के प्रारम्भ में पूर्व भाग का ही प्रेषण किया गया है । शेष धनराशि को अंधेरे में रखा गया है, के सम्बन्ध में, 2–शिक्षा व स्वास्थ्य को प्राइवेट सेक्टर की ओर कर सरकार इसका पूर्ण व्यवसायीकरण कर रही है, के सम्बन्ध में, 3–आवागमन की सुविधा के लिए रोडवेज की बसों की संख्या जनसुविधा के अनुरूप बढ़ाने के सम्बन्ध में, 4–कृषि उत्पाद और कृषकों के लिए कोई स्पष्ट नीति की घोषणा करने के सम्बन्ध में, 5–सरकार की न्याय, बेकारी व सुरक्षा की लचर स्थिति का सगुण निदान किये जाने के सम्बन्ध में, 6–आरक्षण नियमों का पालन विश्वविद्यालयों में सरलता से कराये जाने के सम्बन्ध में, 7–उ० प्र० के तमाम विभागों में सेवा नियमावली नहीं बनी है उसके बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8–कुशीनगर जिले में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, 9–विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर व कसया के बीच सीमा पर बहने वाली नदी खनुजा और दीपरपुरेना (रहसू) और पचकविचर घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10–पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में, 11–आवश्यकता व स्वीकृति से कम डाक्टरों को खाली पड़े अस्पतालों में भेजे जाने के सम्बन्ध में, 12–ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में लेडी डाक्टर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।''
16	श्री मूल चन्द	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–आलू का भण्डारण-गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आलू की फसल अच्छी है परन्तु किसानों को अपने आलू को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है । किसानों के आलू के भण्डारण को सुनिश्चित किया जाय जिससे गत वर्ष की भांति आलू को सड़ने से बचाया जाय । 2–खाद की समस्या–इस वर्ष गेहूं की फसल बोने के समय डी०ए०पी० खाद किसान को उपलब्ध नहीं हो पायी थी । यदि कहीं पर मिला भी तो उसमें मिलावट थी जिससे किसानों को भारी हानि का मुकाबला करना पड़ा । यूरिया खाद के दाम भी बढ़ा दिये गये हैं । यूरिया खाद की कीमतों को घटाने का तथा खाद में मिलावट को रोकने का फसल से बुवाई के समय खाद की उपलब्धता कराने के सम्बन्ध में समस्याओं का निवारण किया जायेगा । 3–गन्ना किसानों की समस्या–गन्ना किसानों की गन्ने का मिल मालिकों पर अरबों रुपया बकाया है, घटतौली हो रही है । छोटे किसानों का गन्ना मिलों में नहीं जा रहा है । उक्त समस्याओं का समाधान कर किसानों को राहत दिलाने के सम्बन्ध में । 4–बिजली की समस्या–पूरे प्रदेश में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है जिससे किसानों की गेहूं, सरसों आदि फसलें बिना पानी के बरबाद हो रही हैं वर्षा न होती तो अब तक बरबाद हो जाती । उक्त समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में । 5–क्षेत्रीय समस्या निहरौर में डिग्री कालेज की स्थापना । 6–नहरौर नगर परिषद् में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना ।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7–महमूद नरायन खेड़ी में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना ।
		8–अमरी मोइना में एम० बी० एड० सब स्टेशन का निर्माण ।
		9–काजीपुरा में पशु चिकित्सालय का निर्माण ।
		10–नगर परिषद् धामपुर में सड़कों की मरम्मत व नालों का निर्माण ।
		11–नगर परिषद् नहरौर में सफाई व्यवस्था ठीक कराने व सड़कों के निर्माण के संबंध में ।
		12–मुकरपुरी–सिपाही वाला में खो नदी पर बांध का निर्माण ।
		13–इलावास पर बान नदी पर रपटा निर्माण, गागन की पर फिरोजपुर गांव में रपटा निर्माण के संबंध में ।
		14–नहरौर से नूरपुर मार्ग को चौड़ा किये जाने के संबंध में ।
		15–नहरौर–पैजनिया मार्ग की मरम्मत किये जाने के संबंध में ।
		16–नहरौर इल्दौर मार्ग पर चीनी मिल की स्थापना ।
		17–पाडली–माडू में चिकित्सालय के निर्माण के संबंध में ।
		18–नहरौर नगर परिषद् में बड़ा चिकित्सालय खुलवाने के संबंध में ।
		19–नौन्दडू को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में ।"
17	श्री गोपाल कृष्ण	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–
		1–पूरनपुर क्षेत्र प्रमुख ज्वलन्त समस्या शारदा नदी की बाढ़ विभीषिका से प्रति वर्ष हुए लाखों एकड़ भूमि का कटान, आबादी के ग्राम जो जल मग्न लुप्त हो गये हैं उन कृषकों की कर्जा माफी वियोग्य भूमि आवेदन तथा आबादी भूमि के आवंटन शारदा नदी की बाढ़ को रोकने के लिये कोई ठोस योजना, बांध ठोकरे बनाने के संबंध में तथा नौजलियां बतिया कबर, गुनहान रमनगरा, चंदियाहजारा तथा शारदा पार के तमाम ग्रामों डूब का एंडोरे अविलम्ब ठोकर व बांध बनवाने के संबंध में ,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2–पूरनपुर से बुझा होती हुई तराई बचपेड़ा से धुरिया पलिया एवं शारदा सागर डाम को जोड़ने वाली सड़क तथा मध्या टाडों के बराही सतुपर नौनेर हुई तराई तक सड़क को महामहिम राज्यपाल रोमेश भण्डारी के शासन में स्वीकृत की गई थी । अतः उपरोक्त दोनों सड़कों को जनहित में बनवाने के संबंध में,

3–पूरनपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है, एवं कृषि पर आधारित उद्योग धन्धे यहां बहुतायत में हैं । पूरे प्रदेश में पूरनपुर क्षेत्र में गेहूं और धान का रिकार्ड उत्पादन होता है । परन्तु विद्युत व्यवस्था भंग है । पूरनपुर क्षेत्र में 132 के०वी० विद्युत सब स्टेशन की स्थापना के संबंध में,

4–पूरनपुर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है अतः पूरनपुर क्षेत्र में चार बालिका इण्टर कालेज एवं दो गर्ल्स डिग्री कालेज व पब्लिक इण्टर कालेज पूरनपुर में विज्ञान इण्टर कालेज खोलने तथा कसगंजा ग्राम में एक इण्टर कालेज और माधो टाडागुलड़िया भूपसिंह सुल्तानपुर में एवं शारदा पार भी शिक्षा के लिये डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था के संबंध में,

5–पूरनपुर क्षेत्र में सन्त विनोवा भावे के भूदान यक्ष के तहत हजारों भूमिहीन गरीबों को कृषि योग्य भूमि पर बैठाया गया है । आज दो दशक के भी बीतने के बाद भी उन लोगों को भूमि में भौमिक अधिकार नहीं दिये गये हैं । अतः भूदान कृषकों को एवन नानजेडे जे जेड०ए० कास्तकारों को अविलम्ब भूमिधर संक्रमणीय घोषित किया जाये और उनके दाखिल खारिज नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

6–गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया मिलों पर बकाया है परन्तु उसका ब्याज नहीं दिया जा रहा है । जबकि सरकारी ऋण में ब्याज को जबरदस्ती उत्पीड़न करके वसूला जा रहा है । गन्ना कृषकों को सरल प्रक्रिया द्वारा भुगतान कराने तथा बकाया मूल्य पर ब्याज दिलाने की व्यवस्था कराने और जब तक भुगतान न हो तो गन्ने की पर्ची को नियमित ऋण में समायोजित करने की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,

7–पूरनपुर में प्रस्तावित खेलकूद स्टेडियम के निर्माण कराने की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

8–पूरनपुर में सपा के निर्दोष कार्यकर्ताओं को फर्जी झूठे केसों में जेल भेजा गया जैसे लाला आदि के बलात्कार काण्ड (कैसरपुर) अकबर पप्पू बमनपुरी बादाम सिंह अमरइया कला, को निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस ने झूठा जेल चालान कर दिया, क्षेत्र की जनता ने मांग के अनुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

9–पूरनपुर क्षेत्र की महत्वपूर्ण निम्न सड़कों के निर्माण एवं विस्तारीकरण के सम्बन्ध में,

(1) पीलीभीत बस्ती मार्ग (आसाम रोड) विस्तारीकरण,

(2) जुमलिया से नियुरियामल्लपुर मैनकोट मस्तफा बाद होती हुई सड़क के निर्माण,

(3) गुलडिया भूपसिंह से रघुनाथपुर तक की सड़क का निर्माण,

(4) पूरनपुर नगर के चारों ओर पूरनपुर से बस अड्डे होती हुई खमरिया चुंगी तक सड़क का निर्माण,

(5) खुटार ब्लाक की अधूरी पड़ी सड़कों, रायपुर से रसूलापुर तक की सड़क का तथा ग्राम खोडपपुर की स्वीकृत सड़क का निर्माण।

10–मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए ग्राम पूरनपुर में दो ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

11–मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शाहजहांपुर जनपद के जो ग्राम आते हैं उन सबको जनपद पीलीभीत में सम्मिलित करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

12–पूरनपुर जहां भूमि और धन सस्ते न्याय के लिए मुंसिफ न्यायालय खोलने की व्यवस्था (विधायक विकास निधि) की व्यवस्था हो चुकी है।

13–गरीब विधवाओं एवं वृद्धावस्था के लोगों व विकलांगों के नये पेंशन स्वीकृत करने की कोई व्यवस्था के लिए सरल कानून बनाये जाने तथा गरीबों के लिए घर बैठे कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में,

14–पूरनपुर में एक मात्र गन्ना कृषक उपाधि महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को नियमित किये जाने और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार वेतन दिये जाने तथा विद्यालय की स्थायी मान्यता व अतिरिक्त विषयों की विषय मान्यता प्रदान किया जाय।"

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
18	श्री लालजी वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–दलितों के ऊपर जातिगत एवं राजनैतिक विद्वेष भावना से प्रेरित होकर किए जा रहे जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार को रोकने हेतु किए जाने वाले प्रभावशाली उपायों के संबंध में, 2–प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु किए जाने वाले उपायों के संबंध में, 3–प्रदेश की जर्जर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए जा रहे उपायों के संबंध में, 4–प्रदेश में आयी भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों को पुनर्वासित करने हेतु चलायी जा रही प्रभावशाली योजनाओं के संबंध में, 5–प्रदेश में बाढ़ राहत सामग्री के वितरण में किए गए भेदभाव एवं भ्रष्टाचार के संबंध में, 6–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सरकारी, अर्धसरकारी एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में अपूर्ण आरक्षण कोटे को भरने हेतु विशेष चयन अभियान चलाये जाने के संबंध में, 7–भारतीय दस्तकारों (परम्परागत रूप से दस्तकारी पेशे में लगे हुए लोग) बुनकर, कुम्हार, बढ़ई, लोहार आदि जो आज भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, को पुनर्स्थापित करने हेतु किए जाने वाले उपायों के संबंध में, 8–परम्परागत रूप से सफाई पेशे में लगे हुए लोगों के सामाजिक उत्थान, सम्मान एवं आर्थिक उन्नयन हेतु किए जाने वाल उपायों के संबंध में, 9–किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु कृषि उपज के विपणन की समुचित उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु कृषि उपज के विपणन की समुचित व्यवस्था के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10–किसानों की कृषि उपज की लागत मूल्य को कम करने के लिये एवं कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु एवं उपज बढ़ाने के लिए मुफ्त बिजली, पानी, खाद एवं बीज आदि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, 11–जनपद अम्बेडकर नगर में लुम्बनी–दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 12–श्रम का महत्व स्थापित करने हेतु खेत में काम करने वाले श्रमिकों (अपने खेत एवं दूसरे के खेत पर) के श्रम की भरपूर कीमत दिलाये जाने के संबंध में, 13–देश में औद्योगिक विकास के बावत सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, 14–अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में, 15–जनपद अम्बेडकर नगर में पूर्व मुख्य मंत्री सुश्री मायावती द्वारा प्रारम्भ किए गए विकास कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में, 16–टाण्डा जनपद–अम्बेडकर नगर में छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में।"
19	मास्टर छोटे लाल गंगवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–जिला–बरेली, तहसील नवाबगंज के 10 हजार आबादी वाले ग्राम हाफिज गंज व 20 हजार आबादी वाली नगर पंचायत, सैधता में कन्या हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज खोलने के संबंध में, 2–जिला बरेली विकास खण्ड भदपुरा में महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था के संबंध में, 3–जिला बरेली की नगर पंचायत सैंथल व ग्राम क्योंलड़िया मुख्यालय विकास खण्ड भदपुरा में उप विद्युत केन्द्र की स्थापना के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

4–ग्राम बिहारीपुर अब्दुल रहमान व ग्राम जिगनियां भगवन्तपुर तह० नवाबगंज जिला बरेली में अफरहा नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में,

5–ग्राम खाइखेड़ा से डबरा डबरी तक तहसील नवाबगंज जिला बरेली में सड़क का निर्माण किये जाने के संबंध में,

6–जिला बरेली तहसील नवाबगंज में ग्राम क्योलड़िया से ग्राम दलेलनगर तक नहर पटरी सड़क का निर्माण किये जाने के संबंध में,

7–जि०–बरेली त०–नवाबगंज में ग्राम लमखेड़ा से ग्राम ज्योति जागीर तक सड़क नहर पटरी का निर्माण किये जाने के संबंध में,

8–जि०–बरेली तह० नवाबगंज में तत्काल राजकीय कन्या हाई स्कूल का निर्माण किये जाने के संबंध में,

9–नगर पालिका परिषद् नवाबगंज जिला बरेली में सीवर लाइन डलवाने के संबंध में,

10–जि०–बरेली तह० नवाबगंज के ग्राम अमीरफ्तार, बिहारीपुर, पीतमराय, नासवां भगवन्तपुर अल्लापुर पहलादपुर, जमनियों वैवर्द सकुमपुर, महमूदापुर, असुआ, कुईया राम सहाय, सनेकपुर, भौआनपगवा, देश नगर में विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में,

11–ग्राम डिवनापुर तसेगा भूड़ा, भानपुर, वापरगंज, मुंडिया विशन सहाय ऐठपुर, गंगापुर, सैदपुर, नजमिवनिसा बौरिया, जादौपुर असु आ०, बाकुसीय, नकुरिया ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में,

12–जिला बरेली तहसील नवाबगंज में ग्राम कटैय्या बलदेव सिंह से रम्पुरा विभी तक सड़क निर्माण के संबंध में,

13–जिला बरेली तहसील नवाबगंज के बाढ़ ग्रस्त कृषकों की लगान, आबपासी व 10 हजार तक के कर्ज माफ करने के संबंध में,

14–जिला बरेली तह० नवाबगंज में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना के संबंध में,

15–जि०–बरेली तह० नवाबगंज में मण्डी समिति की स्थापना के संबंध में,

16–जि०–बरेली तह०–नवाबगंज के बाढ़ पीड़ित कृषकों का रियायती ब्याज दर पर बैंकों से ऋण दिलाने के संबंध में,

उपरोक्त समस्याओं को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ा जाये ।''

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
20	श्री समरपाल सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु किसी नीति की घोषणा, 2–प्रदेश में बेरोजगारी दूर किये जाने हेतु किसी ठोस नीति की घोषणा, 3–प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का बकाया भुगतान दिलाये जाने हेतु किसी नीति की घोषणा, 4–प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाये जाने के लिए किसी कार्यक्रम की घोषणा, 5–बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम की घोषणा, 6–पश्चिमी उ० प्र० के विकास के लिए पश्चिमांचल विकास निधि की स्थापना, 7–पश्चिमी उ० प्र० में हाई कोर्ट एवं राजस्व परिषद् की बेंच स्थापित किये जाने की घोषणा, 8–पश्चिमी उ० प्र० में सेवाओं हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने की कोई घोषणा, 9–पश्चिमी उ० प्र० में कृषि विश्वविद्यालय एवं गन्ना अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने की घोषणा, 10–पश्चिमी उ० प्र० में मिनी सचिवालय बनाये जाने की घोषणा, 11–अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण में से 8.44% आरक्षण दिये जाने की घोषणा, 12–बागपत जनपद के चौगांमा क्षेत्र में जल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से वहां कृष्णा एवं हिन्डन नदी में बांध बनाये जाने की घोषणा, 13–मेरठ जनपद की सरधना तहसील में मुंसिफ न्यायालय स्थापित किये जाने की घोषणा, 14–किसानों के हितों को देखते हुए मेरठ में मलियाना चीनी मिल बन्द न किये जाने की घोषणा।"

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
21	श्री भीम प्रसाद सोनकर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–मेरे विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज, राजेसुल्तानपुर में महिला अस्पताल खोलने के संबंध में, 2–मेरे विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज ब्लाक जहांगीरगंज में बालिका इण्टर कालेज खोलने के संबंध में, 3–विद्युत उपकेन्द्र तेन्दुआई कला को सुचारु रूप से चलाने के संबंध में, 4–मेरे विधान सभा क्षेत्र मुख्य मार्ग पर मुख्य बाजारों में रामनगर, इन्दईपुर, जहांगीरगंज, देवरिया, राजेसुल्तानपुर जल भराव और गन्दगी से मुक्ति हेतु पानी को निकालने की नाली के निर्माण कराये जाने के संबंध में, 5–मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु विद्युत तारों को बदले जाने के संबंध में, 6–देवारिया लाला से मिरैया तक राजमार्ग बनाने तथा पिकिया नदी के पकडिया घाट पर पुल बनवाने के संबंध में, 7–पदुमपुर से कमहरिया घाट के मुख्य मार्ग पर बना पुल पर मिट्टी डलवा कर सुचारु रूप से ठीक कराने के संबंध में, 8–मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य मार्ग जहांगीरगंज से महराजगंज रोड पर 15 कि० मी० के अन्तर में दो पुलों पर टैक्स (कर) लगता है शासनादेश के अनुसार एक ही पुल पर टैक्स लगाने के संबंध में, 9–मेरे विधान सभा क्षेत्र राजेसुल्तानपुर से सावितपुर होते हुए देवारा बन्धा तक पिच जो योजना से स्वीकृत होने पर भी अधूरा है, उसे बनाने के संबंध में, 10–प्रतिवर्ष घाघरा नदी के कटान से किसानों को मुक्ति पाने के लिए ढेकवा गांव के सामने घाघरा नदी में ठोकर बनाने के संबंध में, 11–प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित लोगों को टिन सेट की व्यवस्था के संबंध में, 12–इन्दिरा आवास हेतु अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को 25 हजार रुपया देने के संबंध में, 13–पदुमपुर से गडबल तक लेपन कराने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

14–राजेसुल्तानपुर निषाद बस्ती होते हुए भिमाकोल के मार्ग पर पिकिया नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में,

15–भवरनाथपुर से जहांगीरगंज राजेसुल्तानपुर मुख्य मार्ग तक पिच कराने के संबंध में,

16–इन्दईपुर से पिपरा होते हुए मकरही तक पिच कराने के संबंध में,

17–मंसूरगंज से मकरही होते हुए कटोखर चौराहे तक पिच कराने के संबंध में,

18–रामनगर से मिर्जापुर जंगल तक पिच कराने के संबंध में,

19–गिरैया बाजार से बंगालपुर निषाद बस्ती तक पिच कराने के संबंध में,

20–जहांगीरगंज से नेवारी होते हुए रामबाना घाट तक पिच कराने के संबंध में,

21–अम्बेडकर नगर जिले के मुख्यालय अकबरपुर से राजेसुल्तानपुर मुख्य मार्ग चौड़ा कराने के संबंध में,

22–जहांगीरगंज बाजार को टाउन एरिया बनाने के संबंध में,

23–ग्राम नरिगांव इस वर्ष अम्बेडकर गांव चयनित होने पर विकास कार्य मानक के अनुसार नहीं हुआ है उसे कराने के संबंध में,

24–राजेसुल्तानपुर बाजार के बगल परिवहन निगम का डिपो खुलवाने के संबंध में,

25–विधान सभा सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में जल आपूर्ति हेतु 50 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाने का अधिकार देने के संबंध में,

26–मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिट्टी का तेल चीनी तथा सस्ता खाद्यान्न की आपूर्ति की मात्रा बढ़ाने के संबंध में,

27–ग्राम पंचायत नरियांव के लिए वर्ष 1997-98 में एक संशोधित निर्बल वर्ग आवास आवंटित किया गया था उसे दिलवाये जाने के संबंध में,

28–जनपद आजमगढ़ के 26 राजस्व ग्रामों को जो अम्बेडकर नगर में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप रुके हुए विकास कार्य को करवाये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		29–मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्राम सभाओं को मुख्य राज मार्ग से जोड़ने तथा पिच कराने के संबंध में, 30–मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्राम सभाओं में पंचायत भवन बनाने के संबंध में, 31–विधवा एवं विकलांग पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में, 32–मेरे विधान सभा क्षेत्र के मुख्य बाजारों में जैसे हसवर, रामनगर, जहांगीरगंज, किछौछा, दरगाह तथा राजेसुल्तानपुर में पुरुष एवं महिला शौचालय काम्पलेस बनवाने के संबंध में, 33–मेरे क्षेत्र के सभी मुख्य बाजारों के बिजली खम्भों पर रोड लाइट लगवाने के संबंध में, 34–बुनकरों एवं किसानों के 10 हजार तक के ऋण माफी के संबंध में, 35–मेरा क्षेत्र बुनकर प्रधान होने के कारण सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराने के संबंध में, 36–मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में, 37–सभी दस हजार तक का कर्जा लेने वालों का ब्याज माफी के संबंध में, 38–कमरिया घाट पर घाघरा नदी के किनारे शमशान घाट का निर्माण कराने के संबंध में, 39–पशुओं के चारागाह बनवाने जाने के संबंध में, 40–मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी नहरों की पटरी को पिच कराये जाने के संबंध में, 41–मेरे विधान सभा क्षेत्र के बन्धा को ऊंचा एवं चौड़ा एवं पिच कराये जाने के संबंध में, 42–सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत धन को आवंटित करने के लिए विधान सभा सदस्यों की संस्तुति लिये जाने के संबंध में।"
22	श्री अम्बिका चौधरी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–माफिया और अपराधी मंत्रियों को चिन्हित कर तत्काल बर्खास्त किये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की फर्जी मुठभेड़ के नाम पर की जाने वाली हत्याओं का सिलसिला रोका जाएगा और दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाकर दण्डित किये जाने के संबंध में,
		3–सरसों तेल में मिलावट का झूठा प्रचार करके ड्राप्सी बीमारी फैलने की आशंका की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध गंभीर कार्यवाही की जाएगी और सरसों तेल का मूल्य पूर्व के स्तर पर लाये जाने के संबंध में,
		4–मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा शुरू किये गये विकास कार्यों को जानबूझकर रोक दिया गया है, को तत्काल प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में,
		5–यूरिया के बढ़े हुए मूल्यों का असर प्रदेश के किसानों पर न पड़े इस अनुपात में खाद पर दी जाने वाली सब्सीडी प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई जाने के संबंध में,
		6–पेटेन्ट कानून के घेरे में लाकर प्रदेश के बासमती चावल व अन्य कृषि उत्पादों को उगाने वाले किसानों की रीढ़ तोड़ने की जो साजिश की जा रही है उससे प्रदेश के किसानों की हिफाजत करने के संबंध में,
		7–अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर तत्काल रोक लगाये जाने और उनको सम्यक सुरक्षा और सम्मान दिये जाने के संबंध में,
		8–मौलाना अली मियां नदवी के घर पर छापा मारने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में,
		9–उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ने की मा० मुलायम सिंह यादव की योजना को पुनः चालू किये जाने के संबंध में,
		10–निजीकरण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को अपने चहेतों के हाथ औने-पौने दामों पर बेचने की योजना बनाने वालों को चिन्हित करने और इन प्रतिष्ठानों से जुड़े मजदूरों को रोजगार की गारण्टी दिये जाने के संबंध में,
		11–मा० मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा इण्टरमीडिएट तक मुफ्त शिक्षा की योजना को तुरन्त लागू किये जाने के संबंध में,
		12–नहरों के टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13–बुवाई के समय काला बाजारी करके डी०ए० पी० खाद गायब करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अगले मौसम में बुवाई के समय मांग के अनुसार डी० ए० पी० की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के संबंध में,
		14–प्रदेश में आई अभूतपूर्व बाढ़ के समय विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास का प्रबन्ध किये जाने तथा इस भारी तबाही में जानमाल की जो भारी क्षति हुई है उसका मुआवजा, उससे उबरने के लिए पीड़ित परिवारों को अनुदान दिये जाने के संबंध में,
		15–बाढ़ राहत में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में,
		16–राजभर बिरादरी को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के संबंध में,
		17–गोंड़ जाति जो पहले से अनुसूचित जाति में शामिल है, को बलिया जनपद में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न देने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में,
		18–बलिया जनपद के कोपाचीट विधान सभा क्षेत्र के सोहांव विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण तत्काल पूर्ण कराये जाने के संबंध में,
		19–बलिया जनपद के कोपाचीट विधान सभा क्षेत्र में गंगा के कटान से प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा दिये जाने के संबंध में,
		20–बलिया जनपद के कोपाचीट विधान सभा क्षेत्र में गंगा कटान रोधक परियोजना जो शासन द्वारा पहले से ही स्वीकृत हैं, पर तत्काल कार्य प्रारम्भ किये जाने और हर स्थिति में 15 मई 99 तक पूर्ण करा दिये जाने के संबंध में,
		21–जनपद बलिया के कोपाचीट विधान सभा क्षेत्र के फेफना ग्राम में 33/11 विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के संबंध में,
		22–जनपद बलिया से लगी हुई बिहार प्रान्त की सीमा पर खाद, खाद्यान्न व अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने के संबंध में,
		23–बलिया जनपद के कोपाचीट क्षेत्र के सभी गांवों को मुख्य सड़क से पक्की मार्ग से जोड़ने के संबंध में,
		24–फसल बीमा योजना को सभी किसानों पर लागू किये जाने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		25–सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किये जाने और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को उचित दर पर आवश्यक राशन मुहैया कराये जाने के संबंध में, 26–पिछड़ी जातियों को दिये जाने वाला आरक्षण क्रिमीलेयर की निचली सीमा 3 लाख रुपये किये जाने के संबंध में, 27–जनपद बलिया के कोपाचीट विधान सभा क्षेत्र में बिजली को सुचारु रूप से दिये जाने के संबंध में, 28–जनपद बलिया के कोपाचीट विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त धन देकर इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाये जाने के संबंध में।''
23	श्री मोती लाल पैलवी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– सरकार की पांच प्रतिबद्धताओं में अल्पसंख्यकों का कोई जिक्र नहीं है। अल्पसंख्यकों में ध्यान उत्थान के लिए जोड़ा जाय। 1—प्रदेश की जनता 80% ग्राम में बसती है इसलिए वार्षिक योजना का 80% गावों में खर्च किये जाने के सम्बंध में, 2—गांव में गरीब किसानों द्वारा बोई गई कच्ची फसल भूमि माफियाओं द्वारा जिला प्रशासन व पुलिस की सह पर जोत दी जाती है। इससे देश का नुकसान होता है। ऐसा करने वालों पर व कराने वालों को दण्डित किये जाने हेतु ऐसा कानून बनाये जाने जैसा कि खीरी के गोला तहसील में हो रहा है, के सम्बन्ध में, 3—किसानों द्वारा पैदा की हुई फसल का अनुपातिक मूल्य दिलाया जाय। जैसे आलू पैदा होने के समय किसान से 2 रु० कि० खरीदा जाता है। फिर 22/- किग्रा बेचा जाता है इसी प्रकार प्याज खुदाई के समय 2/- किलो खरीदा जाता है बाद में व्यापारियों द्वारा 120/- में बेचा जाता है ऐसा करने वालों को सख्त सजा दिये जाने के सम्बंध में, 4—फालतू माइनर बन्द किये जायं। जैसा जंगल में शहर की बसती में पड़ गये हैं, भूमि नदी कटान में पड़ने वाले नाले बन्द हों, पानी बेकार बसती जंगल खराब होता है, के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5—गांवों में निर्धनतम् व्यक्तियों के आवास बनवाये जाने, कानून में सख्ती करने तथा दोषी को दण्डित कराये जाने के सम्बंध में, 6—जिला खीरी में शारदा नदी के कटान को रोकने के लिए बन्धा लगाए जाने से लाखों एकड़ जमीन बच जायेगी। पीलीभीत बस्ती मार्ग को शारदा नदी कटान कर रही है जिससे बहुत हानि होगी, के सम्बंध में, 7—किसान उपज पर पंचायत आधार पर एक लघु उद्योग इकाई लगाई जाय, जिसमें केवल बेरोजगारों को ही नौकरी दिये जाने के सम्बंध में, 8—बेरोजगारी रोकने के लिए स्वेच्छा से सेवा निवृत्त से सेवा निवृत्त की योजना 10 लाख रुपया अधिकतम देकर लागू किये जाने के सम्बंध में, 9—जिला खीरी में मीराराज मार्ग उल्लेख नदी पर रपटा पुल बनाये जाने के सम्बंध में, 10—जिला खीरी में बन की जमीन पर बसे बीसों साल से जनता को एक जमीन देकर अन्यत्र बसाये जाने के सम्बंध में, 11—जिला खीरी में बाकेगंज में इंटरमीडिएट कालेज खोले जाने एवं मैलानी में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बंध में, 12—जिला खीरी में बिजुआ ब्लाक में चीनी मिल लगाये जाने के सम्बंध में, 13—रेशम योजना गरीबों के लिए विशेष छूट पर कार्यान्वित कराये जाने के सम्बंध में, 14—जंगल में हरी घास जानवरों के लिए तथा पड़ोसी किसानों को सूखी लकड़ी, फूस फ्री दिये जाने के सम्बंध में, 15—पट्टों का कब्जा पट्टेदारों को पुलिस बल पर दिलाये जाने के सम्बंध में।"
24	श्री मुन्ना चौहान	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1—जनपद देहरादून औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जनपद घोषित है परन्तु सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र व लांघा रोड औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु किसी कार्य योजना का निर्धारण करके औद्योगिक विकास और बेरोजागारी की समस्या का समाधान करने के संबंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2—जनपद देहरादून के तहसील चकराता जनजातीय क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को अध्यापकों के पदों पर नियुक्त करने के सम्बंध में,
		3—निर्माणाधीन लखवाड-व्यासी बांध परियोजना से ग्राम लुहारी (जनपद देहरादून) व ग्राम रंणोग व कुंणा (जनपद टिहरी गढ़वाल) पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाएंगे अतः इन गांवों को समीपवर्ती स्थानों पर पुनर्वासित करने की कोई योजना बनाये जाने के सम्बंध में,
		4—जनपद देहरादून में विश्व प्रसिद्ध चाय उत्पादन क्षेत्र में आज हरवंशवाला, आरकेडिया अम्बीवाला गुडरिच आदि चायबागान धीरे-धीरे समाप्त होने के कारण चाय बागानों पर आश्रित हजारों बेरोजगार श्रमिक परिवारों तथा इन चाय बागानों के विकास हेतु किसी योजना का निर्धारण किये जाने के सम्बंध में,
		5—लखवाड़-व्यासी बांध परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को उनकी परिसम्पत्तियों के प्रतिकर/मुआवजे का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को दी गयी अन्डरटेकिंग के मुताबिक टिहरी परियोजना के समतुल्य सुविधाएं दी जाने हेतु इस विसंगति को दूर करने के लिए नीति का निर्धारण किये जाने के सम्बंध में,
		6—उत्तरांचल क्षेत्र में पेयजल के स्रोत धीरे-धीरे सूखते जाने के कारण अधिकांश पेयजल योजनाएं निर्माण के कुछ वर्षों के अंदर ही डिफेक्ट हो जाने के समस्या में समाधान के लिए जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया में ऐसी वनस्पतियाँ, जिनकी वाटर रिटेन्सन की क्षमता हो जाने हेतु किसी कार्य योजना का निर्धारण किये जाने के सम्बंध में,
		7—जिला देहरादून में सिमला रोड पर (नया गांव से मटक माजरी के बीच) बोक्सा जनजातियों के शैक्षिक उत्थान हेतु आश्रम पद्धति स्कूल की योजना बनाये जाने के सम्बंध में,
		8—जिला देहरादून में स्थान कालसी (हरिपुर) में निर्माणाधीन आश्रम पद्धति विद्यालय भवन का अवशेष कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9—जनपद देहरादून में तहसील चकराता में ग्वासा नामक स्थान पर निदेशालय द्वारा निर्मित आई० टी० आई० में पदों का सृजन तथा शीघ्र संचालित करने के सम्बंध में,
		10—जनपद देहरादून में नमक सत्याग्रह से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थान-खाराखेत का पर्यटन की दृष्टि से विकास किए जाने के सम्बंध में,
		11—जनपद देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम में 23 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ने वाले वीर शहीद केशरी चन्द्र की स्मृति में रामताल गार्डन (चौलीथात) में शहीद स्मारक व आदम कद मूर्ति की स्थापना तथा पर्यटन की दृष्टि से विकास किए जाने के सम्बन्ध में,
		12—जनपद देहरादून में जैंथनवाला-झाडीवाला मार्ग पर धोबाखाला में पुल निर्माण कराने के सम्बंध में,
		13—जनपद देहरादून में हरियावाला-धौलास के समीप नून नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बंध में,
		14—जनपद देहरादून में पौधा-खाराखेत मार्ग पर पुल निर्माण कराने के संबंध में,
		15—जनपद देहरादून में माडूसिद्ध मंदिर, संतोला देवी मंदिर, लाखा मण्डल, नागथात, टाइगर फाल, लखवाड़ व थैना का पर्यटन की दृष्टि से सौंदर्यीकरण एवं निकास की योजना के सम्बन्ध में,
		16—जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर से पष्टा, मलेया, दाथरा, ढलानी-कोटी-मालसी मोटर मार्ग निर्माण कराने के सम्बंध में,
		17—जनपद देहरादून के विकास खण्ड-सहसपुर में डूंगा से पट्टीमसरास से मंसूरी तक मोटर मार्ग निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		18—जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर में लांघा-पष्टा मदूस-मटौगी मार्ग को मसूरी तक विस्तार किए जाने के सम्बंध में,
		19—जनपद देहरादून में किशन बांध परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करने के सम्बंध में,

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

20—जनपद देहरादून में राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर में कला व विज्ञान संकाय (वर्तमान में केवल वाणिज्य संकाय है) के विषयों की स्वीकृति के सम्बंध में,

21—टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्याओं के समाधान के संबंध में,

22—देहरादून नगर में पेयजल का गंभीर संकट सन्निकट होने तथा ओ० एन० जी० द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण में बताए गये सोंग नदी पर बांध बनाकर जलापूर्ति की दिशा में योजना बनाने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 133 विधान सभा (250)–1999–813 (डी०टी०पी०) ।